लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th S

LOK SABHA DEBATE

[दसवां सत्र
Tenth Session]

Preservation Unit
12-8-
Fumigated
On 3.2.84
Parliament Library

PAR... LIBRARY
... 60 (LA.)
Date 16/11/7

[खंड 51 में अंक 51 से 60 तक हैं
Vol. XLI contains Nos. 51 to 60]

लोक–सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची / Contents

अंक 61, मंगलवार 19 मई, 1970 / 29 वैशाख, 1892 (शक)

No. 61, *Tuesday May* 19, 1970 / *Vaisakha 29, 1892 (Saka)*

प्रश्नों के मौखिक-उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
1711	रेलवे में स्वचालित मशीनों के प्रयोग का विरोध	Opposition to Automation on Railways	1–8
1712.	दिल्ली शाहदरा और गाजियाबाद के दैनिक यात्री संघ द्वारा ज्ञापन	Memorandum by Daily passenger's Association Delhi Shahdara and Ghaziabad . .	8–10
1713.	भारतीय रेलों के लिये बिजली से चलने वाले नये इंजनों का विकास	Development of new electric locomotives for Indian Railways	11–13
1714.	फर्मों द्वारा विज्ञापनों पर व्यय	Expenditure incurred on Advertisement by Firms . .	13–17
	अल्प सूचना प्रश्न	SHORT NOTICE QUESTION	
36.	संचार उपग्रह छोड़ना	Launching of Communication Satelite	17–21
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
	तारांकित प्रश्न संख्या		
S. Q. No.			
1715.	दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में विदेशी फर्मों द्वारा भारतीय फर्मों के साथ सहयोग	Collaboration by Foreign Firms with Indian Firms in Union Territory of Delhi . . .	21–22
1716.	भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की सामान्य बैठक में और अधिक धन की अपील	Appeal for more funds by Indian Delegate at General Session of U. N. I. D. O. . . .	22–23
1717.	उच्च न्यायालयों / उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन चुनाव याचिकायें	Election Pettitions Pending in High Courts/Supreme Court . .	23

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

अता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1718.	इस्पात कारखाने स्थापित करने के लिये विश्व बैंक से ऋण	Loan from World Bank for setting up steel Plants . . .	23
1719.	मैसर्स स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैकचरिंग कम्पनी	M/S. Standard Drum and Barrel Manufacturing Co.	23–24
1720.	भिलाई इस्पात कारखाने के लिये रूस से डीजल इंजनों का आयात	Import of Diesel Engines from Russia for Bhilai Steel Plants	24
1721.	चौथी योजना अवधि में बांसपानी जोरूरी रेल लिंक का विस्तार	Extension of Banaspani Joruri Rail link during Fourth Plan period . . .	24–25
1722.	मिश्रित एवं विशेष इस्पात के कारखाने स्थापित करने के लिये बिड़ला बन्धुओं को लाइसेंस देना	Grants of licences to the Birlas for setting up Alloy and special Steel plants	25
1723.	भारत में विदेशी नियंत्रणाधीन सिगरेट कम्पनियों द्वारा लाभांश का भेजा जाना	Remittance of dividend by foreign controlled cigarette companies in India	25–26
1724.	लघु उद्योगपतियों को सहायता	Aid to small Industrialists . .	26
1725.	नागालैंड में लुगदी तथा कागज मिल	Plup and Paper Mill in Nagaland	26
1726.	सीमेंट का उत्पादन तथा खपत	Production and consumption of Cement	26–27
1727.	राजभाषा (विधान) आयोग द्वारा 1969–70 में किया गया कार्य	Work done by official language (Legislative) Commission during 1969-70	27
1728.	बाटा शू कम्पनी में विदेशी पूंजी निवेश	Investment of foreign capital in Bata Shoe company . .	27–28
1729.	नये इस्पात कारखाने की लागत का अनुमान	Estimates of cost of new steel Plants	28
1730.	कलकत्ता में भूमिगत रेलवे के लिये विदेशी परामर्शदात्री सेवा	Foreign consultancy service for under ground Railway in Calcutta.	28
1731.	औद्योगिक विकास	Industrial Growth . . .	28–29
1732.	भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची की पूरी क्षमता का उपयोग न होना	Under utilization of capacity of HEC Ranchi . . .	29
1733.	भारतीय विज्ञापन एजेंसियों का अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग	Collaboration of India Advertising Agencies with American International Agencies . .	29–31
1734.	लाइसेंस जारी करने के बारे में महाराष्ट्र सिंचाई मंत्री के विचार	Observations by Maharashtra irrigation Minister re. issue of Licences . . .	31–32
1735.	रेलवे में स्वचालित मशीनों का प्रयोग	Introduction of Automation on Railways	32

तारां॰ प्र॰ संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1736.	बराबंकी और गोंडा के बीच बड़ी रेलवे लाइन का निर्माण और गोंडा गोरखपुर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Construction of Broad gauge Line between Barabanki and Gonda and conversion of Gonda Gorakhpur metergauge line into Broad Gauge. . .	32
1737.	विदेशी सहयोग की शर्तों में प्रस्तावित उदारता	Proposed Relaxation in the term of Foreign Collaboration.	32-33
1738.	लखनऊ डिवीजन में कासिमपुर रेलवे हाल्ट के द्वारा लम्बी यात्रा के लिये टिकट जारी करना	Issue of long distance tickets by contractor of Kasimur Railway halt in Lucknow Division.	33
1739.	रूरकेला में हाट डिम्ट तथा इलैक्ट्रोलिटिक प्रक्रियाओं से टिन प्लेटे बनाना	Production of Tin plates at Rourkela by Hot dipped and Electrolytic processes . . .	33-34
1740.	एकाधिकार वादी प्रवृत्तियों का पता रंगाने के लिये होटल उद्योग का अध्ययन	Study of Hotel Industry to Assess monopoistic trends . .	34-35
अतारांकित प्रश्न U. S. Q. Nos.			
10145.	बम्बई नई दिल्ली एयर कन्डीशन्ड एक्सप्रैस को डीजल इंजन से चलाना	Hauling of Bombay New Delhi Air conditioned Express by Diesel Locomotives . .	35
10146.	गुजरात में औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates in Gujatrat.	35
10147.	मैसर्स सेन रेले लिमिटेड, असनसोल के प्रबन्ध निदेशका द्वारा ली गई उपलब्धियां	Emoluments drawn by Managing Director of M/s Sen Raleigh Ltd., Asansol. . . .	35-36
10148.	ट्रैक्टर तथा फालतू पुर्जों की चोर बाजार में बिक्री	Sale of Tractors and Spare parts in Black Market. . .	36
10149.	महिला यात्रियों को संरक्षण	Protection to Women Passengers	37
10150.	इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिये आवश्यक व्यवस्थायें	Conditions for Establishment of a Steel Plants . . .	37-38
10151.	इस्पात संयत्रों में विनियोजन	Investment in Steel Plants .	38-39
10152.	अम्बाला सिटी और अम्बाला छावनी (उत्तर रेलवे) में पान की बिक्री	Sale of Pan at Ambala City and Ambala Cantt. (Northern Railway)	40
10153.	रेलवे यात्री डिब्बों से बल्बों और शीशों की चोरी के कारण रेलवे को हानि	Loss to Railways due to theft of Bulbs and Mirrors from Railway Passenger Coaches . .	40-41
10154.	ताज एक्सप्रैस में नई दिल्ली से आगरा कैन्ट का तीसरे दर्जे का किराया	Fare of Third Class from New Delhi to Agra Cantt. by Taj Express	41
10155.	पहियेदार तथा रिगंण (क्रालर) ट्रैक्टरों का निर्माण करने वाले कारखाने	Units engaged in manufacture of wheeled and Crawler Tractors.	42

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10156.	इम्पेक्ट पब्लिकेशन्स (प्राइवेट) लिमिटेड शेयरहोल्डर्स के बारे में जानकारी बताना	Furnishing of information re. Share holders of impact publications (P) Ltd. . . .	42
10157.	खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष और उनके निजी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते	Drawal of T. A. /D. A. by Chairman of khadi and Village industries commission and his personal staff . . .	42-43
10158.	मद्रास में बहुत से प्लेटफार्म टिकट छापने वाली स्वचालित मशीनों की व्यवस्था	Multiple Self printing platfrom Ticket Machine installed at Madras	43-44
10159.	सिवन जंकशन (पूर्वोत्तर रेलवे) के जलपान गृह के ठेकेदार के विरूद्ध शिकायतें	Complaints against contractor of refreshment room at Saiwan Jn. (North Eastern Railway) .	44
10160.	कारों का मूल्य निर्धारित करने के लिये आयोग की नियुक्ति	Appointment of Commission for fixing car prices . .	44-45
10161.	सिवन जंकशन और मेरवा स्टेशनों (पूर्वोत्तर रेलवे) पर रेलवे परिसर में भूमि पर अनधिकृत कब्जा	Unauthorised occupation of land in Railway premises at Saiwn Jn. and Mairwa Stations (North Eastern Railway) . .	45
10162.	मैसर्स इतहाद मोटर ट्रांसपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड के अंशधारियों की बैठक	Meeting of Share holders of M/s Ithad Motor Transport (P) Ltd	45-46
10163.	मैसर्स इतहाद मोटर ट्रांसपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड को हुई हानि	Less incurred a by M/s Ithad Motor Transport (P) Ltd. .	45-47
10164.	श्री मोहन लाल सुखाड़िया के विरूद्ध चुनाव याचिका	Election petition against Shri Mohan Lal Sukhadia.	47
10165.	मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) जिले के कन्टाई सब डिवीजन के तटीय क्षेत्रों में नमक बनाना	Manufacture of Salt in Coastal areas of Contai sub-division of Midnapur district (West Bengal)	47-48
10166.	प्रत्येक राज्य में पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण तथा विकास	Demarcation and Development of Backward areas in each state	48-49
10167.	सोडियम हाइड्रोसल्फाइट का आयात	Import of Sodium hydrosulphite	49
10168.	निजी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा	Ceiling on private property.	49-50
10169.	बच्चों की भलाई के बारे में संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्टीय बाल आपात निधि प्रतिवेदन	UNICEF report re. betterment of Children. . . .	50
10170.	ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे सुपर बाजार	Mini Super Bazar in Rural Areas	50-51
10171.	चण्डीगढ़ नगर के बाहर प्रस्तावित औद्योगिक बस्ती का नगर के विकास पर प्रभाव	Effect of proposed industrial township at the out skirt of Chandigarh on development of the city	51
10172.	चण्डीगढ़ का औद्योगिक विकास	Industrial Development of Chandigarh. . .	51-52

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10173.	दिल्ली में पूर्ण रूप से मद्य निषेध	Total prohibition in Delhi.	52
10174.	संसद् सदस्यों को कारों का आवंटन	Allotment of cars to M. Ps.	52
10175.	बिहार के क्योंझर तथा सिंहभूम जिले के बारविल, बांसपानी तथा बड़ामजदा क्षेत्र से बासुओं अथवा रक्षी तक नई रेलवे लाइन	New Railway line from Barbil, Banaspani and Barajamda Sector of Keonjhar and Singhbhum districts of Bihar to Barsuan or Raksbi.	52-53
10176.	रूस को इस्पात का निर्यात	Export of Steel to Russia.	53
10177.	उत्तर रेलवे मुख्यालय द्वारा परिपत्रों/अनुदेशात्मक आदेशोंअ/अधिसूचनाओं/विज्ञापनों का जारी करना	Issue of Circulars/Instructional order. Notifications/Advertisements by Northern Railway Headquarters	53
10178.	उत्तर रेलवे गजट का हिन्दी तथा अंग्रेजी में छापना	Printing of Northern Railway Gazette in Hindi and English	53-54
10179.	उत्तर रेलवे के स्टेशन सम्बन्धी कार्यकरण नियमों का हिन्दी में अनुवाद	Hindi version of Station Working Rules on Northern Railway	54
10180.	अखिल भारतीय निर्माताओं संघ द्वारा आर्थिक विकास के लिये सुझांव	Suggestion made by all India Manufacturers' Organisation for Economic Development.	54-55
10181.	अखिल भारतीय चर्म बोर्ड स्थापित करना	Setting up All India Leather Board	56
10182.	राजस्थान में उद्योग स्थापित करने हेतु लाइसेंसो के लिये आवेदन पत्र	Applications for issue of Licences for Setting up industries in Rajasthan	56-57
10183.	केन्द्रीय इंजीनियरी तथा डिजायन ब्यूरो द्वारा रूस के साथ किया गया करार	Agreement made by CEDB with Russia	57-58
10184.	कस्तूरबा नगर (सेवा नगर), नई दिल्ली में रेलवे क्वार्टरों के सामने नाला	Nallaha in Front of Railway quarters in Kasturba Nagar (Seva Nagar), New Delhi.	58
10185.	चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में रेलवे क्वार्टरों में सुधार	Improvement in Railway quarters in Chanakyapuri, New Delhi	58-59
10186.	निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे क्वार्टरों में सुविधाएं	Amenities for Railway quarters adjacent to Nizamunddin Railway Station	59
10187.	भटिंडा रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) मुख्य पार्सल क्लर्क को पीटने के कारण रेलवे कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Railway Employees due to beating of Chief parcel Clerk, Bhatinda Railway Station (Northern Railway)	59-60
10188.	चण्डीगढ़ में उद्योग स्थापित करने के के लिये प्लाट	Industrial plots in Chandigarh	60
10189.	पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में इस्पात कारखाने लगाये जाना	Setting up of steel plants in Punjab and Haryana States	60

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10190.	हिन्डल नदी के पुल पर चार रेलवे लाइनें बिछाना	Laying of four railway lines on the bridge over Hindon river	60-61
10191.	मेरठ रेलवे स्टेशन में प्लेटफार्म संख्या 1 पर सायबान शैड की व्यवस्था	Provision of shed at Platform No. 1. at Meerut Railway Station	61
10192.	मैसर्स हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड	M/s Hind Galvanising and Engineering Co. (P) Ltd. .	61-62
10193.	रूस द्वारा करार का उल्लंघन किये जाने के कारण माल डिब्बे बनाने वाले कारखानों को हानि	Loss to wagon building units due to violation of contract by the USSR	62
10194.	तेल बैरल निर्माताओं की लाइसेंस प्राप्त क्षमता	Licensed capacity of oil Barrel fabricators.	62-63
10195.	ढोल निर्माताओं की ढोल निर्माण क्षमता के अन्यत्र स्थान स्थानान्तरण पर राज्य सरकारों की आपत्ति	Objection of state Governments against shifting of capacity of Barrel manufacture. . .	63
10196.	भारी इंजीनियरी निगम लिमिटेड, रांची में विदेशी विशेषज्ञ	Foreign experts at Heavy Engineering Corporation Ltd., Ranchi. . . .	64
10197.	गोयनका फर्म समूह के लेखों का निरीक्षण	Inspection of accounts of Goeonka Group of concerns . .	64
10198.	रद्दी लोहे के मूल्य	Price charged from Scrap . .	64-65
10199.	राज्यों के लघु उद्योग निगम के माध्यम से लोहे तथा इस्पात का लघु उद्योग एककों में वितरण	Distribution of Iron and Steel to Small Scale units through Small Scale Industries Corporations of States. . . .	65
10200.	लघु उद्योगों को लोहे तथा इस्पात का वितरण	Distribution of iron and steel to small scale Industries. . .	65-66
10201.	औद्योगिक लाइसेंस देने की प्रक्रिया में परिवर्तन	Changes in procedure of Industrial Licensing.	66
10202.	पश्चिम जर्मनी द्वारा भारत में मशीनी पुर्जों का निर्माण	Manufacture of Machinery parts, in India by West Germany	66-67
10203.	तुगलकाबाद उत्तर रेलवे में नये रेल इंजन घर (लोको शेड) में काम चालू होना	Functioning of new loco shed at Tughlakabad (N. Rly) . .	67
10204.	झांसी के निकट भूसे से लदी माल गाड़ी का जल कर नष्ट हो जाना	Goods Train loaded with fodder gutted near Jhansi. .	67
10205.	मध्य प्रदेश में औद्योगिक बस्तियों का कार्यकरण	Working of Industrial Estates in Madhya Pradesh. . .	67-68
10206.	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेट फार्म के गेट	Platform Gates at New Delhi Station..	68

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10207.	मध्य प्रदेश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित उद्योग	Centrally sponsored industries in Madhya Pradesh . .	68
10208.	जे० बी० आयल मिल, सीतापुर (उत्तर प्रदेश) को दिये गये ऋण का अनुचित प्रयोग	Improper utilization of loans given to J. B. oil Mill Sitapur (U. P.)	68-69
10209.	दक्षिण के अपाहिज तथा विकलांग लोगों के लिये राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना	Setting up of a National Centre for Orthopaedically handicapped persons in South	69
10210.	डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी में लगी पूंजी	Investment in Diesel locomotive works, Varanasi. . . .	69
10211.	भिंड़ और मुरेना (मध्य प्रदेश) जिलों में कृषि उत्पादों का रेलवे द्वारा ढोया जाना	Transporation of Agricultural products by Railways in Bhind and Morena Districts (Madhya Pradesh)	69-70
10212.	ग्वालियर स्थित रेलवे कार्यालय के लिये श्रेणी एक के अधिकारी की नियुक्ति	Posting of a class I Officer for Railway office at Gwalior .	70
10213.	ग्वालियर में प्लेटफार्म संख्या 2 के निकट बड़ी लाइन बिछाना	Laying of Broad Gauge line near Platform No. 2 at Gwalior	70
10214.	भारतीय रेलवे रेल इंजन (लोको) मैंकेनिकल कर्मचारी संस्था और रेल इंजन कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by the Indian Railways loco mechanical staff Association and loco workers	70-71
10215.	सारन जिला (बिहार) में सीवान के स्थान पर कागज के कारखाने की स्थापना	Setting up of paper Factory at Siwan District Saran (Bihar)	71
10216.	कांग्रेस रेलवे कर्मचारी यूनियन का रेलवे इन्टीट्यूट दानापुर में सभा	Meeting of Congress Railwaymen's union at Railway Institute, Danapur	71
10217.	वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचे हुए पर्यवेक्षी कर्मचारियों को राहत	Relief to Supervisory staff who have reached the Maximum of Pay Scales . . .	72
10218.	हिमाचल प्रदेश में रेजिन और टरपैन्टाइन कारखाने की स्थापना	Setting of Resin and Turpentine Factory in Himachal Pradesh	72
10219.	लघु क्षेत्र के ढलाईखानों में तापसह ईटों की कमी को पूरा करने के लिये (रिफरेक्टरी) उद्योग का विकास	Development of Refractory Industry to meet shortage of fire bricks in small scale foundries.	72-73
10220.	रूस की सहायता से नई धातुकर्मक डिजाइन संस्था की स्थापना	Setting up of a new metallurgical design institute with Soviet Assistance	73
10221.	बटलर, लेदर, शू फैक्ट्री, मुजफ्फरपुर (बिहार) में उत्पादन	Production in Butler Leather (Shoe) Factory Muzaffarpur (Bihar) .	73
10222.	आन्तरिक व्यापार वस्तु विनियम प्रणाली	Barter System in Internal trade	73-74

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10223.	भिखारियों के लिये दिल्ली तथा अन्य शहरों से बाहर अलग बस्तियां स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposals for setting up separate colonies for beggars outside Delhi and other cities . .	74
10224.	समस्तीपुर (क्षेत्र) प्रयोक्ता समिति की बैठकों के निर्णयों की क्रियान्विति	Implementation of Decisions of Samastipur (zone) Users' Committee Meeting. . .	74
10225.	दिल्ली के ओखला तथा नजफगढ़ क्षेत्र में औद्योगिक एकक	Industrial trial units in Okhla and Najafgarh Road area of Delhi.	75
10226.	दिल्ली में लघु औद्योगिक एककों को तांबे तथा अलोह धातुओं का कोटा पुन: देना	Restoration of quota of copper and Nonferrous metals to small Industrial units in Delhi	75-76
10227.	पूर्व रेलवे की गोमोह से बरवाडीह जाने वाली सवारी गाड़ी में प्रकाश और पंखों का न होना	Absence of light and fan in passenger train between Gomoh and Barwadih Eastern Railway	76
10228.	गंगापुर नगर (पश्चिम रेलवे) के गुडस शैड तक जाने वाली सड़क का सुधार	Improvement of road leading to Goods Sheds, Gangapur city (Western Railway). . .	76
10229.	राजस्थान का औद्योगिक सर्वेक्षण	Industrial survey of Rajasthan	76-77
10230.	राजस्थान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के पुनर्वास के लिये नई बस्तियों की स्थापना	Setting up of New Colonies for Rehabilitation of scheduled castes and Scheduled tribes in Rajasthan . . .	77
10231.	पश्चिमी रेलवे की डिवीजनल सलाहकार समितियों में संसद् सदस्यों को मनोनीत करना	Nomination of Members of Parliament to divisional Consultative Committees on Western Railway. . . .	77-78
10232.	गंगापुर नगर (पश्चिमी बंगाल) की श्मशान भूमि पर सुविधाएं	Facilities at Cremation Grounds at Gangapur City (Western Railway).	78
10233.	कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन	Violation of provisions of companies act	78
10234.	खादी ग्रामोद्योग आयोग में गांधी विचार-धारा के बारे में अनुसंधान अध्ययन करने का प्रस्ताव	Proposal for undertaking Research studies on Gandhian thought by Khadi and Village industries Commission	78-79
10235.	पंजाब में उद्योगों के लिये बिजली की सप्लाई की कमी	Shortage of power supply for industries in Punjab . .	80
10236.	राजस्थान के लघु उद्योगों को बिजली की अपर्याप्त सप्लाई	Inadequate supply of power to small scale industries in Rajasthan	80
10237.	कलकत्ता के निकट मुफस्सिल रेलवे स्टेशन का राजस्व	Revenue of Mofussil Railway Stations near Calcutta . .	80
10238.	मैसर्स एन्टेन्ट (पी) लि० का विदेशी प्रकाशकों के साथ सहयोग	Collaboration of M/s Entente (P) Ltd. with Foreign Publishing Houses . . .	81

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
10239.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा जैनरेटरों की सप्लाई न किये जाने के बारे में महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री द्वारा उल्लेख	Observations of Maharashtra Minister of Irrigation re. non-delivery of Generators by B.H.E.L.	81-82
10240.	पूर्वोत्तर रेलवे की समस्तीपुर, दरभंगा और सकरी की ओर के फाटकों पर उपरि पुल का निर्माण	Construction of Overbridges on road crossings on the sides of Samastipur and Sakri (North Eastern Railway) Darbhanga	82
10241.	भारी इंजीनियरी निगम लिमिटेड रांची के मुसलमान कर्मचारियों का पुनः स्थापन	Resettlement of muslim employees of Heavy Engineering Corporation Ltd. Ranchi . . .	82
10242.	हाबरा तथा अशोक नगर रोड के बीच रेलवे लाइन (पूर्व रेलवे) पर विस्फोटक बमों का पाया जाना	Recovery of live Bombs between Habra and Ashoknagar road on Railway line (Eastern Railway)	83
10243.	उत्तर रेलवे के लाइनमैनों की एसोसियेशन का मंत्री महोदय के निवास स्थान पर प्रदर्शन	Demonstration by Linemen's Association of Northern Railway at Minister's Residence . .	83
10244.	दफतर जाने वालों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये बिजली सफदरजंग और दिल्ली किशनगंज सेक्शन के कार्य में सुधार	Improvement in the operation of Delhi Safdarjang Delhi Kishanganj Sections to remove Hardships of Office goers . .	83-84
10245.	एसोसियेटेड होटल्स आफ इंडिया लि० शिमला	Associated hotels of India Ltd. Simla	84
10246.	पूर्वोत्तर रेलवे स्टेशनों पर बुकिंग तथा आरक्षण की सुविधाएं	Booking and reservation facilities at Railway Stations on North Eastern Railway . . .	84-85
10247.	दक्षिण रेलवे में रेलवे स्टेशनों पर बुकिंग तथा आरक्षण की सुविधाएं।	Booking and Reservation facilities at Railway Stations on Southern Railway . . .	85
10248.	पश्चिम रेलवे में रेलवे स्टेशनों पर बुकिंग तथा आरक्षण की सुविधाएं	Booking and reservation facilities at Railway Stations on Western Railway	85
10249.	उत्तर रेलवे में रेलवे स्टेशनों पर बुकिंग तथा आरक्षण की सुविधाएं	Booking and reservation facilities at Railway Stations on Northern Railway	85
10250.	मध्य रेलवे में रेलवे स्टेशनों पर बुकिंग तथा आरक्षण की सुविधाएं	Booking and reservation facilities at Railway Stations on Central Railway	85
10251.	फिल्म कम्पनियों की अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी	Authorised and paid up capital of film companies . . .	86-87
10252.	पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल के सलाहकार के साथ औद्योगिक तथा वाणिजक संगठन के प्रतिनिधियों की बैठक	Meeting of Representatives of Industrial and Commercial Organizations with adviser to West Bengal Governor . .	88

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10253.	छोटे पैमाने के उद्योगों के सम्बन्ध में लोकनाथन समिति का प्रतिवेदन	Lokanathan Committee Report on Small Scale Industries . .	88
10254.	राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर रेलवे सलाहकार समितियां	Railway consultative committees at National and Zonal levels .	88
10255.	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय के प्रकाशन	Publications of Ministry of Industrial Development Internal Trade and Company Affairs	88-89
10256.	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के बारे में में जांच आयोग का प्रतिवेदन	Report of inquiry commission on British India Corporation .	89
10257.	रेलवे के स्कूलों में नियुक्त अध्यापकों को वेतन वृद्धि की मंजूरी तथा उनके पुनरीक्षित वेतनमान	Grant of increment and revised scales of pay to teachers employed in Railway Schools . .	89
10258.	टिन प्लेटों का उत्पादन	Production of tin plates . .	90
10259.	कटक रेलवे स्टेशन की रेलवे क्रासिंग पर पुल	Bridge at Railway crossing at Cuttack Railway Station . .	90-91
10260.	विभिन्न निकायों के निर्वाचन सम्बन्धी नियमों की जांच	Screening of Election rules relating various bodies . . .	91
10261.	डीजल आयल इंजनों की मरम्मत और देखभाल	Maintenance and repair of diesel oil Engines	91
10262.	टायरों तथा ट्यूबों की कमी	Shortage of tyres and tubes . .	91-92
10263.	मंगलौर उल्लाल रेलवे पुल की मरम्मत के बारे में नागरिक समिति, उल्लाल का अभ्यावेदन	Representation by Citizens' Committee, Uilal Re: repairs of Mangalore Uilal Railway bridge	92
10264.	कपड़े तथा ट्रैक्टरों के पुर्जों का व्यापार करने वाली कम्पनियां	Companies dealing in spare parts both tractors and Textile Trade	92
10265.	खुर्दा रोड (दक्षिण पूर्वी रेलवे) स्थित रेलवे स्कूल को सुधारना	Improvement in Railway School at Khurda Road (South Eastern Railway)	93
10266.	पश्चिम रेलवे में वर्क्स मिस्त्री के पद पर पदोन्नति ओर ड्रेसर ग्रेड दो के पदोन्नति के अवसर दो	Promotion to the posts of works Mistries on Western Railway and avenues of Promotion of dressors Grade II . . .	93
10267.	दाहोद फ्रीलैंड गंज रेलवे कालोनी में हिन्दी माध्यम वाला रेलवे प्राथमिक विद्यालय	Railway Primary School with Hindi Medium at Dahod Freeland gunj Railway Colony .	93
10268.	राउरकेला में टीन की प्लेटों का उत्पादन	Under utilisation of capacity to produce Tinplates at Rourkela	94
10269.	मलकागंज, दिल्ली के निकट कब्रिस्तान से ट्रक अड्डा हटाना	Removal of truck adda from the Graveyard near Malka Ganj, Delhi	94

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10270.	औद्योगिक एककों का विविधीकरण अथवा विस्तार	Diversification or expansion of Industrial units . . .	95
10271.	रेलवे के सभी जोनों में कोयला बचत अभियान	Coal saving drive on all Railways	95-96
10272.	दक्षिण कनारा जिले में मंगलोर हसन रेलवे लाइन पर रेलवे पुलों और रेलवे पुलियों पर पैदल पथ	Footpaths on railway culverts and bridges on Hassan Railway line in South Kanara Mangalore District	96
10273.	कोयले को लाने ले जाने की व्यवस्था में सुधार करने के बारे में भारतीय कोयला व्यापारी अध्यक्ष का सुझाव	Suggestion by President, Indian Coal Merchants Association Re: Improvement in Coal transport system . . .	96-97
10274.	अस्पृयता सम्बन्धी समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष का प्रधान मंत्री के नाम पत्र	Letter to Prime Minister by Ex-Chairman of Committee on Untouchability . . .	98
10275.	रेलवे में वरिष्ठ वाणिज्यिक अधिकारियों (दावा) का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgradation of post of senior commercial officers (Claims) on Railways	98-99
10276.	एक मंडल से दूसरे मंडल में स्थानापन्न होने के समय परस्पर वरीयता निर्धारित करना	Fixing up of inter seniority on transfer from one division to another	99
10277.	त्रुटिपूर्ण वैम –1 इंजिनों का आयात	Import of defective WAM I Locomotives	100
10278.	दिल्ली नगर निगम के सदस्यों को स्कूटरों तथा कारों का आवंटन	Allotment of Scooters and Cars to Members of Delhi Municipal Corporation	100-101
10279.	फिल्म कम्पनियों की अधिकृत और प्रदत्त पूंजी	Authorised and paid up capital of film companies . . .	101
10280.	फिल्म कम्पनियों के निदेशक और अंशधारी	Directors and share holders of Film Companies . . .	101-102
10281.	हुब्ली रेलवे स्टेशन (दक्षिण मध्य रेलवे) के पास स्थित नीचे के पुल को चौड़ा करना	Widening of underbridge beside Hubli Railway Station (South Central Railway) . . .	102
10282.	भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची द्वारा निर्मित वस्तुएं	Goods manufactured by HEC Ranchi	102-103
10283.	कानपुर की एक फर्म के द्वारा मैथोक्सि-क्लोर के निर्माण की योजना	Scheme for Manufacture of Methoksiclore by a Kanpur firm	104
10284.	मैसर्स एलेम्बि उद्योग समूह के विरूद्ध आरोप	Allegations against M/s Alembic Group of Industries . .	104-105
10285.	दानापुर मुख्यालय (पूर्व रेलवे) के ग्रेड सी० के गार्डों की संख्या	Strength of Guards Grade 'C' of Danapur Headquarter (Eastern Railway)	105

अता० प्र० संख्या U. S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ट/PAGES
10286.	पटना जंक्शन (पूर्व रेलवे) पर ग्रेड सी के गार्डों की संख्या में वृद्धि	Increase in Strength of Guards Grade 'C' at Patna Jn. (Eastern Railway)	105
10287.	भारतीय रेलवे के गार्डों को छुट्टी देने की कसौटी	Criteria for grant of leave to Guards on Indian Railways .	105-106
10288.	रेलवे में भारतीय टेलीफोन आपरेटर कि नियुक्ति के लिये योग्यताएं	Qualifications for Appointment as Telephone Operator on Railways	106
10289.	डिवीजनल सुपरिन्टेडेन्ट कार्यालय, नई दिल्ली, (उत्तर प्रदेश) के अन्तर्गत सी० टी० आई० तथा डी० एस० टी० ई० के सेक्शन में अस्थायी कारीगर	Temporary workmen in C.T.I. and D.S.T.E. Sections under Divisional Superintendent's Office, New Delhi (Northern Railway)	106-107
10290.	तमिलनाडू में लघु उद्योगों के एककों का बन्द होना	Closure of Small Scale Industrial Units in Tamil Nadu . .	107
10291.	पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के निदेशकों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक पर नियंत्रण	Control over remuneration paid to Directors of Public Limited Companies	107-108
10292.	रूरकेला इस्पात कारखाने के क्रेन चालकों की हड़ताल	Strike by Crane Operators of Rourkela Steel Plant . .	108-109
10293.	रात के समय दिल्ली मेन स्टेशन और आगरा के बीच यात्री रेल गाड़ी सेवा	Passenger Train service between Delhi Main and Agra during night	109
10294.	पूर्वोत्तर रेलवे के मथुरा हाथरस सेक्शन पर सोनाई रेलवे स्टेशन का नाम बदलना	Change of name of Sonai Railway Station on Mathura-Hathras Section (North Eastern Railway)	
10295.	रेलवे वाणिज्य क्लर्कों को क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of quarters to Railway Commercial clerks . . .	109
10296.	माल तथा पार्सलों के चढ़ाने तथा उतारने के लिये दिये ठेकों से आय	Earnings from contracts given for loading and unloading of goods and parcels	110
10297.	माल तथा पार्सलों के चढ़ाने तथा उतारने के लिये ठेक देने सम्बन्धी नियम एवं विनियम	Rules and regulations for giving contracts for loading and unloading of goods and parcels .	111
10298.	भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ से ज्ञापन	Memorandum from Indian Railways Technical Supervisors' Association	111-112
10299.	फिएट कारों के डनलप टायरों की किस्म	Quality of Dunlop tyres for Fiat cars	112
10300.	रेलवे में रेल पथ निरीक्षकों द्वारा कार्यभार सौंपने/सम्भालने के लिये समय सीमा	Time limit for handing overtaking/over charge by permanent Way Inspectors on the Railways .	112-113
10301.	रेल पथ निरीक्षकों की सेवा निवृत्ति के लिये नियम	Rules for retirement of Permanent Way Inspector	113

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10302.	उत्तर रेलवे मे स्टेशन पद तथा पारगमन पद पर कार्य करने वाले माल बाबुओं के कर्त्तव्य	Nature of duties of goods clerks working on Station post and Transit Post on Northern Railway	113-14
10303.	नई दिल्ली में शंकर रोड के निकट देशी शराब की दुकान खोलना	Opening of a country liquor shop near Shankar Road, New Delhi	114
10304.	रेलवे गार्ड पेंशनर संघों से आभ्यवेदन	Representations from Railway Guard Pensioners' Organisations	115
10305.	राजभाषा (विधायी) आयोग आदि में हिन्टी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में अधिनियमों, विधेयकों आदि का अनुवाद, अनुवाद की जांच-पड़ताल तथा प्रमाणकरण	Translation, Vetting and authentication of Bills, Acts, etc., into Hindi and Regional Languages in Official Language (Legislative) Commission.	115
10306.	राष्ट्रपति के रूप में श्री वी० वी० गिरि के चुनाव के विरूद्ध दायर की गई याचिका पर खर्च की गई राशि	Amount spent on petition field against Shri V. V. Giri's Election as President . . .	116
10307.	उत्तररेलवे में स्टेशन पद तथा पारगमन पद के माल बाबू ।	Goods clerks engaged on station post and Transit post on Northern Railway . . .	116
10308.	उत्तर रेलवे में वाणिज्य क्लर्कों को अलाट क्वार्टर करना	Allotment of Quarters to Railway Commercial Clerks on Northern Railway . . .	116-17
10308. (क)	तमिलनाडू में उच्च सदन को समाप्त करने की मांग	Demand for abolition of upper House in Tamil Nadu . .	117
10308 (ख)	वर्ष 1970-71 के लिये भारत में परियोजनाओं के लिये संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा धन का नियतन	UNICEF Allocation of Funds for projects in India for 1970-71	
10308 (ग)	आयकर अधिकरण	Income-tax Tribunals .	117-18
	अतारांकित प्रश्न संख्या 355 दिनांक 24-2-70, प्रश्न संख्या 1261 दिनांक 3-3-1970 और प्रश्न संख्या 3911 दिनांक 24-3-1970 के बारे में शुद्धि करने वाले विवरण	Correcting Statements to USQ 355 dated 24-2-70, USQ 1261 dated 3-3-1970 and USQ 3911 dated 24-3-70. . . .	119
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to matter of urgent Public Importance	119-26
	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया की लन्दन स्थित शाखा में धन राशि के गबन का समाचार	Reported mis-appropriation of money at the London Branch of the Central Bank of India	
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	127-30
	राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha .	130-31

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	Committee on Absence of Members from the Sittings of the House	
चौदहवां प्रतिवेदन	Fourteenth Report	131
वैयक्तिक स्पष्टीकरण	Personal Explanation .	131-32
रेलवे अभिसमय समिति के बारे में संकल्प	Resolution Re. Railway Convention Committee . .	132-33
भारतीय सैनिक (मुकदमा) संशोधन विधेयक	Indian Soldiers (Litigation) Amendment Bill	
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha . . .	133
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh .	133-34, 35
श्रीमती तारा सप्रे	Shrimati Tara Sapre . .	134
श्री रणजीत सिंह	Shri Ranjeet Singh . .	134-35
श्री गजराज सिंह राव	Shri Gajraj Singh Rao . .	135
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . .	135
श्री अ० एस० सहगल	Shri A.S. Saigal . . .	135
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiv Chandra Jha . .	135
श्री जी० वेंकटस्वामी	Shri G. Venkatswami	135
खंड 2 से 4 और 1	Clauses 2 to 4 and 1 .	135
पारित करने का प्रस्ताव संशोधित रूप में	Motion to Pass	
जांच समिति (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्) के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Committee of Inquiry (Council of Scientific and Industrial Research) .	138-59
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	139-40
श्री मुशीर अहमदखां	Shri M. A. Khan . .	140
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . . .	141-42
श्री अटल बिहारी वाजपयी	Shri Atal Bihari Vajpayee .	142-43
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan . .	143-44
श्री कृ० मा० कौशिक	Shri K. M. Koushik .	144-45
श्री मृत्युंज्य प्रसाद	Shri Mrityunjay Prasad	145
श्री सीता राम केसरी	Shri Sitaram Kesri	145-46
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee .	147-48
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan .	148-51
श्रीमति इंदिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi .	151-53
डा० सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayar .	153-54
श्री के० आनन्द नम्बियार	Shri Nambiar . .	154-55
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham, .	155-56
डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V.K.R.V. Rao .	156-59

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 19 मई, 1970/29 वैशाख 1982 (शक)

Tuesday, May 19, 1970/Vaisakha 29, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।

MR. SPEAKER *in the Chair*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

रेलवे में स्वचालित मशीनों के प्रयोग का विरोध

*1711. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने रेलवे कर्मचारियों को सलाह दी है कि विकासशील देश की बढ़ती हुई अर्थ-व्यवस्था के हित में उन्हें स्वचालित मशीनों के प्रयोग का विरोध नहीं करना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार को कर्मचारियों का क्या उत्तर प्राप्त हुआ ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रोहनलाल चतुर्वेदी): (क) और (ख). इन्डियन रेलवे कानफ्रेंस एसोशियेशन के कर्मचारी संघ की वार्षिक बैठक में कर्मचारियों को सलाह दी गई थी कि शीघ्र बढ़ती हुई रेल व्यवस्था में आधुनिकीकरण अनिवार्य है और इसीलिये जबकि उससे प्रभावित कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा की सरकार ने गारंटी दी है और अन्य उचित सुरक्षा की व्यवस्थायें की हैं, उसका विरोध करना अनुचित है ।

संघ संगठित मजदूरों को वस्तुतः पहले ही इस बात से अवगत कराया गया कि प्रबन्ध-संबंधी कार्यों के सेवार्थ संगणकों को चालू किया जाएगा। उन्हें आश्वासन भी दिया गया था कि संगणकों के चालू किये जाने से किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जायगी ।

स्वचालित यंत्रों के प्रयोग के लिए हाल में नियुक्त समिति श्रमिकों के प्रतिनिधियों से यंत्र के प्रयोग के संबंध में बातचीत कर रही है । रेलवे के मान्यता प्राप्त संघों के प्रतिनिधियों के साथ इस विषय पर चर्चा की जाएगी ।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : इस बात से सहमत होते हुए भी कि इस स्वचालित व्यवस्था से रोजगार के वर्तमान अवसरों में कमी नहीं होगी परन्तु फिर भी इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि पहले हमारा ऐसा अनुभव रहा है कि स्वचालित व्यवस्था लागू करने पर रोजगार के अवसर निश्चित रूप से कम हो गये हैं और इससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है ।

इस आधार पर मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि रेलवे में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या उपाय किये हैं ? माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि स्वचालित व्यवस्था क्रियान्विति समिति स्वचालित व्यवस्था लागू करने के बारे में विचार विमर्श कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सिमिति ने सलाह दी है कि सभी रेलों में स्वचालित व्यवस्था लागू की जानी चाहिए ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : जहां तक प्रश्न के पहले हिस्से का सम्बन्ध है मैंने अपने उत्तर में पहले ही बता दिया है कि छंटनी नहीं होगी । प्रश्न के दूसरे हिस्से के संबंध में अर्थात क्या रोजगार के अवसरों पर इसका असर पड़ेगा मैं कहना चाहता हूं कि इससे उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा ।

श्री जि० मो० बिस्वास : इससे असर पड़ेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप कृपया अमरीकी साहित्य पढ़िये ।

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : श्री बसु कब से अमरीका के अनुयायी हो गये हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार इसका विरोध नहीं करेगी बल्कि जनता इसका विरोध करेगी ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : इसको बहुत गुप्त रखा गया है ।

अध्यक्ष महोध्य : आप बाद में इस विवाद पर विचार कर लीजिएगा ।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : उनके प्रश्न के दूसरे हिस्से के बारे में अर्थात जो स्वचालित व्यवस्था क्रियान्विति समिति के बारे में है मैं कहना चाहता हूं कि इस समिति के अध्यक्ष श्री आर० वेंकटरमन, सदस्य, योजना आयोग हैं और यह समिति स्वचालित व्यवस्था लागू करने के सभी पक्षों पर विचार कर रही है ।

श्री बें० कृ० दासचौधरी : मेरा विशिष्ट प्रश्न था कि क्या स्वचालित व्यवस्था सभी रेलों में लागू की जानी चाहिए । मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया कि माननीय मंत्री रेलवे में रोजगार के अवसर किस प्रकार बढ़ाने का विचार कर रहे हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : माननीय सदस्य को पता होना चाहिए कि अत्यधिक मात्रा में विनियोजन का परिणाम ही रोजगार है । आर्थिक व्यवस्था में जब विकास होता है तो इसका आशय है कि रोजगार और अधिक लोगों को सुलभ होगा और जब हम बचत करत हैं जिन्हें दूसरे चरण में विनियोजित किया जाता है तब निस्सन्देह और अधिक रोजगार के अवसर की संभावनाएं होंगी ।

श्री रवि राय : लेकिन फजूल खर्ची के बारे में क्या होगा ?

श्री नंदा : फजूलखर्ची निस्संदेह खत्म होनी चाहिए । यह ठीक बात है । लेकिन इस स्थिति में संगणक लगाना केवल बचत का प्रश्न नहीं है अपितु मिश्रित प्रक्रियाओं को ठीक

प्रकार से लागू करने का प्रश्न है । क्योंकि काम अधिक हो जाने पर गलती हो सकती है । स्वचालित व्यवस्था लागू करने का तात्पर्य संगणक लगाना भी है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपका "ब्रीफ" किसने तैयार किया है ?

श्री नंदा : मुझे किसी "ब्रीफ" की आवश्यकता नहीं है ।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर-सीमांत रेलवे ने एक संगणक लगाने का निर्णय किया है और यदि ऐसा है तो जैसा माननीय मंत्री ने कहा है क्या उत्तर-सीमांत रेलवे के किसी संगठित संघ से प्रारम्भ में इस बारे में परामर्श किया गया था या उन्हें संगणक की स्थापना के बारे में पहले सूचित किया गया था ?

माननीय मंत्री द्वारा यह भी कहा गया है कि इस मामले में संगठित श्रमिक संघों से परामर्श किया जायेगा । ऐसे मान्यता प्राप्त श्रमिक संघ कौन से हैं ? रेलवे में ऐसे संघों की संख्या बड़ी है जो ठीक रूप से कार्य कर रहे हैं । यद्यपि उन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले में उन अन्य संघों से भी परामर्श किया जायेगा ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : संघों को शुरू में ही बता दिया गया था कि हम संगणक लगा रहे हैं । भारतीय रेलवे सम्मेलन संघ की वार्षिक बैठक हुई थी, जहां पर माननीय मंत्री ने भाषण दिया था । इसके पश्चात हमें संगणक लगाने के पक्ष अथवा विपक्ष में कोई जवाब नहीं मिला ।

श्री धीरेश्वर कलिता : विशिष्ट प्रश्न जो पूछा गया है वह है कि क्या उत्तर सीमान्त रेलवे के संघों से परामर्श किया गया था ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये उत्तर सीमान्त रेलवे के प्रश्न का संबंध है, वहां हमने संगणक लगा दिये हैं । केवल प्रारम्भिक चरणों में थोड़ा-सा विरोध हुआ ....

श्री ज्योतिर्मय बसु : अमरीकियों द्वारा इसे लगाने के लिए आप को बाध्य किया गया था । हमें यह विदित है ।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : यह सत्य नहीं है । हम समझते हैं कि दक्षता और विशुद्धता की दृष्टि से यह रेलवे के बड़े हित में है कि हमारे पास संगणक होने चाहिएं । हमें तकनीकी विकास के सार्वजनिक स्तर पर भी तो पहुंचना है ।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं । उत्तरसीमान्त रेलवे में संगणकों की स्थापना से पूर्व किस श्रमिक संघ से परामर्श किया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें सविस्तार से बताने की जरूरत नहीं है ।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : उत्तर सीमान्त रेलवे में इस संगणक यंत्र की स्थापना से पूर्व इसके लगाने के बारे में किस श्रमिक संघ से परामर्श किया गया था ?

श्री नंदा : यह पुराना मामला है । मैं कह सकता हूं कि सामान्यतया दो संघ हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है । यदि संघ से परामर्श किया जाता है तो इसका आशय है कि अन्य यूनियनों से भी परामर्श किया गया है क्योंकि समूचे देश की सभी यूनियनों का संघ प्रतिनिधित्व करता है जो इससे सम्बद्ध है । अतः यह एक सामान्य बात है ।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । पूरी तरह से यह गोल-मोल जवाब दिया गया है । उत्तरी सीमान्त रेलवे पर इस बारे में वे कुछ नहीं बता सके ।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम : रोजगार के अवसर की संभावनाओं के बारे में माननीय मंत्री ने बताया है कि इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा । हमें बताया गया है कि रेलवे में यदि संगणक लगाये जाते हैं तो इसका रोजगार के अवसर की संभावनाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इस्पात के कारखानों तथा किसी बड़े संस्थान पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं होगा । प्रत्येक संस्था यही बात कहती है कि इनके लगाने से कोई असर नहीं होगा क्योंकि विकास हो रहा है । जीवन-बीमा निगम, इस्पात कारखानों, जूट कारखानों तथा कपास कारखानों के अतिरिक्त भी विकास हो रहा है । यह विकास कहां हो रहा है और छंटनी हुए लोगों को कहां रोजगार दिया जायेगा ? यदि प्रत्येक बड़ा संगठन एक ही बात कहता है तो इससे मालूम होता है कि कहीं पर विकास अवश्य हो रहा है ।

श्री नंदा : यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति की छंटनी नहीं होगी । इसके अतिरिक्त उन लोगों की भावी पदोन्नतियों आदि पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा जिनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण किया जायगा । अतः छंटनी का कोई प्रश्न अथवा रोजगार में किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होने वाला है ।

एक माननीय सदस्य : मेरी इच्छा है कि आश्वासनों की समिति शक्तिशाली हो ।

श्री नंदा : इसका पालन किया जायेगा ।

श्री सेझियान : माननीय रेलवे उप-मंत्री और माननीय मंत्री के उत्तरों में कुछ अन्तर्विरोध है । उप-मंत्री ने कहा है कि कोई भी छंटनी नहीं होगी और रोजगार के अवसर की संभावनाओं पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । लेकिन माननीय मंत्री ने कहा है कि इससे कुछ बचत होगी और इन बचतों को किसी अन्य निवेश के लिए प्रयोग में लाया जायेगा । जब तक वे जन-शक्ति और हम पर होने वाले व्यय में बचत नहीं करते, तो वे अन्य किस प्रकार बचत करने जा रहे हैं ? भारत की बढ़ती हुई आर्थिक स्थिति को देखते हुए जहां भारी बेरोजगारी है, सभी ऐसे आधुनिक तरीके अपनाने चाहिएं जो उत्पादन बढ़ाने वाले हों और श्रमिक की संख्या में कमी करने वाले तरीके नहीं होने चाहिये । यह सिद्धांत प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल ने घोषित किया था । श्री जे० के० गालब्रेथ ने भी इसे पर्याप्त स्पष्ट किया था । अतः इस मामले में सरकार को अत्यन्त स्पष्ट रवैया अपनाना चाहिए । चाहे यह जीवन बीमा निगम में हो अथवा रेलवे में हो या कहीं भी हो स्वचालित व्यवस्था लागू करने का अभिप्राय क्या है ? यदि वे कहते हैं कि इससे कोई श्रमिकों की बचत नहीं होने वाली है तो वे ऐसी कृत्रिम स्वचालित मशीनरी को क्यों लगाने जा रहे हैं जिस पर विदेशी मुद्रा की पर्याप्त राशि खर्च होगी ? यदि कोई बचत हीं होगी तो इसे आरम्भ करने का क्या लाभ है । यदि श्रम की वचत होने जा रही है तो इसका असर देश के रोजगार के अवसरों पर पड़ना चाहिए ।

श्री नंदा : मैंने स्वचालित व्यवस्था लागू करने के प्रभाव और नये परिवर्तन के बारे में सामान्य रूप से उत्तर दिया है । रेलवे में यदि मैं पर्याप्त धन बचाता हूं तो मेरे पास नई दिशाएं होंगी तथा इससे मैं अत्यधिक लोगों को रोजगार दे सकूंगा अन्यथा धन के अभाव में मैं ऐसा नहीं कर सकता । नई गाड़ियां और नई लाइनें बन सकेंगी । यह केवल नये निवेश

से ही सम्भव होगा । इसके अतिरिक्त संगणक लगाने से कार्य में अधिक विशुद्धता आती है । हमें यातायात में, सुरक्षात्मक उपायों का भी ध्यान रखना है । यातायात में, वस्तुओं को ले जाने की स्थिति में उदाहरण के लिए हमें पता होना चाहिए कि मालडिब्बे कहां हैं ताकि एक लाइन से दूसरी लाइन में वे लापता न हो जायें । यह सभी बातें संगणकों द्वारा हल की जाती हैं । छंटनी बिल्कुल नहीं हो रही है । किसी एक प्रक्रिया में श्रम की बचत भी अत्यन्त अल्प होती है । संगणक लगाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया में 15 लाख में से केवल कुछ हजार कर्मचारियों की आवश्यकता है। अतः रोजगार के अवसर की संभावनाओं के प्रश्न पर कोई असर नहीं पड़ेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच है कि रेलवे ने नई भर्ती पर पूर्णतया रोक लगा दी है और हमारे अनुमान से वह रोक विभिन्न क्षेत्रों में स्वचालन के परिणामस्वरूप है ।

श्री रोहनलाल चतुर्वेदी : हमने भर्ती पर रोक स्वचालन के कारण नहीं लगाई है अपितु हमारे विचार से किफायत जरूरी है । वित्तीय स्थिति के बारे में हमारी स्थिति बड़ी दयनीय है और हमने विचार किया है कि इसे किस प्रकार सुधारा जा सकता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : स्वचालन पर आपने कितना खर्च किया है ?

श्री रोहनलाल चतुर्वेदी : मेरे पास इस समय सही आंकड़े नहीं हैं । मैं स्थूल रूप से कह सकता हूं कि प्रत्येक संगणक पर हमें 50,000 रुपये से 70,000 रुपये तक प्रति मास किराया देना पड़ता है ।

Shri Nathu Ram Ahirwar : It is a fact that the Government has imposed a ban on the recruitment of class III & class IV employees for the last two, three years but contrary to this class I & class II officers has been recruited, if so, the number of such recruited officers ?

Shri R. L. Chaturvedi : This question has been replied many times earlier. It has no relevance to automation.

The question raised about gazetted officers, I have already said that we have given gazetted rank in the Medical Staff due to which the number has largely increased, but so far as the total is concerned, it has not increased more.

श्री श्रद्धाकर सूपकार : ये संगणक खरीद आधार पर क्यों उपवलब्ध नहीं हैं ? चाहे जीवन-बीमा निगम हो, रेलवे हो अथवा कोई भी प्रयोगकर्ता हो, हमें इन्हें सदैव किराये पर क्यों लेना चाहिए ? क्या यह सत्य है कि वे संगणक विदेशी मुद्रा का भुगतान करने पर ही उपलब्ध होते हैं ? इन संगणकों को दिये गये किरायें के बराबर क्या रोजगार के अवसर की संभावनाओं की गणना करने का प्रयास किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न स्वचालन के विरोध के बारे में था । यह इसके विषय-क्षेत्र से परे है ।

श्री रोहनलाल चतुर्वेदी : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है. . . . .

श्री श्रद्धाकर सूपकार : प्रश्न अत्यन्त संगत है । मंत्री के उत्तर से यह उत्पन्न होता है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे दुख है कि मैं इसे नहीं मान रहा । मंत्री जी मेरी व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं । जब मैंने किसी प्रश्न को अनुमति नहीं दी तो उन्हें उत्तर नहीं देना चाहिए जिससे और अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछे जाये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में इस तरह का विचार देने का प्रयास किया है कि रेलवे में स्वचलन का तात्पर्य केवल संगणक लगाने से ही है । मैं उनसे विशेष रूप से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि स्वचलन का रूप जिसे टाइ-टेम्पिग कहा

जाता है अर्थात प्लासमैंरटिक और मठीशा मशीनों को प्रारम्भ करके स्वचलन रेल-पथ का अनुरक्षण किया गया है और उनका प्रभाव केवल चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों यानी हजारों श्रमिकों पर पड़ता है और क्या उस स्थिति में वह आश्वासन देंगे कि किसी भी श्रमिक की छंटनी नहीं होगी और उन्हें किसी और जगह पर लगा दिया जायेगा और यदि हां, तो उन्हें कहां लगाया जायेगा ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : रेल-पथ-अनुरक्षण और अन्य बातों के लिए हम संशोधित उपायों को अपना रहे हैं इसमें शक की कोई बात नहीं । दूसरे उठाये गये प्रश्न के बारे में कि इसका श्रमिकों और अन्य व्यक्तियों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा मैं इस समय कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हूं .... (**व्यवधान**)

श्री श्रीचन्द गोयल : वह हमें आश्वासन नहीं दे पाये हैं कि कोई भी श्रमिक निकाला नहीं जायेगा । दूसरी ओर रेलवे मंत्री श्री नंदा ने कुछ मिनट पहले हमें आश्वासन दिया था कि किसी को भी नहीं निकाला जायेगा। वे इसका समाधान कैसे करेंगे ?

श्री नंदा : मैं फिर दोहराता हूं कि किसी भी वर्ग के बारे में नौकरी की सुरक्षा जैसी भी न्यायोचित है, वह अब भी वैसी ही है । स्वचलन से वे व्यक्ति जो आकस्मिक पद के कार्य के पूर्ण होने पर इससे प्रभावित होते हैं, उन्हें सदैव के लिए सुरक्षा नहीं दी जाती है । वही स्थिति कायम है । स्वचलन ने इसमें परिवर्तन नहीं ला दिया है । .... (**व्यवधान**) । यदि वे स्थायी हैं तो निश्चय ही उन्हें वहां सुरक्षा दी जायेगी ।

श्री दामानी : रेलवे के खर्चे में मितव्ययिता के लिए गुंजाइश है । केवल प्रशासनिक व्यय ही लगभग 8 प्रतिशत बैठता है । मैं जानना चाहता हूं कि प्रशासनिक व्यय को कम करने के लिए वे कौन से उपाय अपनाने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह लगभग स्वचलन के विरोध में है ।

श्री दामानी : प्रश्न यह हो सकता है : "बढ़ती हुई अर्थ-व्यवस्था में क्या उन्होंने रेलवे कर्मचारियों को स्वचलन का विरोध न करने की सलाह दी है...." मैं जानना चाहता हूं कि प्रशासनिक व्यय को कम करने के लिए वे कौन सी कार्रवाई करने जा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न रेलवे में स्वचलन के विरोध की ओर संकेत करता है । श्री दामानी प्रासंगिक बात नहीं कर रहे हैं ।

श्री श्रीचन्द गोयल : उत्तर से ऐसा मालूम होता है कि स्वचलन पर एक समिति स्थापित की गई है । क्या उस समिति में कर्मचारियों के कुछ प्रतिनिधि हैं ? उस समिति के कार्य को शीघ्र निबटाने के लिए वे क्या कर रहे हैं ? उन्होंने कहा है कि केवल मान्यता प्राप्त कार्मिक संघों के प्रतिनिधियों को ही इस समिति में अपने विचार प्रकट करने के लिए कहा जायेगा । लेकिन मान्यता प्राप्त दो संघ श्रमिकों के एक अल्प वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करते हैं । इस मामले में क्या वे अन्य रेलवे संघों के विचारों को भी, जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है, जानने का प्रयास कर रहे हैं ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : समिति विशेषज्ञों के अधीन कार्य कर रही है और इस समिति की अध्यक्षता श्री वेंकटारमन, योजना आयोग के सदस्य कर रहे हैं । वे तकनीकी विषयों और अन्य पहलुओं पर विचार कर रहे हैं.... (**व्यवधान**) ।

श्री रा० की० अमीन : माननीय मंत्री कहते हैं कि यद्यपि स्वचलन द्वारा कुछ श्रमिक अनावश्यक होंगे फिर भी वह किसी भी श्रमिक की छंटनी नहीं करेंगे । क्या मैं उनके इस आश्वासन से यह अर्थ लगाऊं कि आने वाले कुछ समय में यानी कम से कम तीन से चार वर्षों के लिए वह रेलवे में कोई भी नई भर्ती नहीं करने जा रहे हैं ? दूसरे स्वचलन को आर्थिक कारणों से तथा कार्य प्रणाली की दक्षता में वृद्धि लाने के लिए लागू किया गया है । जब कि वह इस स्वचलन को कार्य क्षमता में सुधार के लिए ही सीमित रखते हैं और क्या इसको आर्थिक कारणों के लिए आवश्यक नहीं मानते ?

श्री नंदा : नई भर्ती करना बिलकुल ही एक अलग विषय है। इन नये यंत्रों के लगाने के परिणामस्वरूप छंटनी नहीं होगी । मैं फिलहाल यही उत्तर दे सकता हूं ।

श्री रा० की० अमीन : इससे श्रमिकों की संख्या अधिक हो जायेगी ।

श्री नंदा : श्रमिकों की संख्या अधिक नहीं हो जायेगी ।

श्री धीरेश्वर कलिता : मैं एक सामान्य प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : इतनी देर की प्रतीक्षा के बाद, यह केवल सामान्य प्रश्न है ?

श्री धीरेश्वर कलिता : यह साधारण सवाल है । भारतीय श्रम सम्मेलन स्वचलन की समस्या से परिचित है और यह भी निर्णय किया गया था कि जब तक भारतीय श्रम आयोग द्वारा स्वचलन को अपनाये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हो जाता तब तक रेलवे इसे लागू नहीं करेगा, लेकिन तब स्थायी प्रस्ताव के बावजूद रेलवे अधिकारियों ने रेलवे में स्वचलन को लागू कर दिया है । क्या यह सच नहीं है ?

श्री नंदा : जहां तक मुझे याद है, भारतीय श्रम सम्मेलन में इस विषय पर कोई प्रस्ताव नहीं है जहां कोई रोक हो अथवा किसी प्रकार का प्रतिबंध हो . . . . (**व्यवधान**) ।

श्री धीरेश्वर कलिता : वहां यह निश्चय किया गया था कि जब तक भारतीय श्रम सम्मेलन एक प्रस्ताव को पारित नहीं करता है तब तक रेलवे स्वचलन को लागू नहीं करेगा । यही प्रस्ताव था ।

श्री नंदा : भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा संगणक लगाने पर रोक अथवा प्रतिबंध नहीं लगाया गया है । कई स्थानों पर इन्हें लगाया जा रहा है ।

श्री जि० मो० बिस्वास : ऐसा स्वीकार किया गया था कि इसे नहीं लगाया जायेगा ।

श्री नंदा : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री जी० मो० बिस्वास : रेलवे में मतीशा और पलास्रमेटिक मशीनों को लगाने के बाद, अनेक श्रमिकों की पहले ही छंटनी हो चुकी है । वे स्थायी श्रमिक हैं, अनियत श्रमिक नहीं हैं। इन श्रमिकों को कम करने के लिए नये साधन प्रयोग किये गये हैं । विभागीय मेडिकल अधिकारी द्वारा निदेश देकर उन श्रमिकों को डाक्टरी परीक्षा के लिए भेजा जाता है . . . . (**व्यवधान**) । मंत्री जी ने कहा है कि कोई भी नहीं निकाला जायेगा । अतः आपके जरिये महोदय, सदन के सदस्यों की जानकारी के लिए मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इन श्रमिकों को डाक्टरी परीक्षा के लिए इन निर्देशों के साथ भेजा जाता है कि वे डाक्टरी दृष्टि से अयोग्य करार दिये जायें क्योंकि इन मशीनों के प्रारम्भ होने से उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं भाषण देने की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री जी० मो० बिस्वास : मैं तो केवल सवाल पूछ रहा हूं । मैं मंत्री से जानना चाहता हूं की उन्होंने कहा है कि मतीशा और पलास्टमैटिक मशीनों के लगाये जाने के कारण स्थायी कर्मचारी वर्ग की छंटनी नहीं की जायेगी । लेकिन क्या यह सच नहीं है कि उन्होंने निर्देश जारी किये हैं कि अधिकांश स्थायी श्रमिकों को डाक्टरी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाये जो इन मशीनों के स्थान पर काम करते हैं ।

दूसरे मैं एक सामान्य जानकारी जानना चाहता हूं । मैंने सुना है कि इलैक्ट्रानिक संगणक यंत्रों को किराये के आधार पर लिया गया है । यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि इनको किस देश से तथा किस मूल्य पर लिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि वे मशीनें किस मूल्य पर ली गई हैं क्योंकि मुझे पता चला है कि एक इलैक्ट्रानिक संगणक के लिए रेलवे को प्रति घंटा लगभग 80,000 रुपये देने पड़ते हैं । मैं मंत्री से इस विषय पर स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री नंदा : मूल्य के बारे में जानकारी पहले ही दी जा चुकी है । इन संगणकों के हिस्से बहुत बड़ी मात्रा में देशीय हैं, इसके कुछ हिस्से आयात किये जाते हैं । संगणक को खरीदने की अपेक्षा क्या इसे किराये पर लेना अधिक किफ़ायतपूर्ण है, जिस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री जी० मो० बिस्वास : श्रीमान्, इन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है ।

श्री नंदा : इसकी जांच-पड़ताल की जा सकती है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : श्रीमान्, श्रमिक के बारे में उन्होंने एक विशेष सवाल पूछा था ।

श्री नंदा : गैंगमैन के प्रश्न के बारे में मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है ।

श्री कमलनयन बजाज : माननीय मंत्री के उत्तर से क्या मैं ऐसा समझूं कि स्वचलन को इसलिए अनुमति दी गई क्योंकि इससे कार्य क्षमता में सुधार होगा तथा इससे किफायत होगी और उस बचत को रेलवे सेवाओं में सुधार के लिए प्रयोग में लाया जायेगा तथा और रेलवे लाइनें खुलेंगीं जिससे रेलवे में यात्रा करने वाले को और अधिक अच्छी सेवा सुलभ होगी तथा इससे रोजगार के अवसर की संभावनाओं में भी सुधार होगा ? क्या यह सच है ?

श्री नंदा : मैंने इसे पहले ही स्पष्ट कर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसको पहले ही स्पष्ट कर दिया है ।

दिल्ली शाहदरा और गाजियाबाद के दैनिक यात्री संघ द्वारा ज्ञापन

*1712. **श्री हरदयाल देवगुण :**

श्री जय सिंह :

श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, शाहदरा और गाजियाबाद के दैनिक यात्री संघ ने सरकार को एक ज्ञापन भेजा है जिसमें शाहदरा-दिल्ली और नई दिल्ली तथा शाहदरा गाजियाबाद के बीच यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों की कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में उल्लिखित सुझाव क्या हैं तथा उनमें से सरकार द्वारा कौन से सुझाव स्वीकार कर लिए गये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि शाम के समय गाजियाबाद और दिल्ली/नई दिल्ली से शाहदरा जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे समय सारणी में संशोधन करने के सम्बन्ध में भी कुछ सुझाव दिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रोहन लाल चतुर्वेदी):(क) जी हां ।

(ख), (ग) और (घ). मुख्य मांगें हैं : (i) गाजियाबाद से दिल्ली तक शामको एक अतिरिक्त शटल को चालू किया जाना; (ii) गाड़ी संख्या 372 और 19 के समय में परिवर्तन करना; (iii) दिल्ली, शाहदरा और साहिबाबाद में रेलगाड़ियों के रुकने की व्यवस्था; (iv) दिल्ली से चालू होने वाला और दिल्ली पहुंचने वाला असम मेल 85 यू पी/86 डी एन गाड़ियों का दिशा परिवर्तन करना (v) दिल्ली शाहदरा स्टेशनों में अनिश्चित सुविधाओं की व्यवस्था करना ।

1-4-70 से 1 एम० डी० यात्री गाड़ी को शाहिबाबाद में रुकवा देने का प्रबन्ध किया गया है और प्लेटफार्म शेल्टर, पीने के पानी की सप्लाई आदि अतिरिक्त सुविधायें दिल्ली-शाहदरा स्टेशन में प्रदान की जा रही हैं । अन्य मांगों को पूरा करना संभव नहीं है । क्योंकि परिचालन की सुविधायें कम हैं या यह अन्य यात्रियों के हित में न होगा ।

Shri Hardayal Devgun: Four lac people live in the colonies across Yamuna and 15 thousand people as students, Government and private employees daily come from Delhi, New Dehli and return to their homes in the evening on seasonal tickets. In addition to this thousands of people also come and go from Shahdara. From their side they have demanded for these facilities but the reply received that their demand is not accepted by the Government. I would like to say that where the four lac people live and where many people come and go daily, why there is no train from Ghaziabad to Delhi at quarter past five and eight O'clock in the evening.

Arrangement may be made to run a train for them, what is the difficulty in it ? In addition to this I would like to know whether the Government have considered the demand for making halt stations in between Delhi-Sahibabad and New Delhi and in between Seemapuri, Seelampur and Mandavali stations etc.? The hon. Minister may reply in keeping in view the memorandum sent by daily passengers association that the facilities provided to the suburban passengers in Bombay than whether he is ready to provide the same facilities in Delhi ?

Shri R. L. Chaturvedi : Certainly there is a problem of suburban traffic and M. T. T. is looking into this matter. Feasibility survey is going on and after receiving its report we will be able to remove the difficulties mentioned by the hon. member. There is no doubt that Sahibabad or Shahdara and the other sections at Central Railway, and Mathura and Agra at Western Railway, the people who come to Delhi from these places are facing difficulties. According to our present line capacity, we are providing maximum facilities which we could provide. At present we are running trains 29 UP direction and 28 Dn. direction from Shahdara to Delhi. The suggestion of hon. member regarding halt will be considered by us, but at present no specific reply could be given.

Shri Hardayal Devgun : Many inconveniences at Shahdara Railway Station have been brought to the notice of the hon. Minister. There is no arrangement to sit, no separate booking office for ladies, no waiting Room, no shelter, no drinking water, no light, no cleanliness, no urinal. You have only said that the drinking water and shelter will be provided. I would like to know from the hon. Minister whether he is ready to go with me to the Shahdara Railway Station on some day, as he used to go to other stations, so that he may see that how 25-30 thousand people come and go and what are their troubles ?

Shri R. L. Chaturvedi : As the hon. member has suggested, I will certainly go with him and see.

Shri Kanwar Lal Gupta : The number of travellers coming from Ghaziabad, Sonepat, Rohtak, Gurgaon etc. to Delhi runs into lakhs. They daily come and go. They are facing railway problem. I would like to know whether any study is made about this to find that what is the actual problem of the suburban passengers of Delhi ? Have you made any assessment of it ? If so, then how big this problem is and how will you solve it ? If not, will you make a survey of this problem and find a solution that how it could be solved by taking the co-operation of the Members of Parliament from Delhi and other representatives of the people of Delhi ?

Shri R. L. Chaturvedi : I have already replied to it. Certainly there are difficulties and the problem is quite serious. Every metropolitan city has to face this problem and it is also problem of Delhi. I have said that feasibility study is going on through the metropolitan transport team.

Shri Kanwar Lal Gupta : How much the problem is and how much the feasibility ? How it will be found.

Shri R. L. Chaturvedi : Planning Commission can also do this.

अध्यक्ष महोदय : यह एक विशिष्ट सवाल है। आप इसमें पर्याप्त जोड़-तोड़ कर रहे हैं। इसके लिए आपको पहले नोटिस देना चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta: How much the problem is and how much the traffic ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया बैठ जाइये।

Shri Ram Charan : The number of travellers run into lakhs who daily come and go from places like Ghaziabad, Shahdara, Khurja etc. to Delhi. The hon. Minister has said that how much facilities have been provided by them. But you see that no passenger train has been given by them for Khurja in the evening after 6 P. M. After a lapse of 14 hours, you get the train at 8 O'clock in the morning. The daily passengers association of my constituency has demanded that additional trains to Khurja may be provided from here. I would like to know that what action you have taken in this regard.

अध्यक्ष महोदय : शाहदरा और गाजियाबाद से आगे के स्थानों के लिए सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : इस प्रश्न से यह सवाल नहीं उठता है।

Shri Ram Charan : The passengers associations of Khurja and Ghaziabad are joined.

Shri Maharaj Singh Bharati : Between Delhi and Ghaziabad, there are two bottle-necks. Firstly, that there are only two lines in Shahdara. There should be more than two lines in Shahdra. Secondly, there is bottlenecks at Hindon. In New Delhi and Old Delhi, there are two lines for each. But the total lines are four. But in Hindon, there are only two lines. There should be four lines in Hindon. What action the Government has taken to remove these bottlenecks ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : इसके बारे में मैंने पहले ही उत्तर दे दिया।

Shri Shiv Narayan : Students in thousands daily go to Ghaziabad from Delhi for study because due to inefficiency of the Government, they do not get admission in Delhi. The students who go there, return at 8 O'clock in the evening. I also being a student of law became victim to this. Unrest or indiscipline spreads among students due to these reasons also. Good train facilities are not provided to them. You do not provide a train in time. This is going on for eight to ten years. You are not paying any attention to their difficulties. I would like to know that how much time you will take to solve this problem ?

Shri R. L. Chaturvedi : I have mentioned that M. T. T. is doing feasibility study. This problem will be solved only when all the things come before us in full details. So far Railway Ministry is concerned, we try to provide the facilities in so far as by increasing the capacity of the lines we are performing the work in keeping in view this aim. I assure, that I am completely acquainted with the difficulties of the people who daily come and go to Ghaziabad. But whatever we can do for them, we are doing.

Mr. Speaker : Next Question.

भारतीय रेलों के लिये बिजली से चलने वाले नये इंजनों का विकास

1713. श्री ए० कृ० बिडला : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या यह सच है कि बिजली से चलने वाले नये इंजनों का विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) अब तक बिजली से चलने वाले कितने इंजनों का विकास किया गया है; और

(घ) उनका प्रयोग कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रोहन लाल चतुर्वेदी): (क) और (ख). जी हां, रिसर्च डिजाइन और स्टैन्डेर्ड ओरगेनाइजेशन द्वारा हाल में बिजली से चलनेवाले दो इंजनों के नमूनों का विकास किया गया और चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कस में इनका निर्माण किया जा रहा है। ये 1500 वाल्ट डी सी डब्ल्यू सी जी 2 श्रेणी के माल इंजन और 25 के वी एसी डब्ल्यू ए एम 4 श्रेणी के यात्री एंव माल दोनों के मिश्रित इंजन हैं ।

(ग) अब तक रिसर्च डिजाइन और स्टैंडेर्ड ओरगेनाइजेशन द्वारा बिजली से चलनेवाले कुल तीन इंजनों के नमूनों का विकास किया गया है ।

(घ) 1962 और 1965 के बीच 1500 के बाल्ट डी सी डब्ल्यु सी जी एम 5 श्रेणी के इक्कीस मिश्रित इंजनों को चलाया गया है। डब्ल्यू सी जी 2श्रेणी के इंजन का आदिरूप अक्टूबर, 1970 तक चलाये जाने की आशा है और आगामी 4 वर्षों में आदेशनुसार ऐसे 57 इंजिनों का निर्माण किये जाने की आशा है। आशा है कि डब्ल्यू ए एम 425 के वी के मिश्रित यात्री गाड़ी इंजनों का निर्माण सितंबर, 1970 तक पूरा हो जाएगा और पहले आदेश के अनुसार 84 इंजनों का निर्माण 1973 तक पूरा किया जाएगा ।

श्री रा० कृ० बिडला : महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय मंत्री श्री नंदा द्वारा जारी किये गये पत्र दिनांक 2-5-1970, की ओर निर्देश करना चाहता हूं जहां उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि "रेलवे कर्षण की विद्युन्मय करने के लिए विदेशी मुद्रा को मिला करके विशाल निवेश की आवश्यकता है"। इस को ध्यान में रखते हुए मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास प्रति 100 कि० मी० संचालन के तुलनात्मक आंकडे हैं; यदि वर्तमान विद्युत इंजन, डीजल इंजन और भाप इंजन को चलाया जाये और जब सुधरे इंजन को प्रयोग में लाया जायेगा तो इस पर अनुमानित लागत कितनी आयेगी ।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है, मेरे पास विद्युत, डीजल और भाप वाले इंजनों के तुलनात्मक आंकड़े हैं। जहाँ तक विद्युत इंजनों की लागत का प्रश्न है, यदि वह चाहते तो 1961 से आगे के और चालू वर्ष में जो योजना हमने बनाई है उसके मैं आंकड़े दे सकता हूं। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं आंकड़े दे सकता हूं ।

श्री रा० कृ० बिडला : दूसरे प्रश्न को पूछने से पहले मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि जब कभी मैंने प्रश्न पूछा है, दुर्भाग्यवश, उनका उत्तर सदैव नकारात्मक ही रहा है अर्थात उनके पास आंकड़े अथवा सूचना उपलब्ध नहीं होती ।

अध्यक्ष महोदय : उनसे सीधा प्रश्न पूछिए ।

श्री रा० कृ० बिडला : मैं उनसे अत्यन्त आसान सवाल पूछ रहा हूं। यदि वह आसान प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हैं तो वह गम्भीर प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकते हैं ? मेरा दूसरा प्रश्न अत्यन्त सरल है : जैसा माननीय मंत्री ने अभी कहा है क्या नये विद्युत इंजन का डिजाइंन बना लिया गया है जो 100

प्रतिशत देशी सामग्री अथवा जानकारी से निर्मित है और जिस व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया है उस व्यक्ति का नाम क्या है, उस व्यक्ति के प्रयास को कैसे सराहा गया है और यदि यह सराहा नहीं गया तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : 1967-68 में जो ए० सी० विद्युत इंजन निर्मित हुआ उसमें 42 प्रतिशत आयातित पुर्जे थे । इंजनों का दूसरा समूह जो 1968-69 में आया (**व्यवधान**)

श्री रा० कृ० बिडला : मैं हाल में निर्मित इंजन के बारे में पूछ रहा हूं न कि पिछले इंजनों के बारे में ।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : मैं आपको प्रतिशतता बता रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : जानकारी को स्पष्ट करने के लिए अनुपूरक प्रश्नों को पूछा जाता है । अनुपूरक प्रश्नों के दौरान बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करना नहीं है । कृपया ऐसा मत करिए ।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : 1968-69 वर्ष में आयात किए जाने वाले ऐ० सी० इंजनों के भागों की मात्रा 38.7 प्रतिशत थी । 1969-70 वर्ष में यह मात्रा कम होकर 22.3 प्रतिशत रह गई और चालू वर्ष में ए० सी० बिजली इंजनों के आयात किए जाने वाले भागों की मात्रा 27.7 प्रतिशत होगी और डी० सी० बिजली के इंजनों की यह मात्रा 14.5 प्रतिशत होगी ।

श्री रा० कृ० बिड़ला : इन इंजनों के आविष्कारक कौन हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया स्कूल के छात्रों की तरह से प्रश्न न पूछें ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : बिजली से चलने वाले रेल इंजिन चलाने संबन्धी तुलनात्मक लागत रेलवे मंत्रालय ने काफी पहले निकाली थी क्यों कि जब तक लागत न निकाली जाती तब तक बिजली से चलने वाले इंजिन चलाने का काम किसी भी तरह शुरू नहीं किया जा सकता था । इन तुलनात्मक लागतों का लगातार निरीक्षण किया जाता है और 6 महीने या वर्ष बाद इनका पुनरीक्षण किया जाता है । इसलिए मंत्री महोदय का यह उत्तर देना कि उन्हें तुलनात्मक लागतों की जानकारी नहीं है, एक आश्चर्य की बात है । अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि बिजली से चलने वाले इंजनों को चालू करने से पहले तुलनात्मक लागतें तैयार की जाती है; और उनका निरन्तर निरीक्षण किया जाता है; यदि हां तो मंत्री महोदय को आंकड़े बताने में क्या एतराज है और क्या वे ये आंकड़े प्रस्तुत करेंगे अथवा यदि आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं तो उन्हें सभा पटल पर रखेंगे ।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : जी, हां मैं तुलनात्मक लागत के आंकड़े सभा-पटल पर रखूंगा ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया गया । मैंने पूछा था कि क्या बिजली से चलने वाले इंजिनों को चालू करने से पहले तुलनात्मक लागत का अनुमान लगाया गया था और क्या इन लागतों को निरन्तर निरीक्षणाधीन रखा जाता है ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : कुछ अनुमान लगाए गए हैं । मैं सारा व्यौरा सभा-पटल पर रखूंगा ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मंत्री महोदय प्रश्नों के उत्तर के लिए तैयार होकर नहीं आते ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न करना तो आसान है कि इंजनों को बनाने से पहले क्या तुलनात्मक लागत आंकड़े देखे जाते हैं परन्तु इसका व्यौरा तो निश्चय रूप से बाद में दिया जा सकता है ।

श्री मनुभाई पटेल : पता नहीं अर्थव्यवस्था कैसे चलाई जा रही है । जहां कोयला-क्षेत्र है और जहां कोयला आसानी से उपलब्ध है वहां तो डीजल और बिजली से चलने वाले इंजनों को चलाया जाता है और जहां कोयला-क्षेत्र नहीं है या जहां कोयला आसानी से मिलता नहीं है उन क्षेत्रों में भाप से चलने वाले

इंजनों को चलाया जाता है। मैं जानाना चाहता हूं कि जब भी डीजल तथा बिजली से चलने वाले इंजिन किसी विशेष लाईन पर चलाए जाएँगे तो उस समय क्या आप उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देंगे जो कोयला-क्षेत्र से दूर हैं।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : इस बात पर विचार किया जाएगा।

श्री कमल नयन बजाज : अभी तक उन्होंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया है। वे किस प्रकार सरकार को चला सकते हैं ?

Shri Om Parkash Tyagi : Government have stopped manufacturing steam engines and started manufacturing diesel engines. We have to depend upon foreign companies for diesel. In case any emergency arises or a war breaks out the supply of diesel can come to an end at any time. So I would like to ask from the hon. Minister as to which of the two engines—diesel and electric — is considered better for the cauntry by the Government and which locomotive they want to manufacture ?

Shri R. L. Chaturvedi : Electric engines are very costly because we have to spend a huge amount on its track maintenance. But in dieselisation we do not have to face much of trouble. Ours is a problem of manufacturing diesel engines. Diesel locomotive can be used at any place. We have to do dieselisation work. Electric locomotive can be used only at the places where we are able to arrange for electric tracks and overhead equipment.

Shri Om Parkash Tyagi : What the Government will do in case the import of diesel is stopped ? It is a question of national security. The reply of the hon. Minister is quite wrong.

फर्मों द्वारा विज्ञापनों पर व्यय

\+

*1714. **श्री सूरज भान :**
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री शारदा नन्द :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स बी० के० खन्ना एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली, दी इण्डियन इंजीनियर, एण्ड कर्मशियल कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, दी सिन्ध निटवेयर्स, लुधियाना, मेसर्स खेमका एण्ड कम्पनी नई दिल्ली, मैसर्स भारत बनिध्या प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली, और मैसर्स यार्क होजरी मिल्स, लुधियाना ने गत तीन वर्षो में विज्ञापन पर कुल कितनी राशि खर्च की है;

(ख) क्या सरकार को इन फर्मों के बारे में कोई शिकायत मिली है ;

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) गत तीन वर्षो से प्रत्येक फर्म ने पेट्रियाट, लिंक तथा अन्य साम्यवादी समर्थक समाचारपत्रों को कुल कितनी राशि के विज्ञापन भेजे हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ-रेड्डी) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) : सदन के पटल पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत है।

विवरण

इस प्रश्न के भाग (क) में निर्देशित कम्पनियों द्वारा विज्ञापन पर किया गया व्यय निम्न प्रकार है:-

कम्पनी का नाम	1966-67	1967-68	1968-69
	रु०	रु०	रु०
1. भारत वानिध्या प्रा० लि०, नई दिल्ली	23,341	10,812	13,585
2. मै० खेमका ऐवियेशन प्रा० लि० . .	36	4,443	5,452
3. इन्डियन इंजीयनयरिंग एण्ड कार्माशयल कारपोरेशन प्रा०, कानपुर . . .	66,217	88,076	उपलब्ध नहीं
4. वी० के० खन्ना एण्ड कम्पनी प्रा० लि० नई दिल्ली	विज्ञापन व्यय तुलन-पत्र में भिन्न रूप से नहीं दिखाया गया है।		
5. सिंघ निटवेयर्स, लुधियाना .	कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी नहीं है।		
6. यार्क हौजरी, लुधियाना (अब पार्क हौजरी मिल्स प्रा० लि०) . . .	फर्म "यार्क हौजरी" मिल्स लुधियाना, केवल 14-4-69 को एक प्राइवेट लि० कम्पनी के रूप में समामेलित हुई थी, व इसने अभी तक अपना प्रथम तुलन-पत्र देय नही है।		

(ख) नही श्रीमान् ।

(ग) कम्पनी कार्य विभाग को सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) कम्पनियों के लिए, कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण ने, उनके द्वारा मिसिल की गई वार्षिक विवरणियों में, विज्ञापन के संबन्ध में प्राप्ति अथवा व्यय का कम्पनी अनुसार विसर्जन आंकित करना अपेक्षित नहीं है। अतः इच्छित सूचना उपल्ब्ध नहीं है।

Shri Suraj Bhan : Has the hon. Minister come to know that the above mentioned companies are having trade relations with communist countries and this trade is being done on the rupee payment basis and that these companies, as commission agents of the communist countries, use this money for giving aid to communist party, pro-communist institutions and for propaganda of communist ideology through advertisements and if so, will the Government ensure that this money is not utilised for illegal purposes ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : इस विभाग ने ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं की है। यह प्रश्न वैदेशिक व्यापार मंत्रालय को सम्बोधित किया जाना चाहिए।

Shri Suraj Bhan : While replying to 'D' part of the question, the hon. Minister has said that the companies are not required to indicate the company-wise break-up of receipts or expenditure in accordance with the provisions of the companies Act. Will Government make such provisions under companies Act, under which the companies may be asked to furnish their break-up so that this kind of bungling may come to the notice of the public ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह विचारणीय सुझाव है, मैं इसकी जांच करूंगा ।

Shri Kanwar Lal Gupta : These companies and such other companies are having trade relations with communist countries. These companies are conspiring with communist countries that whatever they receive cash through underhand, means they employ it for communist activities. Most of the communist workers are not working in these companies but they are shown as employees of these companies. Besides, news papers spreading communist ideology are being given aid and money is given to communist party and communist Associations. Under company law, Government have stopped political donations, but this work is half done because foreigners are interfering in our internal affairs by using that money. I would like to know whether Government have made any study as to how far they influence our politics through these companies, and if not Whether Government will set up a high powered Commission Committee to see that how these companies mobilize their resources for the propaganda of political ideology ? If Government realizes the fact, will they take any action to prevent these companies from spending money for propagating political ideology?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैंने विकिरण में विज्ञापन सम्बन्धी आंकड़े दिए हैं। आंकड़ों से सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। मैं इस बारे में कोई भी राय देना नहीं चाहता।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए अन्य प्रश्नों का संबन्ध है, ऐसी कई कम्पनियां हैं। जिन्होंने कम्युनिस्ट देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध तथा आर्थिक समझौते किये हुये हैं। इस मंत्रालय के पास और कोई जानकारी नहीं है, विदेशिक व्यापार मंत्रालय इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में हो सकता है।

Shri Kanwar Lal Gupta : My question has not been replied. I had asked if any assessment will be made regarding the bungling done by these companies and whether any survey will be conducted and ban will be imposed ? Both of my questions have not been replied. I would like to the hon. Minister to reply to my question.

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : So far as this question is concerned, as my colleague has already said, we have no information. If hon. Member has some specific information, he may submit it and if the Government feel that it can affect our nation we will definitely consider about taking immediate steps.

Shri N. K. P. Salve : Is the hon. Minister aware that a number of political parties themselves or through various institution publish newspapers, novels, magazines, special supplements for souvenir on special occassions and for such purpose advertisements are demanded. These advertisements are published here, there and everywhere. The rates of these advertisements are bit higher than those of other advertisements. So I would like to know whether; in the opinion of the Ministry, advertisements are considered as a part of restricted work ? Whether any ban is imposed on it ? Secondly, since neither the company nor the person who gives advertisements looses, I would like to know whether the Ministry will issue some instructions and give advice in this connection ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जैसा कि माननीय सदस्य को पता है कम्पनी अधिनियम की धारा संख्या 293 क के अन्तर्गत संशोधन किया गया है। किस ढंग से कानून की व्याख्या की जानी चाहिये और इस का क्या प्रभाव होगा – मुझे इस प्रश्न पर कानूनी राय नहीं देनी है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : प्रश्न कानूनी राय का नहीं है यह जानकारी ....

अध्यक्ष महोदय : सीधा प्रश्न है : क्या सरकार ऐसे मामलों पर पाबन्दी लगाने का विचार कर रही है ? इसमें कानूनी राय की कोई बात नहीं है।

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं बताना चाहता हूं कि धारा 293 क के अधीन कानून में जो संशोधन किया गया है उसके अनुसार कम्पनियों पर यह पाबन्दी लगाई गई है कि वे राजनीतिक दलों या राजनीतिक उद्देश्यों के लिये धन नहीं दे सकती। कम्पनियां समाचार पत्रों को विज्ञापन दे सकती हैं। मान लो, विज्ञापन फीस यदि विषम अनुपात में है तो शायद न्यायालय इस मामले में अपनी राय दे सकता है। मैं इस विषय पर कुछ नहीं कह सकता।

श्री क० लकप्पा :––डालमिया साहू जैन नाम की एक कम्पनी ने संसद सदस्यों को केलेन्डर भेजे हैं जिसमें राजनीतिक नेताओं, जिसमें श्री फखरूद्दीन अली अहमद और श्री अ० कु० गोपालन भी शामिल हैं, के चित्र छपे हुए है। (**व्यावधान**) ऐसा लगता है मानो सारे राजनीतिक दलों के नेताओं ने डालमियां साहू जैन ग्रुप से पैसे लिए हैं। यदि इस तरह डालमिया द्वारा सप्लाई किए गए केलेन्डरों में लुके छिपे राजनीतिक नेताओं के चित्र छापे जाते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं तो क्या सरकार इन लुके छिपे चित्र छापने पर रोक लगाएगी ? क्या सरकार इस मामले पर डालमिया साहू जैन क्म्पनी के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? क्या मंत्री महोदय स्थिति स्पष्ट करेंगे क्योंकि संसद सदस्यों को केलेन्डर भेजे जाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत ही विशिष्ट प्रश्न पूछ रहें हैं पर मुझे खेद है कि इस मामले का मुख्य प्रश्न से कोई सम्वन्ध नहीं है।

श्री क० लकप्पा : अध्यक्ष : महोदय, मैं तो बहुत ही संगत प्रश्न पूछ रहा हूं। ये कंपनियां विज्ञापन के लिये तथा राजनीतिक दलों के प्रचार के लिये धन देती है । इस कम्पनी को इस प्रकार राजनीतिक नेताओं के चित्र छापने की अनुमति क्यों दी जाती है जिससे यह आभास हो कि ये राजनीतिक नेता कम्पनी से पैसा लेते हैं ? यह मेरा संगत प्रश्न है। सरकार इसका क्या उत्तर दे सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : आप स्वयं एक प्रतिष्ठित वकील हैं। आप विज्ञापन पर सामान्य प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी विशेज्ञ कम्पनी के बारे में नहीं। मंत्री महोदय आपके प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं है ।

श्री बलराज मधोक : ये कम्पनियां उन लोगों की हैं जो रूस के समर्थक हैं और ये उन्हीं लोगों की सहायता करती हैं जो रूस के समर्थक हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप व्यर्थ में ही बीच में बाधा डाल रहे हैं ।

श्री क० लकप्पा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिये । सरकार ऐसे विज्ञापनों की अनुमति क्यों देती है ? यह राजनीतिक नेताओं का दुरूपयोग है ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय उत्तर देने की स्थिति में नहीं है ।

श्री ए० श्रीधरन : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सिद्धांत पर सामान्य प्रश्न पूछा है ।

श्री क० लकप्पा : इन कम्पनी वालों को राजनीतिक नेताओं के चित्र बनाने की खुली छूट दी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार राजनीतिक नेताओं के चित्र छापने पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाती ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय उत्तर देने की स्थिति में नहीं है ।

श्री क० लकप्पा : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिये । आप कृपया मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिये कहें। सरकार को ऐसे विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : यदि देश का कानून ऐसा है और यदि धारा 293 क का अर्थ विज्ञापनों तथा नेताओं के चित्र छापने पर प्रतिवन्ध लगाना है तो यह प्रश्न उस की सीमा में आता है ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, hon. Minister has written to me that he has sent a circular to the companies regarding advertisements which are sent for souvenir. I would like to know what reply he has got and whether he can take any legal action in this connection ? Secondly, whether Government can think about putting legal ceiling or impose tax on the expenditure incurred by the companies on advertisements.

श्री रघुनाथ रेड्डी : जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है सरकार ने कुछ कानून बनाए थे और संसद ने उनको पारित भी कर दिया था। कम्पनियों और व्यापार संगठनों का ध्यान कानून के उस उपबन्ध की ओर आकर्षित किया गया था जिसके अनुसार राजनीतिक दलों को धन देने की मनाही की गई थी। मुझे स्मरण नहीं कि जारी किए गए परिपत्र का कोई उत्तर आया था या नहीं।

Shri Madhu Limaye : Let the hon. Minister tell about ceiling.

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इस मामले पर ध्यान पूर्वक विचार होने के बाद मैं इस सुझाव को ध्यान में रखूंगा कि क्या कोई सीलिंग लगाई गई है।

Shri Prem Chand Verma : I am not asking anything about political parties, I simply want to draw the attention of the hon. Minister to a specific matter. All the big private limited or public limited companies used to give advertisements. But these advertisements are given to the companies which have direct or indirect relation with the newspapers and for this they denote maximum money. They simply indulge in this so as to show a lesser amount of profit and to evade the payment of tax. Will Government come forward with an amendment to the Bill, according to which sale ceiling and capital ceiling should be fixed. Along with this, are the Government prepared to come forward with an amendment that more than five percent of the total advertisements will not be given to newspapers or any newspaper group in the form of advertisements ? If not, the reason thereof ?

अध्यक्ष महोदय : आप तो केवल सुझाव दे रहे हैं।

Shri Prem Chand Verma : Mr. Speaker, Sir, I am asking a specific question. I would also like to know what steps Government are contemplating with a view to preventing tax evasion ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सभी सुझावों पर विचार किया जायेगा।

Shri Prem Chand Verma : These are not suggestions but questions to which reply should be given.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, I rise on the point of order under Rule 46. Next question is about foreign collaboration. There is a provision under Rule 46 that hon. Minister may reply even after the end of Question Hour. Recently Government entered into collaboration with a foreign company producing beer. The Government are reaching an understanding with foreign companies for producing biscuits, ice cream and beer. I would like that under Rule 46 the question of Shri M. L. Sondhi be replied.

Mr. Speaker : You are an old parliamentarian and even then you insist like this. If you desire I will ask the hon. Minister to send reply-later. I am not going to allow this.

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

संचार उपग्रह छोड़ना

अ० सू० प्र० 36 †

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

श्री जी० विश्वनाथन :

श्री जे० मुहम्मद इमाम :

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में 1972 में एक संचार उपग्रह छोड़े जाने की सम्भावना है,

(ख) क्या सरकार की शिक्षा के प्रयोजनों के लिये टेलीविजन का प्रयोग करने की योजना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव०) :—(क), (ख) और (ग), विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिक तथा अन्तरिक्ष प्रशासन का 1973 में एक समकालिक उपग्रह छोड़ने का प्रस्ताव है। परमाणु शक्ति विभाग में भारत सरकार ने लगभग एक वर्ष के लिये उपग्रह आधारित निदेशालय टेलीविजन के संबंध में प्रयोग के तौर पर इस उपग्रह में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने के लिये इस राष्ट्रीय वैमानिक तथा अन्तरिक्ष प्रशासन (एन० ए० एस० ए०) के साथ एक समझौता किया है ।

प्रस्तावित उपग्रह टेलीविजन परीक्षण और भारत में आकाशवाणी के टेलीविजन संबंधी कार्य के प्रत्याशित विस्तार को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय का विचार एक शक्तिशाली यंत्र के रूप में टेंलीविजन को व्यवहार में लाने का है। दृश्य श्रव्य शिक्षा, स्कूल रेडियो प्रसारण, शैक्षिक टेलीविजन, शिक्षक प्रशिक्षण-कार्यक्रमों तथा विज्ञान शिक्षा को उन्नत बनाने के कार्यक्रमों से सम्बन्धित योजनाओं का समेवित करने का विचार भी किया गया है ।

निम्नलिखित कार्यवाहियां पहले ही की जा चुकी हैं :—

1. शैक्षिक-टेलीविजन की सुगम व्यवस्थाओं के सभी पहलुओं की जांच करने के लिये शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में एक विशिष्टकक्ष स्थापित किया गया है ।

2. शैक्षिक टेलीविजन के पाठों के उत्पादन और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये कुल 60 लाख रुपए की लागत से एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के हेतु चतुर्थ आयोजना में शामिल करने के वास्ते एक विस्तृत योजना तैयार की गई है ।

3. विशेषज्ञों, उपकरणों तथा भारतीय कर्मचारियों की प्रशिक्षण, राष्ट्र सुविधाओं के लिये संयुक्त विकास कार्यक्रम से सहायता मांगी गयी है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :—प्रौढ़ शिक्षा भारत की गम्भीर समस्या है और आज भी 70 प्रतिशत लोग निरक्षर है। विश्व के अन्य देशों में राष्ट्रीय वैमानिक तथा अन्तरिक्ष प्रशासन की सफलता को देखते हुए यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि प्रौढ़ शिक्षा की समस्या को केवल तभी सुलझाया जा सकता है जब देश भर में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की व्यवस्था टेलीविजन पर की जाए। इस लिहाज से, राष्ट्रीय वैमानिक तथा अन्तरिक्ष प्रशासन से किए गए समझौते का स्वागत है । लेकिन माननीय मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अधूरा है।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि 1973 के बाद से भारत के कितने स्थानों में संचार उपग्रह व्यवस्था की जा सकेगी ? माननीय मंत्री के उत्तर से लगता है कि यह व्यवस्था एक वर्ष के लिए परीक्षण के तौर पर की जाएगी। इस अवधि को एक वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए सरकार का विचार कौन से उपाय करने का है ताकि लोगों को तथा गांव के अशिक्षित जन समूह को लम्बे समय के लिए प्रचार शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की जा सकें ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : माननीय सदस्य ने प्रौढ़ साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा के महत्व पर जो विचार प्रकट किए हैं मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। हमें आशा है कि इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने से सारे देश के साथ सम्पर्क स्थापित करने में सहायता तो मिलेगी ही, व्यापक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम बनाने में भी सहायता मिलेगी।

दूसरा प्रश्न विस्तार के बारे में है। जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है यह एक समकालिक उपग्रह है। हम मिले जुले प्रयास कर रहे हैं। समकालिक उपग्रह की स्थापना अफ्रीका महाद्वीप पर होगी लेकिन इसके एरियल का रुख भारत की ओर होगा और यह टेलीविजन चित्रों को सामुदायिक टेलीविजन सैटों तक भेजने में काफी शक्तिशाली यंत्र के रूप में कार्य करेगा।

इसके लिए हमें विशेष रूप से सामुदायिक टेलीविजन सैट बनाने पड़ेंगे। भारत सरकार कार्यक्रम तैयार करेगी और वे अहमदाबाद के विशिष्ट केन्द्र से प्रसारित होंगे और यह केन्द्र इन कार्यक्रमों को उपग्रह तक पहुंचाएगा और फिर यह उपग्रह इनको सारे भारतवर्ष में प्रसारित करेगा। जब यह भारत में प्रसारित होगा तो आंशिक रूप से यह वर्तमान टेलीविजन कार्यक्रमों का पुनः प्रसारण होगा। टेलीविजन के कार्यक्रम का विकास चौथी पंचवर्षीय योजना काल में श्रीनगर, बम्बई, पूना, कलकत्ता तथा मद्रास में शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम के विकास के लिये हम देश के पिछड़े क्षेत्रों के अलग-अलग ग्रामीण केन्द्रों को चुन रहे हैं। लगभग 5000 ग्रामीण सामुदायिक टेलीविजन सैटों की संचार की सुविधा सीधे रूप में उन्हें प्राप्त होगी। यह एक परीक्षण है। हमने इससे सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं का पता लगाना है। पहले वर्ष में जबकि उपग्रह छोड़ा जाएगा और हमारा कार्यक्रम ठीक दिशा में होगा, हमें इस कार्य के लिए कुछ भी व्यय न करना होगा और सारी सेवाएं निशुल्क होंगी। वर्ष के अन्त में हम इसको किराए पर ले सकते हैं और यदि हम उपग्रह का प्रयोग करना चाहते हैं तो हमें धन देना पड़ेगा। इसके साथ ही, अणु शक्ति विभाग भी भारी उपग्रह छोड़ने के लिए परीक्षण कर रहा है और हमें आशा है कि उपग्रह छोड़ने के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संसाधनों की सहायता से सरकार के लिये दशक के अन्त तक उपग्रह छोड़ना सम्भव होगा। और फिर हम स्थायी तौर पर इन उपग्रहों का प्रयोग करेंगे/करने में समर्थ होंगे।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : जैसा कि आपको ज्ञात है टेलीविजन कार्यसूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के अधीन है। हम सबको यह भी पता है कि इस मंत्रालय का कार्य राजनीतिक भावना से प्रेरित है। अतः सरकार को शैक्षणिक प्रसारणों को भी सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय को सौंपने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि उनका विचार ऐसी कौनसी व्यवस्था करने का है जिससे कार्यक्रमों को और विशेष रूप से शैक्षणिक प्रसारणों के कार्यक्रमों को राजनीति से और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय से अलग रखा जा सके और देश के लोगों को उचित शिक्षा प्रदान की जा सके।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि जहां तक शैक्षणिक कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, पर यह कार्य शिक्षा मंत्रालय के अधीन होगा। टेलीविजन पर कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए हमें समय दिया जाएगा परन्तु उस समय का उपयोग हमारे निर्धारित कार्यक्रमों द्वारा विनियमित होगा।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : केवल समय पाना पर्याप्त नहीं है। इन कार्यक्रमों को शिक्षा मंत्रालय के अधीन रखना होगा।

डा० वी० के० आर० वी० राव : यही बात तो मैंने अभी कही थी।

श्री जी० विश्वनाथन : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय उपग्रह 1972 तक परिक्रमा-पथ में होगा । हमें अन्य सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि अभी दो या तीन वर्ष और लगेंगे अर्थात् 1974 या 1975 में यह कार्य होगा । मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या भारतीय राकेट द्वारा छोड़ा गया उपग्रह 1972 में परिक्रमा-पथ में होगा ? हमें बताया गया है कि अमरीका और भारत मिलकर शैक्षणिक कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए भू-स्थाई उपग्रह का प्रयोग करेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि इससे कितने गांव लाभान्वित होंगे और शुरू में भारत के कौन से भाग को लाभ होगा ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : शायद मैं अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाया । मैंने यह नहीं कहा कि 1972 में भारतीय उपग्रह छोड़ा जाएगा । मैंने कहा था कि 1973 में राष्ट्रीय वैमानिक तथा अन्तरिक्ष प्रशासन एक उपग्रह छोड़ेगा । अनुमान है कि इस दशक के अन्त तक भारत एक उपग्रह छोड़ेगा । परन्तु इस बात की गारन्टी नहीं दी जा सकती क्योंकि इसके लिए कई प्रकार के कार्य, परीक्षण और उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी । जो कुछ मैंने कहा वह यह है कि अणुशक्ति विभाग का विचार इस दशक के अन्त से पहले एक उपग्रह छोड़ने का है और यह उपग्रह उस विदेशी उपग्रह का स्थान लेगा जिसका हम उपयोग कर रहे होंगे ।

जहां तक गांवों का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने पहले कहा, हम उन राज्यों को चुन रहे हैं जिनमें अधिक गांव हैं । इन गांवों में टेलिविजन कार्य की व्यवस्था की जाएगी । उदाहरणार्थ, चौथी योजना के अन्त तक मद्रास के उन गांवों में, जिनमें मद्रास टेलीविजन कार्य कर रहा है, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आ जायेंगे । इसके अतिरिक्त अलग-अलग क्षेत्रों के गांवों को भी चुना जा रहा है । वहां सामुदायिक टेलीविजन सैट लगाए जायेंगे और पता लगेगा कि उपग्रह संचार व्यवस्था की सुविधायें कहां तक सफल हुई हैं ।

श्री शिवाजी राव देशमुख : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के दौरान व्यवस्था के प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जाती । ऐसी प्रथा है ।

श्री शिवाजी राव देशमुख : मैंने अल्प-सूचना प्रश्न-काल के दौरान व्यस्था का प्रश्न उठाया है । माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में दो गलत बातें कही हैं । हमारा पृथ्वी पर यह अनुभव रहा है कि उपग्रह भू-स्थाई नहीं हो सकता और न ही इसके जरिए संचार व्यवस्था कार्य किया जा सकता है । चूंकि ऐसे उपग्रह नहीं हो सकता है जो भू-स्थित भी हो और संचार का कार्य भी करे । मंत्री महोदय कैसे यह कह सकते हैं कि उपग्रह अन्तरिक्ष से संचार कार्य करेगा ?

श्री मुहम्मद इमाम : मंत्री महोदय ने भविष्य तथा टेलिविजन कार्य विस्तार के बारे में बहुत कुछ कहा । परन्तु हमारा अनुभव रहा है कि दिए गए वचनों का शायद ही पालन किया जाता हो । टेलिविजन संचार कार्य में हमारा देश काफी पिछड़ा हुआ है । अभिलाषा के बावजूद भी अनेक राज्य कई वर्षों तक इसी स्थिति में रहेंगें । सारे देश को यह सुविधा प्रदान करने में सरकार को कितना समय लगेगा और विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में जो कि इस सुविधा से अभी तक वंचित हैं ।

दूसरे, हमारा विचार निरक्षरता को व्यापक शिक्षा के जरिए दूर करके शिक्षा का प्रसार करने का है । इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने कहा कि इस बात का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से शिक्षा मंत्रालय पर होगा । मुझे भय है कि ऐसा होना आसान नहीं । प्रसारण और संचार व्यवस्था का सम्पूर्ण प्रबन्ध सरकार के हाथों में है । मांग रही है कि यह प्रबन्ध एक निगम के हाथों में सौंप दिया जाए ताकि यह सरकार राजनीतिक दबाव के अधीन न आए । क्या सरकार चंदा समिति की सिफारिशों के अनुरूप एक निगम बनाने के लिए कारवाही करेगी ताकि जब सम्पूर्ण कार्यक्रम को व्यवहारिक रूप देना हो तो व्यापक शिक्षा देने की विद्या तथा अन्य प्रचारित सांस्कृतिक विषय सरकार या राजनीतिक दबाव से न मुक्त हो सकें ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : पहले प्रश्न के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि सारी बात परीक्षण की सफलता पर निर्भर करती है क्योंकि भू-तल पर टेलीविजन कार्य शुरू करने का आधार लेकर सारे देश में इस कार्यक्रम को प्रसारित करने पर कई सौ करोड़ रुपये की लागत आएगी और कई प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि उपग्रह सम्बन्धी परीक्षण सफल हो गया तो भू-तल पर यह कार्य शुरू करने के अतिरिक्त यदि डा० विक्रम सारा भाई की इस सिफारिश के अनुरूप कि इस कार्य के लिए 160 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, यह राशि उपलब्ध हो जाए तो हम आशा करते हैं कि 10 वर्षों की अवधि के भीतर हम सम्पूर्ण देश के लिए टेलीविजन व्यवस्था की सुविधा प्रदान कर सकेंगें। लेकिन माननीय सदस्य को इस बात का आभास हो गया होगा कि इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए न जाने कितनी शर्तों का पालन करना होगा।

कुछ भी हो, हम इस कार्य को प्रारम्भ करना चाहते हैं और आशा है कि निश्चित समय में हम इस कार्यक्रम का प्रसार देश के सारे भागों में कर सकेंगे। जहां तक दक्षिणी राज्यों का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य को यह अवश्य पता लगा होगा कि चौथी पंचवर्षीय योजन में मद्रास में टेलीविजन की सुविधा दी जाएगी और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक मंगलौर में भी यह सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। यह सब कार्य परीक्षण के तौर पर छोड़े जा रहे हैं संचार उपग्रह के अतिरिक्त होगा।

जहां तक टेलीविजन कार्यक्रमों की देखरेख के लिए एक अलग निगम बनाने का प्रश्न है, मैं सम्बद्ध मंत्रियों से परामर्श करके इस सुझाव पर विचार करूंगा।

श्री मुरासोली मारन : जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत एक बहुभाषी देश है और इसमें 15 राष्ट्रीय भाषाएं तथा सैंकड़ों छोटी-छोटी भाषाएं, एवं बोलियां बोली जाती हैं। शैक्षणिक कार्यक्रमों को कौन सी भाषा या भाषाओं में पेश किया जाएगा ? दूसरे, भाषा का सम्बन्ध राज्य से होता है और प्रत्येक राज्य में अलग-अलग पाठ्यक्रम हैं। सरकार इनको समरूपी बनाने के लिए क्या कार्रवाई करेगी और राज्यों के साथ किस प्रकार यह व्यवस्था की जाएगी ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : माननीय सदस्य ने जो पहला प्रश्न उठाया, वह हम सब के लिए सरदर्दी का विषय बना हुआ है। यदि हम राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रबन्ध करना चाहते हैं तो 14 या 15 विभिन्न भाषाओं का क्या होगा ? इसका उत्तर हमें खोजना होगा। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हम उपग्रह परीक्षण पर आश्रित नहीं हैं। टेलीविजन भौमिक केबलों के आधार पर टेलीविजन बनाने का कार्य हो रहा है। अतः वह एक मिलाजुला कार्य होगा। विशिष्ट राष्ट्रीय कार्यक्रमों तथा ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के लिए उपग्रह का, यदि वह परीक्षण सफल रहा तो प्रयोग किया जाएगा। कुछ स्थानीय टेलीविजन होंगे। जो स्थानीय भाषा में कार्यक्रम पेश करेंगे। (**व्यवधान**)—जहां तक दूसरे प्रश्न, शैक्षिणक कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, मैंने कहा कि इसके लिए एक केन्द्र की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् एक प्रशिक्षण केन्द्र और पाठ्यक्रम विकास केन्द्र खोलेगा और वे राज्यों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए रखेगी और देखेगी कि किस प्रकार एकरूपता लाई जा सकती है ताकि सारे लोग इससे लाभान्वित हो सकें।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली संघ राज्य में विदेशी फर्मों द्वारा भारतीय फर्मों के साथ सहयोग

*1715. **श्री म० ला० सोंधी : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी फर्मों के नाम तथा राष्ट्रीयता क्या है जिन्हें संघ राज्य क्षेत्र में सहयोग-व्यवस्था करने की अनुमति दी गई है और भारतीय सहयोगकर्ताओं के नाम क्या हैं;

(ख) क्या ऐसे मामले हुए हैं जहां भारत के अन्य स्थानों में सहयोग-व्यवस्था करने के प्रस्ताव किये गये थे और बाद में वे दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिये गये; और

(ग) क्या इनमें से किसी फर्म को विदेशी मुद्रा-विनियमों अथवा समवाय विधि विनियमों के अन्तर्गत दोषी पाया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्रीफखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत विदेशी सहयोग करारों की सूची भारतीय पार्टियों के नाम/विदेशी सहयोगियों के नाम तथा उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं की सूची विदेशी व्यापार मंत्रालय के व्यावसायिक प्रचार निदेशालय की है। "जनरल ऑफ इन्डस्ट्री एण्ड ट्रेड" नामक मासिक पत्रिका में प्रकाशित की जाती है। जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। सरकार द्वारा स्वीकृत करारों सम्बन्धी सूचना राज्यवार नहीं रखी जाती है क्योंकि ऐसे करारों पर स्वीकृति उस विशेष उद्योग के महत्व के कारण दी जाती है और न कि ऐसे उद्योगों के एककों की स्थिति पर।

(ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की सामान्य बैठक में और अधिक धन की अपील

*1716. **श्री नि० रं० लास्कर :**

श्री मयावन :

श्री दण्डपाणि :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के कार्यों के लिए और अधिक धन की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अपील हमारे प्रतिनिधिमंडल द्वारा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की सामान्य बैठक में की गई थी;

(ग) यदि हां, तो हमारे प्रतिनिधिमंडल ने सम्मेलन में अन्य कौन से प्रस्ताव रखे थे; और

(घ) उनको कहां तक स्वीकृति अथवा अनुमोदन प्राप्त हुआ ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जी हां, सामान्य वादविवाद के दौरान अपने वक्तव्य में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के नेता ने कहा था कि विकासशील देशों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने हेतु अपनी नीति निर्धारित करने तथा अपने निर्णय लेने के लिए यूनीडों के लिए यह आवश्यक है कि उनके पास और अधिक संसाधन व स्वतन्त्रता हो।

(ग) भारतीय मण्डल द्वारा कही गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं :

1. दूसरी विकास दशाब्दी में यूनीडो की आधार भूत भूमिका।
2. टेक्नालोजी के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को बढ़ावा देने की आवश्यकता इसमें उस टेक्नोलोजी का स्थानान्तरण भी सम्मिलित है जो विकासशील देशों में से अधिक विकसित देशों में प्रयोग में लाई जा रही है और उनमें से कम विकसित देशों को स्थानान्तरित की जा सकती है।

3. यूनीडो के प्रशिक्षण, कार्यक्रमों को विकासशील देशों की विशिष्ट आवश्यकताओं को अनुरूप बनाने का महत्व ।
4. औद्योगिक अनुसंधान तथा परामर्शदात्री सेवाओं के विकास की ओर अधिक ध्यान देना ताकि विकासशील देश अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अयातित टेक्नालोजी को अपने अनुकूल बना सके; और
5. विकासशील देशों में औद्योगिक सहकारिता को बढ़ावा देना ।

(घ) उस अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सुझावों का स्वागत किया गया ।

उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन निर्वाचन अर्जियां

*1717. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 के साधारण निर्वाचनों से उत्पन्न कितनी निर्वाचन अर्जियां अब भी उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन पड़ी हैं;

(ख) क्या कुछ अर्जियां उच्च न्यायालयों में भी अनिर्णीत पड़ी हैं; और

(ग) मध्यावधि निर्वाचनों से उत्पन्न कितनी निर्वाचन अर्जियां उच्च न्यायालयों में विचाराधीन हैं और कितनी अर्जियां उच्चतम न्यायालय में अनिर्णीत पड़ी हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) 12 अपीलें (2 लोक सभा के सम्बन्ध में और 10 अन्य राज्य विधान सभाओं के सम्बन्ध में) ।

(ख) 3 निर्वाचन अर्जियां (सभी राज्य विभाग सभाओं के संविधान में) ।

(ग) 16 निर्वाचन अर्जियां विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लम्बित हैं और 14 अपीलें उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित हैं ।

Loan from World Bank for setting up Steel Plants

*1718. **SHRI MAHARAJ SINGH BHARATI :** Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the world Bank is prepared to advance loan to India to set up steel plants in public sector and the Bank authorities also claim that by lending a helping hand in the management they can reduce the cost of production of steel ; and

(b) if so, the reasons for which Government are hesitating to accept their aid ?

The Minister of State in the Ministry of Steel & Heavy Engineering (Shri K. C. PANT) : (a) Government are aware of certain recent news reports about world Bank sources expressing their willingness to extend assistance to public sector projects including steel plants. No such proposal has, however, been made by the World Bank to Government yet.

(b) The Question does not arise now. As and when new public sector plants are taken up for construction, their requirement of aid, the interest of likely aid gives to give assistance and the suitability of the terms and conditions will be considered and a decision taken.

मैसर्स स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड वैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी

*1719. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री मैसर्स स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, के बारे में 14 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6292 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी को स्टाकिस्टों से 18 गेज के इस्पात की जो चादरें प्राप्त हुईं वह उनके अपने कोटे के प्रमाण पत्र पर प्राप्त हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रमाण-पत्र का ब्यौरा क्या है, और ये चादरें किन किन स्रोतों से प्राप्त हुईं;

(ग) उन्हें अपने कोटे के प्रमाण-पत्र पर 18 गेज के इस्पात की चादरें किन किन स्टाकिस्टों से प्राप्त हुईं तथा बोडी और एंड की चादर प्रत्येक स्टाकिस्ट से अलग अलग कितनी मात्रा में प्राप्त हुईं; और

(घ) उन ग्राहकों के नाम क्या हैं जिनसे उसे 18 गेज के इस्पात की चादरें प्राप्त हुईं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन में प्रस्तुत कर दी जाएगी।

भिलाई इस्पात कारखाने के लिये रूस से डीजल इंजनों का आयात

*1720. **श्री वेणीशकर शर्मा :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात कारखाने के लिए अब तक कितने डीजल इंजनों का आयात रूस से किया गया है तथा उनका मूल्य क्या है ;

(ख) क्या उक्त इंजनों में कुछ इंजन अप्रचलित किस्म के, पुराने और घटिया थे;

(ग) यदि हां, तो उन इंजनों की मरम्मत पर कितनी लागत आई; और

(घ) क्या इनकी मरम्मत पर हुआ खर्च अन्य प्रकार के डीजल इंजनों की मरम्मत के खर्च की तुलना में ठीक है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का अभिप्राय रेल के डीजल इंजनों से है। 1957–60 की अवधि में भिलाई इस्पात कारखाने के लिये रूस से 37 डीजल इंजन आये थे। राष्ट्रीय टन भार के आधार पर प्रत्येक इंजन की कीमत 4 लाख रुपये है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). रूस के प्रत्येक इंजन के रख-रखाव का औसत वार्षिक खर्च 156 **लाख रुपये** है। रूसी इंजन पहले मंगाये गये थे और चेकोस्लोवाकिया के इंजन बाद में आये। दोनों किस्मों की इंजनों के काम में लाये जाने की अवधि में अन्तर होने के कारण उनके रख-रखाव के खर्च की सार्थक तुलना नहीं की जा सकती। परन्तु चेकोस्लोवाकिया के इंजनों के रख-रखाव का औसत वार्षिक खर्च 1.11 लाख रुपये है।

चौथी योजना अवधि में बांसपानी-जौरुरी रेल लिंक का विस्तार

*1721. **श्री गु० च० नायक :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने चौथी योजना अवधि में बांसपानी-जौरुरी रेल लिंक का विस्तार करने का सुझाव दिया है ;

(ख) गत तीन वर्षों में सड़क यातायात द्वारा जौरुरी और बांसपानी के बीच कितना लोह-अयस्क और मैंगनीज अयस्क ढोया गया है ;

(ग) सड़क द्वारा ढोये गये लोह अयस्क और मैंगनीज अयस्क पर कितना खर्च हुआ ;

(घ) क्या यह सच है कि खान मालिकों ने इस विस्तार पर आने वाली लागत का भुगतान करने का वायदा किया है और क्या इस प्रकार के पूंजीनिवेश को प्रोत्साहन दिया जायेगा ; और

(ङ) यदि हां, तो उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित रेलवे लाइन को बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ङ). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । (**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या** एल० टी० 3597/70)

मिश्रित एवं विशेष इस्पात के कारखाने स्थापित करने के लिये बिड़ला बन्धुओं को लाइसेंस देना

*1722. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री मिश्रित एवं विशेष इस्पात के कारखाने स्थापित करने के लिये बिड़ला बन्धुओं को लाइसेंस देने के बारे में 16 दिसम्बर, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 629 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये दुर्गापुर स्थित मिश्रित इस्पात कारखाने के विस्तार के लिये किसी योजना को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या मिश्रित/विशेष इस्पात का उत्पादन करने के लिये बिड़ला समवायों को दिये गये दो लाइसेंसों, को जो 28 फरवरी, 1969 को अवैध हो गये थे, पुनः वैध बना दिया गया है; और

(घ) क्या विहार अलायज को मंजूर किये गये लाइसेंस को मैसर्स बिड़ला जूट मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, लिमिटेड को हस्तान्तरित करने सम्बन्धी आवेदन-पत्र पर कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क और ख). चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में मिश्र-इस्पात कारखाने के विस्तार का प्रस्ताव है । ब्यौरा अभी तैयार नहीं किया गया है ।

(ग) और (घ). जी नहीं, । आवेदन पत्र अभी विचाराधीन हैं ।

भारत में विदेशी नियंत्रणाधीन सिगरेट कम्पनियों द्वारा लाभांश का भेजा जाना

*1723. **श्री स० कुन्दू :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री विदेशी नियंत्रणधीन सिगरेट उद्योग के बारे में 17 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3289 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 में सिगरेट उद्योग में किन तीन कम्पनियों में से ऐसे अधिकांश शेयर विदेशियों के थे, जिनको लाभांश रखने तथा उसको बाहर भेजने की अनुमति दी गई थी;

(ख) ऐसी रियायतें देने की कसौटी क्या है ;

(ग) क्या इस बात के लिए कोई कार्यवाही की गई है कि कम लाभांश बाहर भेजा जाये; और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) विदेशी पूंजी वाली अन्य किन कम्पनियों को लाभांश बाहर भेजने की अनुमति दी गई है और 1967, 1968 और 1969 में लाभांश की कितनी राशि बाहर भेजी गई ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) ये तीन कम्पनियां हैं मैसर्स इम्पीरियल टुबैको कम्पनी, मेसर्स वजीर सुलतान टुबैको कम्पनी और मैसर्स गाडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड।

(ख) और (ग). वर्तमान नीति के अन्तर्गत भारतीय करों के भुगतान के बाद लाभ व लाभांश के विदेशी विनियोजकों को भेजे जाने की खुले तौर से अनुमति है। कम्पनियां अपने लाभ को भारत में रखने के लिए भी स्वतंत्र हैं। सरकार का इस नीति में परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं है।

(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

लघु उद्योगपतियों को सहायता

*1724. **श्री नरेन्द्रकुमार साल्वे :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई की औद्योगिक फर्मों के एक ग्रुप ने लघु उद्योगपतियों की सहायता करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार उनको क्या सहायता देने का है ताकि वे अपना लक्ष्य पूरा कर सकें ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). बड़े औद्योगिक एककों से लघु उद्योग एककों को सहायता दिलाने के उद्देश्य से नेशनल एलायन्स ऑफ यंग एन्ट्रिप्रिन्योर्स ने "प्रगति में साझेदारी" नाम की एक योजना को प्रोत्साहित किया है। यदि उसे बड़े औद्योगिक एककों से लघु उद्योग एककों को सहायता दिलाने के इष्ट साधन के कोई ठोस सुझाव सरकार को प्राप्त हुए तो उसे अतीव प्रसन्नता होगी और वह उन पर निहायत ही सहानुभूति-पूर्ण रूप से विचार करेगी।

नागालैंड में लुगदी तथा कागज मिल

*1725. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड में स्थापित होने वाली लुगदी और कागज मिल के सम्बन्ध में सरकार ने अन्तिम रूप से अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो मिल पर लगभग कितनी लागत आयेगी तथा इसे कहां पर स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) यह सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत होगो अथवा निजी क्षेत्र के अन्तर्गत ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) 16 करोड़ रुपये। अभी तक स्थापना स्थल का चुनाव नहीं किया जा सका है।

(ग) सरकारी क्षेत्र में।

सीमेंट का उत्पादन तथा खपत

*1726. **श्री एन० शिवप्पा :**

श्री जी० आई० कृष्णन् :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय सीमेंट की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है तथा इसका राज्य-वार उत्पादन कितना है ; और

(ख) 1973-74 के दौरान सीमेंट की राज्य-वार अनुमानतः कितनी मांग होगी और इसके उत्पादन के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). विवरण 1 और 2 सभा पटल पर रखे जाते हैं। (ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3598/70)।

राजभाषा (विधायी) आयोग द्वारा 1969-70 में किया गया कार्य

*1727. **श्री अर्जुन सिंह भदोरिया** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजभाषा (विधायी) आयोग द्वारा 1969-70 में किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि में आयोग की कितनी बैठकें हुईं ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3599/70)।

(ख) राजभाषा (विधायी) आयोग की बैठकें 1969-70 के वर्ष के दौरान 60 बार हुईं।

बाटा शू कम्पनी में विदेशी पूंजी निवेश

*1728. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाटा शू कम्पनी की कुल प्रदत्त पूंजी में अभी भी विदेशी पूंजी निवेश है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है विशेषकर कम्पनी में लगी स्वदेशी पूंजी की तुलना में विदेशी पूंजी का ब्यौरा क्या है और वह कितने प्रतिशत है ;

(ग) बाटा शू कम्पनी में किन भारतीय औद्योगिक गृहों की पूंजी लगी हुई है ; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार कम्पनी को कितना लाभ हुआ और उक्त अवधि में विदेशी विनियोक्ताओं द्वारा यदि कोई राशि विदेशों को भेजी गई है तो कितनी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) और (ख). मै० बाटा शू कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड को 31 दिसम्बर, 1968 तक 1000 रु० प्रति हिस्से की दर के 25,000 साधारण हिस्सों के हिसाब से 2.5 करोड़ रुपयों की प्रदत्त पूंजी थी। इन कुल हिस्सों में से 24875 हिस्से इसकी सूत्रधारी कम्पनी, अर्थात, लीडर ए० जी० एस० टी०, स्विटजरलैंड, के अधिकार में थे, एवं 125 हिस्से सूत्रधारी कम्पनी के मनोनीत के अधिकार में थे, जो स्वयं एक विदेशी राष्ट्रीय है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) इस कम्पनी ने 1966 में 3.82 करोड़ रु०, 1967 में लगभग 4 करोड़ रु० तथा 1968 में 4.54 करोड़ रु० के लाभ करों से पहले अर्जित किये। कम्पनियों द्वारा स्वतन्त्र रूप से बाहर

भेजे गये धन की बाबत सूचना को वित्त मंत्रालय द्वारा "गोपनीय" समझा जाता है, एवं साधारणतः इसे प्रकट नहीं किया जाता ।

नये इस्पात कारखाने की लागत का अनुमान

*1729. **श्री बलराज मधोक :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री मि० सू० मूर्ति :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेलम, हास्पेट और विशाखापत्तनम में प्रस्तावित इस्पात कारखाना की लागत के सम्बन्ध में कोई अनुमान भी लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कारखाने-वार अनुमान क्या है, तथा निधि कैसे इकट्ठी की जायेगी तथा कारखाने कब तक बनकर तैयार हो जायेंगे ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन के तैयार होने के पश्चात् ही नए इस्पात कारखानों की अनुमानित लागत तथा उनके तैयार होने में लगने वाले समय का पता लग सकेगा । तीनों नई इस्पात प्रायोजनाओं को केन्द्रीय क्षेत्र में चौथी योजना के इस्पात विकास कार्यक्रम में रखा गया है, जिसके लिये योजना काल में होने वाले खर्च को पूरा करने के लिये 110 करोड़ रुपये की व्यवस्था विद्यमान है ।

कलकत्ता में भूमिगत रेलवे के लिये विदेशी परामर्शदात्री सेवा

*1730. **श्री रबि राय** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने रेलवे बोर्ड को सलाह दी थी कि वह आगामी तीन महीनों के अन्दर कलकत्ता में भूमिगत रेलवे के लिये विदेशी परामर्श दात्री सेवा प्राप्त कर लें ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे बोर्ड ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). योजना आयोग और वित्त मंत्रालय की सलाह से विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के प्रस्ताव पर कार्रवाही की जा रही है ।

औद्योगिक विकास

*1731. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में औद्योगिक विकास की दर वर्षवार तथा राज्य वार कितनी रही है ;

(ख) क्या इस बात का पता लगाने के लिये कोई मूल्यांकन किया गया है कि आयात औद्योगिक विकास के लिए आयात पर्याप्त थे ; और

(ग) यदि नहीं, तो राज्यों में औद्योगिक क्षेत्र में धीमी वृद्धि के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) उपलब्ध आंकड़े राज्यवार नहीं है अखिल भारतीय औद्योगिक विकास के विषय में है । इसमें

औद्योगिक विकास पर कुप्रभाव का जिक्र नहीं है । इसके विपरीत औद्योगिक उत्पादन का 1960 का सूचकांक 100 के बराबर मानने पर पता चलता है कि यह 1967 में 151.4 से बढ़कर 1968 में 161.1 हो गया तथा 1969 में और बढ़कर 173.9 (अस्थाई) हो गया ।

(ख) सरकार की आयात नीति सामान्य रूप में औद्योगिक प्रगति के लिये तथा प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में उत्पादन के लिये और विशेष रूप में निर्यातोमुख उद्योगों के विकास के लिये तैयार की गई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारी इंजीनियरी निगम रांची की पूरी क्षमता का उपयोग न होना

*1732. **श्री शिवकुमार शास्त्री :**

श्री राम चरण :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी इंजीनियरी निगम उन बहुत से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में से एक है जिन्होने 1968-69 में अपनी क्षमता के केवल 15 प्रतिशत भाग का उपयोग किया था ;

(ख) क्या सरकार ने इस परियोजना को आरम्भ करने से पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन और परियोजना प्रतिवेदन की उचित छान-बीन नहीं की थी; और

(ग) यदि हां, तो इस असंतोषजनक कार्य के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) वर्ष 1968-69 में विभिन्न कारखानों में निर्धारित क्षमता के प्रतिशत के रूप में उत्पादन इस प्रकार रहा :—

(1) भारी मशीन बनाने का कारखाना	यांत्रिक	—11%
	संरचनात्मक	—22%
		13%
(2) ढलाई-गढाई कारखाना		2.2%
(3) भारी उपयंत्र कारखाना		

(ख) जी, नहीं ।

(ग) कारखानों का उत्पादन अभी निर्धारित क्षमता तक नहीं पहुंचा है । इतने बड़े और इतनी जटिलतापूर्ण कारखानों में उत्पादन में वृद्धि धीरे-धीरे होती है । भारी तथा जटिल तकनीकी उपकरणों और यंत्रों का काम करने वाले कामगर ज्यों ज्यों दक्षता प्राप्त करेंगे, त्यों त्यों उत्पादन बढ़ता जाएगा और कुछ समय के पश्चात् उत्पादन में काफी सुधार हो जाएगा ।

भारतीय विज्ञापन एजेंसियों का अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग

*1733. **डा० प० मण्डल :**

श्री स० च० सामन्त :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विज्ञापन एजेंसी कार्य करने वाली उन तीन भारतीय कम्पनियों के शेयर-धारियों तथा निदेशकों की एक सूची पेश करेगी जो अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञापन एजेंसियों के सहयोग से कार्य कर रही है ; और

(ख) सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार विभाग के निदेशक को ऐसी सूचियां पहले भेजी गई थी जिससे भारतीय सरकारी उपक्रमों को ऐसी विदेशी एजेंसियों का संरक्षण मिलने पर रोक लगाई जा सके ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) भारत में विज्ञापन अभिकरण व्यापार मे संलग्न निम्नांकित तीन कम्पनियां, अमेरिकन अन्त-राष्ट्रीय विज्ञापन अभिकरण के सहयोग से कार्य कर रही हैं :—

1. ग्रान्ट एडवरटाइजिंग (इन्डिया) लि०, बम्बई, जिसमें 40 प्रतिशत हिस्से, मे० ग्रान्ट एडवर-टाइजिंग इन्टरनेशनल इन्क० सं० रा० अमेरिका के हैं ।

2. हिन्दुस्तान थाम्पसन एसोसियेशन लि० बम्बई, जिसमें 40 प्रतिशत हिस्से मै० जै० वाल्टर थाम्पसन, सं० रा० अमेरिका के हैं ।

3. कलेरियन मैक्कैन एडवरटाइजिंग सर्विसेज लि०, कलकत्ता, जिसमें 49 प्रतिशत हिस्से, मै० मैक्कैन इरिक्शन इन्क० सं० रा० अमेरिका के हैं ।

इन तीनों कम्पनियों के निदेशकों के नाम नीचे दिये जाते हैं :—

कम्पनी का नाम	निदेशकों के नाम	तिथि तक
1. ग्रान्ट एडवरटाइ-जिंग इन्डिया लि०	1. बिल सी० ग्रान्ट	वर्तमान में
	2. नव रेज जी० वकील	"
	3. रावर्ट जे० रुदे	"
	4. रेजीनाल्ट एफ० जे० डेविडसन	"
	5. सुदर्शन एम० चटर्जी	"
	6. श्रीमती जेरुफ एन० वकील	"
	7. ए० गान्गुली	"
2. हिन्दुस्तान थाम्पसन एसोसियेट्स लि०	1. नारायण दान्डेकर (अध्यक्ष)	31 दिसम्बर, 1968
	2. ई० जी० ए० वथोन (प्रबन्ध निदेशक)	"
	3. मेजर जनरल वीरेन्द्र सिंह	"
3. क्लेरियन मैक्कैन एडवरटाइजिंग सर्विसेज लि०	1. सचीन्द्र नाथ बनर्जी (प्रबन्ध निदेशक)	27 अगस्त, 1969
	2. आर्मेन्डी एम० सरिमैन्टो	"
	3. डेविड जे० होपकिन्स	"
	4. सुभाष सैन	"
	5. सुब्रत सैन गुप्ता	"
	6. श्रीमती तारा सिन्हा	"
	7. परीक्षत वामन राव धोलकिया	"
	8. सुभाष सान्याल	"

प्रश्न में दी गई तीनों पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के हिस्सेधारियों की सूचियां, बहुत बड़ी सूचित की गई है व शीघ्रतः उपलब्ध नहीं है। तथापि विदेशी सहयोगियों द्वारा, इन तीनों भारतीय कम्पनियों में धारित हिस्सों का प्रतिशत नीचे दिया जाता है :—

कम्पनी का नाम	विदेशी कम्पनियों द्वारा धारित (सहयोग) कुल हिस्सों का प्रतिशत
1. ग्रान्ट एडवरटाईजिंग इन्डिया लि०	40
2. हिन्दुस्तान थाम्पसन एसोसियेट्स लि०	40
3. क्लैरियन मैक्कैन एडवरटाइजिंग सर्विसेज लि०	49

(ख) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस समस्या को हस्तगत किया है। 13 मार्च, 1970 के राज्य सभा संकल्प में भी साथ साथ वह शर्त है कि ऐसे विज्ञापन अभिकरणों को सेवाओं का उपयोग किया गया जो मुख्य रूप से भारतीय एवं भारतीय नियंत्रित है। यह तथ्य सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा सभी मंत्रालयों, सरकारी उपक्रमों आदि के नोटिस में लाया गया है। निर्देशान्तर्गत तीनों कम्पनियों में विदेशी सहयोग हितों की सीमा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को ज्ञात है।

लाइसेंस जारी करने के बारे में महाराष्ट्र सिंचाई मंत्री के विचार

*1734. **श्री वीरेंद्र कुमारशाह : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 अप्रैल 1970 के 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' में "स्टेट प्लान्स टु टैबल डीजल आयल इंजन ग्लट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के सिंचाई मंत्री द्वारा विधान सभा में व्यक्त किए गए इस आशय के विचारों पर गौर किया है कि केन्द्रीय सरकार कुछ राज्यों को तो मशीनरी का आयात करने के लिए लाइसेंस देती है लेकिन कुछ अन्य राज्यों से देशी मशीनरी का प्रयोग करने का आग्रह करती है;

(ग) क्या ऊपर व्यक्त किए गए विचार ठीक हैं, और यदि हां, तो ऐसा भेदभाव किस आधार पर किया जाता है; और

(घ) यदि उपरोक्त विचार सही नहीं है, तो राज्य विधान सभा के सदस्यों तथा सामान्य जनता के दिमाग में इससे जो गलत धारणा पैदा हुई है उसे दूर करने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्पष्टीकरण करवाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख). जी हां।

(ग) और (घ). आयातित सामानों के आवंटन में किसी राज्य विशेष के साथ कोई भेद-भाव नहीं बरता जाता न ही अन्य राज्यों को देश में बनी मशीनों के प्रयोग के लिए मजबूर ही किया जाता है। जहां कहीं भी देशीय क्षमता विकसित कर ली गई है वहां सामान्यतया आयात करने की

अनुमति नहीं दी जाती है । फिर भी कुछ विशिष्ट मामलों में जहां पर देशीय सामान के प्राप्त होने में अधिक समय लग सकता है या इसी प्रकार की अन्य असामान्य कठिनाइयां हो सकती हैं अथवा प्रायोजन की अत्यावश्यकता के संदर्भ में आयात करना अनिवार्य समझा गया है ऐसे प्रकरणों में अनुमति दी गई है ।

रेलवे में स्वचालित मशीनों का प्रयोग

*1735. **श्री यशपाल सिंह** : क्या मंत्री यह **रेलवे** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेलवे में बड़े पैमाने पर स्वचालित मशीनों का प्रयोग आरम्भ करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). जी हां, जहां तक "स्वचालित मशीनों के प्रयोग" का आशय संगणकों से है, भारतीय रेलों ने कुछ चुनींदा कामों के लिए संगणकों का प्रयोग शुरू कर दिया है । यदि "स्वचालित मशीनों के प्रयोग" से अभिप्राय मशीनीकरण के अन्य कामों जैसे रेल पथ का यांत्रिक अनुरक्षण, केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण, रूट रिले अन्तपार्शन आदि से है, तो भारतीय रेलें इस तरह के सुधार-कार्य कर रही हैं ताकि रेल सेवा की दक्षता और उन स्थानों में, जैसे कि उपनगरीय क्षेत्रों में, यात्रा सम्बन्धी संरक्षा बढ़ायी जा सके जहां गाड़ियों का आना-जाना इतना अधिक होता है कि वह सिगनलों और कांटों आदि के कारगर एवं क्षिप्र दस्ती नियंत्रण क्षमता से बाहर होता जा रहा है ।

Construction of Board Gauge line between Barabanki and Gonda and Conversion of Gonda-Gorakhpur Metre Gauge Line into Board Gauge.

*1736. **SHRI MOLAHU PRASHAD** : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 506 on the 9th December, 1969 regarding doubling of Railway line between Lucknow and Gorakhpur (North Eastern Railway) and state :

(a) whether the Railway Board has since examined the Engineering and Traffic Survey Report regarding the construction of a separate broad gauge line between Barabanki and Gonda and converting the Gonda-Gorakhpur metre gauge line in to a broad guage line; and

(b) if, so the results thereof ?

THE MINISTER FOR RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) and (b). The examination of the Engineering and Traffic Survey Reports of this converstion scheme is still in progress. The proposal involves laying of a paralle broad guage line between Barabanki and Gonda (89 ·28 KMs). and conversion of the existing metre guage line between Gonda and Gorakhpur (152 ·24 KMs). into broad guage, and is estimated to cost Rs. 22 ·01 crores.

विदेशी सहयोग की शर्तों में प्रस्तावित उदारता

*1737. **श्री गणेश घोष** :
श्री उमानाथ :
श्री प० गोपालन :
श्री के० रमानी :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डा० एच० जे० एबस के नेतृत्व में पश्चिम जर्मनी के बैंकरों के मिशन द्वारा की गई मांग के अनुसार विदेशी हितों के अधिकांश भाग और प्रबन्ध नियन्त्रण की अनु-

मति देने की दृष्टि से विदेशी सहयोग की शर्तों को उदार बनाने के लिए सहमत हो गई; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस मिशन को इस बात का संकेत दिया है कि सहयोग की शर्तों को किस प्रकार उदार बनाया जाएगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) ड्यूखें बैंक के अध्यक्ष डा० एच० जे० एब्स के नेतृत्व में जर्मनी के उद्योगपतियों तथा बैंकरों के शिष्टमंडल के साथ विचार विमर्श में विदेशी विनियोजन तथा सहयोग के बारे में सरकार की नीतियों की व्याख्या की गई थी । शिष्टमण्डल को विद्यमान नीतियों में कोई छूट देने के लिए आश्वासन नहीं दिया गया था ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लखनऊ डिवीज़न में कासिमपुर रेलवे हाल्ट के ठेकेदार द्वारा लम्बी यात्रा के लिये टिकट जारी करना

*1738. **श्री विद्याधर बाजपेयी : क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने 1964 में इस आशय का आदेश दिया था कि ठेकेदारों के प्रबन्धाधीन हाल्ट स्टेशनों को लम्बी यात्रा के टिकट जारी करने की अनुमति दी जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर रेलवे ने लखनऊ डिवीजन में कासिमपुर रेलवे हाल्ट के ठेकेदार को जनता की मांग पर लम्बी यात्रा के टिकट जारी करने की अनुमति अभी तक नहीं दी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त हाल्ट से लम्बी यात्रा के टिकट जारी करने सम्बन्धी जनता की मांग को पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) रेलवे बोर्ड द्वारा 1955 (1964 में नहीं) में ये आदेश जारी किए गए थे कि यद्यपि हाल्ट स्टेशनों द्वारा सीमित खंडों के लिए ही टिकट जारी करने की व्यवस्था है, तथापि यातायात की दृष्टि से औचित्य होने पर हाल्ट स्टेशनों से लम्बी दूरी के टिकट जारी करने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए ।

(ख) और (ग). कासिमपुर हाल्ट पर लम्बी दूरी के टिकट जारी करने के लिए जनता से प्राप्त मांग की उत्तर रेलवे द्वारा जांच की गई थी, लेकिन पता चला कि प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं था क्योंकि लंम्बी दूरी के जितने यात्रियों द्वारा इस सुविधा के उपयोग किए जाने की संभावना थी, उनकी संख्या बहुत कम थी । फिर भी, उत्तर रेलवे से कहा गया है कि इस स्थिति पर पुनर्विचार करे ।

रूरकेला में हाटडिप्ड तथा इलेक्ट्रोलिटिक प्रक्रियाओं से टिन-प्लेटें बनाना

*1739. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री टिन प्लेटों के उत्पादन तथा खपत के बारे में 28 अप्रैल, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 1263 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला में टिन प्लेटों का उत्पादन दो विभिन्न प्रक्रियाओं अर्थात् हाटडिप्ड तथा इलेक्ट्रोलिटिक प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक प्रकार की क्षमता कितनी-कितनी है और गत तीन वर्षों में वास्तविक उत्पादन कितना कितना हुआ था;

(ग) क्या यह भी सच है कि हाट-डिप्ड तरीके से टिन प्लेटें बनाने में इलेक्ट्रोलिटिक तरीके से बनाने की अपेक्षा अधिक टिन-पिण्डों की आवश्यकता होती है; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक तरीके से एक मीट्रिक टन टिन से कितनी मात्रा में टिन-प्लेटें तैयार की जाती हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में राउरकेला इस्पात कारखाने के बेलन मिलों में टिन प्लेट हाट डिप्ड लाइन और इलेक्ट्रोलिटिक लाइन की उत्पादन क्षमता और उनका वास्तविक उत्पादन निम्नलिखित है :—

(आंकड़े टनों में हैं)

एकक	क्षमता	उत्पादन		
		1967-68	1968-69	1969-70
हाट डिण्ड लाइन	50,000	20,925	24,235	16,861
इलेक्ट्रोलिटिक लाइन	150,000	—	1,957	32,507

(ग) जी हां ।

(घ) पिछले तीन वर्षों के वास्तविक उत्पादन के आधार पर एक टन टिन से हाट डिण्ड पद्धति से और इलैक्ट्रोलिटिक पद्धति से उत्पादन क्रमशः लगभग 54 टन और 118 टन होता है ।

एकाधिकार वादी प्रवृतियों का पता लगाने के लिये होटल उद्योग का अध्ययन

*1740. **श्री काशीनाथ पाण्डेय :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को प्रारम्भिक अध्ययन से यह पता लगा है कि एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार रीतियों अधिनियम में की गई परिभाषा के अनुसार वस्तुतः देश में प्रत्येक उद्योग में एकाधिकारी फर्म है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार होटल उद्योग को भी इस अध्ययन के अन्तर्गत लाएगी क्योंकि इस पर भी एकाधिकारी फर्मों का प्रभुत्व है; और

(ग) इस सम्वन्ध में कमियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) चूंकि कम्पनी कार्य विभाग द्वारा, सभी उद्योगों का इस प्रकार का अध्ययन अभी नहीं किया गया है, अतः यह कहना संभव नहीं है कि देश में वास्तविक रूप से प्रत्येक उद्योग एकाधिकारी फर्म या अधिष्ठायी उपक्रमों, जिनकी परिभाषा एकाधिकार अधिनियम में की गई है, द्वारा नियंत्रित किया जाता है ।

(ख) और (ग). इस उद्योग के लिए भिन्न अध्ययन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, परन्तु यदि इस उद्योग में भी यदि इस प्रकार की प्रवृत्तियां होगी तो यह एकाधिकार एवं निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिआ अधिनियम, द्वारा निनियमित एंव नियंत्रित की जायेगी ।

बम्बई-नई दिल्ली एयर कन्डीशन्ड एक्सप्रेस को डीजल इंजन से चलाना

10145. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई—नई दिल्ली एयर कन्डीशन्ड एक्सप्रेस को फ्रन्टीयर मेल की भांति डीजल इंजन से चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा):(क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) फालतू डीज़ल रेल इंजनों की अनुपलब्धता ।

गुजरात में औद्योगिक बस्तियां

10146. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में अब तक कितनी औद्योगिक बस्तियों की स्थापना की गई है और उनमें से प्रत्येक बस्ती की स्थापना पर कितनी धन राशि खर्च की गई ;

(ख) राज्य में ऐसी कितनी औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) ऐसी बस्तियों में उद्योगों के मालिकों को क्या अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मैसर्स सेन रेले लिमिटेड, आसनसोल के प्रबन्ध निदेशक द्वारा ली गई उपलब्धियां

10147. श्री बाबू राव पटेल : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स सेन रेले लिमिटेड, आसनसोल के प्रबन्ध निदेशक सर्वश्री अभिजीत सेन और संजय सेन ने अतिरिक्त परिलब्धियों सहित कितना वेतन और भत्ते प्राप्त किए; और

(ख) प्रबन्धक एजेंसी प्रणाली की समाप्ति के बाद कम्पनी कानून के अन्तर्गत प्रबन्ध निदेशक या राज्यपालों या उच्चतम कार्यकारी अधिकारियों को अब तक अधिकतम कितना वेतन और अतिरिक्त परिलब्धियां प्राप्त करने की अनुमति दी गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) श्री अभिजीत सेन तथा श्री संजय सेन, प्रबन्ध निदेशकों में से प्रत्येक को 5,000 रु० प्रति मास वेतन तथा निम्नलिखित परिलब्धियां प्राप्त होती हैं :—

(1) कम्पनी के कार्य के उद्देश्य के लिए कम्पनी की कार का मुफ्त प्रयोग ;

(2) मुफ्त निवास गृह, जिसका मौद्रिक मूल्य, वार्षिक वेतन के 25% से अधिक न हो ;

(3) 5,000 रु० प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा की शर्त पर मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं;

(4) इनके तथा उनके कुटुम्ब के लिए, एक मास के वार्षिक अवकाश में छुट्टी यात्रा समनुदान ;

(5) कम्पनी के व्यापार-कार्य के लिए मनोरंजन आदि पर, अपनी जेब से किए गए वास्तविक व्यय की पुनः प्राप्ति ;

(ख) संशोधित मार्गदर्शक नियमों की एक प्रति, 2 दिसम्बर, 1969 को उत्तर दिए गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 360 का उत्तर देते समय सदन के पटल पर प्रस्तुत की थी। यह इस मंत्रालय की 1969-70 की रिपोर्ट के पृष्ठ 126–128 में भी अंकित है जो सदस्यों को परिचालित की गई थी।

ट्रैक्टरों तथा फालतू पुर्जों की चोर बाजार में बिक्री

10148. श्री बाबू राव पटेल : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह देखते हुए कि ट्रैक्टर तथा फालतू पुर्जे चोरबाजारी में अत्यधिक मूल्यों पर बेचे जा रहे हैं और किसानों से निर्दयतापूर्वक ये मूल्य प्राप्त किए जा रहे हैं, सरकार द्वारा ट्रैक्टरों और फालतू पुर्जों की बिक्री की नियंत्रित तथा विनियमित न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि ट्रैक्टर को दोबारा बेचने से मूल मूल्य से अधिक मूल्य मिलता है ;

(ग) यदि हां, तो कम से कम चार वर्षों तक उनकी पुनः बिक्री पर रोक लगाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है तो इसके क्या कारण हैं।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). ट्रैक्टरों के वितरण तथा बिक्री पर नियंत्रण रखने के लिए एक नियंत्रण आदेश, जिसमें अन्य बातों के अलावा ट्रैक्टर खरीदने की तारीख से दो वर्षों की अवधि समाप्त होने से पहले ट्रैक्टरों की पुनः बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था होगी, को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आदेश के कानूनी तथा प्रशासनिक पहलुओं पर इस समय विचार किया जा रहा है।

चूंकि देश में काफी निर्माताओं द्वारा विभिन्न माडलों तथा मेकों के फालतू पुर्जों का भारी मात्रा में निर्माण किया जा रहा है अतः उनके बिक्री और वितरण पर नियंत्रण रखना संभव नहीं है।

चूंकि ट्रैक्टरों का संभरण मांग को पूरा करने की दृष्टि से अपर्याप्त है अतः यह बड़ी साधारण बात है कि ट्रैक्टरों की पुनः बिक्री से मूल्य बढ़ते जा रहे हैं।

महिला यात्रियों को संरक्षण

10149. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1969 से अब तक कितनी महिला यात्रियों को लूटा गया, उनके साथ छेड़-छाड़ की गई, उनके साथ बलात्कार किया गया, उनकी हत्या की गई या उनके सतीत्व को भंग किया गया और उन स्टेशनों के नाम क्या-क्या हैं जहां उक्त घटनाएं घटीं ;

(ख) उक्त घटनाओं में शामिल रेलवे कर्मचारियों की संख्या और पदनाम क्या हैं ;

(ग) कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) कम और लम्बी दूरी की यात्रा पर या रेलवे स्टेशनों पर विश्राम करते समय, महिला यात्रियों को संरक्षण देने के लिए क्या व्यावहारिक कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) (i) रात की महत्वपूर्ण गाड़ियों में और उन गाड़ियों में जिनमें इस तरह की घटनाएं हुई हैं, राज्य रेलवे पुलिस के अनुरक्षक साथ चलते हैं ।

(ii) जहां राज्य रेलवे पुलिस तैनात की गई है, वहां वह तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालयों और प्लेटफार्मों पर कड़ी नजर रखती हैं ।

(iii) जिन गाड़ियों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, उनमें अपराधियों को पकड़ने और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सादी पोशाक में भी पुलिस के कर्मचारियों की व्यवस्था की जाती है ।

(iv) अनधिकृत व्यक्ति महिलाओं के डिब्बों में प्रवेश या यात्रा न कर सकें, इस उद्देश्य से उनमें सिटकिनियां और उनकी खिड़कियों में छड़ें लगायी गई हैं ।

इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिये आवश्यक व्यवस्थायें

10150. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी विशेष राज्य में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए कितने प्राकृतिक साधनों और लाभकारी परिस्थितियों की आवश्यकता होती है ;

(ख) क्या सेलम विशाखापटनम और हौसपेट में प्रस्तावित तीन कारखाने के सम्बन्ध में उक्त संसाधन पूर्णतया उपलब्ध हैं ।

(ग) यदि नहीं, तो उक्त कारखानों के वहां पर स्थापित किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इस्पात संयंत्र स्थापित न करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) किसी विशेष राज्य में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए निम्नलिखित प्राकृतिक साधनों तथा लाभकारी परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है :—

(i) कच्चे माल के प्रसाधनों का निकटवर्ती होना तथा परिवहन सुविधा उपलब्ध होना

(ii) इस्पात खरीदने वाले क्षेत्रों का सामीप्य

(iii) बिजली, पानी तथा परिवहन आदि सुविधाओं का उपलब्ध होना

(iv) सामान्य विकास वाला क्षेत्र होना चाहिए विशेषतया उस क्षेत्र में कुशल श्रमिक उपलब्ध होने चाहिए

(v) क्षेत्र में बहुत अधिक उद्योग नहीं होने चाहिए

(vi) ढलवां लोहे/इस्पात के निर्यात तथा देश में उपलब्ध सीमित भंडार में परिवर्धन की दृष्टि से कोककार कोयले का आयात करने के लिए पत्तन का निकटवर्ती होना ।

यद्यपि ये लाभ-कार्य साधन हैं फिर भी इनमें से कोई भी अत्यावश्यक नहीं है ।

(ख) सलेम, विशाखापटनम और होस्पेट प्रस्तावित क्षेत्रों में उपरोक्त साधनों में से बहुत से सुविधापूर्वक उपलब्ध हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(घ) जब देश में दूसरे ऐसे स्थल हैं जहां कुछ अथवा सभी उपरोक्त वर्णित लाभकारी साधन उपलब्ध हैं तो ऐसे स्थलों पर इन साधनों के अभाव और इस्पात की मांग को देखते हुए इस्पात संयंत्र की स्थापना में कोई औचित्य नहीं है । जैसा कि 17-4-70 को प्रधान मंत्री ने सदन में अपने वक्तव्य में बताया है कि इस्पात उद्योग के द्रुतगामी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भविष्य में इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए दूसरे संभावित क्षेत्रों के विषय में विचार किया जाएगा ।

इस्पात संयंत्रों में विनियोजन

10151. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में कितने इस्पात संयंत्र हैं और प्रत्येक में कितनी पूंजी लगी हुई है और वे किस-किस स्थान पर स्थित हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक संयंत्र में वर्षवार कितनी कीमत का उत्पादन हुआ ;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक संयंत्र को प्रतिवर्ष कितना लाभ अथवा हानि हुई ;

(घ) गैर सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों की तुलना में सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों का अच्छी तरह न चलने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) बिगड़ती हुई स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). साधारण इस्पात कारखानों के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(घ) और (ङ). हिन्दुस्तान स्टील लि० की हानि के लिए सम्बन्धित विभिन्न कारणों का वर्णन "परफारमेन्स आफ हिन्दुस्तान स्टील लि०" नामक पुस्तिका में किया गया है जिसकी प्रति 5 अप्रैल, 1968 को सभा पटल पर रखी गई थी । घाटे को रोकने और उसे कम करने तथा इस्पात कारखानों की कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु किए गए उपायों का वर्णन भी उसी

पुस्तिका में किया गया है । इन उपायों का पालन किया जा रहा है । उत्पादन बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं और इसके मार्ग की विभिन्न बाधाओं को यथाशीघ्र दूर किया जा रहा है । इससे हिन्दुस्तान स्टील लि० के कारखानों के कार्यकरण में सुधार होगा । वास्तव में ऐसी आशा है कि पिछले दो वर्षों की अपेक्षा वर्ष, 1969-70 में हिन्दुस्तान स्टील लि० का घाटा काफी कम रहेगा ।

विवरण

इस्पात कारखाने का नाम और स्थान	31-3-69 को लगा हुआ रुपया (मिलियन रुपयों में)	उत्पादन का मूल्य		लाभ/हानि (+) (−)	
		वर्ष		मिलियन रुपयों में	
निजी क्षेत्र					
टाटा आयरन एण्ड स्टील कं०, जमशेदपुर	2580.8	1966-67	1274.2	(+)	119.7
		1967-68	1321.4	(+)	83.4
		1968-69	1357.2	(+)	98.2
इण्डियन आयरैन एण्ड स्टील कं०, बर्नपुर .	1250.0	1966-67	807.0	(+)	55.4
		1967-68	721.9	(+)	10.1
		1968-69	905.4	(+)	30.2
सरकारी क्षेत्र					
राउरकेला इस्पात कारखाना, राउरकेला .	3816.9*	1966-67	751.6	(−)	26.59
		1967-68	787.6	(−)	72.05
		1968-69	1065.9	(−)	39.72
भिलाई इस्पात कारखाना, भिलाई . .	3806.5*	1966-67	1100.5	(−)	27.86
		1967-68	1202.2	(−)	91.21
		1968-69	1204.8	(−)	113.53
दुर्गापुर इस्पात कारखाना दुर्गापुर .	2682.8*	1966-67	485.0	(−)	133.61
		1967-68	511.0	(−)	180.84
		1968-69	630.3	(−)	173.70

*सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के बारे में 31-3-69 तक किए गए पूंजीगत व्यय के कालम के आंकड़े में पंजीगत किस्म के परिचालन-उपकरणों का व्यय सम्मिलित नहीं है ।

अम्बाला सिटी और अम्बाला छावनी (उत्तर रेलवे) में 'पान' की बिक्री

10152. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे अम्बाला सिटी और अम्बाला छावनी के स्टेशनों के अतिरिक्त अन्य किसी स्टेशनों पर पान बेचने की अनुमति नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो अम्बाला छावनी और अम्बाला सिटी पर पान बेचने की अनुमति देने तथा अन्य स्टेशनों पर इसकी अनुमति न देने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) ओर (ख). जून और सितम्बर, 1954 में उत्तर रेलवे की क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति की बैठकों में विचार-विमर्श के फलस्वरूप तत्कालीन पैप्सू और पंजाब राज्यों में स्थित स्टेशनों पर पान की बिक्री बन्द कर दी गई थी । बाद में जनता की मांग पर इन राज्यों में कुछ चुने हुए स्टेशनों पर पान बेचने की अनुमति दे दी गई थी । अम्बाला छावनी और अम्बाला सिटी ऐसे ही स्टेशन हैं । इस रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्र में जहां आमतौर पर पान नहीं खाया जाता वहां पान की बिक्री बन्द कर दी गई थी लेकिन इस क्षेत्र के कुछ स्टेशनों पर इस वस्तु की बिक्री की अनुमति देने के लिए बार-बार मांग होने पर बाद में इजाज़त दे दी गई ।

उत्तर रेलवे को अब हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि उसके स्टेशनों पर जहां कहीं भी जनता पान की बिक्री की मांग करे, पाबन्दी हटा दी जाए और पान की बिक्री की अनुमति दे दी जाए ।

रेलवे यात्री डिब्बों से बल्बों और शीशों की चोरी के कारण रेलवे को हानि

10153. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न रेलवे ज़ोनों में रेलवे यात्री डिब्बों से बल्बों और शीशों आदि की चोरी होने के कारण रेलवे को होने वाली हानि का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वित्तीय वर्षों में इसके कारण कितनी हानि हुई ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) गत तीन वित्तीय वर्षों में बल्बों तथा शीशों आदि सहित बिजली तथा यान्त्रिक वस्तुओं की चोरी के कारण हुई कुल हानि निम्नलिखित है :—

	लाख रुपए
1967-68	18.65
1968-69	16.41
1969-70	17.06

(ग) इन चोरियों को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(i) रेलवे सुरक्षा दल तथा बिजली और यान्त्रिक कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण जंकशनों और गंतव्य केन्द्रों पर डिब्बों की जांच पड़ताल की जाती है ।

(ii) भेद्य स्थलों तथा शंकित केन्द्रों पर सादी वर्दी में रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं ।

(iii) ऐसी रेलें जिनमें चोरी की सम्भावना रहती है उनकी मार्ग रक्षा का प्रबन्ध किया गया है ।

(iv) यार्ड तथा पार्श्वक में खड़े रेल के खाली डिब्बों को जहां तक भी संभव हो सकता है, ताले बन्द करके रखा जाता है ।

(v) चोरी की सम्पत्ति रखने वालों के यहां अपराधी गुप्तचर विभाग के कर्मचारियों द्वारा जल्दी-जल्दी छापे मारे जाते हैं ।

(vi) अलौह उपकरणों के स्थान पर लौह उपकरणों की व्यवस्था की गई है ।

(vii) शीशों के चौखटों को पेचों से जोड़ने के बजाए पीछे लगी लोहे की चादर से जोड़ा जाता है ।

(viii) कम से कम चोरी की संभावना के उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए रेल प्रकाशक उपकरणों के सम्बन्ध में चोरी रोकने के समय-समय पर अनेकों उपाय लागू किए गए हैं ।

(ix) भेद्य यार्डों पर अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए बारी-बारी से सशस्त्र तथा कुत्ता गश्ती दस्तों की व्यवस्था की गई है ।

ताज एक्सप्रेस में नई दिल्ली से आगरा कैन्ट का तीसरे दर्जे का किराया

10154. श्री न० रा० देवघरे : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ताज एक्सप्रेस में नई दिल्ली से आगरा कैन्ट तक के तीसरे दर्जे के किराए को 6 रुपए 90 पैसे से बढ़ाकर 7 रुपए 90 पैसे कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अधिकारी 1 अप्रैल, 1970 के बाद भी 6 रुपए 90 पैसे किराया लेते रहे हैं; और

(ग) क्या 1 अप्रैल, 1970 के बाद कुछ यात्रियों से 7 रुपए 90 पैसे भी किराया लिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). 1970-71 के मूल बजट प्रस्तावों में ताज एक्सप्रेस से यात्रा के लिए तीसरे दर्जे के यात्रियों से प्रति यात्री एक रुपए का अतिरिक्त अभिप्रभार लेने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन संसद् में बजट प्रस्तावों पर विचार करते समय तीसरे दर्जे के किराए में सभी प्रस्तावित वृद्धियां वापस ले ली गयीं । रेल प्रशासनों को समय पर हिदायतें जारी किए जाने के बावजूद नई दिल्ली स्टेशन के कर्मचारियों ने गलती से यह अतिरिक्त प्रभार लेना शुरू कर दिया और इस तरह उन्होंने केवल 1-4-70 से 4-4-70 तक की अवधि में नई दिल्ली से आगरा छावनी तक ताज एक्सप्रेस का तीसरे दर्जे का किराया 6 रुपए 90 पैसे के बजाय 7 रुपए 90 पैसे वसूल किया । 4-4-70 के बाद 6 रुपए 90 पैसे अर्थात् ठीक किराया लिया जाने लगा ।

पहियेदार तथा रिंगण (कालर) ट्रैक्टरों का निर्माण करने वाले कारखाने

10155. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, कारखाने व, पहियेदार तथा रिंगण ट्रैक्टरों के निर्माण के सम्बन्ध में अनुमोदित कार्यक्रम का व्यौरा क्या है ;

(ख) क्रमबद्ध निर्माण कार्यक्रम के अनुसार पहियेदार तथा रिंगण ट्रैक्टरों को निर्माण करने वाले कारखानों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक कारखाने में 1968 तथा 1969 में ऐसे कितने ट्रैक्टर बनाए गए थे और उनमें कितने प्रतिशत देशी कलपुर्जों का प्रयोग किया गया था ; और

(ग) इन कारखानों को औद्योगिक लाइसेंस कब दिए गए थे और उन्होंने अब तक कितनी प्रगति की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). आवश्यक सूचना सभा पटल पर रखी जाती है । [**ग्रंथालय में रखी गई**/देखिए संख्या एल० टी० 3600/70] ।

इम्पेक्ट पब्लिकेशन्स (प्राइवेट) लिमिटेड के शेयरहोल्डर्स के बारे में जानकारी बताना

10156. श्री सरदार अमजद अली : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री पत्रिकाओं के प्रकाशन के बारे में भारत अमरीकी सहयोग करार के बारे में 28 अप्रैल, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 1266 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री सेलिग हरीसन और श्री कालिन रोज़र तथा श्री राम तारनेजा द्वारा शेयर खरीदने के लिए भेजे गए चैक कब भुनाए गए थे ; और

(ख) क्या केन्द्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री भी इस इम्पैक्ट पब्लिकेशन्स (प्राइवेट) लिमिटेड का शेयर होल्डर है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) सरकार को, श्री सेलिग हरिसन तथा श्री कालिन रोज़र द्वारा 30-3-70 को उनमें से प्रत्येक को वंटित एक हिस्से के सम्बन्ध में, नकद अथवा चैक की बाबत कोई सूचना प्राप्त नहीं है। उपलब्ध सूचना से यह पाया जाता है कि श्री राम तरनेजा इस कम्पनी का हिस्सेधारी नहीं है।

(ख) हां, श्रीमान् । पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री डा० कर्ण सिंह के, इस कम्पनी में, 5,000 रु० की दर के दो हिस्से हैं।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष और उनके निजी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते

10157. श्री सरदार अमजद अली : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष द्वारा प्राप्त भत्तों के बारे में 28 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7755 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय गांधी शताब्दी समिति के गांधी दर्शन खाते तथा खादी कमीशन के अध्यक्ष और उनके निजी कर्मचारियों द्वारा की गई यात्रा प्राप्त यात्रा भत्तों/दैनिक भत्तों को छिपाने

के उद्देश्य से खादी ग्रामोद्योग आयोग के रिकार्ड में बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे ;

(ख) क्या अध्यक्ष ने नई दिल्ली में ठहरने की अवधि में खादी ग्रामोद्योग आयोग की कार का प्रयोग किया ;

(ग) विमान द्वारा यात्रा करने पर प्रासंगिक और दैनिक भत्ते प्राप्त करना कहां तक न्यायोचित था ; और

(घ) क्या गांधी ग्रामोद्योग आयोग ने अपंजीकृत नागरिक समिति के गांधी दर्शन के लिए कुछ धनराशि दी है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने सूचना दी है कि आरोपित उद्देश्य के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अभिलेखों में छोटा या बड़ा कोई परिवर्तन नहीं किया गया था ।

(ख) आयोग के अध्यक्ष को यह हक है कि वह सरकारी कार्यों के लिए मुफ्त और व्यक्तिगत कार्यों के लिए भुगतान करके कार का प्रयोग कर सकता है ।

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को हवाई जहाज से यात्रा करते समय केवल आनुषंगिक खर्च और दौरे के केन्द्रों में ठहरने पर केवल दैनिक भत्ता दिया जाता है ।

(घ) खादी आयोग ने सम्भरण पुस्तिका में स्थान निश्चित कराने और साथ ही उसकी प्रतियां खरीदने के लिए गांधी दर्शन सम्बन्धी नागरिक को भुगतान किया था ।

मद्रास में बहुत से प्लेटफार्म टिकट छापने वाली स्वचालित मशीनों की व्यवस्था

10158. श्री लोबो प्रभु : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में बहुत से प्लेटफार्म टिकट छापने वाली स्वचालित मशीन लगाने का क्या लाभ है जबकि साधारणतया 6 टिकटों से अधिक टिकटों की मांग नहीं होती और महत्वपूर्ण स्टेशनों पर एक टिकट के लिए मशीन न लगाने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या इसके विकल्प में रेलवे ने 'टर्न-स्टाइल' प्रवेश प्रणाली के बारे में जांच की है जिसके अन्तर्गत सिक्के को डालने के बाद प्लेटफार्म टिकट प्राप्त व्यक्ति स्वयं प्लेटफार्म पर प्रवेश कर सकेगा और जिसे रोका नहीं जा सकता ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) 5-5-1970 से मद्रास सेंट्रल स्टेशन पर बहुत से प्लेटफार्म टिकट स्वयं छापने वाली मशीन लगाई गई है । मशीन में दो सरपियां हैं जिनमें से प्रत्येक के साथ ही एक या दो या तीन टिकट प्राप्त किए जा सकते हैं । इस प्रकार यह मशीन एक समय में 6 टिकटों से कम टिकट छापने के लिए उपयोगी है । बहुत से प्लेटफार्म टिकट स्वयं छापने वाली मशीन का लाभ यह है कि इससे बड़ी पार्टियों और परिवारों की मांगें शीघ्रता से पूरी की जा सकती हैं । एक-एक प्लेटफार्म टिकट स्वयं छापने वाली मशीन की व्यवस्था मद्रास, एग्मूर, तिरुच्चिरापल्लि, मैसूर, बैंगलूर सिटी, कोयम्बटूर तथा मदुरै में पहले ही की जा चुकी है ।

(ख) प्लेटफार्म टिकटों के लिए सिक्के डालकर प्रविष्टि की टर्न-स्टाइल प्रणाली को प्रतिस्थापित करना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि इस ढंग से कानूनी प्रवेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्लेटफार्म पर टिकटों की जांच करने वाले कर्मचारियों द्वारा पूछे जाने पर कोई टिकट

नहीं दिखा पाएगा और उसे बिना टिकट यात्री माना जाएगा । इसके विकल्प में कोई व्यक्ति बिना टिकट गाड़ी द्वारा स्टेशन पहुंचने पर यह दावा कर सकता है कि वह सिक्का डालकर टर्न-स्टाइल के माध्यम से स्टेशन पर आया है ।

सिवन जंकशन (पूर्वोत्तर रेलवे) के जलपान गृह के ठेकेदार के विरुद्ध शिकायतें

10159. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिवन जंक्शन, पूर्वोत्तर रेलवे के शाकाहारी जलपान गृह के कार्य के बारे में ठेकेदार के विरुद्ध बहुत बड़ी संख्या में शिकायतें की गई हैं, जिनमें एक शिकायत डी०एस०/बी० एस० बी० की भी शामिल है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त जलपान गृह बीच-बीच में बन्द रहता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ठेकेदार द्वारा जलपान गृह का प्रयोग निवास के रूप में किया जाता है;

(घ) ठेकेदार के विरुद्ध की गई उपर्युक्त प्रत्येक शिकायत के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या सरकार उक्त जलपान गृह को किसी अन्य ठेकेदार को अलाट करना उचित समझती है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) सिवन जंकशन स्टेशन के शाकाहारी भोजनालय के ठेकेदार के खिलाफ 1-4-1968 से, जनता की ओर से, चार शिकायतें मिली हैं। इस अवधि के दौरान मण्डल अधीक्षक वाराणसी द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है । लेकिन जून, 1968 और अगस्त, 1968 में मण्डल वाणिज्य अधीक्षक के निरीक्षण के दौरान कुछ अनियमितताएं नोटिस में आयी थीं, जिसके लिए ठेकेदार को चेतावनी दी गई थी ।

(ख) और (ग) : 13-5-1969 को भोजनालय बन्द पाया गया था जिसके लिए ठेकेदार को चेतावनी दी गयी थी । एक बार नौकरों के बिस्तर भोजनालय में पड़े पाये गये थे जिन्हें वहां से हटवा दिया गया । इन विशिष्ट अनियमितताओं के अलावा ठेकेदार ने भोजनालय को रेल प्रशासन द्वारा निर्धारित समय में खुला रखा है और ठेकेदार ने इसका उपयोग रिहाइश के लिए नहीं किया है । सिवान में ठेकेदार ने किराये का मकान ले रखा है ।

(घ) जनता की भाग (क) में उल्लिखित शिकायतों में से तीन मामलों में ठेकेदार को चेतावनी दी गयी और चौथी शिकायत के मामले में उस पर जुर्माना किया गया ।

(ङ) मौजूदा ठेकेदार का काम आम तौर से संतोषपूर्ण पाया गया है, इसलिए फिलहाल ठेकेदार को बदलने का विचार नहीं है ।

कारों का मूल्य निर्धारित करने के लिये आयोग की नियुक्ति

10160. **श्री शशि भूषण** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कारों के मूल्यों की जांच करने के मामले में आयोग नियुक्त करने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अध्ययन किया है ;

(ख) उक्त आयोग कब नियुक्त किया जायेगा और उसके निर्देश-पद क्या हैं;

(ग) उक्त आयोग सरकार को अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत कर देगा, और

(घ) क्या इस बात को सुनिश्चित किया जायेगा कि आयोग द्वारा प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने तथा सरकार के निर्णय करने की अवधि के बीच कारों के मूल्यों को बढ़ने न दिया जाये ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सरकार ने उच्चतम न्यायालय की, देश में बनाई जाने वाली तीन प्रकार की कारों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए एक आयोग गठित किये जाने संबंधी, सिफारिशों का अध्ययन कर लिया है ।

(ख) आयोग नियुक्त किये जाने संबंधी कदम उठाये जा रहे हैं । आयोग के गठन तथा तत्संबंधी निर्देश पदों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

(ग) उच्चतम न्यायालय की सिफारिश के अनुसार, आयोग से अपने गठन के चार माह के अन्दर ही प्रतिवेदन देने को कहा जायेगा ।

(घ) देश में बनाई जाने वाली तीनों प्रकार की कारों का अधिकतम विक्रय मूल्य उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951, की धारा 18-जी० के अनुसार 21 सितम्बर, 1969 को एक आदेश में अधिसूचित किया गया है । यह अब भी लागू है ।

सिवन जंकशन और मेरवा स्टेशनों (पूर्वोत्तर रेलवे) पर रेलवे परिसर में भूमि पर अनधिकृत कब्जा

10161. श्री रामशेखर प्रसाद सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ व्यक्तियों ने पूर्वोत्तर रेलवे में सिवन जंकशन और मेरवा स्टेशनों पर रेलवे परिसर में स्थित भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर लिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे प्राधिकारी वहां काफी समय से स्थित दुकानों को हटाने में असफल रहें हैं जिसके परिणामस्वरूप रेलवे को तथा माल बेचने वाले वर्तमान ठेकेदारों को भारी हानि हो रही है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त अनधिकृत रेलवे पुलिस की नितान्त उपेक्षा के कारण उसके लिये वे सीधे जिम्मेवार हैं; और

(घ) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों और अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है और अनधिकृत दुकानों को हटाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ) अधिक्रमण के 6 मामले सिवन जंकशन पर और 11 मामले मेरवा स्टेशन पर हुए हैं। बेदखली की कोशिश में सफलता नहीं मिली । इसलिये सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद यही ठीक समझा गया कि लायसेन्स देकर अधिक्रमणों को नियमित कर दिया जाये और रेलवे की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की तारीख से किराया वसूल किया जाये । अतः रेलवे को राजस्व की कोई हानि नहीं हुई । रेलवे की ज़मीन का अधिक्रमण रेल कर्मचारियों की लापरवाही के कारण नहीं हुआ ।

मेसर्स इतहाद मोटर ट्रांसपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड के अशंधारियों की बैठक

10162. श्री कार्तिक उरांव : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री मैसर्स इतहाद मोटर ट्रांसपोर्ट (प्राईवेट) लिमिटेड के अधिकारियों की बैठक के बारे में 5 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8518 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सहमत न होने वाले पक्षों के बीच हुए समझौते का ब्यौरा क्या है; और उसको कहां तक क्रियान्वित किया गया है;

(ख) किन किन प्रश्नों पर अभी समझौते को क्रियान्वित करना बाकी है ;

(ग) क्या यह सच है कि समझौते के आधार पर दो पृथक कम्पनियों की स्थापना हुई है और वे गत अनेक वर्षो से कार्य कर रही हैं ;

(घ) उच्च न्यायालय ने कम्पनियों के रजिस्ट्रार को कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी के विरुद्ध किन-किन बातों पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी; और

(ङ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि कम्पनियों का कार्य कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार चले, रजिस्ट्रार ने अन्य बातों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). मतभेद मुक्त पार्टियों के मध्य हुए समझौते की एक प्रति (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखी जाती है। **ग्रन्थालय में रखी गई** देखिये संख्या एल० टी० 3601/70) कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा कम्पनी की की गई जांच से यह सूचना प्राप्त होती है कि कम्पनी की याचिका (आपराधिक सी० ओ० सं० 53- डी० /1960), दिल्ली उच्च न्यायालय की प्रभाग बेंच के समक्ष अनिर्णीत है ।

(ग) कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली के अभिलेखों से यह पता नहीं चलता कि गत कितने वर्षों से दो भिन्न कम्पनियाँ चल रही हैं ।

(घ) उच्च न्यायालय के आदेश से कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली को, समझौते की शर्तों का अन्तिम निर्णय होने तक, बैठक न करने के लिये, कम्पनी के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने से रोक दिया है ।

(ङ) ऊपर वर्णित न्यायालय आदेश की दृष्टि से, तथा कम्पनी द्वारा 1960 से कोई लेखा प्रस्तुत न करने की दशा में, कम्पनी रजिस्ट्रार के लिये, कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के द्वारा पालन के प्रवर्तन के लिये, कोई कार्यवाही करने की छूट नहीं है ।

मैसर्स इतहाद मोटर ट्रांस्पोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड को हुई हानि

10163. **श्री कार्तिक उरांव :–क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री मैसर्स इतहाद मोटर ट्रांसपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड को हुई हानि के बारे में 5 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8519 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी ने 31 दिसम्बर, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष के बाद के वर्षों के सन्तुलन पत्र तैयार किये हैं ;

(ख) आनुसांगिक वर्षों में वर्षवार कम्पनी को लाभ/हानि की स्थिति क्या थी ;

(ग) उक्त वर्षों के संतुलन पत्र के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत न करने के लिये कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि याचिका के उच्च न्यायालय में विचाराधीन रहने के दौरान अशंधारियों की खून-पसीने की कमाई का दुर्विनियोजन न किया जाये?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : **(क) और (ख)** . कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली के कार्यालय के अभिलेखों से प्रदर्शित होता है कि मै० इतहाद मोटर ट्रांसपोर्ट (प्रा०) लि० ने अपना 31-12-59 की वर्ष समाप्ति का तुलन-पत्र प्रस्तुत किया था। यह पता नहीं है कि कम्पनी ने परवर्ती वर्षों के तुलन-पत्र तैयार किये हैं या नहीं व इसने लाभ कमाया अथवा कोई हानि उठाई ।

(ग) कम्पनी रजिस्ट्रार दिल्ली, उच्च न्यायालय के दिनांक 12-5-61 के आदेश की दृष्टि से, कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने में समर्थ नहीं है ।

(घ) कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न केवल तभी उत्पन्न हो सकता है जबकि नोटिस में कम्पनी की निधियों के अपाहरण से युक्त कोई सामग्री प्रस्तुत की जा सके । अभी तक न तो ऐसी कोई सामग्री दृष्टिगोचर हुई है और न उपलब्ध कराई गई है ।

Election Petition against Shri Mohan Lal Sukhadia

10164. SHRI KANWAR LAL GUPTA : Will the Minister of **Law and Social Walfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the persons and officers, against whom the Rajasthan High Court had levelled, serious charges in their judgement on the Election Petition filed against shri Mohan Lal Sukhadia, are still continuing on their respective posts and taking advantage of Government resource ;

(b) Whether these persons would be removed from their posts and proceeded against for the aforesaid irregularities ;

(c) the names of these officers and the details of the charges levelled against them ; and

(d) the date on which the Rajasthan High Court had levelled these charges and the reasons for which action has not so far been taken in respect of them ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRI M. YUNUS SALEEM) : (a) No such charges had been levelled by the High Court.

(b) to (d) : Do not arise.

मिदनापुर (पश्चिम) बंगाल जिले के कन्टाई सब-डिवीजन के तटीय क्षेत्रों में नमक बनाना

10165. श्री समर गुह : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिदनापुर जिले के कन्टाई सब-डिवीजन के तटीय क्षेत्रों में नमक बनाया जाता है और यदि हां, तो वार्षिक उत्पादन कितना है और क्या इसमें विस्तार की गुंजाइश है ;

(ख) क्या सरकार इस क्षेत्र में नमक उत्पादन के अग्रतर विकास के लिये कार्यवाही करेगी ;

(ग) क्या सरकार को नमक निर्माताओं से उनकी कठिनाईयों सम्बन्धी कोई अभ्यावेदन मिला है; और यदि हां, तो उन्हें दूर करने लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या इस क्षेत्र में बने नमक से कास्टिक एलकालस और सोडा एश के अनुपूरक उद्योगों के रूप में, निर्माण की गुंजाइश है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में ऐसे रासायनिक उद्योग की परियोजना आरम्भ करेगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मिदनापुर जिले के कन्टाई सब-डिवीजन के तटीय क्षेत्रों में करीब 17,000 मी० टन नमक प्रति वर्ष बनाया जाता है । इस क्षेत्र में नमक उत्पादन कार्य में और विस्तार करने की गुंजाइश है ।

(ख) पश्चिमी बंगाल सरकार ने समुद्री सतह के बाहर कन्टाई समुद्र तट पर करीब 2 हजार एकड़ जमीन नमक बनाने के लिये लीज पर दी है जिसके लिये नमक आयुक्त (साल्ट कमिश्नर) द्वारा लाइसेंस

भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा समुद्र तट पर ही नमक बनाने योग्य सरकार की अपनी करीब 7,500 एकड़ जमीन है। इस क्षेत्र को नमक उत्पादन के लिए विकसित करने के प्रश्न पर अभी राज्य सरकार को निर्णय करना है। इस क्षेत्र का उपयोग नमक बनाने के लिये किए जाने पर नमक आयुक्त लाइसेंस देने के प्रश्न पर विचार करेंगे ।

(ग) नमक उत्पादकों से कोई अभ्यावेदन नहीं प्राप्त हुआ है अतः सरकार द्वारा नमक उत्पादकों की किसी भी कठिनाई को दूर किये जाने के लिये आवश्यक कार्यवाही किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रत्येक राज्य में पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण और विकास

10166. श्री दे० अमात : श्री बाल्मीकी चौधरी : श्री पी० सी० अदिचन : श्री मणिभाई जे० पटेल : श्री देविन्दर सिहँ गार्चा : श्री जोगश्वर यादव :–

क्या **औद्योगिक विकास, अन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसा कि प्रधान मंत्री ने हाल ही में रायबरेली में घोषणा की थी, चौथी पंचवर्षीय योजना में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये प्राथमिकता दी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में ऐसे प्राथमिकता प्राप्त विकास प्रयोजना के लिये कौन-कौन से क्षेत्र निर्धारित किये गये हैं और वर्ष 1970–71 में इस कार्य हेतु प्रत्येक के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ग) वर्ष 1970–71 में इन क्षेत्रों के लिये, क्षेत्र-वार इस कार्य हेतु क्या तथा कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : प्रधान मंत्री ने 11 अप्रैल, 1970 को रायबरेली में एक सार्वजनिक सभा में भाषण दिया था। अपने भाषण के दौरान जो हिन्दी में दिया गया था, प्रधान मंत्री ने संतुलित क्षेत्रीय विकास के महत्व पर तथा पिछड़े क्षेत्रों में इस कार्य के लिये बिजली, पानी आदि की उचित सुविधाएं उपलब्ध करने की आवश्यकता का उल्लेख किया था। उन्होंने सामान्य रूप में यह भी बताया कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में भारत सरकार द्वारा क्या क्या प्रयत्न किए जा रहें हैं ।

विभिन्न राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए योजना अयोग द्वारा दो कार्यकारी दल स्थापित किये गये थे । एक पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण करने हेतु शर्तों को सिफारिश करने के लिये और दूसरा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग आरम्भ के लिये आर्थिक व वित्तीय प्रोत्साहनों के बारे में सिफारिश करने के लिए । पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग आरम्भ करने के लिए आर्थिक व वित्तीय प्रोत्साहनों संबंधी कार्यकारी दल ने अन्य बातों के साथ साथ कुछ चुने हुए क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु उद्योग-पतियों को आकर्षित करने के लिये नीचे लिखे आर्थिक प्रोत्साहन देने के बारे में सिफारिश की ;

(क) पिछड़े क्षेत्रों में स्थित उद्योगों को विकास संबंधी अधिक छूट देना।

(ख) विकास संबंधी छूट देने के बाद 5 वर्षों तक कार्पोरेट कर सहित आयकर से मुक्त करना ।

(ग) पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित करखानों द्वारा बाहर से मंगाए जाने वाले संयंत्र व मशीनों पुर्जों आदि पर आयात शुल्क के भुगतान से मुक्त करना,

(घ) 5 वर्षों तक उत्पादन शुल्कों से मुक्त करना ।

दोनों कार्यकारी दलों द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद सरकार ने यह निश्चय किया है जो नौं राज्य औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए माने गये है जैसे आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, जम्मू तथा कश्मीर, मध्य प्रदेश नागालैंड, उड़ीसा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के दो दो चुने हुए जिलों में तथा अन्य राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के एक-एक जिले में ऐसे नये कारखानों का, जिनमें प्रत्येक में 50 लाख रुपये से अधिक कुछ स्थिर पूंजी लगी हुई है उनके कुल स्थिर पूंजी विनियोजन का दसवां भाग सीधे अनुदान व आर्थिक सहायता के रूप में दे दिया जाए। 50 लाख रु० से अधिक स्थिर पूंजी विनियोजन वाले नए कारखानों की योजनाओं व परियोजनाओं पर उनके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जायेगा ।

उपर्युक्त निर्णय के अनुसरण में योजना आयोग ने दिनांक 10 दिसम्बर, 1969 को राज्य सरकारों को एक परिपत्र भेजा था कि वे अपने राज्यों के पिछड़े जिलों की एक सूची भेज दें। कुछ राज्य सरकारों व संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने सुझाव भेज दिए हैं जिन का विचार किया जा रहा है; अन्य राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों को स्मरण पत्र भेजा जा रहा है कि वे अपने सुझाव भेजने में शीघ्रता करें। इस स्थिति को देखते हुए इस अवस्था में उन जिलों के नाम बताना संभव नहीं है जो पिछड़े माने गए हैं। इस बीच पहले उल्लिखित नए कारखानों के कुल स्थिर पूंजी विनियोजन के दसवें भाग तक केन्द्र द्वारा सीधे अनुदान या आर्थिक सहायता दिए जाने के लिये वर्ष 1970–71 के लिये 50 लाख रु० की व्यवस्था की गई है।

सोडियम हाइड्रोसल्फाइट का आयात

10167. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान जे० के० केमिकल्स लिमिटेड द्वारा 30 मार्च, 1970 के फाइनेंशियल एक्सप्रैस में प्रकाशित विज्ञापन की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार देशी उद्योग को पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देने के बजाय सोडियम हाइड्रोसल्फाइट का आयात करना पसन्द करती है; और

(ग) यदि हां, तो यह नीति अपनाने के क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :- (क) जी, नहीं। मै० जे० के० केमिकल्स लि० का 30 मार्च, 1970 के फाइनेंशियल एक्सप्रैस में ऐसा कोई विज्ञापन नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Ceiling on Private Property.

10168. SHRI YASHWANT SINGH KUSHWAH : Will the Minister of **Law and social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have taken a decision to abolish or to control private property ; and

(b) if so, the details thereof ?

25LSS/70—5

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRI M. YUNUS SALEEM) : (a) No. sir.

(b) Does not arise.

बच्चों की भलाई के बारे में संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि प्रतिवेदन

10169. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**

श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

श्री वाल्मीकि चौधरी :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के कार्यकारी निदेशक श्री टेनरी आर० लेवोईस्क द्वारा निधि के कार्यकारी बोर्ड को शिशु कल्याण के बारे में दी गई रिपोर्ट की प्रति प्राप्त हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उपरोक्त कार्यकारी बोर्ड ने भारत के सम्बन्ध में कार्यक्रम विकास का इस बीच पुनरीक्षण किया है और धन का नये सिरे से नियतन किया है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी राशि का ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह :– (क) सरकार को संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के कार्यापालक निदेशक की सामान्य प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त हुई है ।

(ख) यह रिपोर्ट इन मामलों के बारे में है :––

(1) विकास में संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के कार्य की प्रगति के संदर्भ में प्रवत्तियाँ; बच्चों के लिये स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार नियोजन, स्कूल-पूर्व बच्चों, स्त्रियों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण, मलेरिया, पोषाहार, शिक्षा तथा व्यवसाय-पूर्व प्रशिक्षण, नवयुवकों, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, विकास क्षेत्रों में बच्चों की सेवाओं, इत्यादि के क्षेत्र में लम्बे समय के कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन;, आपात सहायता तथा शरणार्थी ;

(2) कार्य सम्बन्धी मामले ;

(3) संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की वित्तीय स्थिति ; तथा

(4) राष्ट्रीय समितियां, गैर-सरकारी संगठन, सार्वजनिक सूचना तथा बधाई कार्डों की बिक्री ।

(ग) और (घ) : संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के कार्य बोर्ड ने भारत के सम्बन्ध में कार्यक्रम की प्रगति का पुर्नविलोकन किया था परन्तु बोर्ड के 1970–सत्र द्वारा स्वीकृत नए आँवंटनों के बारे में सरकार को संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से अब तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है अलबत्ता, सरकार को प्राप्त हुई सूचना के अनुसार संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि के कार्यपालक निदेशक ने बोर्ड के 1970–सत्र को भारत में कार्यक्रमों के लिये 7.581 डालरों के आवंटन की सिफारिश की थी ।

ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे सुपर बाजार

10170. **श्री राम किशन गुप्त : क्या औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में 200 छोटे सुपर बाजार खोलने का प्रस्ताव किस अवस्थान में है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं की सप्लाई में वृद्धि करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम बनाने हेतु सरकार द्वारा स्थापित किए गये कार्यकारी दल ने यह सिफारिश की थी कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कृषि की दृष्टि से समद्ध लगभग 100 जिलों के चुने हुए ताल्लुका क्षेत्रों में लगभग 200 छोटे सुपर बाजार स्थापित किए जायें। और प्रथम वर्ष में 10 केन्द्र खोले जाएं। ये छोटे बाजर अंगपूंजी, श्रण व प्रबन्ध संबंधी आर्थिक सहायता से उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं द्वारा स्थापित किये जायेंगे। कार्यकारी दल ने यह सिफारिश की थी कि इस सम्पूर्ण योजना के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 2.10 करोड़ रु० की व्यवस्था की जानी चाहिये। यह योजना केन्द्र द्वारा संस्थापित क्षेत्र में होगी। सरकार ने इस सिफारिश पर विचार किया और यह अनुभव किया कि कार्यकारी दल ने जिस कार्य प्रणाली के आधार पर शुद्ध विभागीय कार्यक्रम की सिफारिश की है, उससे स्थिति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकेगी। आवश्यक यह था कि मण्डी के विकास के लिये एक वृहत कार्यक्रम बनाया जाता जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली आय का काफी प्रतिशत भाग उसमें खपाया जा सके। ऐसा कार्यक्रम छोटे-छोटे कई सुपर बाजार खोलने की बजाय खुदरा अभिकरणों का एक बहुत बड़ा जाल सा बिछाकर उनको बैंकों से पर्याप्त ऋण दिला कर पूरा किया जा सकता है। इस बड़ी समस्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उचित कार्यवाही करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

चण्डीगढ़ नगर के बाहर प्रस्तावित औद्योगिक बस्ती का नगर के विकास पर प्रभाव

10171. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चन्डीगढ़ प्रशासन ने पंजाब तथा हरियाणा सरकार को बताया है कि उनके द्वारा चंडीगढ़ के बाहर अपने अपने-क्षेत्रों में औद्योगिक बस्ती स्थापित करने के प्रस्ताव से चण्डीगढ़ के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और पंजाब की नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1953 का उल्लंघन होगा; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चण्डीगढ़ का औद्योगिक विकास

10172. **श्री श्रीचन्द गोयल** :—क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत पांच वर्षो से चण्डीगढ़ का औद्योगिक विकास बिल्कुल रुक गया है ;

(ख) चण्डीगढ़ में उद्योग स्थापित करने के लिये सरकार ने किस प्रकार के प्रोत्साहन देने की पेशकश की है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उद्योग स्थापित करने के लिये चण्डीगढ़ में कितने प्लाट नियत किये गये हैं और क्या सभी प्लाट अलाट कर दिये गये हैं ;

(घ) क्या अलाट किये गये सभी प्लाटों पर निर्माण-कार्य पूरा हो गया है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार चण्डीगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र बढ़ाने पर विचार कर रही है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में पूर्ण रूप से मद्य निषेध

10173. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन का विचार राजधानी में शीघ्र ही पूर्ण रुप से मद्य निषेध लागू करने का है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार के साथ विचार-विमर्श किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (ग) : दिल्ली प्रशासन ने, जिसका इस मामले से मुख्यतया सम्बन्ध है, सूचित किया है कि यदि सारे भारत में, अथवा उत्तरीय क्षेत्र के राज्यों में मद्यनिषेध लागू कर दिया जाए तो उसे दिल्ली में भी लागू किया जा सकता है। मद्यनिषेध को लागू करने का उत्तरदायित्व अलबत्ता सम्बन्धित राज्य सरकारों पर है।

संसद् सदस्यों को कारों का आवंटन

10174. श्री लोबो प्रभु : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में दिये इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुये कि संसद् सदस्य अपनी कारों को दो वर्ष बाद खरीदे गये मूल्यों से अधिक मूल्यों पर बेच सकते हैं, संसद् सदस्यों को कारों के आवंटन के मामले में प्राथमिकता देने के क्या कारण हैं

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : संसद सदस्यों को केन्द्रीय सरकार के कोटे में से इसलिये कारों का आंवटन किया जाता है जिससे कि वे कुशलतापूर्वक अपने संसदीय कार्यो को कर सकें। यद्यपि मोटर कार (वितरण तथा बिक्री) नियंत्रण आदेश, 1959 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति उसमें संसद् सदस्य भी शामिल हैं, अपनी नई कार खरीदने की तारीख से दो वर्षों की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् ही कार बेच सकता है, संसद सदस्य को तासमान्यतया केन्द्रीय सरकार के कोटे में से तब तक दूसरी कार आविन्टत नहीं की जाती है जब तक कि पहले खरीदी गई कार की तारीख से चार वर्षों की अवधि समाप्त नहीं हो जाती।

बिहार के क्योंझर तथा सिंहभूम जिले के बारबिल, बांसपानी तथा बडाजमदा क्षेत्र से बरसुआं अथवा रक्षी तक नई रेलवे लाइन

10175. श्री गु० च० नायक : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के क्योंझर तथा सिंहभूम जिले के बारबिल, बांसपानी, और बड़ाजमदा क्षेत्र में से बरसुआं अथवा रक्षी तक (बोंडामोंडा तथा बरसुओ लाइन) रेलवे लाइन बनाना सम्भव है; और

(ख) यदि हां, तो इस जौन को रूरकेला इस्पात कारखाने के साथ सीधे जोड़ने के कार्य में क्या बाधाएं हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). कोयरा घाटी और उससे आगे बांसपानी तक विस्तार योजना सहित तालचेरबिमलगढ़ रेल सम्पर्क सर्वेक्षण पहले से किये जा रहे हैं। सर्वेक्षण पूरे होने तथा उनके परिणाम सामने आने के बाद ही इस प्रयोजना पर आगे विचार किया जा सकेगा।

रूस को इस्पात का निर्यात

10176. **श्री बेणीशंकर शर्मा** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस के बीच आगामी तीन वर्षों के लिये भिलाई इस्पात कारखाने से 10 लाख टन इस्पात की सप्लाई के संबंध में कोई करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो प्रति टन मूल्य कितना तय हुआ है और क्या वह अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के अनुरूप है अथवा रियायती मूल्य होगा; और

(ग) यदि रियायती मूल्य है, तो कितनी प्रतिशत रियायत दी गई है और उसके क्या कारण हैं और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के संबंध में यह रियायत कुल कितने मूल्य की होगी ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) सोवियत संघ को अगले तीन वर्षों तक इस्पात सप्लाई करने के सबंध में कोई करार नहीं हुआ है। परन्तु कैलेन्डर वर्ष 1968, 1969 और 1970 में प्रतिवर्ष 600,000 टन बीम्स, चैनल्स और ऐंगल्स की बिक्री के लिये हिन्दुस्तान स्टील लि० और सोवियत संगठन प्रोपसिरिया इम्पोर्ट के बीच एक समझौता हुआ था।

(ख) मूल्य वाणिज्यिक आधार पर निश्चित किये गये थे और काला सागर की बन्दरगाहों से लागत बीमा और भाड़ा सहित मूल्य निम्नलिखित थे।

1968 –रुपये 660 प्रति टन

1969 –रुपये 685 प्रति टन (सेमी-किल्ड)
रुपये 730 प्रति टन (किल्ड).

1970–रुपये 113332 प्रति टन (सेमी-किल्ड)
रुपये 122332 प्रति टन (किल्ड)

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Issue of circulars, Instructional orders/Notifications/advertisements by Northern Railway Headquarters

10177. **SHRI OM PRAKASH TYAGI :** Will the Minister of *RAILWAYS* be pleased to state

(a) the total number of Circulars, Instructional Orders, Notifications and advertisements issued by the Headquarters of the Northern Railway during the year 1969 ; and

(b) the number of those out of them issued in English only and the number of those issued in both English and Hindi ?

THE MINISTER FOR RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) 2744.

(b) 1489 were issued in English only and 1215 in both English and Hindi.

Printing of Northern Railway Gazette in Hindi and English

10178. **SHRI OM PRAKASH TYAGI** : Will the Minister of *RAILWAYS* be pleased to state

(a) whether the entire Gazette of the Northern Railway is published both in Hindi and English ;

(b) if not, the reasons therefor, and

(c) the steps being taken to get it published in both languages ?

THE MINISTER FOR RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) to (c). Northern Railway Gazette is published in English but important matters requiring wide publicity amongst staff is published both in English and Hindi.

Hindi version of Station working rules on Northern Railway

10179. **SHRI OM PRAKAHS TYAGI** : Will the Minister of *RAILWAYS* be pleased to state:

(a) the date on which the work relating to Hindi rendering of the Station Working Rules was undertaken on Northern Railway ;

(b) the progress made so far in this regard ; and

(c) the time by which the said work is expected to be completed ?

THE MINISTER FOR RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) March, 1967.

(b) 27 Station Working Rules have been translated so far.

(c) The work is expected to be completed in about two years' time.

अखिल भारतीय निर्माता संघ द्वारा आर्थिक विकास के लिए सुझाव

10180. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
श्री सरदयाल देवगुण :
श्री जयसिंह :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय निर्माता संघ ने शीघ्र तथा व्यापक आर्थिक विकास के लिये तथा जिसमें सभी क्षेत्रों में तथा जनता के सभी वर्गों के लिये रोजगार की व्यवस्था हो, सात सूत्री नीति पर विचार करने की सरकार से सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). ऐसा समझा जाता है कि उल्लेख सम्भवत: आल इण्डिया मेन्युफेक्चरर्स आर्गेनाइजेशन के पिछले वार्षिक अधिवेशन में पारित प्रस्ताव की ओर है जिसमें रोजगार के अवसरों के त्वतरित विकास तथा रोजगारोंन्मुख आर्थिक विकास के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। उससे सम्बद्ध उद्धरण (अंग्रेजी उत्तर के साथ) संलगन है । औद्योगिक लाइसेंस नीति में हाल ही में किए गए परिवर्तन इस उद्देश्य से किये गये हैं कि अन्य वस्तुओं के साथ-साथ उद्यम का आधार विस्तृत किया जाये और उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रबन्ध नियन्त्रण को और सुनिश्चित किया जाये और आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण को रोका जाए ।

विवरण

रोज़गार अवसरों के शीघ्र प्रसारण के लिये जो योजना बनाई गई है उस का सम्बन्ध इन से है :—

(क) कृषि क्षेत्र का आधुनिकरण करने के लिए बागान उद्योग की तरह सफलतापूर्वक अनाजी तथा नकदी फसलों के लिए भी आधुनिक तकनीकी का प्रयोग कर, उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिये लम्बे कार्यक्रम बनाना ;

(ख) शहरी तथा देहाती क्षेत्रों के लिये बड़े पैमाने पर आवास कार्यक्रम बनाना ;

(ग) श्रम प्रेरणाक्षय सार्वजनिक कार्य यथा सड़कों को बनाना तथा उन की मुरम्मत, छोटे पत्तनों तथा छोटे सिंचाई नालों के निर्माण का कार्य करना, भूमि संरक्षण, बाढ़ नियन्त्रण, गांव विद्युतीकरण तथा पीने के पानी की सप्लाई व्यवस्था करना ;

(घ) सड़क परिवहन का विस्तृत विकास करना ;

(ङ) लघु तथा सहायक उद्योगों जिन में वर्कशापों की मुरम्मत, बिनौले में से तेल निकालना, मुर्गी उद्योग, मवेशी प्रजनन, फलोद्यान, सब्बजियों तथा फलों का संसाधन, तथा डिब्बा-बन्दी, मवेशों नाविकी तथा उद्यान से सम्बन्ध वस्तुओं का शीघ्र प्रसारण ;

(च) लोह्-अलोह्, खनिजिकी कागज़ तथा सीमेंट आदि जिन वस्तुओं का आजकल अभाव है, इन आधारभूत उद्योगों का तीव्रता से विकास करना ; और

(छ) विज्ञान पर आधारित उद्योगों तथा पैट्रो-रसायन, विझुतणु, प्लास्टक तथा वाद्य संगीत आदि का शीघ्र प्रसारण ।

उपरोक्त संकेतिक पद्धति के अनुसार व्यवसाय प्रधान आर्थिक-विकास के कार्यक्रम को गति प्रदान के लिये सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों में विस्तृत विक्षीय साधनों, उद्यम, तथा प्रबन्ध से सम्बन्ध योग्यताओं की आवश्यकता है । इसीलिये ए० आई० एम० ओ० ने सिफारिश की है कि :–

(1) वर्तमान साधनों को उचित संतुलित उपकरणों और कच्चे माल की सप्लाई कर उनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिये ताकि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में पूंजी जी पहले ही लगाई गई है उससे अधिकतम लाभ ही उठाया जा सके ।

(2) इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये केन्द्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों में अधिक पारस्परिक सहयोग होना चाहिये ।

(3) वह अपनी नीति का पुनः अभिस्थापन इस प्रकार कर रहे हैं :–

(क) उन सभी लोगों को जो बड़ी, मदमय या छोटी प्रकार के एककों द्वारा रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकते हैं, उन्हें ऐसे लाभदायक नागरिक समझना जिन्हें कि प्रोत्साहन तथा सहायता प्रदान की जा सके ;

(ख) मिली-जुली अर्थ-व्यवस्था के विचार को उद्योग तथा व्यापार, आन्तरिक तथा बाह्य सभी क्षेत्रों में बिना किसी आरक्षण के पनपने का पूर्ण अवसर प्रदान करना ताकि सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्र समान आधारों पर कार्य कर सकें । हां, इसमें केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर कुछ आरक्षण किया जा सकता है ।

(ग) हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ टकराने वाली जितनी भी ऐसी असंगतियां है जैसे उद्यमियों द्वारा कारखाने लगाने के लिये एकक के आकार आदि पर विचार कर लाईसेंस देना आदि सभी समाप्त की जानी चाहियें क्योंकि यह हमारे आर्थिक विकास के कार्यक्रम में बाधा डालती हैं ।

(घ) लघु उद्योगों और कृषि आधारिक उत्पादनों की योजनाओं को अधिक स्वतन्त्रता प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिये ।

(4) प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की पूर्ण शिक्षा को और विशेषता जूनियर तकनीकी स्कूलों की शिक्षा की मान्यता प्रदान की जानी चाहिये ताकि उन से कारीगर से लेकर वैज्ञानिक तक और तकनीकों से लेकर प्रबन्धकों तक के प्रशिक्षित लोग उपलब्ध हो सकें ।

अखिल भारतीय चर्म बोर्ड स्थापित करना

10181. श्री मंगलाथुमाडम : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री अखिल भारतीय चर्म बोर्ड की स्थापना के बारे में 14 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6340 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योग संस्था बोर्ड के प्रस्ताव के अनुसार एक चर्म बोर्ड स्थापित करने का अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है ;

(ख) इस प्रस्तावित चर्म बोर्ड के सदस्य कौन-कौन होंगे; और

(ग) क्या इस बोर्ड में केरल के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापर तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

राजस्थान में उद्योग स्थापित करने हेतु लाइसेंसों के लिये आवेदन-पत्र

10182. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में राजस्थान में उद्योग स्थापित करने हेतु लाइसेंसों के लिये केन्द्रीय सरकार को कितने आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये गये थे;

(ख) अब तक कितने आवेदन-पत्रों का निपटान किया गया है ;

(ग) शेष आवेदन-पत्रों के कब तक निपटाये जाने की आशा है ;

(घ) किस-किस प्रकार के उद्योगों के लिये लाइसेंस जारी किये गये हैं;

(ङ) क्या उन उद्योगों में उत्पादन आरम्भ हो गया है जिन्हें लाइसेंस जारी किये गये हैं; और

(च) इन उद्योगों को दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) स (ग). 1969 और 1970 (31 मार्च तक) राजस्थान में औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लाइसेंस हेतु कुल 34 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं और इनमें से 18 का निपटान हो गया है और शेष 16 अभी विचाराधीन हैं । इन अनिर्णीत 16 आवेदनों में से वर्ष 1969 के उत्तरार्द्ध में और 10 वर्ष 1970 में प्राप्त हुए थे और उनके भी शीघ्र निपटाये जाने की आशा है । इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक आवेदन की विस्तृत जांच विभिन्न पक्षों की दृष्टि में रख कर की जाती है । अतः इन के निपटान के बारे में कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं ।

(घ) और (ङ). निपटाये गये आवेदनों में से 1 को सूती तथा संश्लिष्ट तागे के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी किया गया था। चूंकि लाइसेंस 30 जनवरी, 1970 को ही जारी किया गया था अतः एकक द्वारा उत्पादन आरम्भ करने की आशा करना समयोजित नहीं होगा । लाइसेंस के अतिरिक्त चार 'आशय पत्र' जारी किये गये हैं और वे (1) पोलीथीन थैले। चादरें (2) शाट पीलिंग एण्ड शाट ब्लस्टिंग मशीन (3) यव्य दुग्ध तथा शिशु खाद्य से संबंधित है ।

(च) कताई की सहकारी मिलों को बुनकरों तथा कृषकों की कोटि में रखा जाता है। राजस्थान कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि० जिसे लाइसेंस जारी किया गया था, को कृषिकों की कोटि में रखा गया है। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा सहायता के ढंग के अनुसार कृषिक कताई मिलों को अपनी लागत पूंजी निम्न प्रकार जुटानी होती है :—

(1) 60 प्रतिशत लागत पूंजी औद्योगिक वित्त निगम से दीर्घ कालीन ऋण के रूप में।

(2) शेष 40 प्रतिशत लागत पूंजी अंश पूंजी के रूप में कृषिकों तथा राज्य सरकार द्वारा 1:2 के अनुपात में जुटानी होती है।

वित्तीय सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को स्पिनिंग मिल्स में उनके शत प्रतिशत अंश पूंजी के तुल्य दी जाती है। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उस मिल को जिसे लाइसेंस प्रदान किया गया है वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है और मामला विचाराधीन है।

केन्द्रीय इंजीनियरी तथा डिजायन ब्यूरो द्वारा रूस के साथ किया गया करार

10183. **श्री सूरज भान :**
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री शरदा नन्द :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय इंजीनियरी तथा डिजायन ब्यूरो द्वारा रूस के साथ किये गये करार का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस करार को पूरा करने के लिये कितने इंजीनियरों तथा अन्य रूसियों को बुलाना पड़ेगा और कितने समय के लिये;

(ग) इस करार के अन्तर्गत रूसियों तथा रूस सरकार को कितना धन दिया जायेगा;

(घ) पिछले एक वर्ष में केन्द्रीय इंजीनियरी तथा डिजाइन ब्यूरो द्वारा विदेशों के साथ किये गये सभी करारों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) उपरोक्त करारों के अन्तर्गत प्रत्येक सम्बन्धित देश को कितना धन दिया जायेगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). हिन्दुस्तान स्टील लि० ने अपने परामर्श स्कन्ध—केन्द्रीय इंजीनियरी और रूपांकन ब्यूरो को सशक्त बनाने के लिए रूस के मेसर्स ताज—प्रोमेक्सपोर्त्त के साथ एक करार किया है। करार कीं मुख्य-मुख्य बातें निम्न-लिखित हैं :—

(1) करार का उद्देश्य केन्द्रीय इंजीनियरी और रूपांकन ब्यूरो को, सर्वतोमुख इस्पात कारखानों का आयोजन तथा रूपांकन करने के योग्य बनाना है।

(2) करार की अवधि 5 वर्ष होगी। यदि आवश्यकता पड़ी तो दोनों पार्टियों की पारस्परिक सम्पत्ति से इसे और बढ़ाया जा सकता है।

(3) लोहा तथा इस्पात कारखानों के लिए आवश्यक मानक, मार्गदर्शी सामग्री तथा अन्य प्रलेख करार के लागू होने की तारीख से 12 माह के अन्दर सप्लाई कर दिए जाएंगे।

(4) रूसी विशेषज्ञ, केन्द्रीय इंजीनियरों और रूपांकन ब्यूरो में, 1500 श्रम-मास के लिए प्रतिनियुक्ति पर आएंगे, और केन्द्रीय इंजीनियरी और रूपांकन ब्यूरो द्वारा किये जाने वाले किसी भी प्रयोजना-कार्य अथवा नक्शे बनाने में परामर्श देंगे।

(5) इसी प्रकार भारतीय इंजीनियर भी रूस के मुख्य रूपांकन संस्थान 'गिप्रामेज' तथा दूसरे प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए 1500 श्रम-मास की अवधि के लिए भेजे जाएंगे।

(6) रूसी विशेषज्ञों को भुगतान, रूसी सहायता से लगाई गई अन्य प्रायोजनाओं के भुगतान के अनुसार किया जाएगा। मार्गदर्शी सामग्री मानकों और अन्य प्रलेखों के लिए लगभग 485 लाख रुपये दिये जायेंगे।

(घ) पिछले एक वर्ष की अवधि में हिन्दुस्तान स्टील लि० ने बाहर के किसी भी दूसरे देश से कोई और करार नहीं किया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कस्तूरबा नगर (सेवा नगर), नई दिल्ली में रेलवे क्वार्टरों के सामने नाला

10184. श्री० म० ला० सोंधी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कस्तूरबा नगर (सेवा नगर), नई दिल्ली में रेलवे क्वार्टरों के सामने खुला नाला स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ;

(ख) क्या सरकार ने रेलवे कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिये स्थानीय अधिकारियों को कोई अनुदेश जारी किये हैं ; और

(ग) क्या उपर्युक्त खतरे को ध्यान में रखते हुए कस्तूरबा नगर (सेवा नगर) के रेलवे क्वार्टरों में निरोधात्मक उपाय करने के लिये रेलवे प्रशासन ने विशेष धन-राशि नियत की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं, सिवाय इसके कि इसमें मच्छर पैदा होते हैं, विशेष रूप से बरसात के मौसम में।

(ख) और (ग). चूंकि यह नाला दिल्ली नगर निगम/नयी दिल्ली नगरपालिका के अधिकार-क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए रकम नियत करने और आवश्यक निवारक उपाय करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित नगर निगम/नगरपालिका प्राधिकारियों की है, जिन्हें रेलवे द्वारा इस मामले में पहले ही लिखा जा चुका है।

चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में रेलवे क्वार्टरों में सुधार

10185. श्री म० ला० सोंधी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में स्थित रेलवे क्वार्टरों में रहन-सहन की स्थिति में सुधार करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ;

(ख) क्या रेलवे कालोनी को रेलवे कर्मचारी परिवार कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) नयी दिल्ली चाणक्यपुरी में कोई रेलवे कालोनी नहीं है। लेकिन चाणक्यपुरी के पास सरोजनीनगर में रेलवे कालोनी है। स्नानघर, क्वार्टरों में फ्लश टाइप की टट्टियां और एक ब्लाक से दूसरे ब्लाक के लिए पहुंच-मार्ग जैसी बुनियादी सुविधाएं वहां उपलब्ध हैं और इन सुविधाओं का उचित रूप में अनुरक्षण भी किया जाता है।

(ख) और (ग). रेल कर्मचारी परिवार कल्याण योजना जैसी कोई योजना वहां नहीं है । लेकिन इस कालोनी में रेलवे ने मनोरंजन क्लब सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था कर रखी है ।

निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे क्वार्टरों में सुविधाएं

10186. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निजामुद्दीन **रेलवे** स्टेशन, नई दिल्ली के निकट रेलवे क्वार्टरों में रहने वाले रेलवे कर्मचारियों को वे मूल सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं जो अन्य स्थानों पर उपलब्ध हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे कालोनी में सफाई का स्तर गिर गया है ;

(ग) रेलवे बस्तियों में मूल सुविधायें बनाये रखने और उनमें सुधार करने के लिये क्या नियम तथा विनियम हैं ;और

(घ) निजामुद्दीन रेलवे कालोनी की सफाई के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों द्वारा उन नियमों तथा विनियमों का अनुसरण सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). इस आशय की हिदायतें मौजूद हैं कि निर्माण निरीक्षक प्रतिवर्ष नियमित रूप से क्वार्टरों सहित सभी इमारतों का निरीक्षण करें और मरम्मत के काम यथाशीघ्र पूरे किये जायें । कर्मचारियों के क्वार्टरों में छोटी-मोटी मरम्मत, सफेदी, रंगाई आदि सहित आवधिक मरम्मत का काम प्रति $2\frac{1}{2}$ वर्ष में एक बार किया जाता है लेकिन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों में यह काम प्रतिवर्ष किया जाता है । निर्माण निरीक्षकों और स्टेशन मास्टरों के कार्यलयों में कर्मचारियों द्वारा शिकायतें दर्ज करने के लिये 'छोटी मोटी मरम्मत पुस्तकें' रखी जाती हैं जिन्हें निर्माण निरीक्षक नियमित रूप से देखते हैं और उसके अनुसार कार्रवाई करते हैं ।

रेलवे बस्तियों में धन की उपलब्धता के अनुसार निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है । वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण भी किये जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बस्ती को अच्छी हालत में रखने के लिये उचित ध्यान दिया जा रहा है ।

भटिंडा रेलवे स्टेशन (उत्तरी रेलवे) के मुख्य पार्सल क्लर्क को पीटने के कारण रेलवे कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

10187. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ दिन पहले भटिन्डा **रेलवे** स्टेशन उत्तरी रेलवे के मुख्य पार्सल कलर्क को रेलवे पुलिस के सब-इंस्पैक्टर ने पीटा था तथा लातें मारी थीं ;

(ख) क्या उसके विरोध में रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल की थी ;

(ग) क्या इस सब-इंस्पैक्टर को निलम्बित अथवा स्थानान्तरित करने की मांग की गई है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 14/15-4-1970 की रात को सरकारी रेलवे पुलिस, भटिण्डा के एक हैड कांस्टेबल ने भटिण्डा के हैड पार्सल क्लर्क को मारा पीटा था ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सब-इंस्पैक्टर को निलम्बित अथवा स्थानान्तरित करने की कोई मांग नहीं है ।

(घ) रिपोर्ट मिली है कि इस घटना की विभागीय जांच करने का आदेश दिया गया है और यह जांच अभी हो रही है ।

चण्डीगढ़ में उद्योग स्थापित करने के लिए प्लाट

10188. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र चन्डीगढ़ में उद्योग स्थापित करने के लिये कितने प्लाटों का विकास किया गया है ;

(ख) उद्योग स्थापित करने के लिये पहले कितने प्लाटों को मंजूरी दी गई थी ;

(ग) औद्योगिक संस्थान स्थापित न किये जाने के कारण कितने प्लाटों को वापस ले लिया गया है ; और

(घ) कया उद्योग स्थापति करने के लिये अधिक प्लाटों की व्यवस्था करने की मांग की गई है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में इस्पात कारखाने लगाये जाना

10189. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनिर्यारिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब तथा हरियाणा राज्यों ने उनके राज्यों में इस्पात कारखाने स्थापित करने की मांग की है ;

(ख) क्या सरकार ने उन मामलों पर विचार किया है ; और

(ग) उन राज्यों में इन कारखानों को स्थापित करने की क्या संभावनायें हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पंजाब और हरियाणा राज्यों में सर्वत्तोमुखी इस्पात कारखाना लगाने की संभावना आशाजनक नहीं है । इस क्षेत्र में कच्चे लोहे का भंडार सीमित है और अपेक्षाकृत निम्न कोटि का है । इस क्षेत्र में धातु-कार्मिक कोयले के अभाव में कोयले को बिहार और पश्चिमी बंगाल से लाना पड़ेगा । परन्तु इन दोनों राज्यों में पुनर्वेलन उद्योग की पर्याप्त क्षमता होने के कारण इस क्षेत्र में बिलेट के उत्पादन के लिये रद्दी माल पर अधारित विद्युत भट्टियां लगाना, जिनमें लगातार ढ़लाई होगी, अधिक सुविधाजनक है । गैर सरकारी क्षेत्र से इस क्षेत्र में ऐसे कारखाने लगाने के प्रस्ताव हैं ।

Laying of four Railway lines on the bridge over Hindon river

10190. **SHRI MAHARAJ SINGH BHARATI :** Will the Minister of *RAILWAYS* be pleased to state :

(a) whether it is a fact that design has been prepared to have four Railway lines under the road over-bridge being constructed at Mohan Nagar between Delhi and Ghaziabad on the Northern Railway; and

(b) if so, the time by which the traffic position between Ghaziabad and Sahibabad would be improved by laying four Railway lines on the bridge over the Hindon river ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) The road over-bridge at Mohan Nagar between Delhi and Ghaziabad is designed to cater for 2 existing tracks and 3 further tracks.

(b) There is no scheme as yet to quadruple the section between Ghaziabad and Sahibabad.

Provision of shed at Platform No. 1 at Meerut Railway Station

10191. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that ever since Platform No. 1 at the Meerut Railway Station was extended and arrangements to supply water to the engine were made there, trains stop on the platform at a place where there is no shed and the passengers are thus exposed to the sun and the rain ; and

(b) if so, the time by which the shed would be provided there ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Since the extended portion of the platform is not covered, some of the trains with fewer bodgies, do stop beyond the platform cover.

(b) The work of extending the platform cover on platform No. 1 will be considered for inclusion in the future works programme in consultation with Railway Users Amenities Committee and subject to availability of funds.

मैसर्स हिन्द गैल्वेनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड

10192. **श्री जार्ज फरनेन्डोज** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री बैरल तथा ड्रम उद्योग के बारे में 24 नवम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 250 और मैसर्स हिंद गैल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के बारे में 7 अप्रैल, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 865 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग के निषिद्ध सूची में रहने की अवधि में इस फर्म की नई क्षमता को मान्यता देकर जब कि अच्छे माल की अत्यधिक कमी के कारण बहुत-सी क्षमता उर्पयुक्त पड़ी थी, सरकार ने उसके प्रति अनुचित पक्षपात नहीं दिखाया;

(ख) क्या प्रवक्लन समिति के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट नहीं है कि प्रति रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिये साक्ष्य को दृष्टि में रख कर, इस फर्म ने औद्योगिक विकास तथा विनियम अधिनियम, 1951 के उपबन्धों का उल्लंघन कर के कई गम्भीर अनियमितताएं की और प्रतिरक्षा विभागों को तेल के बैरलों की सप्लाई नहीं की ; और

(ग) यदि हां, तो इस फर्म के विरुद्ध कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं जबकि उसने केवल तथ्यों की गलत बयानी से ही नहीं अपितु सरकार की पूर्व अनुमति के बिना बैरलों का उत्पादन करके सरकार के कानून का भी उल्लघन करके रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया ?

ओद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं

(ख) और (ग). प्राक्कलन समिति ने अपनी 85 वीं रिपोर्ट में इस फर्म की क्षमता को मान्यता देने के साथ-साथ 40/45 गैलन के तेल के पीपों का निर्माण करने के बारे में कुछ विचार व्यक्त किये हैं और सिफारिशें की हैं। प्राक्कलन समिति को सरकार के विचार भेज दिये गये हैं। प्राक्कलन

समिति की आगामी सिफारिशों के बारे में सरकार को पता लग जाने के बाद ही कोई कार्रवाही की जायेगी ।

रूस द्वारा करार का उल्लंघन किये जाने के कारण माल डिब्बे बनाने वाले कारखानों को हानि

10193. **श्री सीताराम केसरी : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968–69 में देश में माल डिब्बे बनाने वाले कारखानों को बहुत हानि हुई थी ;

(ख) क्या इस प्रकार की हानि रूस द्वारा भारत से माल डिब्बे खरीदने वाले करार का उल्लंघन किया जाना था ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने माल डिब्बे बनाने वाले उद्योग को राहत देने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) माल के डिब्बे बनाने वाले कुछ एककों ने 1968–69 की अवधि में कुछ हानि होने की सूचना दी है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तेल बैरल निर्माताओं की लाइसेंस प्राप्त क्षमता

10194. **श्री सीताराम केसरी : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री तेल बैरल निर्माताओं की लाइसेंस क्षमता के बारे में 14 अप्रैल, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 1013 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969 में ड्रम तथा बैरल उद्योग में सभी कारखानों का मूल्यांकन करने से पूर्व सरकार ने इण्डस्ट्रियल कंटेनर्स लिमिटेड और स्टील कंटेनर्स लिमिटेड की क्षमताओं का मूल्यांकन नहीं किया था और क्या इस से यह नहीं पता चलता कि सरकार उनको उस समय तक उनकी लाइसेंस मुद्रा क्षमता के आधार पर कच्चे माल का नियतन कर रही थी; और

(ख) यदि हां, तो भारत बैरल एण्ड ड्रम मेनुफेक्चरिन्ग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को उनकी 27000 टन की लाइसेंस प्राप्त क्षमता के बनाये 18000 टन के आधार पर कच्चे माल का नियतन करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) इंडियन गैलवेनाईजिंग कम्पनी (1926) लि० बम्बई व कलकत्ता में प्रतिवर्ष क्रमशः 5860 टन तथा 6000 टन की उत्पादन-क्षमता सहित पीपों के निर्माण में लगी हुई थी । 1958 में जब यह कम्पनी बन्द हो गई तो मैसर्स स्टील कन्टेनर्स लि० और मैसर्स इंडस्ट्रियल कन्टेनर्स लि० नाम की नई कम्पनियाँ बम्बई व कलकत्ता में पीपों का उत्पादन कार्य चालू रखने के लिये बनायीं गयीं । मैसर्स बालमेर लारी एण्ड कं० ने इन दो स्थानों पर उत्पादन कार्य के लियें इन दोनों कम्पनियों की ओर से औद्योगिक लाइसेंसों के लिये आवेदन-पत्र दिए थे । तदनुसार मैसर्स स्टील कन्टेनर्स लि० तथा इंडस्ट्रियल कन्टेनर्स लि० को क्रमशः 5860 टन और 6000 टन की उतनी ही उत्पादन क्षमताओं के लिये लाइसेंस दिये गये और इन्हीं उत्पादन क्षमताओं के आधार पर बम्बई व कलकत्ता के नए कारखानों के लिये कच्चे

माल का आवंटन किया गया। 1963–64 में सामान्य अनुमान लगाने के बाद इन मात्राओं में परिवर्तन कर दिया गया। 1954 में मै० भारत बैरल एण्ड ड्रम्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी प्रा० लि० बम्बई को एक पारी के आधार पर प्रतिदिन 3600 इस्पाती पीपे बनाने के लिये व्यवसाय चालू रखने का लाइसेंस दिया गया। विस्तार के लिये उनके एक आवेदन-पत्र पर 1960 में उनको एक लाइसेंस दिया गया जिसमें प्रतिवर्ष कुल 27,800 टन की क्षमता का उल्लेख किया गया था। उनकी प्रार्थना पर 1961 में उसमें संशोधन कर दिया गया और छोटे ड्रमों व विटूमन ड्रमों के अलावा इस्पात के पीपों की प्रतिवर्ष 10,80,000 उत्पादन क्षमता निश्चित की गई। क्योंकि 1953 में वास्तविक समय तथा गति का अध्ययन करने पर एक पारी में उनकी कुल उत्पादन क्षमता 18,000 टन आंकी गई थी। अतः 1963–64 में दुबारा अनुमान लगाने तक कच्चे माल के आवंटन के लिये उस क्षमता को ही आधार माना गया।

ढोल निर्माताओं की ढोल निर्माण क्षमता के अन्यत्र स्थानान्तरण पर राज्य सरकारों की आपत्ति

10195. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री ढोल निर्माण उद्योग के बारे में 7 अप्रैल 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5395 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्तमान ढोल निर्माताओं की ढोल निर्माण क्षमता के तमिलनाडु राज्य में प्रस्तावित स्थानान्तरण के बारे में पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र के राज्य सरकारों के पत्रों की प्रतियां सभा पटल पर रखेगी और यह भी बतायेगी कि उन्होंने क्या आपत्ति की है ;

(ख) अतिरिक्त तथा नई क्षमताओं की अनुमति देने से पूर्व सरकार का विचार ड्रम तथा बैरल उद्योग में अप्रयुक्त पर्याप्त लाइसेंस शुदा क्षमता का किस प्रकार उपयोग करने का है ; और

(ग) ऐसे ढोल निर्माताओं के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है जिन्होंने उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम 1951 का उल्लंघन करके अनधिकृत रूप से अतिरिक्त तथा नई क्षमताएं बना ली हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :
(क) पश्चिमी बंगाल तथा महाराष्ट्र राज्य सरकारों से प्राप्त पत्रों की प्रतियां (अंग्रेजी उत्तर के साथ) सभा पटल पर रखी जा रही हैं।

[ग्रन्थालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 3602/70]

(ख) नियतन केवल आंकी गयी क्षमता से अनुरूप ही किया जाता है। बैरल निर्माताओं को इस्पात की चादरों के उस सीमा तक आयात की अनुमति देने के प्रयास किये जाते हैं, जहां तक कि देशीय उत्पादन तथा आयात दोनों को मिला कर बैरल उत्पादक अपनी आंकी हुई क्षमता तक काम कर सकें। अतिरिक्त तथा नई क्षमता का निर्माण तो चालू लाइसेंस नीति से विनियमित होगा।

(ग) प्राक्कलन समिति ने 30 अप्रैल, 1969 को प्रस्तुत किये अपने प्रतिवेदन में इस सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की थीं। सरकार के उत्तर प्राक्कलन समिति को भेज दिये गये हैं और आगे की कार्यवाही प्राक्लकन की अग्रेतर सिफारिशें प्राप्त होने पर ही की जायेगी।

भारी इंजीनियरी निगम लिमिटेड रांची में विदेशी विशेषज्ञ

10196. **श्री बेणीशंकर शर्मा : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी इंजीनियरी निगम लिमिटेड, रांची में कितने विदेशी विशेषज्ञ नियुक्त हैं, वे किस-किस देश के नागरिक हैं, प्रत्येक विशेषज्ञ किस किस्म का काम करता है, उन्हें कितना वेतन तथा अन्य परिलब्धियां दी जाती हैं ;

(ख) वे वहाँ कब से हैं और क्या उनके स्थान पर भारतीयों को नियुक्त करने का कोई प्रयत्न किया गया है ; और

(ग) उन्हें उनके वर्तमान पदों पर और आगे कब तक बनाये रखने का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

गोयनका फर्म-समूह के लेखों का निरीक्षण

10197. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री गोयनका फर्म समूह के लेखों के निरीक्षण के बारे में 2 दिसम्बर, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 343 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल कम्पनी लिमिटेड तथा पांच अन्य गोयनका कम्पनियों के सम्बन्ध में कम्पनी कानून बोर्ड के निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों पर समुचित रूप से विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लेने का निश्चय किया गया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीनअली अहमद) :

(क) हां, श्रीमान् ।

(ख) केन्द्रीय जांच विभाग ने, भारतीय दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) तथा 477 क (लेखा कूटकरण) के साथ पठित धारा 120 ख (आपराधिक षडयंत्र) के अन्तर्गत, श्री राम नाथ गोयनका तथा अन्यों के विरुद्ध एक मामला 14 फरवरी, 1970 को पंजीकृत किया है ।

रद्दी लोहे के मूल्य

10198. **श्री इन्द्रजीत गप्ता** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रद्दी लोहा के विक्रेताओं को इस समय अलाभप्रद कीमत पर अपना अधिकांश माल स्वदेशी भट्टियों को बेचने पर बाध्य किया जाता है ;

(ख) निर्यात मंडियों में उपलब्ध मूल्यों की तुलना में यह मूल्य कितना है ;

(ग) क्या सरकार को रद्दी लोहे के व्यापारियों से इस आशय पर कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि या तो स्वदेश में इसकी कीमत बढ़ाई जाए अथवा निर्यात का कोटा बढ़ाया जाए; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीजियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) रद्दी लोहे के मूल्य अथवा आवंटन पर कोई नियंत्रण नहीं है। परन्तु आयरन एण्ड स्टील स्क्रैप एसोसियेशन आफ इण्डिया और स्टील फर्नेस एसोसियेशन आफ इण्डिया ने आपस में एक समझौता किया है जिसके अन्तर्गत आयरन एन्ड स्टील स्क्रैप एसोसियेशन आफ इण्डिया के सदस्यों ने स्टील फर्नेस एसोसियेशन आफ इण्डिया के सदस्यों को निश्चित मूल्यों पर तीन किसमों का स्क्रैप सप्लाई करना मंजूर किया है। इस समझौते का प्रतिवर्ष नवीनकरण किया जाता है जब मूल्य में भी संशोधन किया जाता है।

(ख) समझौते के अनुसार वर्तमान कीमतें जनवरी-मार्च 1970 के निर्यात की वास्तविक आय से लगभग 70–80 रुपये प्रति टन कम है।

(ग) और (घ). 1 जनवरी, 1970 से समझौते में तय मूल्य 15 प्रतिशत बढ़ा दिये गये थे। रद्दी लोहे के व्यापारियों ने और बढ़ोत्तरी की मांग की है। इस पर विचार किया जा रहा है।

राज्यों के लघु उद्योग निगम के माध्यम से लोहे तथा इस्पात का लघु उद्योग एककों में वितरण

10199. **श्री एस० कुण्डू : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु उद्योग एककों को आवंटित लोहे और इस्पात की कमी वाली किस्मों को संबंधित राज्यों के लघु उद्योग निगमों के माध्यम से वितरित किया जाता है ;

(ख) राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल निगमों द्वारा अपने अपने राज्यों में ऐसे कमी वाली मदों की सप्लाई पर कितना उपान्त लाभ लिया जाता है ;

(ग) क्या सरकार अपने इस उपान्त लाभ को बहुत अधिक समझती है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे निगमों के साथ उपान्त लाभ को कम से कम करने तथा लघु उद्योगों के मालिकों को अधिक ली गई राशि लौटाने के संबंध में बातचीत करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां। जहां कहीं भी ऐसे निगम हैं, और राज्य सरकारें उनकी मार्फत माल लेना चाहती है।

(ख)से(ग). राज्य स्तर पर लघु उद्योग निगमों की स्थापना राज्य सरकारें करती हैं। इसलिए इन मामलों का संबंध सम्बन्धित राज्य सरकारों से है। जहां लघु उद्योग एककों के आर्डर इस्पात कारखानों के पास पड़े हुये हैं, वे चाहें तो अपना माल निगमों की मार्फत न लेकर सीधा ले सकते हैं।

लघु उद्योगों को लोहे तथा इस्पात का वितरण

10200. **श्री स० कुण्डू** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोहे तथा इस्पात के नियंत्रक अथवा संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा लघु उद्योंगों को वितरित की जाने वाली लोहे की चादर जैसी दुर्लभ कोटि की वस्तुओं को वितरण करने की क्या प्रणाली है ;

(ख) क्या लघु उद्योंगो को उनके पिछले कार्य-निष्पादन के आधार पर ही दुर्लभ कोटि का लौह तथा इस्पात के बारे में सिफारिश अथवा उनका नियतन करने के बारे में राज्य उद्योग निदेशालय को कोई अनुदेश है ;

(ग) क्या पिछले कार्य निष्पादन का रिकार्ड प्राप्त करने का कभी प्रयास किया गया है; और क्या मशीनों की अधिस्थापित क्षमता के आधार पर इन की जांच की जाती है;

(घ) क्या अनेक प्रभावशाली एकक तथाकथित पिछले कार्य निष्पादन के आधार पर दुर्लभ कोटि का सामान भारी मात्रा में प्राप्त कर लेते हैं जबकि ऐसे एककों के पास मशीनें नहीं होती और वे अपना सामान खुले बाजार में बेचते हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है और यदि हां, तो कब की और इसका क्या परिणाम निकला; और यदि नहीं तो क्या सरकार का विचार इस मामले में कोई जांच करने का है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सामान्य विनियंत्रण अर्थात 1 मई 1967 के पश्चात विभिन्न कोटाधारियों को जिनमें विकास-आयुक्त, लघु उद्योग, भी शामिल है, दुर्लभ किस्म के इस्पात का आवंटन संयुक्त समिति करती है। विकास-आयुक्त, लघु उद्योग, आगे विभिन्न राज्यों के उद्योग निदेशकों को इस्पात का आवंटन करता है।

(ख) से (ङ). राज्यों के उद्योग निदेशकों को चाहिए कि विभिन्न इकाइयों को इस्पात का आवंटन करते समय सभी बातों का समाधान करलें।

औद्योगिक लाइसेंस नीति में परिवर्तन

10201. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

प्रो० हजारी के प्रतिवेदन तथा संसद् की प्राक्कलन समिति की सिफारिशों कोान ध्य में रख कर औद्योगिक लाइसेंस देने के तरीकों तथा तत्सम्बन्धी प्रक्रिया में कोई परिवर्तन किया गया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : औद्योगिक लाइसेंस संबंधी प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट तथा औद्योगिक आयोजन तथा लाइसेंस नीति के बारे में प्रो० आर० के० हजारी की रिपोर्ट में की गई सिफारिशें मुख्यतः औद्योगिक लाइसेंस नीति संबंधी मामलों के बारे में थीं। प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर सरकार ने जो कार्यवाही की है वह प्राक्कलन समिति की 79वीं रिपोर्ट में निहित है जो कि उसके सभापति द्वारा लोक-सभा में प्रस्तुत की जा चुकी है। प्रो० हजारी की रिपोर्ट पर संसद् में बहस की गई थी। इस चर्चा के परिणाम-स्वरूप सरकार ने 1956 से 1966 तक की अवधि में औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति स्थापित करने का निश्चय किया। औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति ने जुलाई, 1969 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा सरकार ने उसकी सिफारिशों के साथ ही प्रशासनिक सुधार आयोग ने योजना आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के उपरान्त औद्योगिक लाइसेंस नीति में कुछ परिवर्तनों की घोषणा की है। इन परिवर्तनों के बारे में जारी की गई प्रेस विज्ञप्तियों व अधिसूचनाओं को सभा के समक्ष रखा जा चुका है।

पश्चिम जर्मनी द्वारा भारत में मशीनी पुर्जों का निर्माण

10202. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी ने जर्मनी की मशीनों में लगे बदलने योग्य पुर्जों को भारत में बनाने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो पेशकश का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तुग़लकाबाद उत्तरी रेलवे में नए रेल इंजन घर (लोको शेड) में काम चालू होना

10203. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तुग़लकाबाद में नये रेल इंजन घर में काम चालू हो गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह उस तीन प्रक्रम वाली परियोजना का पहला क्रम है जिसका 1967 में सूत्रपात किया गया था;

(ग) इस प्रक्रम पर कुल कितनी लागत आई है;

(घ) शेष दो प्रक्रमों का कार्यक्रम क्या है तथा उन्हें कब कहां आरम्भ किया जायेगा और उन पर लगभग कितनी लागत आयेगी; और

(ङ) यह सम्पूर्ण कार्यक्रम कब तक पूरा होगा ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) इस चरण की कुल लागत 41.45 लाख रुपये है।

(घ) चरण II का निर्माण कार्य फरवरी, 1970 में उसी स्थान पर प्रारम्भ हुआ जहां चरण I का हुआ था और यह काम अक्तूबर, 1970 में पूरा हो जाने की संभावना है। चरण III का निर्माण कार्य भी उसी स्थान पर अप्रैल, 1970 में प्रारम्भ हुआ और मार्च, 1971 तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है। चरण II की अनुमानित लागत 7.1 लाख रु० और चरण III की 38.8 लाख रुपया है।

(ङ) मार्च, 1971 तक इसके पूरा होने की संभावना है।

झांसी के निकट भूसे से लदी माल गाड़ी का जलकर नष्ट हो जाना

10204. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 अप्रैल, 1970 को झांसी के निकट कालपी में भूसे से लदी एक माल गाड़ी के, जिसे कानपुर जाना था, तेरह डिब्बे जलकर नष्ट हो गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है और कितनी हानि होने का अनुमान है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) : जी, हां।

(ख) 22-4-1970 को लगभग 12.20 बजे, जब नं० 753 डाउन ट्रांशिप माल गाड़ी मध्य रेलवे के आटा और कालपी स्टेशनों के बीच जा रही थी तो इंजन से 19वें से 31वें नम्बर पर लगे 13 माल डिब्बों में आग लगी दिखायी दी। इन डिब्बों में भूसा लदा था।

रेल सम्पत्ति को कोई हानि नहीं हुई। भूसे के परेषण की हानि की लागत लगभग 4,711 रु० आंकी गयी है।

मध्य प्रदेश में औद्योगिक बस्तियों का कार्यकरण

10205. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में स्थापित औद्योगिक बस्तियां अच्छा काम कर रही हैं और क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ख) मध्य प्रदेश सरकार से सूचना मांगी गई है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

नई दिल्ली रेलवे स्टशन पर प्लेटफार्म के गेट

10206. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कितने प्लेटफार्म द्वार है;

(ख) इस स्टेशन से आने-जाने वाले यात्रियों की सप्ताह में औसत संख्या कितनी है;

(ग) उक्त स्टेशन पर प्रत्येक पारी में कितने गेट टिकट क्लकटर नियुक्त किए गए हैं;

(घ) दिन भर कितने द्वार और अत्यधिक भीड़-भाड़ के समय कितने द्वार खुले रहते हैं; और

(ङ) इस स्टेशन पर भीड़-भाड़ को कम करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) : छः।

(ख) 20,500 यात्री और 6,000 प्लेटफार्म टिकट वाले इस स्टेशन के प्लेट फार्मफाटकों से गुजरते हैं ।

(ग) तीन टिकट क्लकटर सुबह की पारी में (6 बजे से 14 बजे तक), 3 टिकट क्लकटर शाम की पारी में (14 बजे से 22 बजे तक) और 2 टिकट क्लकटर रात की पारी में (22 बजे से 6 बजे तक) ।

(घ) तीन फाटक 6 बजे से 22 बजे तक और 2 फाटक 22 बजे से 6 बजे तक लगातार खुले रहते हैं । भारी भीड़-भाड़ की अवधियों में, आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त फाटक खोल दिये जाते हैं ।

(ङ) इस स्टेशन पर एक और द्वीप प्लेटफार्म तथा एक ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था करने का एक प्रस्ताव उत्तर रलवे के विचाराधीन है ।

मध्य प्रदेश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित उद्योग

10207. **श्री गं० च० दीक्षित**: क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई उद्योग है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक उद्योग में कितनी प्रगति हुई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख): अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Improper Utilization of Loans given to J. B. Oil Mill Sitapur (U.P.)

10208. Shri Sharda Nand : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the amount of loan given to the J. B. Oil Mill, Sitapur (Uttar Pradesh) by the Central Government as well as by the State Government, separately, since the issue of the license to that Company;

(b) the rate of interest charged on the aforesaid loan and the number of years after which the said Company utilised the aforesaid amount of loans; and

(c) whether it is a fact that the aforesaid Company invested the said loans in some other business for a number of years and thereby earned profit to the tune of lakhs of rupees and, if so, the action proposed to be taken by Government against the aforesaid Company?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (c). M/s J. B. Oil Mill, Sitapur, Uttar Pradesh is not a Company registered under the Companies Act, 1956. Hence, the particulars, sought are not available in the Department of Company Affairs. It has been ascertained however that no loan was granted to the concern by the Central Government.

दक्षिण के अपाहिज तथा विकलांग लोगों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना

10209. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण राज्यों में अपाहिजों तथा विकलांगों के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह राष्ट्रीय केन्द्र इस बीच स्थापित कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री [डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह] :(क) से (ग). अपंग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना के हेतु चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था कर दी गई हैं। प्रस्तावित केन्द्र की रुप रेखा का सुझाव देने के लिए नियुक्त की गई समिति की रिपोर्ट के प्राप्त होने पर केन्द्र के स्थान के बारे में निर्णय किया जाएगा ।

Investment in Diesel Locomotive Works, Varanasi

10210. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total capital invested in Diesel Locomotive Works, Varanasi,

(b) the total profit earned or loss sustained by the Diesel Locomotive Works and the figures pertaining to last year in this regard;

(c) in case it has sustained loss, the reasons therefor; and

(d) the steps being taken to streamline its working ?

The Minister for Railways (Shri Nanda): (a) The total capital invested in Diesel Locomotive Works to end of 1968-69 is Rs. 39 ·68 crores.

(b) The Diesel Locomotive Works being a departmental production unit, works on a 'No profit no loss' basis. The locos produced there are allotted to the Indian Railways on a price fixed with reference to the actual cost of production or the landed cost so that there is no question of any profit or loss.

(c) Does not arise.

(d) Incentive working has been introduced and is being progressively increased in order to improve productivity and to maximise output from existing resources.

Transportation of Agricultural Products by Railways in Bhind and Morena Districts (Madhya Pradesh)

10211. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the additional quantity of agricultural products estimated to be transported by the Railways during the Fourth Plan period in Bhind and Morena Districts of the Gwalior Division in Madhya Pradesh, as a result of setting up of a sugar factory in Morena and after electricity becomes available from the Chambal project; and

(b) the additional steps the Railway Administration proposes to take to meet the situation?

The Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) and (b). A sugar factory is under construction near Kailaras Station on the Gwalior-Sheopurkalan Narrow Gauge Section of Central Railway. The Factory is likely to go into production from 1971-72 sugar season and it is anticipated that about 1000 wagon loads (Narrow Gauge) of sugarcane would require to be moved by rail during the crushing season every year. About 200 Broad Gauge Tanks of molasses would also move from Gwalior.

Necessary action is being taken to meet the rail transport requirements of this Factory.

Posting of a Class I Officer for the Railway Office at Gwalior

10212. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the head of the Railway Office located at Gwalior used to be an Officer belonging to Class I Service;

(b) whether it is also a fact that the above post has been reduced in rank and the work pertaining to that has been entrusted to an Officer of another section belonging to some Class II or Class III Service in addition to his own duties; and

(c) if so, the reasons for doing so and the extent by which efficiency would be adversely affected thereby ?

The Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) to (c). The Junior Scale/Class II post of Area Superintendent at Gwalior has been transferred to Bina from 1-4-1970, to meet the requirements of an Officer at Bina. Efficiency will not be affected as a result of the transfer of the post as adequate arrangements have been made to look after the work at Gwalior.

Laying of Broad Gauge line Near Platform No. 2 at Gwalior

10213. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that trains bound for Delhi or Bhopal from the Gwalior Railway Station are very often detained at stations preceding the Gwalior Station because these trains cannot be given 'line clear' signal at the Gwalior Station due to inadequacy of Platforms there;

(b) whether it is also a fact that trains very often get late due to the aforesaid fact; and

(c) whether Government propose to lay a broad gauge line on one side of platform No. 2 at Gwalior Station to abviate the inconvenience caused to the Railway Department and the passengers there ?

The Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) to (b). No.

(c) Yes. There is a proposal for providing an additional line along Platform No. 2 in connection with remodelling of Gwalior passenger yard as a result of doubling of Gwalior-Rairu section.

Demonstration by the Indian Railway Loco Mechanical Staff Association and Loco Workers

10214. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on behalf of the Indian Railway Loco Mechanical Staff Association, the Loco workers had staged a demonstration before the Office of the Divisional Superintendent, Northern Railway on the 23rd April, 1970;

(b) whether it is also a fact that the workers had also submitted a memorandum to the Divisional Superintendent;

(c) if so, the details thereof;

(d) whether Government have since examined the said memorandum; and

(e) if so, the details of the complaints which have since been removed by the Railway Administration and the reasons for not removing the remaining ones ?

The Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) Certain loco mechanical and fitting staff of Delhi Division had led a deputation to the Divisional Superintendent on 23-4-70 and there was no demonstration as stated.

(b) Yes, Sir.

(c) to (e). Two statements, one indicating the details of the grievances mentioned in the memorandum and the other indicating the action taken by the Railway Administration are laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—3603/70]

Setting up of Paper Factory at Siwan District Saran (Bihar)

10215. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Bihar Government propose to establish a paper factory in the co-operative sector at Siwan in District Saran, Bihar;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the State Government have asked for any type of assistance from the Central Government also for this purpose;

(d) if so, the details thereof; and

(e) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) The Govt. of India have not received any such proposal so far.

(b) to (e). Do not arise.

Meeting of Congress Railwaymen's Union at Railway Institute, Danapur

10216. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a meeting of the Railway workers had been held on the 18th April, 1970 in the Railway Institute in Danapur (Khagol) under the auspices of the Congress Railwaymen's Union which is affiliated to the I.N.T.U.C.;

(b) whether it is also a fact that a Congress Labour Leader was present at the aid meeting;

(c) if so, whether something untoward had also taken place at the said meeting;

(d) whether it is also a fact that the leaders of the Indian Railway Loco Mechanical Staff Association and some other Loco employees were beaten with *lathis*; and

(e) if so, the propriety thereof and the action proposed to be taken by Government against the guilty persons ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (e). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचे हुए पर्यवेक्षी

10217. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यवेक्षी कर्मचारियों को, जोकि अपने वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंच चुके हैं, कुछ राहत दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में विलम्ब के कारण क्या हैं; और

(ग) इस मामले को कब तक अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). जी, हां। पर्यवेक्षक कर्मचारियों सहित रेलों के ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों को, जो दो वर्ष या इससे अधिक समय तक अपने वेतनमान के अधिकतम पर रुके हुए हैं, या रुक जायेंगे, वैयक्तिक वेतन के रूप में राहत देने के लिए आदेश जारी कर दिये गये हैं।

हिमाचल प्रदेश में रेज़िन और टरपैन्टाईन कारखाने की स्थापना

10218. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास, निगम ने, जोकि औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर कार्य कर रहा है, हिमाचल प्रदेश में रेज़िन एवं टरपैन्टाईन कारखाने का डिज़ाइन तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कुल कितनी राशि व्यय की जाएगी; और

(ग) यह कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) हिमाचल प्रदेश सरकार (वन विभाग) के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० द्वारा एक बीरोजा (रोजिन) तथा तारपीन के तेल का (टरपैन्टाइन), संयंत्र या डिज़ाइन तैयार किया गया था तथा चलाया गया था। इस मामले में निगम ने औद्योगिक एंव वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रयोग शालाओं के साथ मिल करकार्य नहीं किया। इसी प्रकार के संयंत्रों में उपलब्ध प्रचलित ज्ञान पर तकनीक आधारित थी तथा वह संयंत्र पूर्णतः देशी डिज़ाइन वाद था : सभी मशीनें तथा उपकरण भीदेश के अन्दर से ही लिए गये थे।

(ख) अनुमानतः 36 लाख रूपये।

(ग) विलासपुर (हिमाचल प्रदेश)।

लघु क्षेत्र के ढलाई खानों में तापसह इंटों की कमी को पूरा करने के लिए उष्मसह (रिफरेक्टरी) उद्योग का विकास

10219. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूरे ढलवें लोहे (ग्रे आयरन कास्टिगं और) के ढलाई खानों को साइड आर्क के प्रकार की टैपर्ड तापसह इंटों को जिनका व्यपोला लाइनिंग के लिए सामान्य रूप से प्रयोग होता है, प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस्पात उत्पादन के विस्तार के लिए बड़े-बड़े परिव्यय की स्वीकृति तथा ग्रे आयरन ढलाई खानों के लाइसेंस देते समय उष्मसह उद्योग (रिफरेक्टरी) के विकास पर उचित कारण देगी; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रूस की सहायता से नई धातुकमर्क डिज़ाइन संस्था की स्थापना

10220. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ की सहायता से नई धातुक कर्म डिज़ाइन संस्था स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनिरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बटलर लैदर (शू) फैक्टरी मुजफ्फरपुर (बिहार) में उत्पादन

10221. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि बिहार में मुजफ्फरपुर के बटलर लैदर (शू) फैक्टरी में पिछले तीन वर्षों से उत्पादन गिर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या विशेष कारण हैं और इस उद्योग का विकास करने के लिये सरकार ने उसे उपरोक्त अवधि में कितनी वितीय सहायता तथा ऋण दिया; और

(ग) यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों में बटलर लैदर फैक्टरी का वार्षिक उत्पादन कितना था और इस कारखाने को इस अवधि में कितना लाभ हुआ ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सरकार को इस बात का पता नही है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में 'बटलर लैदर (शू) फैक्ट्री के नाम व ढंग की कोई फैक्ट्री है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

आन्तरिक व्यापार में वस्तु विनियम प्रणाली

10222. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में अभी भी कुछ आन्तरिक व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो कौन-सा व्यापार किया जाता है और किन क्षेत्रों में किया जाता है तथा उन व्यापारों में विनिमय साधन की वस्तुएं कौन सी हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). देश में किस सीमा तक विनिमय सिद्धान्त के अनुसार आन्तरिक व्यापार किया गया है इसके सरकार ने कोई आंकड़े नहीं तैयार किये हैं। इस प्रकार के आंकड़े तैयार करने में बहुत अधिक समय और धन का व्यय हो सकता है तथा उसके अनुपात में कोई लाभप्रद परिणाम निकलने की कोई आशा भी नहीं है।

भिखारियों के लिए दिल्ली तथा अन्य शहरों से बाहर अलग बस्तियों स्थापित करने का प्रस्ताव

10223. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सभी भिखारियों को दिल्ली तथा भारत के अन्य शहरों से बाहर ले जाने तथा उन्हें इन शहरों के बाहर अलग बस्तियों में बसाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

विधि तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री [डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह] : (क) से (ग). भिक्षावृत्ति मुख्य रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है, जिनके इस समस्या के साथ निपटने के अपने कानून हैं। दिल्ली प्रशासन के पास ऐसी कोई योजना नहीं है। सरकार को अन्य नगरों के सम्बन्ध में भी ऐसी योजना का पता नहीं है।

समस्तीपुर (क्षेत्र) प्रयोक्ता समिति की बैठकों के निर्णयों की क्रियान्विति

10224. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रयोक्ता समिति की बैठकों में संसद् सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा पेश किये गये प्रस्तावों पर कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में समस्तीपुर (क्षेत्र) प्रयोक्ता समिति की बैठकों में किये गये निर्णयों पर क्या कार्यवाहीं की गई है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) संसद् सदस्यों और रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समितियों के अन्य सदस्यों द्वारा दिए गये सभी सुझावों की जांच की जाती है और उन पर औचित्य के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ख) समस्तीपुर (क्षेत्रीय) उपयोगकर्त्ता समिति नाम की कोई समिति नहीं है,

(ग) लेकिन पूर्वोत्तर रेलवे पर मण्डल प्रणाली शुरू किये जाने के फलस्वरूप 1-1-1970 से समस्तीपुर मण्डल के लिये एक मण्डल रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति का गठन किया गया है। इस समिति की बैठक 28-3-1970 को हुई थी। इस बैठक में जो सुझाव दिये गये और उन पर जो कार्रवाई की गई या करने का विचार है, उनका ब्यौरा सभा-पटल पर रखा जा रहा है। (ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये संख्या एल० टी० 3604/70**)।

दिल्ली के ओखला तथा नजफगढ़ रोड क्षेत्र में औद्योगिक एकक

10225. **श्री बलराज मधोक** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओखला औद्योगिक बस्ती तथा नजफगढ़ रोड पर वर्गवार कितने औद्योगिक एकक हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में उनकी संख्या में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या यह सच है कि इन औद्योगिक एककों के औद्योगिक उत्पादन में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है;

(घ) क्या यह सच है कि दिल्ली के आसपास इस क्षेत्र में मध्यम श्रेणी तथा बड़े उद्योगों की स्थापना से इन लघु एककों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि ओखला तथा नज़फगढ़ रोड पर स्थित लघु औद्योगिक एककों को बड़े एककों से प्रतियोगिता करनी पड़े तथा इसके फलस्वरूप उनकी प्रगति में बाधा न पड़े ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) दिल्ली प्रशासन के उद्योग विभाग ने वर्ष 1969 में औद्योगिक एककों की जो गणना की थी उसके अनुसार ओखला औद्योगिक बस्ती में 132 औद्योगिक एकक और नज़फगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में 498 एकक थे ।

(ख) ओखला औद्योगिक बस्ती में कारखानों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई । सम्पूर्ण दिल्ली में औद्योगिक एककों की संख्या में वर्ष 1965 से लेकर 1969 तक 8 प्रतिशत वार्षिक की औसत दर से वृद्धि हुई ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में लघु औद्योगिक एककों को ताम्बे तथा अलौह धातुओं का कोटा पुनः देना

10226. **श्री बलराज मधोक** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवायकार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के लघु औद्योगिक एककों के ताम्बे और अन्य अलौह धातुओं के कोटे में 1965 के भारत-पाकिस्तान के युद्ध के पश्चात् कमी कर दी गई थी अथवा वह बिल्कुल वन्द कर लिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि तभी से दिल्ली में लघु औद्योगिक एककों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस आधारभूत कच्चे माल के सीधे कोटे के न मिलने से उन्हें ये माल बड़े आयातकर्त्ताओं और कोटाधारियों से चोर बाजारी से लेना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार दिल्ली के लघु औद्योगिक एककों को ताम्बे और अन्य अलौह धातुओं के कोटे में सुधार करने के लिए शीघ्र ही कार्यावाही करेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ङ) जी, हां ।

(ख) और (घ) 1966-67 में आयात नीति को उदार बनाया गया था जिसके अन्तर्गत अलौह धातुओं के आयात के लिए लघु उद्योगों को आयात लाइसेंस दिये गये थे। प्राथमिकताप्राप्त उद्योगों के मामले में, उन्हें अपेक्षित मांग को पूर्णरूप से पूरा करने हेतु अलौह धातुओं की पर्याप्त सप्लाई करने के बारे में विशेष रूप से वचन दिया था ।

पूर्व रेलवे की गोमोह से बरवाडीह जाने वाली सवारी गाड़ी में प्रकाश और पंखों का न होना

10227. श्री राम किशन गुप्त : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 21 अप्रैल, 1970 को आई० जी० वी० सवारी गाड़ी के डिब्बों में जिनमें प्रथम श्रेणी के डिब्बे भी सम्मिलित हैं गोमोह और बरवाडीह स्टेशनों के बीच न प्रकाश था और न पंखे चल रहे थे; और

(ख) यदि हां, तो सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी, हां। संभवतया माननीय सदस्य, 21-4-1970 को गोमोह से चलने वाली आई० जी० वी० यात्री गाड़ी के डिब्बे संख्या एफ० सी० टी० 1562 में प्रकाश तथा पंखे न चलने के बारे में दर्ज कराई हुई अपनी शिकायत का हवाला दे रहे हैं ।

(ख) इस शिकायत के बारे में जांच की गयी और यह पता चला है कि समाज विरोधी तत्वों द्वारा उपकरणों की चोरी की जाने के कारण प्रकाश तथा पंखों का अभाव हुआ ।

Improvement of Road Leading to Goods Shed, Gangapur City (Western Railway)

10228. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the road leading to the Goods Shed of Gangapur City Station on the Western Railway through which all the goods are transported by trucks and bullock-carts has got steep ascent and dangerous turn;

(b) whether it is also a fact that the bullock-carts met with accidents there on several occasions due to the said ascent and turns of the road;

(c) if so, the action Government proposes to take to make improvements in the said road; and

(d) in case no action is proposed to be taken, the reasons therefor?

The Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) No.

(b) No.

(c) & (d). Do not arise.

Industrial Survey of Rajasthan

10229. Shri Meetha Lal Meena: Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the details of industrial survey conducted recently in the various Districts of Rajasthan, District-wise;

(b) whether it is a fact that Government have also conducted a survey in regard to the prospects of setting up a Vanaspati Ghee Factory in Gangapur City, District Swai Madhopur, Rajasthan;

(c) if so, the details of the report of the survey conducted there; and

(d) if not, the reasons therefor and whether such a survey is proposed to be conducted there in future ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) and (d). The assessment of the potentialities for industrial development of a State or areas therein is undertaken by the State Government concerned through suitalbe agencies, as considered necessary for the purpose. At the instance of the Rajasthan Government, the Small Scale Industries Organisation has conducted surveys and prepared reports on the industrial potentialities of the following districts of that State :

1. Pali 2. Bharatpur 3. Nagpur 4. Bhilwara 5. Alwar 6. Ganganagar 7. Sikar 8. Udaipur 9. Banswara 10. Jhunjhunu 11. Jhalawar 12. Churu, and 13. Bikaner.

These surveys were conducted to identify the small scale industries which could be developed/ expanded in the area depending on the availability of natural and human resources.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Setting up of New Colonies for Rehabilitation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Rajasthan

10230. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the number and location of new colonies proposed to be built in Rajasthan during the Fourth Five Year Plan for the rehabilitation of the persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(b) if there is no such proposal, the reasons therefor;

(c) whether it is a fact that a colony for the Meena Community in Village Bisona, under the Lalsot Panchayat Samiti in District Jaipur, Rajasthan, has remained half built for several years;

(d) if so, the reasons therefor; and

(e) the time by which it is likely to be completed?

The Minister of State in the Department of Law and Social Welfare [Dr. (Smt.) Phulrenu Guha] : (a) and (b). The Government of Rajasthan have no proposal to construct colonies exclusively for Scheduled Castes and Scheduled Tribes as it will be a retrograde step and would encourage segregation.

(c) to (e). The State Government did not undertake construction of any colony for a particular community. However, an amount of Rs. 19,250 was sanctioned during 1960-61 to 1962-63 to the Lalsot Panchayat Samiti for the construction of houses and a water tank. This amount was not meant for any particular village and the said Panchayat had the discretion to spend it in any village of its choice.

Nomination of Members of Parliament to Divisional Consultative Committees on Western Railway

10231. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that numbers of the Divisional Consultative Committees on the Western Railway have been selected from amongst the Members of Parliament and nominated to the Committees;

(b) if so, the criteria adopted in this regard as also the factors taken into account at the time of nomination;

(c) whether it is also a fact that some Members of Parliament are not nominated on the Divisional Committees falling under their respective Constituencies even after repeated requests made by them; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) The constitution of the Divisional Railway Users' Consultative Committees provides, amongst others, nomination of two Members of Parliament on each Committee. The nominations are made on the recommendations of the Ministry

of Parliamentary Affairs. The nomination of M.Ps. on the Divisional Railway Users' Users' Consultative Committees of the Western Railway has been made accordingly.

(b) Appointment on Governmental Committees including the Divisional Railway Users' Constultative Committees, are made on the basis of the aptitude, interest, past experi ence, etc. of Members. The fact whether or not the Member is serving on any Financial Committee or has already served on the same Committee for one term is also taken into consideration. In the case of Divisional Railway Committees the nearness of the constituencies of the Members is also kept in view.

(c) No such request has been received in the Ministry of Parliamentary Affairs for the last two years, *i.e.*, during 1969 and 1970 (up to date).

(d) Does not arise.

Facilities at Cremation Grounds at Gangapur City (Western Railway)

10232. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no proper and specified place for cremating the dead of the Railway employees of the Western Railway at Gangapur City, who number about 10,000 to 15,000;

(b) whether it is also a fact that during rainy days, in the absence of a shed, considerable inconvenience is caused to the employees who assemble at the place which is being used by them temporarily for cremation purposes;

(c) whether it is further a fact that no water tap has been provided there for taking bath etc. after performing the last rities of the dead;

(d) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard; and

(e) if no action is proposed to be taken, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No cremation ground has been provided by the Railway, but the Railway staff make use of the cremation ground in the town, which is quite convenient and has been provided with all reasonable facilities.

(b) to (e). Do not arise.

कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन

10233. श्री रवि राय : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवायकार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1,115 कम्पनियों और उनके अधिकारियों के विरुद्ध 1 अप्रैल से 30 सितम्बर, 1969 तक कम्पनी अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिये सरकार ने 2,464 मामलों पर मुकदमा चलाया था; और

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों और अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध मुकदमें चलाये गये थे तथा उनके विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

खादी ग्रामोद्योग आयोग में गांधी विचारधारा के बारे में अनुसंधान अध्ययन करने का प्रस्ताव

10234. श्री रवि राय : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों, विद्वानों और अनुसंधान संस्थानों को गांधी विचारधारा के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक पहलुओं पर अनुसंधानात्मक अध्ययन करने का निवेदन करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह सच है कि इस मामले पर आयोग का मार्गदर्शन करने तथा उसे सलाह देने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्ति की गई थी; और

(ग) विशेषज्ञ समिति के सदस्य कौन-कौन हैं तथा इस सम्बन्ध में अब तक कितना कार्य हुआ है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) विशेषज्ञ समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं :

1. श्री पी० बी० गजेन्द्रगड़कर .	अध्यक्ष
2. प्रो० एम० एल० दन्तवाला	सदस्य
3. डा० एम० एन० श्रीनिवास .	सदस्य
4. श्री राम लाल पारिख	सदस्य
5. श्री मनुभाई पंचौली	सदस्य
6. प्रो० सुगाता दास गुप्ता	सदस्य
7. श्री बी० टी० आचार्य	सचिव .

कमेटी की दो बैठकें, बम्बई में और एक दिल्ली में हुई। प्रथम बैठक में ऐसे अर्थशास्त्रियों तथा समाजशास्त्रियों की सूची को अन्तिम रूप दिया जिन्हें गांधी विचारधारा के महत्वपूर्ण पक्षों जो कि गांधी के सिद्धांतों अथवा आधुनिक युग में तथा आगामी दस वर्षों में इन सिद्धांतों की बौद्धिक परीक्षा तथा मूल्यांकन के लिए निमंत्रित किया जाना है। समिति ने अध्ययन की दिशाओं तथा क्षेत्रों के संबंध में एक व्यवहार लेख तैयार करने का निश्चय किया। समिति ने (क) वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों को शोध लेखों के लिए मानदेश की अदायगी, विश्वविद्यालयों (क) विशिष्ट अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से उन छात्रों तथा शिक्षकों को शिक्षा वृत्ति का दिया जाना जो कि पी० एच० डी० करना चाहते हों, (ख) विश्वविद्यालयों द्वारा प्रकाशन निकालने की योजना और (ग) विश्वविद्यालयों तथा विशिष्ट अनुसंधान संस्थाओं द्वारा शिक्षा वृत्ति की स्थापना की प्रक्रिया आदि पर भी विचार किया।

दिल्ली में हुई दूसरी बैठक में समिति ने आधुनिक युग के संदर्भ में गांधी विचारधारा के महत्व पर गोष्ठी का आयोजन, करने की संभावनाओं, शोध लेखों के प्रकाशन के अधिकार व्यवहार लेख तथा समाजशास्त्रियों के लिए आधारभूत लेख तैयार करना तथा प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक प्रकोष्ठ की स्थापना करना जिससे विश्वविद्यालय के विचारकों और क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं में संपर्क स्थापित हो, इन प्रस्तावों पर विचार किया।

तीसरी बैठक में समिति ने अनुसंधान कार्यक्रम की प्रगति की संवीक्षा की और बम्बई विश्वविद्यालय से एक प्रकोष्ठ की स्थापना का अनुरोध करने का निश्चय किया जोकि गांधी शताब्दी के उपलक्ष में देश-विदेश में हुई संगोष्ठियों में रखे गये लेखों का संकलन करे ताकि उनमें से महत्वपूर्ण लेखों को संपादित तथा प्रकाशित किया जाये। प्रकोष्ठ आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालयों को गांधी विचारधारा पर शिक्षकों तथा छात्रों को शिक्षा वृत्ति प्रयोजित करने में भी सहयता करेगा।

पंजाब में उद्योगों के लिए बिजली की सप्लाई की कमी

10235. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के उद्योग बिजली की कम सप्लाई के कारण परेशान हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कमी के कारण विदेशों को दिये गये वचनों में भारी कटौती करनी पड़ेगी;

(ग) यदि हां, क्या सरकार ने इस बात का अनुमान लगाया है कि कितनी कमी है और यह कमी किस प्रकार की है अर्थात् स्थायी अथवा अस्थायी है; और

(घ) यदि यह कमी स्थायी है तो केन्द्रीय सरकार ने पंजाब में उद्योगों की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए तथा राज्य सरकार की सहायता करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राजस्थान के लघु उद्योगों को बिजली की अपर्याप्त सप्लाई

10236. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के उद्योगों की बिजली की पर्याप्त सप्लाई नहीं हो रही है जिसके कारण वहां औद्योगिक प्रगति रुक गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुल कमी का हिसाब लगाया गया है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस कमी को पूरा करने में राज्य सरकार की सहायता के लिये क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवायकार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कलकत्ता के निकट मुफस्सिल रेलवे स्टेशन का राजस्व

10237. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुफस्सिल रेलवे स्टेशन, जो कलकत्ता से 20 मील की अर्धव्यास के अन्तर्गत है, के राजस्व में पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होने के पश्चात से राष्ट्रपति शासन से एक वर्ष पहले के आंकड़ों की तुलना में कुछ सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो दोनों अवधियों के राजस्व आंकड़े क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी, हां।

(ख) कलकत्ता से 20 मील की परिधि के भीतर स्थित मुफस्सिल स्टेशनों की आमदनी 21-3-1970 से 30-4-1970 तक की अवधि में लगभग 4,36,32,000 रुपये रही जबकि 21-3-1996 से 30-4-1969 तक की अवधि में 3,85,05,000 रुपये थी।

(ग) सुधार के इस रुख को देख कर सरकार को प्रसन्नता है।

मैसर्स एन्टेन्टे (पी०) लि० का विदेशी प्रकाशकों के साथ सहयोग

10238. स० च० सामन्त : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन्टेन्टे (पी०) लि०, 3012 हरध्यान सिंह रोड, नई दिल्ली को विदेशी प्रकाशकों के साथ सहयोग करने की अनुमति दी गई है, और

(ख) इस एन्टेन्टे (पी०) लि० के निदेशक और अभियोजक कौन हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सरकार ने अभी तक मैसर्स एन्टेन्टे (पी०) लि० से, उसके किसी विदेशी प्रकाशन गृह के साथ सहायता समझौता करने के किसी प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है ।

(ख) सर्वश्री बाबू राजेन्द्र प्रसाद भास्कर तथा पी० के० मौनी, इस कम्पनी के प्रवर्तक एवं निदेशक हैं ।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा जनरेटरों की सप्लाई न किये जाने के बारे में महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री द्वारा उल्लेख

10239. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 अप्रैल, 1970 के "फाइनैन्शल टाइम्स" में "स्टेट प्लान्स टु टैकल डीज़ल आयल इंजन गल्ट" शीर्षक के अन्तर्गत छपी रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री द्वारा विधान सभा में दिये गये इस वक्तव्य की ओर भी दिलाया गया है कि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स ने क्रयादेश देने के पांच वर्ष बाद भी कुछ जैनेरेटरों की सप्लाई नहीं की; और

(ग) क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी और इस मामले में की गई विलम्ब के कारणों का पता लगायेगी और उसका इस प्रकार के विलम्ब को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). 30 मेगावाट टर्वाइन जनरेटर के दो सैट पार्ली थरमल पावर स्टेशन को हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल द्वारा दिये जाने हैं । न कि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, नई दिल्ली द्वारा । फैक्ट्री स्थापना स्थल पर हो रहे काम और भोपाल में हुई मशीन उत्पादन की प्रगति के आधार पर जनवरी, 1970 में महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों तथा हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि० के इंजीनियरों की एक संयुक्त बैठक भोपाल में हुई थी जिसके परिणामस्वरूप निर्माण का ऐसा कार्यक्रम तैयार किया गया है कि पहले टर्वाइन पर जून, 1970 से कार्य प्रारम्भ हो सके। टर्वाइन अब स्थापना स्थल पर भेजा जा रहा है। इस प्रकार का जैनेरेटर अप्रैल, 1970 में भेजा गया था। दूसरे टर्वाइन की दिसम्बर, 1970 तक तथा जेनेरेटर की उससे पूर्व ही भेजे जाने की आशा है। यद्यपि प्रेषण में विलम्ब हुआ है लेकिन इससे साइट पर हो रहे कार्य में शिथिलता नहीं आने पाई है। हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि० में हुए विलम्ब का कारण निम्नलिखित है :

(1) 'हैवी इलैक्ट्रिकल्स (भोपाल) का टर्वाइन कर्मशाला उत्पादन के लिए केवल जुलाई, 1968 में तैयार हो सकी क्योंकि कुछ औजारों तथा मशीनी यंत्रों की पूर्ति विलम्ब से की गई ।

(2) पार्ली टर्बाइन हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि० द्वारा बनाया गया पहला टर्बाइन है जिस पर उच्च श्रेणी का सूक्ष्म कार्य किया जा रहा है। विदेशी सहयोगियों से जानकारी प्राप्त करने में कुछ अड़चने भी आई। जिन्हें अब समाप्त कर दिया गया है।

पूर्वोत्तर रेलवे की समस्तीपुर, दरभंगा और सकरी की ओर के फाटकों पर उपरी पुलों का निर्माण

10240. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारियों ने पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर के उत्तर पूर्व, और दरभंगा तथा जंकशनों के उत्तर की ओर की लाईनों के पहले सड़क फाटक पर उपरो पुल के निर्माण करने के प्रस्तावों की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और उस पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस मामले की जांच की जायेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). वर्तमान व्यस्त समपारों के स्थान पर ऊपरी पुल/लाइन के नीचे से मार्ग रेल प्रशासन बनाते हैं बशर्ते यह योजना राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित की जाय और साथ ही वह लागत में अपने हिस्से का खर्च वहन करने का भी वचन दे। मौटेतौर पर, नये प्रचलित नियमों के अनुसार 24 फुट चौड़ी सड़क वाले ऊपरी पुल/लाइन के नीचे से सड़क-मार्ग और उसके पहुंचमार्गों (पहुंच-मार्गों के लिए जमीन की लागत शामिल नहीं है) की लागत का 50 प्रतिशत रेल प्रशासन वहन करते हैं। शेष 50 प्रतिशत और पहुंच-मार्गों के लिए अपेक्षित जमीन की खरीद की लागत सड़क प्राधिकरण को वहन करनी होती है।

राज्य सरकार ने अबतक समस्तीपुर स्टेशन के केवल पश्चिमी सिरे पर ऊपरी सड़क पुल बनाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव भेजा है और यह योजना अभी तक जांच-पड़ताल की प्रारम्भिक अवस्था में है। इस काम को 1971-72 के रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किये जाने की सम्भावना है, बशर्ते स्थान के सम्बन्ध में राज्य सरकार अन्तिम निर्णय कर ले और वह पहुंचमार्गों का काम प्रारम्भ करने का कार्यक्रम बनाले जिसे उन्हें साथ-साथ ही करना है। दरभंगा और सकरी में समपार के स्थान पर ऊपरी पुल बनाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अभी कार्रवाई नहीं की गयी है।

भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड रांची के मुसलमान कर्मचारियों का पुनःस्थापन

10241. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड (रांची के मुसलमान कर्मचारियों को पुनःस्थापित) करने का कार्य अब तक पूरा हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) शुरूआत कर दी गई है और 61 मुस्लिम कर्मचारी अपने क्वाटरों में, जो उन्हें दिये गये थे, चले गये हैं। फिर से बसाने का काम धीरे परन्तु नियमित रूप से चल रहा है। मामला नाजुक है जिसमें बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है और इसलिए स्वभावतः इसके पूर्ण रूप से सुलझने में कुछ समय लगेगा।

Recovery of Live Bombs between Habra and Ashoknagar Road on Railway Line (Eastern Railway)

10242. Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 25th April, 1970 two highly explosives live bombs were found on the Railway line between Habra and Ashoknagar Road Railway Stations on the Sealdah Section of the Eastern Railway;

(b) whether it is also a fact that a major accident was averted due to the vigilance of the Gangmen; and

(c) if so, the action Government propose to take to intensify the patrolling for the safety of the railway line ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) (a) Yes; two bombs were detected—one lying between the railway track and the other by the side of the track. These are now under examination of the Explosives Inspector.

(b) No.

(c) This appears to be a case of surreptitious disposal of illicit bombs, etc. for which the Police are now conducting searches in West Bengal. On this particular incident, the CRP/ Bongaon have registered a case which is under investigation.

उत्तर रेलवे के लाइन मैनों की एसोसिएशन का मंत्री महोदय के निवास-स्थान पर प्रदर्शन

10243. श्री यशपाल सिंह : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के लाइन मैनों की एसोसिएशन ने पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में मंत्री महोदय के निवास-स्थान पर धरना दिया हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनकी मांगों को मानने में क्या कठिनाइयां हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). सरकार को ऐसे किसी धरने की जानकारी नहीं है। सवाल नहीं उठता ।

दफ्तर जाने वालों की कठिनाइयां दूर करने के लिए दिल्ली-सफदरजंग और दिल्ली-किशनगंज सेक्शन के कार्य में सुधार

10244. श्री यशपाल सिंह : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय ने दिल्ली-सफदरजंग दिल्ली-किशनगंज रेलवे लाइन के कार्यकरण का अध्ययन कर लिया है जो मुख्यतः दफ्तर जाने वालों के लिए चलाई जा रही है;

(ख) क्या रेल-गाड़ियों के समय में सामंजस्य बिठाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिससे कि काम पर जाने वाले तथा वहां से लौटने वाले यात्रियों को कठिनाई न हो;

(ग) क्या दिल्ली-सफदरजंग से नई दिल्ली स्टेशन पहुंचने तक रेलगाड़ी को लगभग 80 मिनट लगते हैं; और

(घ) उपर्युक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए मंत्री महोदय का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी, हां ।

(ख) 2 डी० एन० एस० सफदरजंग-दिल्ली-किशनगंज सवारी गाड़ी को सफदरजंग से कुछ समय बाद छोड़ने की व्यवस्था के लिए अतीत में एक अभ्यावेदन मिला था ।

(ग) सवारी गाड़ियों के चालन समय में 60 से 90 मिनट तक का अन्तर रहता है। अधिक समय का कारण यह है कि कुछ गाड़ियों के अगले भाग में इंजन जोड़ कर चलाने की बजाय इंजन को गाड़ी के पिछले भाग की तरफ रखकर चलाना पड़ता है जिसे प्रति घंटा 35 किलोमीटर चलने की बजाय उनकी रफ्तार 27 किलोमीटर हो जाती है। इसका कारण यह है कि सफदरजंग स्टेशन पर इंजन घुमाने की सुविधाएं नहीं हैं। इसके अलावा यह गाड़ी 7 स्टेशनों पर रुकती है जिसके कारण इसकी चाल को घटाने-बढ़ाने में भी 25 मिनट लगते हैं। नयी लाइन पर इंजीनियरी के काम के कारण, समय-समय पर लागू इंजीनियरिंग प्रतिबन्धों के कारण विभिन्न गाड़ियों के लिए 15 से 30 मिनट की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार 15 किलोमीटर दूरी का चालन समय केवल 25/30 मिनट है।

(घ) 2-4-1970 से 2 डी० एन० एस० सवारी गाड़ी के छूटने के समय में परिवर्तन किया गया है ताकि यह गाड़ी सदफरजंग स्टेशन से 15 मिनट देर से छूट सके। मौजूदा रेल-पथ और कर्षण की स्थितियों को को देखते हुए इन गाड़ियों का वर्तमान चालन समय न्यूनतम है।

एसोसियेटेड होटल्स ऑफ इंडिया लि०, शिमला

10245. श्री जुगल मंडल : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवायकार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला के एसोसिएटिड होटल्स आफ इंडिया लि० ने गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष में किसी लाभांश की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह पता है कि यह होटल अपनी आस्तियों के मूल्यों में वृद्धि करके जनता से धन ले रहा है; और

(ग) रुपया जमा कराने वालों की स्थिति को सुरक्षित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इण्डिया लि० का कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांक 9-9-1968 के आदेश द्वारा 31-3-1968 को ईस्ट इण्डिया होटल्स लि० के साथ विलय हो गया था। कम्पनी को 30 जून, 1966 तथा 30 जून 1967 को वर्ष समाप्ति के मुद्रित तुलन-पत्रों से, ऐसा प्रतीत होता है कि साधारण हिस्सों को बावत क्रमशः 2 लाख रु० तथा 3 लाख रुपये, के लाभांष, क्रमशः 30 मार्च, 1967 तथा 30 मार्च, 1968 को अनुसूची वृद्ध वार्षिक साधारण बैठकों में औपचारिक रूप से घोषित करने की व्यवस्था की थी।

(ख) सरकार को यह ज्ञात नहीं है कि इस कम्पनी ने अपनी परिसम्पत्तियों के स्फीती के द्वारा, जनता से धन प्राप्त किया है।

(ग) कम्पनी ने स्वयं, कम्पनी अधिनियम की धारा 391 तथा 393 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय को प्रार्थना पत्र दिया था।

Booking and reservation facilities at Railway Stations on North Eastern Railway

10246. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway Stations/Junctions on the North Eastern Railway, where no reservation facilities have been provided;

(b) the number and names of those Railway Stations where booking and reservation are not done from one window; and

(c) the number and names of those Stations/Junctions where booking and reservation are done from one window ?

The Minister for Railways (Shri Nanda): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Booking and reservation facilities at Railway Stations on Southern Railway

10247. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway Stations/Junctions on the Southern Railway, where no reservation facilities have been provided ;

(b) the number and names of those Railway Stations where booking and reservation are not done from one window; and

(c) the number and names of those Stations/Junctions where booking and reservation are done from one window ?

The Minister of Railways (Shri Nanda): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Booking and reservation facilities at Railway Stations on Western Railway

10248. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway Stations/Junctions on the Western Railway, where no reservation facilities have been provided ;

(b) the number and names of those Railway Stations where booking and reservation are not done from one window; and

(c) the number and names of those Stations/Junctions where booking and reservation are done from one window ?

The Minister of Railways (Shri Nanda): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Booking and reservation facilities at Railway Stations on Northern Railway

10249. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway Stations/Junctions on the Northern Railway, where no reservation facilities have been provided;

(b) the number and names of those Railway Stations where booking and reservation are not done from one window; and

(c) the number and names of these Stations/Junctions where booking and reservation are done from one window ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Booking and reservation facilities at Railway Station on Central Railway

10250. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway Stations/Junctions on the Central Railway, where no reservation facilities have been provided;

(b) the number and names of those Railway Stations where booking and reservation are not done from one window; and

(c) the number and names of these Stations/Junctions where booking and reservation are done from one window ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

फिल्म कम्पनियों की अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी

10251. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रीमियर फिल्म कारपोरेशन लिमिटेड, मैसूर सराठी स्टूडियों (पी०) लि० हैदराबाद और गोल्डन सिने स्टूडियो (पी०) लिमिटेड, मद्रास की स्थापना के समय तथा 31 मार्च, 1970 को अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी कितनी थी, और निर्देशक बोर्ड के सदस्यों के नाम तथा पते क्या हैं।

(ख) क्या प्रबन्ध निदेशक तथा उसके पुत्र को कम्पनी की धन राशि का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में अपराधी पाया गया था तथा इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ; और

(घ) उपयुक्त कम्पनियों और उनकी सहयोगी कम्पनियों के निदेशकों की कुल आस्तियां क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). प्रश्न में तीन फिल्म कम्पनियों की बावत, इच्छित सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है।

विवरण

1. प्रीमियम फिल्म कारपोरेशन लि० मैसूर

(क) मै० प्रीमियर फिल्म कारपोरेशन लि० मैसूर, इसके निगमन के समय, अर्थात 11-12-1963 को अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी क्रमश: 5 लाख रु० तथा 80,000 रु० थी। कम्पनी के 31 दिसम्बर, 1967 के नवीनतम तुलन-पत्र के अनुसार, यह आंकड़े इसी प्रकार 5 लाख तथा 3,63,000 रु० दिखाये गये हैं।

कम्पनी का 31 दिसम्बर, 1968 व 1969 के वर्ष समाप्ति के वार्षिक लेखे अभी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

मै० प्रीमियर फिल्म कारपोरेशन लि० के दो निदेशक हैं। उनके नाम तथा पते नीचे दिये गये हैं :—

निदेशकों के नाम	पते
1. श्री एम० एन० राजेश्वर	368/1 न्यू सैयाजी राव रोड, मैसूर।
2. श्रीमती एम० एन० शाराडे	चितरंजन महल, माल्मल रोड, मैसूर।

(ख) तथा (ग). सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) उनकी हिस्सेधारिता के रूप में, इस कम्पनी में निदेशकों की कुल परिसम्पत्तियां, 10 रु० प्रति हिस्से के हिसाब के 4,260 हिस्से हैं।

2. सराठी स्टुडियोज प्रा० लि०, मैसूर 9-3-1956 को पंजीकृत हुई थी। इसके निगमन के समय इसकी अधिकृत पूंजी 10 लाख रु० थी। कम्पनी के 30 जून 1968 के नवीनतम उपलब्ध तुलन-पत्र के अनुसार, इस कम्पनी की अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी 10 लाख रु० तथा 8,50,000 रु० की थी।

कम्पनी के निदेशकों के नाम निम्न प्रकार हैं :—

1. श्री के० श्रीनिवास राव, प्रबन्ध निदेशक।
2. श्री एस० आर० वाई० रामाकृष्णा प्रसाद।

3. श्री वी० आर० जी० के० एम० प्रसाद ।

4. श्री अनिल कुमार सुपुत्र श्री के० श्रीनिवासराय ।

(ख) और (ग). सरकार को कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) उनकी हिस्सेधारिता के रूप से इस कम्पनी में निदेशकों की परिसम्पत्तियां नीचे दी गई हैं :—

निदेशक का नाम	धारित हिस्सों की संख्या
1. के० श्रीनिवास राव	100 रु० प्रति हिस्से की दर के 975 हिस्से ।
2. एस० आर० वाई० रामाकृष्णा प्रसाद	100 रु० प्रति हिस्से की दर के 1623 हिस्से ।
3. वी० आर० एम० प्रसाद	100 रु० प्रति हिस्से की दर के 50 हिस्से ।
4. अनिल कुमार	100 रु० प्रति हिस्से की दर के 950 हिस्से ।

3. गोल्डन सिने स्टुडियो लि० मद्रास

(क) मै० गोल्डन सिने स्टुडियो प्रा० लि० 25-7-1956 को, मद्रास में पंजीकृत हुआ था इस के सम्मेलन के समय इसकी अधिकृत पूंजी 15 लाख रु० थी । 31 मार्च, 1969 तक कम्पनी की अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी क्रमशः 15 लाख रु० तथा 8 लाख रु० दिखाई गई है ।

कम्पनी का 31 मार्च, 1970 की वर्ष समाप्ति का तुलन पत्र अभी प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

कम्पनी के निदेशकों के नाम तथा पते निम्न प्रकार हैं :—

निदेशक का नाम	पते
1. श्री जे० एम० ए० मोहम्मद फरूख, प्रधान निदेशक	49/1, कारनेश्वरार कोयल स्ट्रीट, मद्रास-4 ।
2. श्री जे० एम० कमालुद्दीन	4, वाल्मीकि स्ट्रीट, मद्रास-17 ।
3. श्री जी० कृष्णामूर्ति अय्यर	6, हनूमार कोयल स्ट्रीट, मद्रास-17 ।
4. श्री के० सन्था	4, गोपालकृष्णा अय्यर रोड, मद्रास-17 ।
5. श्री के० विमाला	,, ,,
6. श्री के० पद्मा	,, ,,

(ख) तथा (ग). सरकार को कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) उनकी हिस्सेदारियों के रूप में, निदेशकों की कुल परिसम्पत्तियां निम्न प्रकार हैं :—

निदेशक का नाम	धारित हिस्सों की संख्या
1. जे० एम० मोहम्मद फरुख	1000 रु० प्रति हिस्से की दर के 45 हिस्से ।
2. जे० एम० कमालुद्दीनं	1000 रु० की दर के 5 हिस्से ।
3. जी० कृष्णामूर्ति अय्यर	कुछ नहीं
4. के० सन्था	1000 रु० की दर के 20 हिस्से
5. के० विमाला	,, ,, ,,
6. के० पद्मा	,, ,, ,,

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के सलाहकार के साथ औद्योगिक तथा वाणिज्यिक संगठन के प्रतिनिधियों की बैठक

10252. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न औद्योगिक तथा वाणिज्यिक संगठनों के प्रतिनिधि 24 अप्रैल, 1970 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के मुख्य सलाहकार से मिले थे ;

(ख) यदि हां, तो जिन मुख्य बातों पर चर्चा की गई थी वे क्या हैं ;

(ग) क्या मुख्य सलाहकार ने यह कहा बताया गया है, कि सरकार राज्य में अधिक अच्छी औद्योगिक वातावरण पैदा करने के लिये कार्यवाही कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में बनाई गई योजना का व्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Lokanathan Committee Report on Small Scale Industries

10253. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Small Scale Industries Board in June, 1969 considered the report of the Sub-Committee constituted under the chairmanship of Dr. P. S. Lokanathan, in regard to the small scale industries;

(b) if so, the main recommendations made by the Board and whether Government have considered those recommendations; and

(c) if so, the outcome thereof?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed): (a) Yes, Sir. The Small Scale Industries Board considered the report in its meeting held in January, 1970.

(b) and (c). The main recommendations of the Board were that the future development of small scale industries in general and ancillary industries in particular, should be put on a statutory basis and that a high-powered Committee should be set up to draft suitable legislation for the purpose. These recommendations are under consideration of the Government.

Railway Consultative Committees at National and Zonal levels

10254. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply, given to Unstarred Question No. 6932 on 21st April, 1970 regarding Consultative Committees at National Level and in Zonal Railways and State the reasons for which information regarding the Formal Consultative Committees has not been supplied.

The Minister of Railways (Shri Nanda) : The information in respect of Formal Consultative Committees has already been given in reply to the Question referred to.

Publications of Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs

10255. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the daily, bi-weekly, weekly, monthly and yearly publications being published by his Ministry for the last three years on regular as well as occasional basis; and

(b) the language in which these publications are brought out, their price and the places from which they could be purchased, separately ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in the Library. See* LT 3605/70].

Report of Inquiry Commission on British India Corporation

10256. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Inquiry Commission appointed by the Government of India had given an indication of the mismanagement and corruption prevalent in the British India Corporation and all its Companies; and

(b) if so, the main points of the report of the said Commission and the action taken thereon so far ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) and (b). The Investigating Authority has made several suggestions as to ensure proper functioning of the British India Corporation Ltd. The report is under consideration.

रेलवे के स्कूलों में नियुक्त अध्यापकों को वेतन वृद्धि की मंजूरी तथा उनके पुनरीक्षित वेतनमान

10257. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली में कार्य कर रहे अध्यापकों को 21 दिसम्बर, 1967 से पुनरीक्षित वेतनमानों में कोठारी आयोग की सिफारिश के अनुसार एक वेतन वृद्धि देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे स्कूलों के अध्यापकों को भी 1 मई, 1969 से वही वेतनमान मंजूर किये हैं जो दिल्ली के अध्यापकों को मंजूर किये गये हैं;

(ग) क्या दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों और रेलवे स्कूलों के अध्यापकों के नये वेतनमानों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में कोई असमानता है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या रेलवे के स्कूलों के अध्यापकों को दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों के बराबर लाने के लिए 21 दिसम्बर, 1967 से एक विशेष वेतन वृद्धि नहीं दी गई है और इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) :(क) से (घ). केन्द्र शासित क्षेत्रों में स्थित स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार (शिक्षा मंत्रालय) द्वारा 21-12-67 से संशोधित किये गये हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय ने यह भी फैसला किया था कि उन अध्यापकों का वेतन संशोधित वेतनमानों में उनकी वेतन वृद्धि की तारीख को बदले बिना, अगले उच्च सोपान पर निश्चित कर दिया जाय।

केन्द्र शासित क्षेत्रों में स्थित स्कूलों के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा अपनायी गयी कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर रेलवे स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों के वेतनमान भी 1-5-1969 से बढ़ा दिये गये हैं। रेलवे स्कूलों में ये वेतनमान अपने आप लागू नहीं होते इसलिए कोठारी आयोग की सिफारिशों को रेलवे स्कूलों में लागू करने के उद्देश्य से उनकी जांच करने में कुछ समय लग गया और जैसे ही फैसला हुआ आदेशों को लागू कर दिया गया। संशोधित वेतनमानों में रेलवे के अध्यापकों का वेतन निश्चित करने के प्रश्न पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा अपनाये गये सिद्धांतों के आधार पर पहले से ही विचार किया जा रहा है।

टिन प्लेटों का उत्पादन

10258. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राउरकेला स्टील प्लांट, मैसर्स टिन प्लेट कम्पनी आफ इंडिया, जमशेदपुर, तथा मैसर्स के० आर० स्टील यूनियन आफ बम्बई की स्वीकृत टिन प्लेट वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है और उन तीन एककों में से प्रत्येक द्वारा वास्तव में कितना उत्पादन किया जा रहा है ;

(ख) क्या ये एकक अपनी पूर्ण क्षमता से उत्पादन नहीं कर रहे हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं और सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तीनों टिन-प्लेट के उत्पादकों में प्रत्येक की क्षमता और प्रत्येक के सामने कोष्ठक में दी गई अवधि में उनका उत्पादन निम्नलिखित था :—

उत्पादन	क्षमता	वास्तविक उत्पादन	
	(टन)		
1. टिन प्लेट कम्पनी आफ इण्डिया	75,000	52,043	(1-1-69 से 31-12-69 तक)
2. के० आर० स्टील यूनियन प्रा० लि०	60,000	6,422	(1-4-69 से 31-3-70 तक)
3. राउरकेला इस्पात कारखाना	2,00,000	49,368	(1-4-69 से 31-3-70 तक)

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रमुखत: काली प्लेटों और टिन-छड़ों की कमी और श्रमिक अशांति के कारण उत्पादन क्षमता से कम रहा है । टिन छड़ों के प्रदाय में सुधार की आशा है । टिन मिल ब्लैक प्लेटों के आयात की खुली छूट दी गई है । राउरकेला ओ० टी० एस० सी० किस्म के टिन प्लेटों के उत्पादन को विकसित कर रहा है जिसकी आपूर्ति अब तक पूर्णत: आयात द्वारा होती रही है । कच्चे माल की स्थिति में सुधार होने और राउरकेला में उत्पादन बढ़ने के कारण 1970-71 में टिन प्लेट की मांग को काफी मात्रा में पूरा कर सकने की संभावना है ।

कटक रेलवे स्टेशन की रेलवे क्रासिंग पर पुल

10259. **श्री अ० दीपा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार, संसत्सदस्यों तथा उड़ीसा की जनता ने सरकार को इस आशय के ज्ञापन भेजे हैं कि कटक रेलवे स्टेशन के रेलवे क्रासिंग पर एक भूमिगत अथवा ऊपरी पुल का निर्माण किया जाना चाहिए;

(ख) इस कठिनाई को दूर करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उक्त भूमिगत/ऊपरी पुल के निर्माण पर कितना खर्च होने की सम्भावना है तथा यह कार्य सम्भवत: कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) कटक स्टेशन के उत्तरी सिरे पर स्थित शिकारपुर समपार की जगह ऊपरी सड़क पुल बनाने का प्रस्ताव अभी छान-बीन की प्रारम्भिक अवस्था में है और रेलवे और राज्य सरकार द्वारा इससे सम्बन्धित ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) अभी से यह बताना असामयिक होगा।

विभिन्न निकायों के निर्वाचनों सम्बन्धी नियमों की जांच

10260. **श्री अब्दुलगनी डार :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय सरकार द्वारा बनाए गये निर्वाचन सम्बन्धी नियमों की यह देखने के लिए जांच कर रही है कि कौन से नियम संविधान और पंचायतों, स्थानीय निकायों, विधान सभाओं से सम्बन्धित अधिनियमों से परे होते हुए शक्ति वाह्य हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में उनके मंत्रालय की सहायता के लिए संसद सदस्यों की एक कर्णधार समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डीजल आयल इंजनों की मरम्मत और देखभाल

10261. **श्री अब्दुलगनी डार :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजन बनाने वाले कारखानों के प्रभारी रेलवे अधिकारियों की अक्षमता एवं प्रमाद के कारण एक बड़ी संख्या में डीजल इंजन खराब हो गये और उनकी उचित ढंग से देखभाल और मरम्मत भी नहीं की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

टायरों तथा ट्यूबों की कमी

10262. **श्री अब्दुलगनी डार :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों में उद्योगपतियों की अक्षमता और बेईमानी के फलस्वरूप देश की गरीब जनता को, जोकि कुल जनसंख्या का 80 प्रतिशत है, देश में टायरों और ट्यूबों की कमी के कारण बुरी तरह कष्ट उठाना पड़ा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकारियों और उद्योगपतियों के मध्य सांठ गांठ थी ; और

(ग) क्या, इस अवधि में अधिकारियों अथवा उद्योगपतियों के विरुद्ध कोई अपराध का मामला अथवा मामले पंजीकृत किये गये थे, और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग). सरकार की जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं आया है । हां, यदि कोई ऐसा मामला है तो उसकी जानकारी राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मंगलौर उल्लाल रेलवे पुल की मरम्मत के बारे में नागरिक समिति, उल्लाल का अभ्यावेदन

10263. श्री लोबो प्रभु : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्होंने नागरिक समिति, उल्लाल, से प्राप्त इस आशय के अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की है कि मंगलौर उल्लाल रेलवे पुल पर 4,000 मजदूरों, स्कूल जाने वाले बच्चों तथा सब्ज़ी बेचने वालों द्वारा उपयोग में लाये पैदल पथ की स्थिति उसके स्लीपर बदलने तथा अन्य मरम्मत करने में रेलवे अधिकारियों की असफलता के कारण बड़ी खतरनाक है ;

(ख) उसके कितने स्लीपर खो गये हैं अथवा टूट गये तथा इस पुल की अन्तिम बार मरम्मत कब की गई थी;

(ग) इतने देर से मरम्मत करने पर कितनी लागत आयेगी, और

(घ) वह मरम्मत कब पूरी होगी ताकि जनता को भविष्य में होने वाले खतरे तथा असुविधा को रोका जा सके ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). पैदल पथ की जांच की गयी है । कोई स्लीपर गुम नहीं है । 3000 स्लीपरों में से लगभग 50 स्लीपर घिस गये हैं जिन्हें बदला जा रहा है । पिछली बार रेलवे पुल पर बड़ी मरम्मत मई, 1968 में और छोटी-मोटी मरम्मत जनवरी, 1969 में की गयी थी ।

(ग) मरम्मत की अनुमानित लागत लगभग 1500 रुपये है ।

(घ) मरम्मत का काम शुरू किया जा चुका है और मई, 1970 के अन्त तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

कपड़ों तथा ट्रैक्टरों के पुर्जों का व्यापार करने वाली कम्पनियां

10264. श्री कमलनायन : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स ईस्टर्न एसोसियेट्स, मैसर्स कृष्णा एण्ड कम्पनी, मैसर्स एस० एण्ड एस० तथा एस० एन० गोइनका एण्ड कम्पनी के मालिकों, साझेदारों के नाम तथा पते क्या हैं ; और

(ख) क्या ट्रैक्टरों के फालतू पुर्ज़ों का व्यापार करने वाली इन कम्पनियों में से कोई कम्पनी कपड़े का व्यापार भी कर रही है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). प्राप्त सूचना के अनुसार जितनी भी कम्पनियों के बारे में पूछा गया है उनमें से कोई भी कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी नहीं है अतः जो सूचना मांगी गई है वह समवाय कार्य विभाग में उपलब्ध नहीं है ।

खुर्दा रोड (दक्षिण पूर्वी रेलवे) स्थित रेलवे स्कूल की सुधारना

10265. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने कभी खुदर्रा रोड स्थित रेलवे यू० पी० स्कूल की स्थिति का अवलोकन किया है जहां कि बच्चे अब खुले बरामदा में बैठे हुए सख्त धूप और वर्षा का सामना करते हैं ; और

(ख) क्या सरकार रेलवे प्रशासन को इस स्कूल को सुधारने और बरामदे की छत बनाने के लिए उचित कार्यवाही करने को कहेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) फर्नीचर टूट जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने के फलस्वरूप फर्नीचर की अस्थायी कमी के कारण खोरधा रोड के रेलवे अपर प्राइमरी स्कूल के कुछ विद्यार्थियों को अपनी कक्षाओं में फर्श पर बैठना पड़ता है, खुले बरामदे में नहीं ।

(ख) पर्याप्त फर्नीचर की व्यवस्था करने के लिए प्रबन्ध किया गया है ।

पश्चिम रेलवे में वर्क्स मिस्त्री के पद पर पदोन्नति और ड्रेसर ग्रेड II के पदोन्नति के अवसर

10266. **श्री भालजी भाई परमार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे में पात्र पदों पर कार्य करने वालों को वर्क्स मिस्त्री (सब ओवरसियर ग्रेड I), जिनका वेतनमान 150--240 रुपये (ए) है, के पद पर भी पदोन्नति नहीं किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) रेलवे में 80--110 रुपये (ए) वेतन मान वाले ड्रैसर ग्रेड II के मामले में यहां कहाँ तक उचित है कि जिनके लिए 105--135 रुपए (ए) वेतनमान वाले ड्रैसर ग्रेड II के उच्च ग्रेड के लिए केवल 20 प्रतिशत पदों की व्यवस्था की हुई है; और

(घ) ड्रैसर ग्रेड II लाभार्थ 105--135 रुपयेके वेतनमान वाले और अधिक उच्च पदों की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं ।

(ग) और (घ). ड्रैसरों के दोनों स्तरों के अर्थात 80--110 और 105--135 वेतनमान वाले पदों का अनुपातिक विभाजन द्वितीय वेतन आयोग की विशिष्ट सिफारिशों पर आधारित है। हाल ही में सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों, जिसमें रेल- कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, के वेतनमानों तथा सेवा शर्तों के पुनरीक्षण के लिये एक नये वेतन आयोग की नियुक्ति की है। अतः इस समय किसी भी श्रेणी की वर्तमान स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन उचित नहीं समझा जाता है ।

दाहोद फ्रीलैंडगंज रेलवे कालोनी में हिन्दी माध्यम वाला रेलवे प्राथमिक विद्यालय

10267. **श्री भालजी भाई परमार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या उन रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिए हिन्दी माध्यम वाला पूर्ण रेलवे प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था आवश्यक नहीं है जो हिन्दी भाषी राज्यों के हैं और दाहोद फ्रीलैंडगंज रेलवे कालोनी के कुल कर्मचारियों के 40 प्रतिशत से अधिक हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : जी नहीं, क्योंकि दाहोद में हिन्दी माध्यम से स्कूल की पर्याप्त सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं ।

राउरकेला में टीन की प्लेटों का उत्पादन

10268. श्री एन० शिवप्पा :
श्री देवराज पाटिल :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्लैक-प्लेटों की कमी के कारण राउरकेला में टीन की प्लेटों के उत्पादन के लिए इलैक्ट्रोलिटिक लाइन की पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो राउरकेला में 'हाट-डिप्ड' तरीके से टीन की प्लेटों के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली 'ब्लैक प्लेट' को इलैक्ट्रोलिटिक लाइन पर क्यों नहीं लाया जा रहा है ताकि कम टीन का प्रयोग हो और विदेशी मुद्रा की बचत हो; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो क्या इस ब्लैक प्लेट का टीन की प्लेटों के उत्पादन के लिए इलैक्ट्रोलिटिक तरीके को अपनाने वाले अन्य किसी कारखाने द्वारा उपयोग करना संभव है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ हद तक काली प्लेटों को हाट डिप्ड टिन प्लेटें बनाने के स्थान पर इलैक्ट्रोलिटिक टिन प्लेटों के निर्माण के लिये दिया जा रहा है। इलैक्ट्रोलिटिक टिन प्लेटों का उत्पादन पिछले वर्ष 32,507 टन से बढ़ा कर चालू वर्ष में .60,000 टन करने की योजना है जबकि हाट डिप्ड टिन प्लेट के पिछले वर्ष के 16,861 टन उत्पादन को घटा कर चालू वर्ष में 12,000 टन करने की योजना है। हाट डिप्ड टिन प्लेटों का यह उत्पादन मुख्यत: विशेष किस्मों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये काम में लाया जायेगा।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

मल्कागंज, दिल्ली के निकट कब्रिस्तान से ट्रक अड्डा हटाना

10269. श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री मल्कागंज, दिल्ली के निकट कब्रिस्तान से ट्रक अड्डा हटाने के बारे में 13 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9476 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुस्लिम कब्रिस्तान से ट्रक 'अड्डा' हटाने के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या दूसरे पक्ष ने उच्च न्यायालय से कोई रोक आदेश लिया है; और यदि हां, तो उसे खाली कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) अंजमन अकवाम राइयां के सचिव से यह सुनिश्चित किया गया है कि गन्दी बस्तियां (सुधार तथा सफाई) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत ट्रक अड्डे को हटाने का मामला न्यायालय में चल रहा है और इसकी अगली पेशी 29 मई, 1970 को निश्चित हुई है। आगे की कार्यवाही मामले के फैसले पर निर्भर करेगी।

(ख) जानकारी दिल्ली प्रशासन द्वारा सम्बद्ध पार्टियों से इक्ट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

औद्योगिक एककों का विविधीकरण अथवा विस्तार

10270. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अपने 27 अक्तूबर, 1966 के एक आदेश के द्वारा औद्योगिक एककों की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता (मूल्य के रूप में) के 25 प्रतिशत तक के विविधीकरण अथवा विस्तार के लिए लाइसेंस से छूट दी थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त छूट अभी भी वैद्य है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । तथापि, हाल ही में जो संशोधित लाइसेंस नीति घोषित की गई है उसकी दृष्टि में इन आदेशों की पुनरीक्षा की जा रही है ।

रेलवे के सभी जोनों में कोयला बचत अभियान

10271. श्री देबेन्दर सिंह गार्चा : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवें के सभी जोनों में कोयला बचत अभियान आरम्भ करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे अनुमानतः कितनी बचत होगी; और

(घ) रेलवे कर्मचारियों द्वारा कोयले की चोरी तथा छुट-पुट चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलज़ारी लाल नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) कोयला बचाने के कार्यक्रम के निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलू हैं :—

(i) यह सुनिश्चित करना कि कोयला खानों द्वारा लादा गया कोयला सही किस्म का है और उतनी मात्रा में है जितनी इन्वायसों में दिखायी गई है,

(ii) सुरक्षा के उपाय लागू करके मार्ग में तथा लोको शेडों में उठाईगिरी को कम करना,

(iii) विभिन्न गाड़ियों के फेरों के लिए दिये गये कोयले के राशन के संदर्भ में उन गाड़ियों के संचालन पर निगाह रखना ताकि अलग-अलग ड्राइवरों द्वारा इस्तेमाल किये गये कोयले की मात्रा का नियंत्रण रखा जा सके ।

(ग) कोयले की कितनी बचत की जा सकती है उसका पता प्रारम्भिक अध्ययन के बाद ही चलेगा ।

(घ) सुरक्षा सम्बन्धी सामान्य प्रबन्धों को कड़ा करने के अलावा निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :—

(i) जिन स्टेशनों पर चोरियों/उठाईगिरी की अत्याधिक घटनायें होती हैं और जहां बहुत अधिक मात्रा में कोयला जमा रहता है, वहां सुरक्षा उपायों को कड़ा करना ।

(ii) छापे मारने तथा आसूचना इकट्ठी करने के लिए रेलवे सुरक्षा दल की अपराध आसूचना स्कंध का उपयोग किया जाता है ।

(iii) जिन मार्गों पर चोरियां/उठाईगिरी बहुत अधिक होती हैं उन पर कोयले की गाड़ियों के साथ रेलवे सुरक्षा दल तथा सशस्त्र पहरेदार चलते हैं ।

(iv) जिन स्टेशनों पर कोयले के भण्डार रखे जाते हैं उन पर रेलवे सुरक्षा दल के पहरेदारों की संख्या बढ़ाना ।

दक्षिण कनारा जिले में मंगलौर-हसन रेलवे लाइन पर रेलवे पुलों और रेलवे पुलियों पर पैदल-पथ

10272. श्री लोबो प्रभु :

श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण कनारा जिले में मंगलौर-हसन रेलवे पर कितने पुल और पुलियां हैं और उन पर 3 फुट चौड़ी पैदल पथ बनाने में कितनी लागत आयेगी;

(ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे पैदल पथ जल से आप्लावित क्षेत्र में यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक जाने में सुविधा प्रदान करते हैं; इस पर रेलवे द्वारा अतिरिक्त व्यय न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि रेलवे यह चाहती है कि राज्य सरकारें इस पैदल पथों के निर्माण में योगदान दें तो वे ऐसी कितनी सहायता चाहते हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). दक्षिण कनारा जिला में हसन-मंगलौर रेलवे लाइन पर 341 पुल एवं पुलियां हैं। यह सामान्य नीति नहीं है कि जनता के लिये रेलवे पुलों पर पगडंडी की व्यवस्था की जाये क्योंकि संरक्षा की दृष्टि से यह वांछनीय नहीं है । इसके अलावा, गर्डर पुलों में रेलों ने मानक गर्डर लगाये हैं जिन पर इस तरह के अतिरिक्त भार का अधिक दबाव पड़ेगा । हसन-मंगलौर रेलवे लाइन के गर्डरों के मानक अभिकल्प के लिए पहले से आदेश दिये जा चुके हैं । इसलिए अब पगडंडियों के बनाने के लिए खर्च में राज्य सरकार द्वारा हाथ बटाने का प्रश्न नहीं उठता । केवल गर्डर पुलों पर पगडंडी की व्यवस्था करने का खर्च लगभग चार लाख रुपये होगा, जिस में वस्तुतः गर्डरों के मजबूत करने का खर्च शामिल नहीं है ।

कोयले को लाने ले जाने की व्यवस्था में सुधार करने के बारे में भारतीय कोयला व्यापारी संघ के अध्यक्ष का सुझाव

10273. श्री रा० बरुआ : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय से देश में कोयले की समुचित परिवहन सुविधाओं के अभाव के कारण इसको लाने ले जाने की व्यवस्था में गिरावट हुई है;

(ख) क्या भारतीय कोयला व्यापारी संघ के अध्यक्ष ने हाल ही में वर्तमान लाने ले जाने की व्यवस्था में सुधार करने के लिए कुछ सुझाव दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो दिये गए सुझावों का ब्यौरा क्या है और सरकार का देश में कोयले को लाने ले जाने की व्यवस्था को संतोषजनक बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं । 1969-70 में पिछले वर्ष की अपेक्षा कोयले का लदान लगभग 3 प्रतिशत अधिक रहा । इसके फलस्वरूप रेलों ने पिछले वर्ष की तुलना में 1969-70 में 24.5 लाख मीटरिक टन अतिरिक्त कोयला ढोया । इससे भी अधिक कोयले की ढुलाई हो सकती थी लेकिन वर्ष की आखिरी तिमाही में इस्पात कारखानों की मांग कम रहने और

ईंटें पकाने के कोयले की मांग धीमी पड़ जाने के कारण ऐसा करना संभव नहीं हो सका । अनेक नागरिक उपद्रवों, गाड़ियों के संचालन में जनता का हस्तक्षेप, टेलीग्राफ के तारों और केबलों की चोरी, ऊपरी बिजली कर्षण के तारों की चोरी और यहां तक कि ड्यूटी पर तैनात रेल कर्मचारियों से हाथापाई आदि कारणों से ये रेल परिचालन पर भी गम्भीर प्रभाव पड़ा ।

(ख) और (ग). कोयला उपभोक्ताओं और कोयला परिवहन के मध्यस्थों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में कुछ सामान्य बातों का उल्लेख करने के अलावा भारतीय कोयला व्यापारी संघ के अध्यक्ष ने 10-4-1970 को संघ की 37 वीं वार्षिक आम बैठक में अपने भाषण में मोटे तौर पर निम्नलिखित सुझाव दिये :—

(i) प्रायोजित करने की प्रणाली खत्म की जानी चाहिये ।

(ii) बाक्स फिट स्टेशनों और इस तरह के बाक्स फिट स्टेशनों से 25 किलोमीटर के भीतर के स्टेशनों को चौपहिया माल डिब्बों में ईंट पकाने के कोयले के संचालन पर लगी हुई पाबंदी हटा ली जानी चहिये ।

(iii) कोयला उद्योग के विकास के अनुरूप कोयले के परिवहन के लिए माल डिब्बों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिये ।

(iv) क्षेत्रीय रेलों में आपस में और संयुक्त निदेशक परिवहन (कोयला) और प्रायोजक अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय और माल डिब्बों के अधिक शीघ्र लदान फेरों की व्यवस्था और कोयला साइडिंग से उनका खाली लौटना बंद करके वर्तमान साधनों से ही कोयले के लदान में वृद्धि की जानी चाहिए ।

विभिन्न कोयला संघों द्वारा अतीत में भी इसी तरह के सुझाव दिये गये थे और रेलों ने कोयला उद्योग और उपभोक्ता संघों के साथ अपनी आवधिक बैठकों में इन पर विचार विमर्श किया था ।

कोयले के लिये बहुत बढ़ा-चढ़ाकर इंडेंट प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति को देखते हुए अनिवार्य मांग को पूरा करने के लिए प्रायोजन प्रणाली जारी रखने की आवश्यकता से उन्हें अवगत कराया गया था और विभिन्न संघों से कहा गया था कि वे अपनी ओर से इस सम्बन्ध में ऐसे वैकल्पिक सुझाव दें जो व्यावहारिक हों ।

कुछ निर्दिष्ट स्थानों के लिए ईंट पकाने का कोयला थोक में बाक्स माल डिब्बों में भेजना पड़ता है ताकि रेलें अधिक यातायात ढो सकें और कोयला उद्योग और उपभोक्ताओं को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि चौपहिया माल डिब्बों में थोड़ा-थोड़ा लदान करने से उनका थोक लदान का कार्यक्रम निष्फल हो जायेगा । फिर भी, जैसे-जैसे मांग आयेगी, अधिक से अधिक स्टेशनों को बाक्स रैक में कोयले के संचालन के उपयुक्त बना दिया जायेगा ।

कोयले के लदान के लिए अलग माल डिब्बे निर्धारित नहीं हैं लेकिन कोयले सहित यातायात में कुल अनुमानित वृद्धि के आधार पर वर्षानुवर्ष माल डिब्बों की कुल संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही है ।

माल डिब्बों के लदान-फेरे बढ़ाने के निमित्त क्षेत्रीय रेलों के बीच पूरा समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किये जाते हैं । संयुक्त निदेशक, परिवहन (कोयला) प्रायोजक अधिकारियों, कोयला-खानों और कोयला उपभोक्ताओं से लगातार सम्पर्क बनाये रखते हैं । भविष्य में भी इस तरह के प्रयास किये जाते रहेंगे ।

कोयला साइडिंग से माल डिब्बों के खाली वापस लौटने का मामला ऐसा है, जिसकी ओर कोयला खानों के मालिकों को ध्यान देना चाहिए। समय-समय पर उनसे अनुरोध किया गया है कि वे इस तरह के अवसर कम से कम आने दें ताकि परिवहन क्षमता व्यर्थ न जाये।

कोयला खानों और उपभोक्ताओं द्वारा कोयला लादने उतारने की यांत्रिक व्यवस्था किये जाने के अनुमान के आधार पर माल डिब्बों के अधिक लदान फेरों की योजना बनायी गयी थी लेकिन इस यांत्रिक-व्यवस्था पर अधिकांशत: अमल नहीं हुआ है। माल चढ़ाने-उतारने के स्थानों पर माल डिब्बों के अधिक देर तक रुके रहने के कारण लदान फेरों की स्थिति पर प्राय: बुरा असर पड़ा है। रेल इस सम्बन्ध में निरन्तर अभियान चलाकर रेल उपभोक्ताकर्ताओं से अनुरोध कर रही है कि वे माल डिब्बों में माल चढ़ाने-उतारने का काम शीघ्रातिशीघ्र करके मंदी के मौसम में माल डिब्बों का पूरा उपयोग करें ताकि वर्तमान परिसम्पत्तियों का अधिक से अधिक उपयोग हो सके।

अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष का प्रधान मंत्री के नाम पत्र

10274. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या **विधि तथा समाज-कल्याण** मंत्री अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष के प्रधानमंत्री के नाम पत्र के बारे में 19 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4078 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस पत्र की एक प्रति सभापटल पर रखी जायेगी; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधी तथा समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह : (क) और (ख). उस पत्र की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जाती है। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये** संख्या एल० टी० 3606/70]

रेलवे में वरिष्ठ वाणिज्यिक अधिकारियों (दावा) का दर्जा बढ़ाया जाना

10275. श्री सीताराम केसरी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दावों के मामले का महत्व बढ़ जाने से क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालय के वरिष्ठ वाणिज्यिक अधिकारियों (दावा) के पदों का दर्जा बढ़ाकर उप मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक (दावा) कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उत्तरी रेलवे मुख्यालय के उपमुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक (दावा) को टिकट चैंक करने का भी अधिकार दिया गया है; और यदि हां, तो कब से ऐसा किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि टिकट चैक करने वाले कर्मचारी सदा उत्तरी रेलवे मुख्यालय के उपमुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक (दावा) के अधीन रहे हैं और अन्य क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालयों में भी यही स्थिति रही है। और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) जब उप मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक (दावा) के पद का निर्माण किया गया था तो उस समय दावों के कितने अनिर्णीत मामले थे और अब प्रत्येक मंडल में कितने दावे अनिर्णीत पड़े हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) कार्यभार और बढ़े हुए दायित्व को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ वेतनमान के कुछ आम पदों के साथ-साथ वरिष्ठ वाणिज्यिक अधिकारियों (दावा) का पदक्रम बढ़ाकर उन्हें कनिष्ठ प्रशासनिक पदक्रम में कर दिया गया।

(ख) जी हां, 14-4-1969 से।

(ग) सभी रेलों पर तो नहीं, लेकिन उत्तर रेलवे में टिकट जांच करने वाले कर्मचारी उपमुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक (सामान्य) के अधीन काम करते थे।

विवरण

	दिल्ली भारतीय रेल सम्मेलन यूनिट	बड़ौदा हाउस यूनिट	वाराणसी	बीकानेर	जोधपुर	जोड़
31-3-69 को	2563	3187	5806	451	900	12907
30-4-70 को	2790	3271	5064	486	883	12494

एक मंडल से दूसरे मंडल में स्थानान्तरण होने के समय परस्पर वरीयता निर्धारित करना

10276. श्री सीताराम केसरी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंडलों के उन कर्मचारियों को जिनके पद पर मंडल का नियंत्रण होता है और एक विशेष मंडल के कर्मचारियों की परस्पर वरीयता निर्धारित होती है, उनकी सम्मति के बिना किसी अन्य मंडल में स्थानान्तरित किया जा सकता है; यदि हां, तो ऐसा किस आधार पर किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या उसकी सम्मति से स्थानान्तरित किया जा सकता है और किन शर्तों पर; और

(ग) उस मंडल के कर्मचारियों की वरीयता की रक्षा किस प्रकार की जायेगी जहां स्थानान्तरित कर्मचारी को जाना होता है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). कर्मचारी की सहमति के बिना अन्तर्मण्डलीय स्थानान्तरण बहुत कम और केवल सार्वजनिक हित में ही किये जाते हैं। चूंकि ऐसे मामलों में कर्मचारियों का स्थानान्तरण प्रशासन के हित में किया जाता है, इसलिए नयी यूनिट में उनकी वरिष्ठता को सुरक्षित रखा जाता है। रेलवे बोर्ड द्वारा पहले ही हिदायतें जारी की जा चुकी हैं कि ऐसे स्थानान्तरण करने से पहले ध्यानपूर्वक छानबीन की जाये और स्थानान्तरण केवल तभी किया जाये जब नितान्त अपरिहार्य हो, ताकि जिस यूनिट में इन स्थानान्तरित कर्मचारियों को तैनात किया जाये उसके वर्तमान कर्मचारियों को, कठिनाई न हो।

जब किसी कर्मचारी को उसी की प्रार्थना पर एक मण्डल से दूसरे मण्डल में स्थानान्तरित किया जाता है तो उसकी वरिष्ठता स्थानान्तरण की तारीख को नयी यूनिट में सम्बन्धित ग्रेड में वरिष्ठता सूची में सब से नीचे रखी जाती है। अतः मौजूदा कर्मचारियों की वरिष्ठा पूरी तरह सुरक्षित रहती है।

त्रुटिपूर्ण वैम-1 इंजनों का आयात

10277. श्री हिम्मत सिंहका : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व त्रुटिपूर्ण वैम-1 इंजिनों का आयात किये जाने की परिस्थितियों की जांच का आदेश दे दिया गया है ।

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है; और

(ग) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). इस प्रकार की किसी जांच या छानबीन का आदेश नहीं दिया गया है ।

(ग) रेल इंजनों के संभरणकर्त्ताओं ने मूल प्राइमरी सस्पेंशन स्प्रिंग बदल दिये, जिसके परिणामस्वरूप, प्रारम्भ में, तेज रफ्तार पर अत्यधिक उर्ध्वाधर दोलन (Vertical oscillation) की जो गड़बड़ी होती थी, उस पर काबू पा लिया गया ।

दिल्ली नगर निगम के सदस्यों को स्कूटरों तथा कारों का आवंटन

10278. श्री सूरजभान :

श्री शारदानन्द :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगर निगम के उन सदस्यों के नाम क्या हैं जिनको गत तीन वर्षों में विशिष्ट कोटे के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली में स्कूटरों अथवा कारों का आवंटन किया गया था;

(ख) क्या सरकार को निगम के कुछ सदस्यों द्वारा कारों की दो वर्षों के अन्दर बेचे जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ग) यदि हां, तो शिकायत का ब्यौरा क्या है और उन सदस्यों के नाम क्या हैं;

(घ) उन सदस्यों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया है; और

(च) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन क्या है और सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) विगत तीन वर्षों में प्रशासन के कोटे में से दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली नगर निगम के जिन सदस्यों को स्कूटर/कारें आवंटित की हैं, उन के नामों को बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 3607/70]

केन्द्रीय सरकार के कोटे में से नगर निगम के किन्हीं सदस्यों को कोई स्कूटर/कारें आवंटित नहीं की गई हैं ।

(ख) और (ग). दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि दिल्ली नगर निगम के पार्षद श्री जयप्रकाश गोयल द्वारा कार बेचे जाने के बारे में दिल्ली नगर निगम के एक सदस्य ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो में एक शिकायत की थी ।

(घ) और (ङ) : दिल्ली प्रशासन ने यह बात बताई है कि श्री गोयल को कार खरीदने की तारीख से दो वर्षों की अवधि समाप्त होने से पहले कार बेचने के लिये मोटर कार (वितरण तथा बिक्री) नियंत्रण आदेश, 1959 की धारा 8 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दी गई थी क्योंकि गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और वह भली प्रकार काम नहीं कर रही थी। इस प्रकार श्री गोयल के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

फिल्म कम्पनियों की अधिकृत और प्रदत्त पूंजी

10279. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित फिल्म कम्पनियों अर्थात् (एक) कैपिटल फिल्मस (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली, (दो) साइन फिल्म (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली, (तीन) रागी आनन्द एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली की, इसकी स्थापना के समय और 31 मार्च, 1970 को अधिकृत और प्रदत्त पूंजी कितनी-कितनी थी;

(ख) इन कम्पनियों ने 31 मार्च, 1970 तक सरकार, बैंक तथा अन्य पार्टियों से अलग अलग कितना ऋण प्राप्त किया था;

(ग) गत तीन वर्षों में इन कम्पनियों ने कितना ब्याज दिया है;

(घ) इन कम्पनियों के निदेशकों तथा उनके अधिकारियों के नाम और पते क्या हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों में उनके द्वारा निष्पादित कार्य का ब्यौरा क्या है और यदि उन्हें कोई लाभ अथवा हानि हुई है तो वह कितनी है; और

(च) हानि होने के क्या कारण हैं और वर्ष 1970–71 के बारे में क्या अनुमान है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (च) : तीन फिल्म कम्पनियों की बाबत अपेक्षित सूचना सभापटल पर रखी जाती है। **(ग्रन्थालय में रखे गये/देखिये संख्या** एल० टी० 3608/70)।

फिल्म कम्पनियों के निदेशक और अंशधारी

10280. श्री काशीनाथ पांडेय : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित फिल्म कंपनियों के निदेशकों के नाम तथा पते क्या हैं, उनके अधिकारियों के नाम और पते क्या हैं और प्रत्येक अंशधारी के पास कितने-कितने अंश हैं :—

(एक) वसंत पिक्चर्स (प्रा०) लिमिटेड, दिल्ली, (दो) मसूरी फिल्मस एंड फाइनेंस (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली, (तीन) मैसर्स दिग्विजय टाकीज (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली, (चार) जी० के० नवीन थियेटर्स (प्रा०) लिमिटेड, दिल्ली, (पांच) प्रोग्रेसिव पिक्चर्स लिमिटेड, दिल्ली, (छः) पंजाब पिक्चर्स लिमिटेड दिल्ली, (सात) वसु डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा०) लिमिटेड, दिल्ली, (आठ)

अपर इंडिया पिक्चर्स (प्रा०) लिमिटेड, दिल्ली, (नौ) विजयश्री (प्रा०) लिमिटेड दिल्ली, (दस) राजेय टाकीज (प्रा०) लिमिटेड बलरामपुर ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : दस फिल्म कम्पनियों की बावत अपेक्षित सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

हुबली रेलवे स्टेशन (दक्षिण मध्य रेलवे) के पास स्थित नीचे के पुल को चौड़ा करना

10281. श्री स० अ० अगड़ी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हुबली-धारवार निगम, मैसूर राज्य, ने दक्षिण मध्य रेलवे पर हुबली रेलवे स्टेशन के पास स्थित नीचे के पुल को चौड़ा करने के लिये होने वाले व्यय का अपना भाग जमा कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कितना धन जमा किया गया है और किस तिथि को किया गया है;

(ग) क्या कार्य करने के कोई आदेश दे दिये गये हैं और कार्य आरम्भ हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). ऐसी कोई रकम रेलवे के पास जमा नहीं की गयी है, लेकिन यह समझा जाता है कि हुबली-धारवार निगम ने अप्रैल, 1966 में मैसूर सरकार के पास 1,70,612 रुपये 50 पैसे जमा किये हैं ।

(ग) अभी नहीं ।

(घ) इस काम को रेलवे तभी शुरू कर सकती है जब पुल के नीचे बिछाये गये पानी के बम्बों और केबुलों को राज्य सरकार द्वारा वहां से हटा लिया जाये और रेलवे को आवश्यक भूमि उपलब्ध करा दी जाये ।

भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची द्वारा निर्मित वस्तुएं

10282. श्री बेणी शंकर शर्मा : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड, रांची ने वर्ष 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 में कितने मूल्य की तथा कितनी मात्रा में वस्तुएं तैयार की थीं;

(ख) उक्त अवधि में यदि कोई वस्तुएं निर्यात की गयी थीं, तो कितने मूल्य की और कितनी मात्रा में और किन-किन देशों को निर्यात की गयी थी;

(ग) उक्त अवधि में देश में सरकारी कंपनियों और लोगों को, अलग-अलग कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की वस्तुयें बेची गयी थीं ;

(घ) उक्त वर्षों में कितना शुद्ध लाभ अथवा हानि हुई ; और

(ङ) यदि निरन्तर हानि हो रही है तो इसके क्या कारण हैं और उसे समाप्त करने हेतु क्या उपाय करने का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

(क) कारखाना	वर्ष	उत्पादन	
		मात्रा	मूल्य
		टन	
भारी मशीन बनाने का कारखाना	1966-67	14,309.20	रु० 466.74 लाख
	1967-68	14,611.00	रु० 556.93 लाख
	1968-69	23,852.50	रु० 1066.79 लाख
फाउन्ड्री फोर्ज का कारखाना	1966-67	5,058.26	रु० 95.45 लाख
	1967-68	9,003.13	रु० 179.60 लाख
	1968-69	16,641.82	रु० 314.07 लाख
भारी मशीन टूल कारखाना	1966-67	7	रु० 12.15 लाख
	1967-68	15	रु० 56.60 लाख
	1968-69	8 और 127.8 टन का सहायक उपकरण और आंतरिक जाब कार्य	रु० 30.22 लाख
(ख)	1966-67	—	
	1967-68	—	
	1968-69	जार्डन को ढ़लवे लोहे के 500 कास्टिंग 13,500 पौण्ड लागत-बीमा-भाड़ा युक्त मूल्य पर भेजे गये । यह आर्डर नवम्बर, 1969 तक पूरा हो गया था ।	

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है । जहां तक संभव है इसे प्राप्त किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

(घ) घाटा	1966-67	रु० 6.23 करोड़
	1967-68	रु० 16.47 करोड़
	1968-69	रु० 14.66 करोड़

(ङ) इतने बड़े आकार के ऐसे कारखानों में पूर्ण उत्पादन तक पहुंचने में लंबा समय लगता है जिसमें दक्षता और उत्पादिता में क्रमिक रूप में ही वृद्धि होती है । जिस अवधि में यह घाटा हो रहा है वह निर्माण काल और प्रारम्भिक गर्भावधि है जिसमें उत्पादन प्रारम्भ ही हुआ है और धीरे-धीरे बढ़ रहा है । उत्पादन में क्रमिक वृद्धि के फलस्वरूप आगामी वर्षों में कार्य परिणाम में सुधार होगा ।

Scheme for Manufacture of Methoksiclore by a Kanpur Firm

10283. **Shri Suraj Bhan :**
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Sharda Nand :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be** pleased to state :

(a) whether M/s. Chemicals Products of India, Swaroop Nagar, Kanpur had forwarded a scheme for the manufacture of Mithoksiclore to the Director of the Small Industries Services Institute (Kanpur) and a demand had been made therein for the supply of 3,000 kilograms of ethyl alcohol every month;

(b) whether it is a fact that after the technical scrutiny of the scheme, the Junior Field Officer, (Chemicals) had recommended that only 1390 kilograms of alcohol would be needed for the said scheme but in spite of this the Director sanctioned the additional quantity of alcohol which far exceeded requirement of the aforesaid firm;

(c) whether it is also a fact that all the formalities such as conducting thorough scrutiny of the scheme and according sanction therefor were completed just on the same day (8th July, 1969) on which the said scheme was received by the Director; and

(d) whether Government have conducted any enquiry into this matter and if not, the reasons therefor and, if so, the findings thereof ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) The Director, SISI or JFO (Chemicals) is not empowered to sanction raw materials to small scale industries. What they did was to examine the technical feasibility of the scheme and its viability.

(c) Yes, Sir.

(d) The matter is under examination.

मैसर्स एलेम्बिक उद्योग समूह के विरुद्ध आरोप

10284. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को 25 फरवरी, 1970 को श्री डी० पी० पटेल, 49, सरदार नगर सोसाइटी, छन्नी रोड, बड़ौदा-2, से मैसर्स एलेम्बिक उद्योग समूह की गतिविधियों के विरुद्ध एक ब्यौरेवार शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस कम्पनी के विरुद्ध लगाये गये विभिन्न आरोपों की जांच करने के लिये क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या एक आरोप यह भी है कि इस कम्पनी ने श्री एस० के० पाटिल को 50,000 रुपयों का नकद दान दिया था; और

(घ) क्या सरकार इस कम्पनी के विरुद्ध विभिन्न आरोपों की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त करेगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (घ) : शिकायतों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जा रहा है ।

(ग) शिकायत में आरोप लगाया गया है कि "इन दोनों कम्पनियों, अर्थात् एलम्बिक एण्ड ग्लास कम्पनी ने श्री एस० के० पाटिल को 50,000 रु० का नकद चन्दा दिया है । यद्यपि अधिकृत रूप से यह बम्बई प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दिया गया है ।

दानापुर मुख्यालय (पूर्व रेलवे) के ग्रेड सी के गार्डों की संख्या

10285. श्री इसहाक सम्भली : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दानापुर मुख्यालय (पूर्व रेलवे) के ग्रेड सी के गार्डों की संख्या 80 से घटाकर 50 कर दी गई है;

(ख) क्या यह सच है कि इस समय दानापुर डिवीजन में ग्रेड सी के गार्डों के 18 पद रिक्त हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दानापुर को जाने वाली डुप्लीकेट 72 डाउन पार्सल एक्सप्रेस गाड़ी एक्स-आराह पर 'सी' ग्रेड के गार्ड काम करते हैं जबकि एक्सप्रेस गाड़ी होने के नाते उस पर 'ए' ग्रेड के गार्ड होने चाहिएं; और

(घ) यदि हां, तो इसके ब्यौरेवार कारण क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

पटना जंकशन (पूर्व रेलवे) पर ग्रेड 'सी' के गार्डों की संख्या में वृद्धि

10286. श्री इसहाक सम्भली : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना जंकशन (पूर्व रेलवे) पर 8 और 'सी' ग्रेड के गार्डों की नियुक्ति करके उनकी संख्या 23 तक बढ़ा दी गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पटना जंकशन पर कालमैन, बाक्स पोर्टर, बाक्स गोदाम और गार्ड प्रतीक्षालय की कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पटना जंकशन पर नए नियुक्त किए गए 8 गार्डों के लिए कोई अतिरिक्त आवासीय व्यवस्था नहीं है;

(घ) क्या दानापुर मंडल, पूर्व रेलवे के मंडलीय अधीक्षक द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कार्य के संशोधित ढांचे के अन्तर्गत ये नये नियुक्त किए 8 गार्ड वास्तव में किसी भी रेलगाड़ी पर कार्य नहीं कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा): (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय रेलवे के गार्डों को छुट्टी देने के लिए कसौटी

10287. श्री सरजू पाण्डेय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय रेलवे के गार्डों को छुट्टी बढ़ाने की अनुमति देने और प्राइवेट डाक्टरी प्रमाणपत्र देने पर, जो कि रेलवे डाक्टरों द्वारा विधिवत् रूप से प्रतिहस्ताक्षरित हों, छुट्टी देने की कसौटियां क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को, जिनमें गार्ड भी शामिल हैं, निम्नलिखित कार्यविधि का पालन करने पर ही प्राइवेट डाक्टरी प्रमाण-पत्र के आधार पर छुट्टी अथवा छुट्टी बढ़ाने की मंजूरी दी जाती है ।

रेलवे डाक्टर के कार्य-क्षेत्र से दूर अर्थात् रेलवे अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र से 2.5 किलोमीटर और अन्य स्थानों पर रेलवे स्टेशन से एक किलोमीटर की परिधि से बाहर रहने वाले रेल कर्मचारी को यदि डाक्टरी प्रमाण-पत्र पर छुट्टी की आवश्यकता हो तो उसे चाहिए कि वह अविलम्ब, निर्धारित-फार्म पर, उस डाक्टर का प्रमाण पत्र भेजे, जो उसका इलाज कर रहा हो। डाक्टरी प्रमाण-पत्र में यह उल्लेख होना चाहिए कि कर्मचारी को क्या बीमारी है और कितनी अवधि तक उसके ड्यूटी करने में असमर्थ रहने की सम्भावना है । सक्षम प्राधिकारी स्वविवेक पर उस प्रमाण-पत्र को स्वीकार कर सकता है अथवा परामर्श या जांच-पड़ताल के लिए उस मामले को मण्डल चिकित्सा अधिकारी को भेज सकता है और तब परिस्थितियों के अनुसार उस पर कार्रवाई कर सकता है । नियमों में प्राइवेट डाक्टरी प्रमाण-पत्र पर रेलवे डाक्टर द्वारा 'प्रतिहस्ताक्षर' किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है । लेकिन इस बात की व्यवस्था करने के लिये नियमों में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि प्राइवेट डाक्टरी प्रमाण-पत्र पर छुट्टी मंजूर करने के प्रत्येक मामले में रेलवे डाक्टर के लिए यह अनिवार्य होगा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राइवेट डाक्टरी प्रमाण-पत्र को रद्द किये जाने से पहले वह उस मामले का अध्यापन कर ले ।

रेलवे डाक्टर के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत रहने वाले रेल कर्मचारी यदि डाक्टरी आधार पर छुट्टी लेना चाहेंगे तो उन्हें अनिवार्यतः अपने प्राधिकृत डाक्टर द्वारा निर्धारित कार्य में जारी किया गया बीमारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा भले ही वे अपना इलाज प्राइवेट तौर पर करा रहे हों ।

रेलवे में टेलीफोन आपरेटर की नियुक्ति के लिए योग्यताएं

10288. **श्री यशपाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे सेवा आयोग द्वारा सीधे नियुक्त किये जाने वाले विभाग से चतुर्थ श्रेणी के पदों से पदोन्नत किये जाने वाले टेलीफोन आपरेटरों के लिए क्या न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : वर्तमान नियमों के अनुसार रेलों में टेलीफोन आपरेटरों के पद उन कार्यालय क्लर्कों में से भरे जाते हैं, जो टेलीफोन आपरेटर की कोटि के लिए विकल्प देते हैं । क्लर्क की भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता मैट्रिक/हायर सैकेन्ड्री है । चूंकि टेलीफोन आपरेटर की कोटि के लिए सीधी भर्ती नहीं की जाती, इसलिए इस प्रयोजन के लिए शिक्षा सम्बन्धी कोई अर्हता निर्धारित नहीं की गयी है ।

चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को सामान्यतः सीधे टेलीफोन आपरेटर के रूप में पदोन्नत नहीं किया जाता क्योंकि यह कोटि उनकी पदोन्नति सरणि के अन्तर्गत नहीं आती ।

डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट कार्यालय, नई दिल्ली, (उत्तर रेलवे) के अन्तर्गत सी०टी०आई० तथा डी० एस० टी० ई० के सेक्शन में अस्थायी कारीगर

10289. **श्री यशपाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० टी० आई० तथा डी० एस० टी० ई० कार्यालय (नई दिल्ली डिवीजुनल सुपरिन्टेन्डेन्ट के कार्यालय) में कुछ अस्थायी कारीगर, जिन्हें टी० एल० ए० कहा जाता है, लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या क्या है, उनका काम क्या है और उनके इतनी बड़ी संख्या में रखे जाने का औचित्य क्या है;

(ग) क्या सी० टी० आई० को इतनी अधिक संख्या में भर्ती करने का अधिकार मिला हुआ है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

तमिलनाडु में लघु उद्योगों के एककों का बन्द होना

10290. **श्री के० रमानी : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य लघु उद्योग निगम, तमिलनाडु के अन्तर्गत कुल कितने लघु उद्योग एकक हैं;

(ख) क्या उन में से कुछ एकक बन्द है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार सभी एककों को पूरी तरह तथा समुचित रूप में चलाने के लिए क्या सहायता देती है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) : तमिलनाडु सरकार से सूचना मांगी गई है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के निदेशकों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक पर नियंत्रण

10291. **श्री स० कुन्दू** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के आकार, आस्तियों, बिक्री की मात्रा तथा सम्बद्ध व्यक्तियों को योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए उनके प्रबन्ध निर्देशकों तथा अन्य महत्व-पूर्ण अधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्तों, कमीशन आदि के निर्धारित करने के मामले में सरकार कोई नियंत्रण चाहती है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस आशय का विधान बनाने पर विचार कर रही है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) और (ख). कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 269 के उपबन्धों के अन्तर्गत, एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी अथवा उस प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, जो एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी की सहायक है, के प्रबन्ध / पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिये केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है। अधिनियम की धारा 311 के अन्तर्गत, इस प्रकार के व्यक्तियों को बढ़े हुये पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के लिये, सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है। अधिनियम की धारा 2 (24) के अर्थान्तर्गत, 'प्रबन्धक' के विषय में, उनकी नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति के लिये भी अधिनियम की धारा 388 के अन्तर्गत सरकार

के अनुमोदन की अपेक्षा होती है। इस प्रकार की कम्पनी के प्रबन्ध निदेशकों/पूर्ण-कालिक निदेशकों/निदेशकों/प्रबन्धकों के पारिश्रमिक में वृद्धि अथवा उनकों शुद्ध लाभ के 1%, 3%, 5%, 10 %, या 11% को सांविधिक सीमा से अधिक पारिश्रमिक देना, इनमें किसी भी विषय में जैसा अधिनियम में दिया गया है, सरकार का अनुमोदन अपेक्षित होता है।

उपरोक्त विषयों से अनुमोदन प्रदान करते समय सरकार कम्पनी द्वारा प्रस्तावित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की आयु, शैक्षणिक व तकनीकी योग्यताओं व्यापार अनुभव आदि; कम्पनी के आकार, व्यापार की प्रकृति, व्यापारावर्त, लभ्यता, गत वर्ष के कार्य कलापों का परिणाम आदि; अधिनियम में विहित सांविधिक सीमा, एंव सरकार द्वारा समय समय पर, निर्णात प्रशासनिक अधिकतम सीमा पर पूर्ण रूप से विचार करती है। प्रबन्ध पारिश्रमिक पर संशोधित मार्गदर्शक नियमों की एक प्रति, 3 दिसम्बर, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 360 का उत्तर देते समय सदन के पटल पर प्रस्तुत की थी।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रूरकेला इस्पात कारखाने के क्रेन चालकों की हड़ताल

10292. **श्री स० कुन्दू :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात कारखाने और उसी कारखाने की कोल्ड रोलिंग मिल के क्रेन चालकों ने हड़ताल की थी; और यदि हां, तो ये हड़तालें कब हुई थीं और इसके क्या कारण थे;

(ख) क्या 1967 में रूरकेला इस्पात कारखाने के क्रेन चालकों के कार्य का मूल्यांकन करने के बारे में समझौता हुआ था, यदि हां, तो क्या उसको मार्च, 1970 तक कार्यान्वित किया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और रांची स्थित हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के मुख्यालय में कार्य मूल्यांकन का प्रस्ताव कितने महीने तक रुका रहा;

(घ) आरंभ में यह क्षमता कितनी निर्धारित की गई थी और कोल्ड रोलिंग मिल, रूरकेला के लिये संघ द्वारा चरणबद्ध प्रोत्साहन कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए कितनी क्षमता की मांग की गई थी और प्रबंधकों ने आरंभ में कितनी क्षमता निर्धारित की थी; और

(ङ) क्या उक्त उद्देश्यों के लिए कोल्ड रोलिंग मिल की क्षमता के बारे में कोई समझौता हुआ था; यदि हां, तो कितनी क्षमता पर सहमति हुई थी और कब हुई थी?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां। राउरकेला इस्पात कारखाने के बलन मिलों के विभिन्न एककों में 18 अप्रैल, 1970 की 'ए' पारी से 22 अप्रैल, 1970 के 1 बजे अपराह्न तक क्रेन चालकों ने हड़ताल की थी। क्रेन चालक बिना नोटिस दिये अथवा प्रबंधक वर्ग को अपनी मांगों की सूचना दिये बिना ही हड़ताल पर चले गये थे। लेकिन बाद में यह पता चला कि क्रेन चालकों ने अपने वेतनमान बढ़ाने और वेतनमान में परिशोधन की सामान्य मांग को लेकर हड़ताल की थी।

(ख) और (ग). नवम्बर, 1968 में प्रबन्धक वर्ग और राउरकेला मजदूर सभा नामक मान्यता प्राप्त मजदूर संघ में एक समझौता हुआ जिसके अंतर्गत यह तय हुआ कि संयंत्र-स्तर-समिति क्रेन चालकों के कार्यों का मूल्यांकन करेगी। इस समिति में प्रबन्धवर्ग और मान्यता-प्राप्त मजदूर संघ के प्रतिनिधि होंगे। इसके साथ-साथ यह भी तय हुआ कि कार्य मूल्यांकन अध्ययन के आधार पर संयंत्र स्तर समिति जो परिशोधित वेतनमान स्वीकार करेगी उन्हें पूर्व व्यापी समय

अर्थात् 5 मई, 1967 से लागू किया जायेगा। चूंकि कार्यों का मूल्यांकन संयंत्र स्तर समिति द्वारा किया जाना है अत: हिन्दुस्तान स्टील लि० के रांची मुख्यालय द्वारा कार्य मूल्यांकन के प्रस्ताव को लटकाए रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) यूनियन ने पिकलिंग लाइन के लिए, जो ठंडी बेलन मिल का केन्द्र बिन्दु है, 25000 टन मासिक लक्ष्य निर्धारित करने की मांग की थी। निर्धारित क्षमता 37500 टन मासिक होने के कारण प्रबंधक वर्ग द्वारा निर्धारित प्रारंभिक मासिक लक्ष्य 35700 टन का था।

(ङ) जी, हां। ठंडी बेलन मिल के लिए प्रोत्साहन योजना के संबंध में इस यूनियन के साथ 23-4-70 को एक समझौता किया गया और पिकलिंग लाइन के लिए प्रारम्भिक लक्ष्य 26,500 टन मान लिया गया। लक्ष्य में बाद के महीनों में क्रमश: वृद्धि होगी।

Passenger Train Service between Delhi Main and Agra during night

10293. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Parcel train running between Delhi Main and Agra has been withdrawn as a result of which passengers are experiencing a good deal of difficulty;

(b) whether it is also a fact that the Delhi-Agra Passenger trains leave Delhi Junction for Agra at 09·00 hours and 13·30 hours but there is no such train service for Agra during night; and

(c) if so, whether Government propose to run a Passenger train between Delhi Main and Agra during night and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No.

(b) No. Passenger train 360 UP running between Delhi and Jhansi *Via* Agra Cantt. leaves Delhi Main at 23·25 hours and arrives at Agra Cantt. at 07·05 hours.

(c) Does not arise.

Change of name of Sonai Railway Station on Mathura-Hathras Section (North-Eastern Railway)

10294. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Sonai Railway station on the Mathura-Hathras metre-gauge line has been functioning for the last 40 years and it is now being converted into a crossing station and its name is also being changed;

(b) whether it is also a fact that at the time when Government had taken a decision to convert Sonai Halt station into a crossing station, the public and Members of Parliament from Sonai had been assured that no new Railway station is being formed but the Sonai station itself is being converted into a crossing station; and

(c) if so, the reasons for changing the name of the said station now and the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) The name of the proposed crossing station will also be Sonai and it is not being changed.

(b) Yes. Sonai flag station is being converted into crossing station but at a changed location as necessitated by technical considerations.

(c) Does not arise.

रेलवे वाणिज्य क्लर्कों को क्वार्टरों का आवंटन

10295. **श्री किकर सिंह : श्री यशपाल सिंह : श्री ओंकार लाल बेरवा : श्री द० रा० परमार : श्री ए० श्रीधरन :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य क्लर्कों को क्वार्टरों के आवंटन के लिये उनके संवर्ग में "आवश्यक तथा गैर-आवश्यक" जैसी कुछ श्रेणियां हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) स्थानीय निवासियों के लिये क्या नियम तथा विनियम हैं; और

(घ) ऐसे कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटित करने की कसौटी क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

माल तथा पार्सलों के चढ़ाने तथा उतारने के लिए दिए ठेकों से आय

10296. **श्री प्र० न० सोलंकी : श्री ओंकार लाल बरवा : श्री द० रा० परमार : श्री किकर सिंह : श्री ए० श्रीधरन :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलवे और जोनों में गत तीन वर्षों में (वर्षवार) माल तथा पार्सल के चढ़ाने तथा उतारने के लिये किन गैर-सरकारी फर्मों और रेलवे कुलियों को ठेके दिये गये;

(ख) ऐसे ठेके देने के लिये क्या शर्तें हैं; और

(ग) ऐसे ठेकों से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) ठेकों की शर्तें प्रत्येक ठेके के लिए जारी किये गये टेंडर सम्बन्धी अभिलेखों और ठेकेदारों से किये गये करारों में समाविष्ट होती हैं और ये शर्तें हर मामले में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अलग-अलग होती हैं ।

(ग) बयाने और प्रतिभूति निक्षेपों के सिवाय, जो यदि विशिष्ट शर्तों के अनुसार काम पूरा कर दिया जाता है तो वापिस कर दिये जाते हैं, आमतौर पर, ऐसे ठेकों से कोई रकम वसूल नहीं की जाती । इस के बजाय ठेकेदारों द्वारा किये गये काम के लिए रेल प्रशासन भुगतान करते हैं ।

माल तथा पार्सलों के चढ़ाने तथा उतारने के लिए ठेके देने सम्बन्धी नियम एवं विनियम

10297. **श्री किकर सिंह :** **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री ओंकारलाल बेरवा : **श्री प्र० न० सोलंकी :**
श्री देवेन सैन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी प्रकार के माल तथा पार्सलों के चढ़ाने तथा उतारने के ठेके गैर-सरकारी फर्मों तथा रेलवे दोनों को दिये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी नियम तथा विनियम क्या हैं; और

(ग) रेलवे ने क्या नीति अपनायी है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) रेलों पर माल और पार्सलों के लदान और उतराई का काम या तो रेलवे श्रमिक नियुक्त करके विभागीय तौर पर किया जाता है या उसके लिए ठेका दे दिया जाता है ।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में नियम और विनियम ये हैं कि माल और पार्सलों के लदान तथा उतराई का ठेका देने के लिए खुले टेण्डर मंगाये जायें । इन टेण्डरों पर विधिवत गठित एक समिति विचार करती है जो टेण्डरदाताओं की सामर्थ्य, अनुभव और वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखती है । लेकिन, जहां ऐसे किसी ठेके का वार्षिक मूल्य 1,20,000 रुपये या इससे कम हो, वहां ठेका वास्तविक कामगरों की किसी ऐसी प्रामाणिक श्रमिक सहकारी समिति को, टेण्डर मंगाये बिना और बातचीत के आधार पर स्वीकृत दरों पर, दिया जा सकता है जो कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करती हों ।

जहां ठेके का मूल्य इतना कम हो कि कोई ठेकेदार उसके लिए टेण्डर न दे––जैसाकि छोटे स्टेशनों पर होता है––वहां काम या तो विभागीय तौर पर या उसे रेलवे द्वारा निर्धारित दरों पर उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर को सौंप कर, करा लिया जाता है ।

कुछ ऐसे बड़े स्टेशनों पर, जहां ठेकेदारों से काम कराने के अनुभव से पता चला है कि वहां कार्यकुशलता के हित में काम रेलवे द्वारा स्वयं ही किया जाना चाहिए, विभागीय व्यवस्था की जाती है ।

फिर भी, सामान्य नीति यह है कि काम ठेकेदारों को सौंपा जाये और इसमें वास्तविक कामगरों की प्रामाणिक श्रमिक सहकारी समितियों को तरजीह दी जाये ।

भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ से ज्ञापन

10298. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ से तकनीकी पर्यवेक्ष कर्मचारियों की मांगों पर एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या-क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन पर कोई निर्णय किया है;

(घ) क्या सरकार का विचार रेलवे कर्मचारियों के सेक्शन /वर्गवार संगठनों के आधार पर कोई निर्णय करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) उनकी मांगें इस प्रकार हैं :—वेतनमान में संशोधन, संघ को मान्यता, अधिक अच्छी सेवा स्थितियां, पदोन्नति की बेहतर सरणि आदि ।

(ग) इन मांगों की जांच की जा रही है और जहां आवश्यक होगा उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी ।

(घ) और (ङ)· सरकार की नीति यह नहीं है कि वर्ग/कोटि के आधार पर गठित संघ को मान्यता दी जाये, क्योंकि यह रेलों के क्षेत्रीय संचालन के अनुकूल नहीं है और ऐसा करने से छोटी-छोटी ट्रेड यूनियनें हो जायेंगी ।

फिएट कारों के लिए डनलप टायरों की किस्म

10299. डा० कर्णसिंह : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिएट कारों के लिए डनलप टायरों पर असन्तोषजनक किस्म नियंत्रण के कारण वे 7000 किलोमीटर से अधिक नहीं चलते हैं; और

(ख) यदि हां, तो डनलप किस्म का टायर अन्य किस्मों के टायरों की तुलना में इतना खराब होने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे में रेल पथनिरीक्षकों द्वारा कार्यभार सौंपने /सम्भालने के लिए समय-सीमा

10300. श्री द० रा० परमार : **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री यशपाल सिंह :**
श्री किकर सिंह : **श्री प्र० न० सोलंकी :**
श्री देवेन सेन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल पथ निरीक्षकों की सेवा-निवृत्ति के समय सभी स्टाक सामग्री आदि का कार्यभार सौंपने के लिये 10 दिन की अवधि आवश्यक है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कार्यभार सौंपते समय कार्यभार सौंपने वाले और संभालने वाले व्यक्ति दोनों को उपस्थित होना चाहिये;

(ग) क्या यह सच है कि वस्तुओं का किताबों में और वस्तु-सूची में लिखे अनसार व्यक्तिगत रूप से मिलना भी आवश्यक है;

(घ) यदि हां, तो इन सब का 10 दिन में मिलान कराना कैसे संभव है; और

(ङ) उत्तर रेलवे में (तीन वर्षों में वर्षवार) कितने रेल पथ निरीक्षक समय-सीमा में इसे पूरा न कर सके और उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 10 दिन की ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, कार्य-भार सौंपने में कितना समय लगेगा यह कार्यभार की मात्रा पर निर्भर है ।

(ख) और (ग). जी, हां ।

(घ) और (ङ). सवाल नहीं उठता ।

रेल-पथ पर निरीक्षकों की सेवा-निवृत्ति के लिए नियम

10301. श्री प्र० न० सोलंकी : श्री किकर सिंह :
श्री द० रा० परमार : श्री स० कुन्दू :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल पथ निरीक्षकों की सेवा-निवृत्ति के रेलवे विभाग के कुछ सामान्य नियम हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर तथा पश्चिम रेलवे में ऐसे कितने रेल पथ निरीक्षक हैं जिन्हें नियमों के अनुसार सेवा-निवृत्त नहीं किया गया; और

(घ) इसके क्या कारण हैं और उत्तर रेलवे तथा पश्चिम रेलवे के ऐसे रेल पथ निरीक्षकों का गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). रेल पथ निरीक्षकों सहित सभी रेल कर्मचारी (भूतपूर्व कम्पनी और भूतपूर्व स्टेट रेलवे के उन कर्मचारियों को छोड़कर जिन्होंने समाहित होने से पूर्व की सेवा शर्तों को कायम रखा है और इस तरह जो सरकार द्वारा लिए जाने के समय लागू भूतपूर्व कम्पनी तथा भूतपूर्व स्टेट रेलों के नियमों से शासित होते आ रहे हैं) भारत सरकार रेलवे स्थापना संहिता भाग-II के नियम 2046 से शासित होते हैं जो अनुबन्ध के रूप में (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखी जाती है । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या L. T.** 3609/70] ।

(ग) और (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर रेलवे में स्टेशन पद तथा पारगमन पद पर कार्य करने वाले माल बाबुओं के कर्त्तव्य

10302. श्री ओंकार लाल बेरवा : श्री यशपाल सिंह :
श्री देवेन सेन : श्री किकर सिंह :
श्री द० रा० परमार :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में स्टेशन पद तथा पारगमन पद पर कार्य करने वाले कुछ माल बाबुओं के कार्य के मामले में उन्हें बारी-बारी बदला नहीं जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे रेलवे कर्मचारियों का व्यौरा क्या है जिन्होंने केवल स्टेशन पद तथा केवल पारगमन पद पर कार्य किया है; और

(घ) उनके तबादलों का आधार क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

नई दिल्ली में शंकर रोड के निकट देशी शराब की दुकान खोलना

10303. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में शंकर रोड के समीप रिज पर एक देशी शराब की दुकान खोलने का विचार है;

(ख) क्या मन्दिर मार्ग पर हरिजन कालोनी के पीछे के क्षेत्र की समाज कल्याण की दृष्टि से सरकार द्वारा उपेक्षा की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि अनेक प्रधान मंत्रियों ने आश्वासन दिये हैं कि स्वस्थ मनो-रंजन तथा समाज कल्याण को बढ़ावा देने के लिये मन्दिर मार्ग के पीछे के क्षेत्र और रिज का विकास किया जायेगा;

(घ) क्या उस क्षेत्र में एक शराब की दुकान खोलने के निर्णय और एक बूचरखाना स्थापित करने के कथित निर्णय का यह अर्थ है कि उस क्षेत्र का समाज कल्याण की दृष्टि से विकास करने का विचार छोड़ दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार उस क्षेत्र में जिसमें रवीन्द्र रंगशाला तथा बुद्ध जयन्ती पार्क है समाज कल्याण को बढ़ावा देने हेतु उपाय सुझाने के लिये कोई समिति नियुक्त करेगी और इस भूमि का प्रयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिये नहीं करने देगी जो समाज कल्याण की दृष्टि से हानिकारक हो ?

विधि तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री [डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह]: (क) अपर रिज रोड तथा शंकर रोड के चौराहे से लगभग 120 गज के फासले पर अपर रिज रोड पर 2 मई, 1970 से देशी शराब की दुकान खुल गई है ।

(ख) नहीं, श्रीमान । हरिजन कालोनी के पीछे के सारे क्षेत्र को, जो रिज के अन्तर्गत आता है, मास्टर प्लान में "हरे क्षेत्र" के रूप में दर्शाया गया है । तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण तदानुसार इसका विकास करने के लिए कदम उठा रहा है ।

(ग) ऐसे आश्वासनों के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) नहीं, श्रीमान ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे गार्ड पेंशनर संघों से अभ्यावेदन

10304. श्री गं० च० दीक्षित : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत सरकार से पेंशन पाने वाले रेलवे गार्डों के रेलवे गार्ड पेंशनर संघों से कोई याचिका अथवा अभ्यावेदन मिला है कि जीवन निर्वाह व्यय बढ़ जाने की दृष्टि से पेंशनों की राशि बढ़ायी जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सेवा-निवृत्त गार्डों को अब दी जाने वाली पेंशन की राशि में वृद्धि करने का है; और

(ग) सेवा निवृत्त गार्डों की हालत में सुधार करने के लिये सरकार ने गत पांच वर्षों में क्या कार्रवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) अखिल भारतीय सेवा निवृत्त रेल कर्मचारी संघ (जिसमें गार्ड भी शामिल हैं) की ओर से पेंशन की रकम बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन मिले हैं।

(ख) और (ग). जहां तक पेंशन सम्बन्धी लाभों का सम्बन्ध है, गार्डों के साथ वही व्यवहार होता है जो अन्य रेल कर्मचारियों के साथ सिवाय इसके कि गार्डों के मामलों में अर्जित रनिंग भत्ते के एक हिस्से को पेंशन सम्बन्धी लाभों का हिसाब लगाने में शामिल किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि रेल मन्त्रालय, वित्त मन्त्रालय द्वारा सिविल विभागों के लिए पेंशन सम्बन्धी लाभों के लिए जारी किये आदेशों/नियमों का अक्षरशः पालन करता है। यदि वित्त मंत्रालय पेंशन नियमों को आगे और उदार बनाने का विनिश्चय करे तो रेलों पर भी इन नियमों को और उदार बना दिया जायेगा।

राजभाषा (विधायी) आयोग में हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में अधिनियमों, विधेयकों, आदि का अनुवाद विधीक्षा तथा अधिप्रमाणीकरण

10305. श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जय सिंह :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजभाषा (विधायी) आयोग, विधि पत्रिका तथा विधि मंत्रालय में अधिनियमों, विधेयकों तथा संशोधनों आदि के हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद, विधीक्षा तथा अधि-प्रमाणीकरण करने से संबद्ध कितने पद हैं, जिनके अंतर्गत आयोग के सदस्यों के पद भी जाते हैं, उनके पदाभिधान तथा वेतन मान और कार्य का मापमान, कर्त्तव्य, उत्तरदायित्व और प्रोन्नति के अवसर क्या हैं; और

(ख) ऊपर भाग (क) में वर्णित विभागों में उनके बनने से लेकर आज तक वर्षवार कितने अधिनियमों, विधेयकों तथा संशोधनों का अलग-अलग अनुवाद किया गया है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) और (ख). दो विवरण सदन के पटल पर रखे जाते हैं। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या L. T. 3610/70**]

राष्ट्रपति के रूप में श्री वी० वी० गिरी के निर्वाचन के विरुद्ध दायर की गई अर्जी पर खर्च की गयी राशि

10306. श्री अब्दुल गनी डार : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969 में राष्ट्रपति के रूप में श्री वी० वी० गिरि के निर्वाचन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में दायर की गई अर्जी का विरोध करने के लिए 25 अप्रैल, 1970 तक सरकार ने कितनी राशि खर्च की है; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपराज्य मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) और (ख). उच्चतम न्यायालय में निर्वाचन आयोग की हाजिरी उच्चतम न्यायालय नियम, 1966 के नियम 14 आदेश XXXIX के अधीन उस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निदेश के अनुपालन में थी न कि श्री वी० वी० गिरि के विरुद्ध निर्वाचन अर्जी का विरोध करने के लिए । इस सम्बन्ध में व्यय का पता तभी लगेगा जब काउन्सेलों के और अन्य व्यक्तियों के जो मूल दस्तावेजों के साथ और शपथ-पत्र दायर करने के लिए राज्यों से दिल्ली बुलाए गए थे, सभी बिल प्राप्त हो जाएंगे ।

उत्तर रेलवे में स्टेशन पद तथा पारगमन पद के माल बाबू

10307. **श्री ए० श्रीधरन : श्री किकर सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : श्री यशपला सिंह :
श्री द० रा० परमार :

रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में दो प्रकार के माल बाबू हैं एक को स्टेशन पद तथा दूसरे को पारगमन पद कहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक का कार्य क्या होता है ; और

(ग) इन माल बाबुओं की एक स्थान पर कार्य करने की समय-सीमा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

उत्तर रेलवे में रेलवे वाणिज्य क्लर्कों को क्वार्टर अलाट करना

10308. **श्री द० रा० परमार : श्री किकर सिंह :**
श्री देवेन सेन : श्री ए० श्री धरन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में वाणिज्य क्लर्कों को क्वार्टर अलाट करते समय इस बात पर विचार किया जाता है कि क्लर्क स्थानीय निवासी हैं या नहीं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) स्थानीय निवासियों को क्वार्टर देने के लिए सरकार की क्या कसौटी तथा नीति है; और

(घ) उत्तर रेलवे में ऐसे कितने क्लर्क हैं जिन्हें क्वार्टर अलाट किए गए हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). वर्तमान नीति यह है कि वास्तविक कठिनाई के कुछ मामलों को छोड़कर, जिनमें कि बिना बारी के या सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर आवंटन

किया जाता है, क्वार्टर सर्वथा रजिस्टर में दर्ज प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किए जाते हैं। क्वार्टरों के आवंटन के उद्देश्य से स्थानीय निवासियों और बाहरी व्यक्तियों के बीच कोई भेद-भाव नहीं बरता जाता। इसलिए स्थानीय निवासियों को क्वाटरों के आवंटन के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते।

तमिलनाडु में उच्च सदन को समाप्त करने की मांग

10308-क. श्री वि० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **विधि तथा समाज उकल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया है कि मितव्ययता के एक उपाय के रूप में राज्य में उच्च सदन को समाप्त कर दिया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय में तथा समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1970-71 के लिए भारत में परियोजनाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा धन का नियतन

10308-ख. श्री देविन्दर सिंह गार्चा : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि ने 1970-71 में भारत में परियोजनाओं के लिए 5.6 करोड़ रुपये नियत किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन पर यह राशि व्यय की जायेगी ;

(ग) क्या सुप्रशिक्षित सहायक नर्स दाइयों की संख्या बढ़ाने के लिये परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए कुछ धन प्राप्त होने की भी कोई सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो वह राशि कितनी है और उसके कितने समय तक मिलने की आशा है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री [डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुहा] : (क) से (घ) : सरकार के युनीसेफ के कार्यकारी बोर्ड के 1970 के सत्र द्वरा अनुमोदित निधियों का अन्तिमठ्य से नियतन किये जाने के बारे में औपचारिक रूप से युनिसेफ से कोई पत्र नहीं मिला है। तथापि सरकार को मिली एक सूचना के अनुसार बोर्ड के 1970 के सत्र में भारत में कार्यक्रमों के लिये युनिसेफ के कार्यकारी निदेशक द्वारा 75.81 लाख डालर की राशि के नियतन की सिफारिश की गई है।

आयकर अधिकरण

10308-ग. श्री वेणीशंकर शर्मा : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न स्थानों पर आयकर अधिकरणों की संख्या कितनी है और वर्ष 1968, 1969 तथा 1970 की 31 मार्च को प्रत्येक अधिकरण के समक्ष कितनी अपीलें लम्बित थीं ;

(ख) लम्बित मामलों की संख्या कम करने के लिए गत तीन वर्षों में कितनी न्याय पीठें बढ़ाई गई ;

(ग) गत तीन वर्षों में कितने नए सदस्य नियुक्त किए गए और वे किन-किन राज्यों के हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) अपेक्षित जानकारी अन्तर्विष्ट करने वाला विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(ख)

वर्ष	बढ़ाई गई न्याय-पीठों की संख्या
1967-68	1
1968-69	4
1969-70	4

(ग) जानकारी संग्रहीत की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

स्थान	1967-68		1968-69		1969-70	
	न्याय-पीठों की संख्या	31-3-68 को लम्बित अपीलों की संख्या	न्याय-पीठों की संख्या	31-3-69 को लम्बित अपीलों की संख्या	न्याय-पीठों की संख्या	31-3-70 को लम्बित अपीलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1. बम्बई (मुख्यालय)	4	15,916	4	15,262	4	11,733
2. कलकत्ता	3	14,781	4	16,348	5	18,732
3. दिल्ली	3	7,809	3	9,838	3	9,293
4. मद्रास	2	5,474	2	2,937	1	3,645
5. इलाहाबाद	1	3,493	1	3,691	1	4,122
6. हैदराबाद	1	3,826	1	4,477	1	4,248
7. पटना	1	4,204	1	5,576	1	7,164
8. कोचीन	—	—	1	1,207	1	1,404
9. अहमदाबाद	—	—	1	3,517	1	3,605
10. बंगलौर	—	—	1	481	1	669
11. इंदौर	—	—	—	—	1	3,361
12. चंडीगढ़	—	—	—	—	1	2,725
13. कटक	—	—	—	—	1	171
14. नागपुर	—	—	—	—	1	3,799
	15	55,503	19	63,334	23	74,671

अतारांकित प्रश्न संख्या 355 दिनांक 24-2-70, प्रश्न संख्या 1261 दिनांक 3-3-70 और प्रश्न संख्या 3911 दिनांक 24-3-70 के उत्तर में शुद्धि करने वाले विवरण

Correcting statements to USQ 355 dated 24-2-70, USQ 1261 dated 3-3-1970 and USQ 3911 dated 24-3-70.

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : गुजरात सरकार द्वारा यात्री गाड़ियों/रेलवे के सीमा-क्षेत्र में होने वाले अपराधों के संशोधित आंकड़े सूचित किए जाने के परिणामस्वरूप, पहले दिए गए उत्तर में शुद्धि करने की जरूरत है ।

प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण पत्र में, गुजरात राज्य के सामने क्रम संख्या पांच के अन्तर्गत "हत्या" कालम में 4 और "चोरी" कालम में अन्तर्गत 269 पढ़िए ।

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : गुजरात सरकार ने सवारी गाड़ियों/रेल परिसरों में किए गए अपराधों के परिशोधित आंकड़ों की सूचना दी है, इसलिए, पहले जो उत्तर दिया गया था उसमें संशोधन की आवश्यकता है और सही उत्तर इस प्रकार होगा :—

(क) और (ख). सवारी गाड़ियों और रेलवे परिसरों से लूट, डकैती और हत्या के जिन मामलों की रिपोर्ट मिली है उनकी संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	हत्या	डकैती	लूट
1967	10	1	28
1968	3	5	36
1969 . .	28	6	32
1970 . . . . (15-2-70 तक)	1	—	1

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): 24 मार्च 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3911 के (ग) तथा (घ) भाग के उत्तर में सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य में के० आर० स्टील यूनियन प्राइवेट लिमिटेड के शीर्षक के अन्तर्गत मैसर्स के० आर० स्टील यूनियन प्राइवेट लिमिटेड, पश्चिम बंगाल को आवंटित निर्यात कोटा "फरवरी, 1969 से जुलाई, 1969 तक, 2000 टन प्रति मास है जिसमें 1250 टन तार छड़ें शामिल हैं" बताया गया था । मैं कहना चाहता हूं कि उपरोक्त विवरण को इस प्रकार पढ़ा जाए "फरवरी 1969 से जुलाई, 1969 तक 2000 टन प्रति मास है जिसमें 1250 टन की भारी बिलेटें (125 मि० मी०) भी शामिल हैं ।"

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया की लन्दन स्थित शाखा में धन के गबन का समाचार

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं वित्त मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया की लंदन स्थित शाखा, में 12 लाख पौण्ड से अधिक के गबन के समाचार तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ।"

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : : सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया से उनके लन्दन स्थित कार्यालय में संदिग्ध धोखाधड़ी के मामले के सम्बन्ध में निम्नलिखित ब्यौरा प्राप्त हुआ है।

सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की लन्दन शाखा के कार्य में पता लगने वाली कुछ अनियमितताओं के सम्बन्ध में बैंक ने 23 सितम्बर 1969 को एक विशेष पदाधिकारी को लन्दन भेज कर अपनी लन्दन स्थित शाखा की विशेष लेखा परीक्षा की व्यवस्था की थी। बाद में मार्च, 1970 में लन्दन कार्यालय के कुछ हिसाब किताब में अनियमितताओं की जांच करने के लिये बैंक के जनरल मैनेजर को लन्दन भेजा गया था। जनरल मैनेजर से लन्दन के मैनेजर श्री सामी जे० पटेल को कार्यमुक्त कर दिया और उनका काम एक अन्य अधिकारी श्री खलीफा को सौंप दिया। 15 अप्रैल, 1970 को सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया के लन्दन स्थित कार्यालय को हमबुर्ग के स्लोमन बैंक से टेलेक्स का एक सन्देश प्राप्त हुआ जिसमें यह उनसे प्रार्थना की गई थी, कि वे 10, विनियम पत्रों के जोकि कुल 20 लाख डोइत्स मार्क के साम्बन्ध में थे अकाट्य गारंटी की पुष्टि करें। उनमें यह कहा गया था कि यह विनिमय पत्र लन्दन की फर्म माण्टेक्स लिमिटेड द्वारा सी० रामन एण्ड को० लिमिटेड लन्दन से खरीदे गये थे। बैंक की लन्दन स्थित शाखा ने माण्टेक्स लिमिटेड के श्री० सी० एम० शाह से सम्पर्क स्थापित किया। श्री शाह ने इस बात से इंकार कर दिया कि उन्होंने ये बिल खरीदे हैं। 16 अप्रैल, 1970 को बैंक के लण्दन स्थित कार्यालय में स्लोमन बैंक को टैलेक्स द्वारा एक संदेश भेजा जिसमें इस बात का खण्डन किया गया था कि उन्होंने ऐसी कोई गारंटी दी है। और उनसे यह प्रार्थना की गई थी कि वे उनके द्वारा उल्लिखित दस्तावेजों और बिलों की फोटोस्टेट प्रतियां उनके पास भेज दें। और उन्हें यह भी कहा गया था कि वे इस सम्बन्ध में सावधानी बरतें। उसी दिन स्लोमन बैंक ने सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के लन्दन स्थित कार्यालय को सूचित किया कि 10 विनिमय पत्र जिनमें बैंक की गारन्टी दी हुई है श्री मार्यो डी० राका जो कि मैसर्ज एल बेहरीन और सोहने नामक हमबुर्ग के निजी साहुकार थे, उनके द्वारा भुगतान के लिए पेश किए गए थे। गारंटी पत्र पर श्री एस० जे० पटेल ने मैनेजर के रूप में और श्री हाना के एकाउण्टेण्ट के रूप में हस्ताक्षर विद्यमान थे। सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के कथनानुसार श्री हाना बैंक में जूनियर क्लर्क थे और उन्हें बैंक की ओर से किन्ही दस्तावेजों को निष्पादित करने का बैंक द्वारा अधिकार नहीं दिया गया था, और न ही इन गारंटियों में से किसी को भी बैंक के खाते में रजिस्टर किया गया था। इस-लिए बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि 10 विनिमय पत्र और गारंटी पत्र जाली दस्तावेज हैं।

17 अप्रैल, 1970 को बैंक के अडिटर श्री मिस्त्री और उनके साथ श्री शाह जिनके बारे में यह समझा जाता था कि उन्होंने माण्टेक्स की तरफ से 10 विनिमय पत्र तैयार किए थे, हमबुर्ग स्थित स्लोमन बैंक के कार्यालय में पहुंचे। जहां उन्हें श्री पटेल द्वारा हस्ताक्षरित पत्रों की फोटोस्टेट कापियां दिखाई गई। जिससे यह सिद्ध होता था कि इन विनिमय पत्रों को स्वीकार करने वालों का सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की लन्दन स्थित शाखा में बाहरी खाता था और जिसके लिए बैंक आफ इंगलैण्ड की अनुमति मिली हुई थी। परन्तु सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के कथनानुसार वह ठीक नहीं था। ऐसा बताया जाता है कि श्री पटेल ने एक पत्र लिखा था जिसमें बैंक के उन अधिकारियों के हस्ताक्षर का नमूना भेजा गया था जिन्हें बैंक की ओर से हस्ताक्षर करने का अधिकार है। हस्ताक्षर-कर्ताओं की इस सूची में श्री हाना का नाम शामिल नहीं था। परन्तु कहा जाता है कि श्री पटेल ने एक और पत्र लिखा था जिसमें बैंक के विदेशी संवाददाताओं को यह सलाह दी गई थी कि श्री हाना को विदेशी व्यापार का प्रभारी नियुक्त किया गया है। और यह भी बताया जाता है कि उन्होंने उसके हस्ताक्षर को प्रमाणित किया था। गारंटी के मूल पत्रों की फोटोस्टेट प्रतियों पर 26 मार्च, 1969 की तारीख पड़ी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि 26 मार्च, 1970 को इन्हें फिर से जारी किया गया था।

स्लोमन बैंक के मैनेजर और उनके साथ उनके कानूनी सलाहकार ने हमबुर्ग स्थित मैसर्स एल वेहरीन्स और सोहने के कार्यालय में श्री डी० राका के साथ बातचीत की । और उस समय सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया का एक पदाधिकारी भी उपस्थित था । श्री डी० राका सभी विनिमय पत्रों और बैंक द्वारा रद्द किए जाने के लिए उनकी ओर से निष्पादित अन्य पत्रों को लौटाने के लिए तैयार नहीं थे । जब बैंक के पदाधिकारी ने श्री डी० राका को यह बताया कि यह सारा सौदा रद्द हो जाएगा क्योंकि ये सारे दस्तावेज (विनिमय पत्र और गारंटी पत्र दोनों ही) जाली थे तो श्री डी० राका ने उत्तर दिया कि वे विनिमय पत्रों के भुगतान की तिथि को अर्थात् 27 जून, 1970 को बैंक पर मुकदमा कर देंगे ।

सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने अपने केन्द्रीय कार्यालय के मैनेजर (कर्मचारी) श्री डी० बी० तनेजा को 11 मई, 1970 को लन्दन भेजा । वैदेशिक कार्य मंत्रालय ने हमारे लन्दन स्थित उच्चायुक्त और वॉन स्थित राजदूत से प्रार्थना की है कि वे श्री तनेजा को आवश्यक सहायता दें ।

सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के कथनानुसार बैंक के रिकार्ड में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे ये पता चले कि ये गारण्टियां जारी की गई हैं । बैंक की यह प्रथा नहीं है कि पत्र के रूप में इस प्रकार की गारण्टी जारी की जाए जैसा कि इस मामले में हुआ है । इसके अतिरिक्त बैंक के लन्दन स्थित कार्यालय के उक्त पदाधिकारियों में से किसी को भी इस प्रकार की गारण्टी जारी करने का अधिकार नहीं है । इन परिस्थितियों में बैंक का यह विचार है कि किसी प्रकार के अनियमित सौदे के बारे में यह प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं है । बैंक के कथनानुसार कुछ निहित स्वार्थ व्यक्ति बैंक पर ये सौदे लादने की कोशिश कर रहे हैं । बैंक के प्रतिनिधि लन्दन में स्काटलैण्ड यार्ड से सम्पर्क बनाए हुए है ।

अब तक सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया को 20 लाख डोइत्स मार्क (लगभग 41 लाख रुपए) के विनिमय पत्रों के अनियमित सौदों का अब तक पता लगा है । इस संदिग्ध धोखाधड़ी में कुल कितनी राशि अन्तग्रस्त है यह तो केवल तभी पता लग सकता है जब इस प्रकार के सब दावे बैंक के सामने पेश कर दिए जाएंगे । परन्तु मैसर्स बेहरीन्स और सोहने का यह दावा है कि उनके पास कुल मिलाकर 1 करोड़ 5 लाख डोइत्स मार्क (लगभग 2 करोड़ 16 लाख रुपए) के विनिमय पत्र विद्यमान हैं ।

श्री सामी जे० पटेल कथित अवधि में सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की लन्दन स्थित शाखा के मैनेजर थे । वह बहुत वर्षों से लन्दन स्थित कार्यालय में काम कर रहे थे और 1966 से लन्दन स्थित शाखा के मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे थे । उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और उन्हें 26 मार्च, 1970 को कार्यमुक्त कर दिया गया । बैंक ने उनकी भविष्य-निधि और उपदान जिसकी राशि 1 लाख 15 हजार रुपए है जब्त कर लिए हैं । इस समय वे कहां हैं उसका कुछ पता नहीं है ।

प्रश्नों का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने कहा : कुछ लोगों ने, जिनकी आदत उत्तेजना पैदा करने की होती है, यह दावा किया है कि किसी दल द्वारा श्री हसकर, श्री कामथ और श्री मसानी को श्री रमन शाह, साहूकार की गतिविधियों के बारे में शिकायत करते हुए एक पत्र लिखा गया है । उन्होंने यह भी दावा किया है कि श्री रमनशाह ने उस पत्र की एक प्रति श्री हसकर से प्राप्त की और अन्य दो व्यक्तियों से नहीं, जिनको कि पत्र भेजे गए थे । लगता है कि यह स्पष्ट रूप से राजनीतिक प्रेरणा से किया गया है और इसका मामले की वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं है । श्री हसकर का नाम प्रधान मंत्री के कहने पर लिया गया है ।

विनिमय हुंडी की प्रणालीं बहुत प्रचलित है और जहां बैंक गारन्टी लेने की बात होती है वहां एक-एक महत्वपूर्ण प्रलेख है । इसकी एक नियमित आकृति होती है अतः यह पत्रों के रूप में जारी नहीं किया जाता है । चाहे सम्बन्धित अधिकारी की इन गारण्टियों को जारी करने का प्राधिकार हो और चाहे वह यह पत्र के रूप में कर सकता हो, चाहे ये पत्र प्रमाणित हों या नकली हों, ये मामले जांच करने के लिए हैं और एक बहुत नाजुक कानूनी मामला पैदा हो गया है । लेकिन मैं केवल सभा को यह विश्वास देना चाहता हूं कि उचित जांच पड़ताल करने के लिए यथा-सम्भव कार्यवाही की जाएगी ।

सेण्ट्रल बैंक कार्यालय द्वारा किए गए आन्तरिक लेखा परीक्षा 'प्रतिवेदन के सम्बन्ध में हम बैंक को लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को पढ़ने के लिए कहेंगे', यद्यपि यह एक आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन है और हम रिजर्व बैंक को वास्तविक तथ्य बताने के लिए कहेंगे और जब तथ्यों की जानकारी हो जाएगी तो मैं इससे सभा को अवगत कर दूंगा ।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : On a point of order, Sir. The reply given by the hon'ble Minister is incorrect and incomplete........

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा । यहां पर यह प्रथा नहीं है ।

Shri George Fernandes : Kindly listen to me for a minute and in case it is not a fact, I can be asked to sit down.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रथा नहीं है ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज मैं कोर्ट प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं । इस मामले में प्रधान मंत्री सचिवालय के श्री हक्सर का हाथ है । मेरे पास दस्तावेज हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इन बातों को उठाने के लिए नियमित प्रक्रिया है, आपको निदेश संख्या 115 के अधीन मुझे लिखना चाहिए । मैं तब इसकी अनुमति दूंगा, इस प्रकार नहीं (व्यवधान) ।

Shri George Fernandes : Shri Haksar is involved in it. The person who has given me this information has been threatened to be done away with.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : It would help in asking the questions if this document is allowed to be laid on the table.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं दस्तावेज़ प्रस्तुत कर रहा हूं (**व्यवधान**)

श्री सेझियान : अब तक प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि 2.57 करोड़ रुपए का गोल-माल हुआ है । इसके अतिरिक्त और बिल तथा दावे प्राप्त होने पर उपर्युक्त राशि बढ़ भी सकती है । अब प्रश्न यह है कि क्या सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया की बैंकिंग व्यवस्था की प्रक्रिया में कोई ऐसा दोष है और इतनी अधिक कमियां हैं कि गोलमाल हो जाता है और उसका पता तक नहीं चलता; सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है और यदि इन कमियों को दूर नहीं किया गया तो गोलमाल की और घटनाएं भी हो सकती हैं । मंत्री महोदय का वक्तव्य कई प्रकार से अधूरा है । उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया के लंदन स्थित कार्यालय में अनियमितताओं की जांच करने के लिए बैंक के जनरल मैनेजर को लंदन किस तारीख को भेजा गया था । उन्होंने यह भी नहीं बताया कि श्री पटेल ने किस तारीख को त्याग-पत्र दिया था । समाचार-पत्रों में लिखा था कि श्री पटेल ने बम्बई जाने से इन्कार कर दिया था और उसी दिन अर्थात् 9 मार्च को त्याग-पत्र दे दिया था । वह मार्च के अन्त तक कार्य करते रहे और बाद में उन्हें एक महीने की छुट्टी दे दी गई थी । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं

कि जब कोई गोलमाल हुआ है और गोलमाल करने वाले व्यक्ति का पता भी चल गया है और जब उसने त्याग-पत्र दिया तो उसे निलम्बित करके उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के बजाए उसे किन परिस्थितियों में उसी शाखा में कार्य करते रहने की अनुमति दी गई थी ? समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार जब 9 मार्च को उस व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांगा गया था तब उसको सेवा-मुक्त करने में 18 दिन का समय क्यों लगाया गया ? मंत्री महोदय का कहना है कि उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया था और उन्हें 26 मार्च 1970 को सेवा-मुक्त कर दिया गया था। 26 मार्च की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। गारंटी सम्बन्धी मूल पत्रों को फोटोस्टेट (हस्तलिपि की चित्र लिपि) प्रतिलिपि पर 26 मार्च 1969 की तारीख़ है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें 26 मार्च 1970 को पुनः जारी किया गया है। इसी तारीख को उन्हें सेवा-मुक्त किया गया है। अतः इस व्यक्ति ने जब 9 मार्च को त्याग-पत्र दिया था तभी उसे सेवा मुक्त क्यों नहीं किया गया और उसके विरुद्ध क्यों कार्यवाही नहीं की गई थी ? फिर मंत्री महोदय के वक्तव्य के अन्त में कहा गया है कि उनका कोई अता-पता नहीं है।

फिर सैंट्रल बैंक को स्काटलैंड यार्ड से सम्पर्क स्थापित करने पर पता चला है कि श्री पटेल ने 9 वर्ष पूर्व अपनी नागरिकता भी बदल ली है और अब वह ब्रिटिश नागरिक हैं। बैंक को अपने कर्मचारियों की नागरिकता तक की जानकारी नहीं है मुझे समझ नहीं आता है कि सरकार किस अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत उनको स्वदेश लौटाएंगे ?

मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या बैंक उपर्युक्त बिलों की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेने को तैयार है या नहीं जो उनके एक कर्मचारी ने छलकपट से जारी किए हैं क्योंकि उनकी गारंटी बैंक द्वारा दी गई है यद्यपि एक कर्मचारी ने यह गोलमाल किया है।

श्री प्र० चं० सेठी : यह मामला जांच की बहुत ही नाज़ुक स्थिति में है। जब स्काटलैंड यार्ड और सम्बन्धित अधिकारी तथा दूतावास के कर्मचारी इस मामले की जांच कर रहे हैं तब ऐसी स्थिति में कुछ माननीय सदस्यों द्वारा इस सभा में इस मामले को उठाना (**व्यवधान**) जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया का भी अन्य 13 बैंकों के साथ राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस से पूर्व यह एक गैर-सरकारी बैंक था और श्री पटेल वहां गत 14 वर्ष से कार्य कर रहे हैं और उन्होंने कई पदों पर काम किया है और वह अब नहीं बल्कि वर्ष 1966 में बैंक मैनेजर बने थे। जैसे ही बम्बई में सैंट्रल बैंक के अधिकारियों को पता चला कि कुछ अनियमितताएं की गई हैं उन्होंने लेखा-परीक्षा का एक दल वहां भेजा था और लेखा परीक्षा के तत्काल पश्चात वहां पर मार्च में जनरल मैनेजर को भेजा गया था। वहां जा कर उन्होंने श्री पटेल को कहा कि उनको बम्बई स्थानान्तरित किया जा रहा है। श्री पटेल ने बम्बई आने से इन्कार कर दिया था और अपना त्याग-पत्र दे दिया था। यह सच है कि उन्होंने अपना त्याग-पत्र 9 मार्च को दिया था और उनका त्याग-पत्र 26 मार्च को स्वीकार किया गया था। सैंट्रल बैंक इस मामले की जांच कर रहा है। हमने स्काटलैंड यार्ड को भी इस मामले की जांच करने के लिए कहा है।

जहां तक श्री पटेल द्वारा हस्तान्तरित दस्तावेज़ों के लिए बैंक की ज़िम्मेदारी का सम्बन्ध है, स्थिति यह है कि विनिमय बिलों की गारंटी एक निर्धारित फार्म पर दी जाती है। यह गारंटी श्री पटेल द्वारा दी गई गारंटी है। क्या यह गारंटी भी झूठी है या नहीं क्योंकि विनिमय बिलों से सम्बन्धित फ़र्मों ने इस बात से इन्कार किया है, उनका कहना है कि हस्ताक्षर जाली हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें धन राशि नहीं मिली है। श्री हन्ना के हस्ताक्षर भी जाली बनाए गए हैं क्योंकि इस हस्ताक्षर वाला कोई व्यक्ति नहीं है। इस नाम का एक जूनियर क्लर्क तो है परन्तु इस नाम

का कोई एकाउंटेंट नहीं है । यह सारा मामला अब जांच का विषय बन गया है कि यह स्थिति ठीक है या नहीं । हम भी इस हस्ताक्षर के आगे श्री पटेल द्वारा दी गई गारंटी सम्बन्धी पत्रों के आधार पर, जिसके बारे में बैंक की लेखा पुस्तकों में कोई उल्लेख नहीं है कानूनी सलाहकारों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं । फिर यह गारंटी नियमित फ़ार्म पर नहीं दी गई है जैसी कि विनिमय बिलों के लिए गारंटी देने के लिए सामान्य प्रथा है । इस लिए यह एक कानूनी विषय है जिसकी जांच की जाएगी और कानूनी रूप से उत्तरदायित्व बैंक की कानूनी स्थिति के अनुसार निर्धारित किया जाएगा । बैंक की स्थिति यह है कि यह एक जाली मामला है और इसके लिए बैंक उत्तरदायी नहीं है । फिर भी जब उपर्युक्त फ़र्म मुकदमा दायर करेगी क्योंकि उन्होंने बैंक पर दावा करने की धमकी दी है तो इस मामले का निर्णय न्यायालय करेगा । जहां तक श्री पटेल के ब्रिटिश पार-पत्र का सम्बन्ध है उन्होंने यह पारपत्र वर्ष 1960-62 में प्राप्त किया था जो बहुत पहले की बात है, अब की नहीं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : 220 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा की जालसाजी तो जालसाजी का एक भाग है । आज पौंड, जो 18 रुपए का बेचा जाना चाहिए, बाजार में 32 रुपए का बेचा जा रहा है । डालर का विनिमय दर से 2½ गुना अधिक मूल्य पर बेचा गया है । सरकार को इस सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करना चाहिए । देश की सारी सम्पत्ति इस प्रकार से बाहर जा रही है । इस मामले में सैन्ट्रल बैंक लन्दन के भूतपूर्व मैनेजर का भी हाथ है । वह इंगलैण्ड में बहुत विलासपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था ।

जर्मन बैंक, वेहरन्स एण्ड सन्स, जिसकी स्थापना अक्तूबर, 1969 में की गई थी, में 1 करोड़ 5 लाख मार्कस की कीमत की हुंडी खरीदी जबकि उसकी कुल प्रदत्त पूंजी 10 लाख 5 हजार रुपए की थी । सरकार को यह बात भी जाननी चाहिए कि सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, लन्दन के मैनेजर श्री पटेल ने मार्च और जून, 1968 के महीनों के बीच 49,000 पौंड का गैर-कानूनी सौदा किया था । सरकार ने इस बारे में शीघ्र जांच क्यों नहीं की और वह किसी निश्चित निष्कर्ष पर क्यों नहीं पहुंची ?

इस बैंक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाए गए हैं । इसमें भ्रष्ट व्यक्ति काम कर रहे हैं । क्या माननीय मंत्री इस बात का आश्वासन देंगे कि देय तिथि को आदेशक को धनराशि का भुगतान नहीं किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं माननीय सदस्य के विचार से पूर्णतया सहमत हूं कि यह मामला बहुत गम्भीर है और सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए । इस सम्बन्ध में जांच चल रही है । माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में और जानकारी चाहते हैं । माननीय सदस्य द्वारा दी गई जानकारी से इस जांच में लाभ होगा ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi—Sadar) This fraud of 2 crore rupees is the biggest in the Banking history of India. It is a strange incident that that fraud has come to light after the nationalization of banks. I just want to read the extract of a letter received by Shri George Fernandes from Londdo. In his letter he has mentioned the following facts.

"I have been acting as a consultant to a few small Indian businessman in London and, in this connection, I have come across every sinister acitivities of the Central Bank of India.

What the Central Bank Manager does is, in simple language, to assist moneylenders who are the curse of our people. He extends to them extra overdraft facilities at the expense of small businessmen who are asked to cut their overdraft to nil. No businessmen can work without overdraft facilities, but when the small businessman is asked to bring down his overdraft to

nil, the Bank Manager recommends him to one of the moneylenders to the businessman. Thereupon when the small businessman goes to the moneylender, he charges then a rate of interest sometime as high as 42 percent per annum."

I want to know how that culprit got the copy of the letter written to the Prime Minister or to Shri Haksar. I also want to know what action has been taken against C. Raman.

Reference has been made in the statement regarding the special audit report. I want to know the contents of the report.

I want to know whether the Government has agreed to investigate this matter through C.B.I ?.

I also want to know whether the Government is considering to send some senior officials to London and Germany to help the police there in making relevant investigation.

Such types of incident should not happen again. I want to know what steps Government have taken to prevent such incidents in future. ? I also want to know why the Government had not registered any report against Raman ?

श्री प्र० चं० सेठी : श्री फरनेन्डीज की आदत सनसनी पैदा करने की है । यह सब आरोप राजनीतिक उद्देश्य से लगाए गए हैं और इसका मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है । **(अन्तर्बाधाएं)** हमें जब भी कभी कोई शिकायतें प्राप्त होती हैं हम उनके बारे में पूरी जांच करते हैं । जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, हमने इस मामले को स्टाकलैंड यार्ड को सौंप दिया है और इस मामले में हम लन्दन और पश्चिम जर्मनी स्थित अपने कानूनी सलाहकार और उच्चायुक्त से सम्पर्क बनाए हुए हैं और मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि सरकार इस बारे में जांच पूरी करने और दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के सम्बन्ध में पूरा प्रयास करेगी ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Nothing has been said regarding the inquiry of that letter.

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का सम्बन्ध है वह अभी सेन्ट्रल बैंक के पास ही है । अभी हम ने उसे नहीं देखा ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The question pertaining to the Audit Report and irregularities have not been replied. May I know whether the enquiries would be conducted or not ?

श्री रंगा (श्री कालुलम) : माननीय मंत्री का कहना है कि मैंने अभी उस प्रतिवेदन को नहीं देखा है । हमारा निवेदन है कि क्या वह उस प्रतिवेदन का अध्ययन करेंगे तथा क्या वह उसे सभा-पटल पर रखेंगे ?

श्री प्र० चं० सेठी : लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के सम्बन्ध में मैं निवेदन कर चुका हूं कि अभी तक हमने उसको नहीं देखा है लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने की प्रथा नहीं है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : महोदय बैंक राष्ट्रीयकरण के पश्चात यह पहला अवसर है । सरकार अपनी त्रुटियों को छिपाना चाहती है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सम्बन्ध में जांच करूंगा ।

श्री मोरारजी देसाई (सूरत) : महोदय ! इसमें प्रथा न होने का कोई प्रश्न है ही नहीं । यह बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है तथा रिपोर्ट का पहला अवसर है ।

श्री श्रद्धाकार सूपकार (सम्बलपुर) : मंत्री महोदय द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में पढ़े गए वक्तव्य से विदित होता है कि सरकार ने इस मामले में गम्भीर उपेक्षा दिखाई है ।

उनके वक्तव्य के दूसरे पैरे से विदित होता है कि सरकार को इस अनियमितता का सितम्बर 1969 में ही पता चल गया था किन्तु उसने समय पर कोई कार्यवाही नहीं की । यह कहा गया है कि विशेष अधिकारी को 23 सितम्बर, 1969 को लन्दन में प्रतिनियुक्त किया गया था अतः सरकार को तभी सचेत हो जाना चाहिये था। आश्चर्य की बात है कि श्री पटेल के लन्दन से बम्बई में मार्च 1970 के पहले सप्ताह में स्थानांतरित कर दिया गया था किन्तु उसने बम्बई आने से इंकार कर दिया और उसे 26 मार्च, 1970 तक वहीं कार्य करते रहने की अनुमति दे दी गई । 26 मार्च, 1970 को उसने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया तथा बताया गया है कि उसे उसी तिथि से सेवानिवृत्त कर दिया गया। ऐसा विदित होता है कि अधिकांश गोलमाल 9 मार्च से 26 मार्च, 1970 के बीच में की गई थीं ।

पैरा संख्या 2 के अन्तिम पंक्ति में कहा गया है कि 'ऐसा विदित होता है कि बैंक गारन्टियां 26 मार्च, 1970 को पुनः जारी की गई थीं ।' माननीय मंत्री विशेषकर इन बातों का उत्तर दें ।

पहला प्रश्न यह है कि जब सरकार को 23 सितम्बर, 1969 को इन अनियमितताओं का पता चल गया था तो उचित कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? दूसरा प्रश्न है कि सरकार ने श्री पटेल को 9 मार्च से 26 मार्च, 1970 तक बैंक का कार्य क्यों करने दिया ? तीसरा प्रश्न है कि क्या वहां के व्यक्तियों को मालूम था कि श्री पटेल अथवा श्री हन्ना जैसे अधिकारियों को 'प्लेन पेपर गारन्टी' जारी करने का अधिकार नहीं है ?

श्री प्र० चं० सेठी : सेंट्रल बैंक की लन्दन शाखा में हुई अनियमितता का सरकार को तभी पता चला जब सैंट्रल बैंक के मुख्य कार्यालय को इस बात का पता चला । मुख्य कार्यालय ने सितम्बर, 1969 में एक लेखापरीक्षा पार्टी प्रतिनियुक्त की । अतः सरकार के बीच में आने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

बैंक राष्ट्रीयकरण से पहले मैं भी जानना चाहता था कि क्या इन बैंको तथा विशेषकर इनकी विदेश-स्थित शाखाओं में उचित आंतरिक लेखापरीक्षा किया गया है या नहीं तथा उचित निरीक्षण किया जाता है या नहीं । इस बात की अभी जांच भी करनी है । राष्ट्रीयकरण से पहले इन बैंकों के विभिन्न मुख्य कार्यालयों में इस प्रकार की उचित व्यवस्था थीं या नहीं इस बात की जांच करनी है तथा समस्त स्थिति को सुव्यवस्थित किया जाना है ।

अत. सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई देरी नहीं की थी । बैंक गारंटी के सम्बन्ध में विशिष्ट फार्म बना हुआ है तथा इस बारे में सभी को नियमों का पता है ।

जहां तक संबद्ध अधिकारी को गारन्टी जारी करने का अधिकार है अथवा नहीं तथा क्या गारंटी निर्धारित फार्म पर ली जा सकती है अथवा किसी पत्र पर भी ली जा सकती है आदि बातों की अभी जाँच की जानी है तथा ये मामले बड़े पेचीदा और कानूनी हो गये हैं । मैं सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में उचित जांच की जाएगी । सेंट्रल बैंक के अधिकारियों द्वारा की गई आन्तरिक लेखा-परीक्षा को रिजर्व बैंक को जांच के लिए दिया जाएगा तथा उनसे तथ्य प्राप्त किये जायेंगे । उसके पश्चात् ही सदन को इस सम्बन्ध में तथ्यों से अवगत कराया जा सकता है ।

एक माननीय सदस्य : उन पत्रों का क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers laid on the Table

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पत्र

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : मैं श्री फखरुद्दीन अली अहमद की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(क) (एक) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मन्युफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए** संख्या एल० टी०—3578/70]।

(ख) (एक) नेशनल न्यूजप्रिन्ट एन्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर, के वर्ष 1968—69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर, के वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी० 3579/70]।

(ग) (एक) इन्सट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा, के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा, का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए** संख्या एल० टी०—3580/70]।

(घ) (एक) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर, 1 अक्टूबर, 1967 से 30 सितम्बर, 1968 तक की अवधि के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड जयपुर का 1 अक्टूबर, 1967 से 30 सितम्बर, 1968 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये** संख्या एल० टी०—3581/70]

(ङ) (एक) साम्भर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर, के 1 अक्तूबर, 1967 से 30 सितम्बर, 1968 तक की अवधि के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) साम्भर साल्ट्स लिमिटेड जयपुर, का 1 अक्तूबर, 1967 से 30 सितम्बर, 1968 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर

नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **ग्रंथालय में रखे गए। देखिए** संख्या एल० टी०–3582/70]

एयर कारपोरेशन नियम के अन्तर्गत पत्र

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप-मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : मैं डा० कर्ण सिंह की ओर से

एयर कारपोरेशन्स नियम, 1954, के नियम 3 के उप-नियम (5) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

(एक) एयर इंडिया के वर्ष 1970-71 के लिये राजस्व तथा व्यय के बजट अनुमानों का सारांश [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी०–3583/70]

(दो) एयर इंडिया की पूंजी के अन्तर्गत वर्ष 1968-69 के वास्तविक व्यय, वर्ष 1969-70 के लिये बजट अनुमानों तथा संशोधित अनुमानों और वर्ष 1970-71 के लिये बजट अनुमानों का सारांश [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी०–3584/70]।

(तीन) इंडियन एयरलाइन्स के वर्ष 1970-71 के लिए राजस्व तथा व्यय के बजट अनुमानों का सारांश। [**ग्रथालय में रखी गई। देखिए** संख्या एल० टी०–3584/70]।

(चार) इंडियन एयरलाइन्स की पूंजी के अन्तर्गत वर्ष 1968-69 के वास्तविक व्यय, वर्ष 1969-70 के बजट अनुमानों तथा संशोधित अनुमानों और वर्ष 1970-71 के लिए बजट अनुमानों का सारांश। [**ग्रथालय में रखी गई। देखिए** संख्या एल० टी०–3586/70]।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना

श्रम तथा रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के वर्ष 1968-69 के कार्यचालन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रंथालय में रखी गई।** देखिए संख्या एल० टी०–3587/70]।

प्रेस परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन

सूचना तथा प्रसारण और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : मैं प्रेस परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 18 के अन्तर्गत भारत की प्रेस, परिषद् के वर्ष 1969 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए** संख्या एल० टी०–3588/70]।

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पत्र

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथराव): मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) पाइराइट्स, फासफेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पाइराइट्स फासफेट्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये** संख्या एल० टी०--3589/70]।

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पत्र इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कन्द्रतन्प) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(क) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर, के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां । [**ग्रंथालय में रखी गई । देखिए** संख्या एल० टी०--3590/70।]

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दिखाने वाले विवरण

संदद्-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं चौथी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञानों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्नलिखित विवरण सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक)	अनुपूरक विवरण संख्या 1 .	दसवां सत्र, 1970
(दो)	अनुपूरक विवरण संख्या 4 . .	नवां सत्र, 1969
(तीन)	अनुपूरक विवरण संख्या 7 . .	आठवां सत्र, 1969
(चार)	अनुपूरक विवरण संख्या 17 .	सातवां सत्र, 1969
(पांच)	अनुपूरक विवरण संख्या 12	छठवां सत्र, 1968
(छः)	अनुपूरक विवरण संख्या 19 .	पांचवां सत्र, 1968
(सात)	अनुपूरक विवरण संख्या 25 .	चौथा सत्र, 1968
(आठ)	अनुपूरक विवरण संख्या 19	तीसरा सत्र, 1967
(नौ)	अनुपूरक विवरण संख्या 27 . .	दूसरा सत्र, 1967

[**ग्रंथालय में रखे गये देखिए** संख्या एल० टी०--3591/70]

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पत्र

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : मैं श्री रघुनाथ रेड्डी की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) नेशनल इन्स्टूमेन्ट्स लिमिटेड कलकत्ता के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इन्स्ट्रमेन्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता, का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी०--3592/70]।

25 LSS-70—10

प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग का निवारण) अधिनियम 1950 की धारा 8 के अन्तर्गत अधिसूचना

प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 की धारा 8 के अन्तर्गत ज री की गई अधिसूचना संख्या एल० आर० 1503 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 25 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में संशोधन किया गया था **ग्रन्थायल में रखी गई।** देखिए संख्या एल० टी०—3593/70]।

राजस्व प्राप्तियों सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 1970 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**ग्रंथालय में रखा गई। देखिए** संख्या एल० टी०—3611]।

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा सम्बद्ध विवरण

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० एरिंग) : मैं श्री अन्नासाहिब शिन्दे की ओर से अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, की धारा 3 की उप-धारा (56) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) उर्वरक (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1969 का हिन्दी संस्करण, जो दिनांक 1 नवम्बर 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस०. आर० 2558 में प्रकाशित हुआ था। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी० 3594 /70]।

(दो) दिल्ली, मेरठ और बुलन्दशहर दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 5 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1633 में प्रकाशित हुआ था।

उपर्युक्त मद (1) (एक) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी संस्करण)। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी०—3595]।

मध्यावधि सामान्य निर्वाचन के बारे में प्रतिवेदन

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम): मैं भारत में मध्यावधि सामान्य निर्वाचन, 1968-69 सम्बन्धी प्रतिवेदन-खण्ड 2 (सांख्यिकीय)—की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं : [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी० 3596/70]।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा 11 मई, 1970 को हुई अपनी बैठक में लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमत हुई कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के

कल्याण संम्बंधी समिति में राज्य-सभा के एक सदस्य के त्याग-पत्र देने तथा दो सदस्यों के सेवा-निवृत्त होने के कारण रिक्त हुए स्थानों के लिए राज्य सभा के 3 सदस्यों का नाम-निर्देशन किया जाए और राज्य सभा ने अपने निम्नलिखित सदस्यों के नाम भी भेजे हैं जो उक्त समिति के लिए निर्वाचित हुए हैं :—

(क) श्री के० पी० सुब्रह्मण्यम मेनन

(ख) श्री ई० एम० सांगमा

(ग) श्री सुखदेव प्रसाद

(दो) कि 7 मई, 1970 को लोक-सभा द्वारा पास किये गये भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1970 के संबंध में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS
चौदहवां प्रतिवेदन

श्री गु० च० नायक (क्योंझर) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण
PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER

श्री जि० मो० विस्वास (बांकुरा) : महोदय! मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जन-संघ के सदस्य श्री हुकम चन्द कछवाय ने 14 मई, 1970 को मेरे बारे में यह आक्षेप किया था :

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : Sir, previously when this question was before the House certain communists blamed Shri Kanwar Lal Gupta of being connected with a firm I submit that a senior officer, Shri K. B. Parchai is being protected by our communist friends and they are trying to provide him all sort of amenities. (*Interruptions*).

श्री जि० मो० विस्वास : श्री हुकम चन्द कछवाय ने मेरे बारे में जो भी कहा है वह गलत है तथा निराधार है। मैंने किसी का पक्ष नहीं लिया और न ही मैंने कोई पत्र लिखा है। खेद है।

श्री कछवाय*

अध्यक्ष महोदय : खेद है इसे रिकार्ड पर नहीं जाने दिया जायेगा। माननीय सदस्य ने बड़ी अनुचित बात कही है।

श्री जि० मो० विस्वास : मुझे भी खेद है कि उनके दल के नेता उन्हें ऐसा आचरण करने से नहीं रोकते।

अध्यक्ष महोदय : श्री विस्वास श्री कछवाय के वक्तव्य को दो या तीन शब्दों से प्रतिवाद करना चाहते थे। किन्तु मैंने यह नहीं देखा कि उन्होंने क्या पढ़ा और क्या उसे वृतांत में निकालना है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : On a point of order, Sir, I have repeated by requested that personal explanations should be made in black and white in order to avoid any kind of dis turbance in the House.

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार सभा की कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया
Expunged as ordered by the Chair.

Mr. Speaker : We have never made any departure to that. What he gave me in the morning I have added it to that now.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : महोदय! चूंकि कल संसद स्थगित हो रही है अत: मैं चाहता हूं कि श्रम मंत्री भारत हैवी इलैक्ट्रोनिक्स में चल रही हड़ताल पर अपना कल वक्तव्य दें।

डा० रामसुभग सिंह (बक्सर) : महोदय; उत्तर भारतीय राज्यों में भयानक लू चल रही है जिनसे हजारों व्यक्तियों तथा पशु मारे गये हैं। मेरा निवेदन है माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें। 1960-61 में ऐसी स्थिति में कुछ सहायता दी गई थी। अत: अब भी उसकी भारी अपेक्षा है। काश्मीर घाटी में लगभग 500 मकान जल गये हैं। इस सम्बन्ध में भी माननीय मंत्री वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा होता यदि इस सम्बन्ध में मुझे पूर्व सूचना दी गई होती। पहले अंश की अनुमति देता हूं।

श्री ए० श्री श्रीधरन (बडागरा) : इस बारे में बड़ी चर्चा है कि भारत सरकार केरल में थुम्बा से राकेट छोड़ने वाले केन्द्र को किसी अन्य स्थान पर ले जाना चाहती है। मेरा निवेदन है कि प्रधान मंत्री इस बारे में स्थिति का स्पष्टीकरण करें।

अध्यक्ष महोदय : यह उन्हें भेज दिया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हाबर) : मैंने बंगाल भूमि नीति के बारे में सरकार द्वारा व्यक्तव्य देने के लिये एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा, वायदा कुछ नहीं है।

Shri Madhu Limaye : Sir, I want that the hon. Minister should make an statement on the National Fitness Corps. The staff of this corps is agitating for 9 days. It was assured by the hon. Minister that no body would be removed from the services. But it is regretting that the assurance is not being fulfilled.

Shri Molahu Prasad (Basgaon) : Sir, I rise on a point of order. A period of five hours was allotted to dicuss the report of the scheduled caste commissioner. But the issue of Prohibitions has been included in the list of business for the day and as a result of that the allotted time would not be available to discuss the Reports. The hon. Minister should be asked to make his statement on it. I also want to know the reasons for which the adjourn motion submitted by me has been rejected while it is in consistance with Rules 56, 57, 58 and 59.

अध्यक्ष महोदय : सभी बातें कार्यमंत्रणा समिति के समक्ष रखी गई थीं। यह मेरा निर्णय नहीं है।

रेलवे अभिसमय समिति के बारे में संकल्प —(जारी)

RESOLUTIONS re : RAILWAY CONVENTION COMMITTEE—(*contd.*)

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : कल चर्चा के दौरान यह कहा गया था कि यदि चार सदस्यों के स्थान दो सदस्य होंगे तो कार्य चल जायेगा। अत: मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं : कि संकल्प में,

पंक्ति 8 में, संख्या "4" के स्थान पर संख्या "2" रख दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:— कि संकल्प में,

पंक्ति 8 में, संख्या "4" के स्थान पर संख्या "2" रख दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं, संशोधित संकल्प मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है:—

"कि यह सभा संकल्प करती है कि लोक-सभा द्वारा 28 नवम्बर, 1968 को स्वीकृत संकल्प के अनुसरण में रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में इस समय देय लाभांश की दर का तथा सामान्य वित्त के सम्बन्ध में रेलवे वित्त विधेयक, अन्य संगत मामलों की समीक्षा करने और उन के बारे में अध्यक्ष महोदय द्वारा सिफारिशें करने के लिये नियुक्त संसदीय समिति के सदस्यों में अध्यक्ष महोदय द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले इस सभा के दो और सदस्य सम्मिलित किये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री नन्दा : अब मैं अगला संकल्प प्रस्तुत करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि यह रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में इस समय देय लाभांश की दर तथा सामान्य वित्त के सम्बन्ध में रलवे वित्त विषयक संगत अन्य मामलों की समीक्षा करने और उन के बारे में सिफारिशें करने सम्बन्धी संसदीय समिति के साथ राज्य-सभा के सभापति महोदय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला उसका एक और सदस्य सहयोजित करने के लिए सहमत हो और इस प्रकार नियुक्त सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:—

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि यह रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में इस समय देय लाभाँश की दर तथा सामान्य वित्त के सम्बन्ध में रेलवे वित्त विषयक संगत अन्य मामलों की समीक्षा करने और उनके बारे में सिफारिशें करने सम्बन्धी संसदीय समिति के साथ राज्य-सभा के सभापति महोदय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला उसका एक और सदस्य सहयोजित करने के लिए सहमत हो और इस प्रकार नियुक्त सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजकर 30 मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha adjourned for lunch till thirty minutes past Fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर 33 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Thirty-three minutes past Fourteen af the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

Mr. Deputy Speaker *in the chair*

भारतीय सैनिक (मुकदमा) संशोधन विधेयक

Indian Soldiers (Litigation) Ammendment Bill.

प्रतिरक्षा तथा इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि भारतीय सैनिक (मुकदमा) अधिनियम, 1925 में, आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा रारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

यह एक विधान है जिस पर कोई मतभेद नहीं हो सकता। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार यदि सैनिक लोग युद्ध की स्थिति में कहीं कार्य कर रहे तो न्यायालय उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही को रद्द घोषित कर सकते हैं।

अब यह प्रस्ताव है कि अधिनियम के अन्तर्गत जो संरक्षण मिला हुआ है वह न्यायिक तथा अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के निर्णयों के मामले में भी हो। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं अनेक ऐसे निकाय है जिन्हें पूर्ण रूप से अंदालतें नहीं कहा जा सकता परन्तु उनका बहुत अधिक महत्व है। जैसे किराया नियन्त्रक के समक्ष मामला सिविल मामलों की तरह ही होता है। सरकार का विचार है कि ऐसे प्राधिकारणों के समक्ष मामलों के सम्बन्ध में सैनिकों को न्यायालयों के समक्ष मामलों की भान्ति संरक्षण प्रदान करना है।

इस विधेयक का एक और भी उद्देश्य है। मूल अधिनियम के अन्तर्गत सैनिकों को उस समय संरक्षण देने की व्यावस्था है जब वें युद्ध की परिस्थितियों में कार्य कर रहे हों अथवा भारत से बाहर भेजे गये हों। अब ऐसा होता है कि सैनिकों को देश में बहुत दूर स्थानों पर तैनात किया जाता है और उनके लिये मुकदमों आदि की पैरवी के लिये आना बहुत कठिन है। अब इस संशोधन के द्वारा ऐसे सैनिकों को भी संरक्षण देने का प्रस्ताव है।

तीसरे संशोधन का सम्बन्ध नौसैनिकों से है। इसके अन्तर्गत परिभाषा को व्यापक बनाकर नौसेना अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत आने वालों को भी "भारतीय सैनिक" के अन्तर्गत लाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"भारतीय सैनिक (मुकदमा) अधिनियम, 1925 में आगे संशोधन करन वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप मे विचार किया जायें।"

श्रीमती तारा सप्रे (बम्बई-उत्तर-पूर्व) : हमारे सेना के जवानों के लिये विशेष सुविधाओं का उपवबन्ध किया जाना चाहिये। वे बड़ी कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा के महान कार्य में लगे हुए हैं। सरकार को उनकी सुविधा के लिये सभी संभव उपाय करने चाहिये।

जव जवान लोग दूर स्थित स्थानों पर तैनात होते है, तो उनके परिवारों के सामने अनेक समस्याएं होती हैं। इस प्रकार की चिन्ताओं से मुक्त करने के लिये जवानों को विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिये।

दूसरा उल्लेख में उनके बच्चों की शिक्षा के बारे में करना चाहती हूं। सरकार को उनकी शिक्षा के लिये उचित व्यवस्था करनी चाहिये। उनके लिये स्कूलों में स्थान सुरक्षित किये जाने चाहियें तौर उन्हें विशेष छात्रवृत्तियां दी जानी चाहियें।

जवानों को सेवा निवृत्ति के बाद छोटे पैमाने के व्यापार आदि चालू करने की सरकार द्वारा सहायता दी जानी चाहिये। जवानों की पत्नियों को घरेलू कामधंधों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।

श्री रणजीत सिंह (खलीलाबाद) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। सैनिकों की अधिकतम मुकदमेबाजी भूमि के बारे में होती है। राज्य सरकारों ने जवानों के लिये सुविधाओं की कुछ व्यवस्था कर रखी है। मुकदमें के मामले में केवल न्यायलय में ही सुविधा उपलब्ध की

जाती है। मुझे इस का व्यक्तिगत अनुभव है। उत्तर प्रदेश में तो पटवारी जैसे चाहे जवानों की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति के नाम में कर सकता है। इस सम्बन्ध में आवश्यक उपबन्ध किया जाना चाहिये।

इस विधेयक में जवानों के लिये मुकदमों के मामले में विशेष सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जा रही है।

जवानों के कमांड अधिकारियों को उसके संरक्षण के लिये अधिकार दिये जाने चाहिये।

इस विधेयक में यह उपबन्ध भी किया जाना चाहिये कि सैनिकों के परिवार को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इससे जवान अपने कर्तव्य को अधिक लगन से करता है।

श्री गजराजसिंह राव (महेन्द्र गढ़) : हम गत पांच वर्षों से इस विधेयक के लाये जाने की मांग कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि "उच्च-न्यायालय के साथ सलाह करने के बाद" शब्द हटा दिये जायें। वे फालतू हैं। मेरा प्रतिरक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि नियम बनाते समय सभी पक्षों से सलाह की जाये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri A. S. Saigal (Bilaspur) **:** Sir, I support this Bill. In regard to occupation of land of soldiers I want to say that civil authorities should be informed by military authorities in this regard and land should be got vacated.

The Jawans have to stay away for years together. They should be provided all facilities. I support this Bill.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) **:** The soldiers should be provided all facilities. Their salary should b:uincreased. It should be ensured that heir land is not taken over by others. Now we are living in a democratic country. We should inculcate a democratic a spirit in our soldiers also. With these words I support this Bill.

श्री जी० वेंकटस्वामी (बंडीबास) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। हमें देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करनी चाहियें।

प्रतिरक्षा तथा इस्पात और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : में सदस्यों द्वारा इस विधेयक का समर्थन करने के लिये उनका धन्यवाद करता हूँ। यह विधेयक एक प्रक्रियात्मक विधेयक है और इससे संरक्षण उपलब्ध किया जायेगा : मैं श्री गजराज सिंह का संशोधन संख्या 6 स्वीकार कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:—

"कि भारतीय सैनिक (मुकदमा) अधिनियम, 1925 में आगे संशोधन करन वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 2

Clause 2

श्री शिवचन्द्र झा (मधुवती) : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि जिस नेवी की बदौलत अंग्रेज यहां आये थे उसको इग्नोर कर दिया गया था। क्या वजह थी कि नेवी न देकर केवल एयर ही दिया गया था।

Shri Swaran Singh : Because there was no Indian Navy at that time in 1925.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 3 मतदान के लिये दिया गया तथा अस्वीकृत हुआ रखा।

Amendment No. 3 was put and negatived.

खण्ड 2 विधेयक के साथ जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3

Clause 3

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड, 3 पर कोई संशोधन पेश नहीं किया गया है। प्रश्न यह है कि

"खण्ड 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक के साथ जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill.

नया खण्ड 4

New Clause 4

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गजराज सिंह राव एक नया खण्ड 4 शामिल करने संबंधी संशोधन पेश करना चाहते हैं परन्तु यह तो पूर्ववर्ती संशोधनों पर निर्भर करता है जो कि उन्होंने नहीं दिये हैं। अतः इस संशोधन पर विचार नहीं किया जा सकता।

श्री स्वर्ण सिंह : वस्तुतः वे संशोधन अनावश्यक हैं। मुख्य बात तो यह है कि हम सिविल न्यायालयों, पंचायतों आदि से अन्य न्यायालयों को इस अधिनियम के अन्तर्गत लाना चाहते हैं। इस को कुछ परिवर्तन के साथ स्वीकार कर लिया जाये।

श्री गजराज सिंह राव : मैं चाहता हूं कि यदि मेरा संशोधन इस विधेयक के अधीन आता है तो नियम 80 को और अधिक स्पष्ट कर दिया जाये अन्य यदि परिभाषायें बदलीं तो काफी कठिनाई पैदा हो जायेगी। क्या मंत्री महोदय मेरा संशोधन स्वीकार करना चाहते हैं या नहीं।

श्री स्वर्ण सिंह : कानूनी सलाह के अनुसार मैं इसे कुछ परिवर्तनों के साथ ही स्वीकार कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु वह संशोधन क्या है पहले उसे स्पष्ट रुप से पढ़कर सभा के सामने रखा जाये।

श्री गजराज सिंह राव : मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

पृष्ठ—2

(6) पंक्ति 10 के बाद निम्नलिखित जोड़िये—

'4. In section 13 of the Principal Act the words, "after consulting the High Court Concerned." shall be omitted.'

"4. मुख्य अधिनियम की धारा 13 में शब्द 'संबंधि उच्च न्यायालय से सलाह करने के बाद' हटा दिया जायेगा।"

श्री स्वर्ण सिंह: मैं इस संशोधन में यह परिवर्तन चाहता हूं कि इसके पार्श्व में :
"Amendments of Section 13" (धारा 13 में संशोधन) उपशीर्षक रखा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

Page 2—

Amendment of Section 13 *After* line 10, *add—*

'4. In section 13 of the Principal Act the words "after consulting the High Court concerned," shall be omitted.'

पृष्ट 2 —

पंक्ति 10 के बाद निम्नलिखित जोड़िये —

धारा 13 में संशोधन

'4. मुख्य अधिनियम की धारा 13 में शब्द "सम्बन्धि न्यायालय से सलाह करने के बाद" हटा दिया जायेगा।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि नया खण्ड 4 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

नया खंड 4 विधेयक के साथ जोड़ दिया गया

New clause 4 was added to the Bill.

खंड 1

Clause 1

(2) **संशोधन किया गया :**

Amendment made :

Page 1, line 4,—

for "1969" substitute 1970"

(Shri Swaran Singh)

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

(2) "1969" के स्थान पर "1970" रखिये

(श्री स्वर्ण सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 1 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक के साथ जोड़ दिया गया ।

Clause 1, as amended was added to the Bill

विधेयक का शीर्षक

Enacting Formula

संशोधित किया गया।

Amendment made.

Page 1, Line 1—

(1) *for* "Twentieth" substitute—Twenty first"

(Shri Swaran Singh)

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"20वां" **के स्थान पर** "21वां" **रखिये** ।

(श्री स्वर्ण सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

"अधिनियम सूत्र संशोधित रूप में, विधेयक के साथ जोड़ दिया गया ।

The Enacting Formula as amended was added to the Bill.

विधेयक का शीर्षक विधेयक के साथ जोड़ दिया गया ।

The Title was added to the Bill.

श्री स्वर्ण सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में परित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

जांच समिति के प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रस्ताव

(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्)

Motion Re : Report of Committee of Inquiry (CSIR).

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि जांच समिति (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्) के प्रतिवेदन (भाग-एक) पर, जो 10 मार्च, 1970 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार किया जाये ।"

Shri Atal Bihari Vajpayee : How much time has been alloted for it ?

उपाध्यक्ष महोदय : तीन घण्टे ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : सभा का समय बचाने के लिये मैं पहले इस विषय पर चर्चा सुनना चाहूंगा, तदुपरान्त अपनी टिप्पणियां या उत्तर दे दूंगा ।

श्रीमन, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस प्रतिवेदन पर विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आर० एम० कौशिक ।

श्री समर गुह : क्योंकि मेरे कहने से मंत्री महोदय ने इस पर चर्चा करना स्वीकार किया था अतः मुझे इस चर्चा को आरंभ करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सीधे मुझ पर आरोप लगाये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि श्री आर० एम० कौशिक माने तो मुझ को आपत्ति नहीं कि श्री मधु लिमये बोले या कि श्री समर गुह ।

श्री आर० एम० कौशिक : मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री रवि राय : श्री मधु लिमये को अवसर दिया जाये।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) **:** There had been no dispute had the Committee not expressed its reaction regarding the way in which that report was presented and the criticism was made. It was avery much objectionable that a meeting of the committee was convened after the criticism was made in this House and thereafter the Committee issued statement. It is the unique example in the history of committees and commissions and such an incident has never occurred. Then the committee said in its report:

> "The committee would like that these views expressed by the committee unanimously should be published widely because the allegation have already received wide publicity."

So I would like to a very clear answer from the hon. Minister whether Government could empower any committee or commission of enquiry to give—reply to the criticism made about their report in the Parliament, by adopting a resolution in its specially convened meeting instead of Government or members of that Commission or committee present in the Parliament replying to it ? It is a very serious matter. If the Government finds that over allegation are unfounded then the Government's speakesman *i. e.* the Prime Minister or the Education Minister can give a reply in that regard. Therefore, if the Government allows such a procedure to go on then it would be very difficult to criticise a committee or commission of inquiry. So it is a very wrong thing because they would call the meeting of the committee or commission immediately and would give reply to themselves.

In almost all the Committees it so heppens, that after the completion of the work of the concerned committee, the Secretariat formulates a draft of the Report and if it is free from any sort of wrong conclusious. They do not orderly select important point out of it. But in this case such an abnormal thing has been done. This is my basic objection. I do not want to go into all the cases and cite only two out of them.

The one is Dr. Dattar's case. There was an evidence in this case that his post was not advertised. But the evidence was not included in the Report. Another evidence was that when Dr. Dattar was appointed the Deputy Director, it was decided at that time that after two years he would be made Director. But all the rules concerning this matter were violated. These things were very well included in the Draft but none knows under whose pressure that the Committe sorted among the basic facts which means that the committee wanted to shield the former Director General.

I want to know from the hon. Prime Minister whether she has read the statement of that former Director General in which he has alleged that he has been criticsied because he was a Muslim. Is it desirable to bring about communalism in such matter ? I want and explanation from the hon. Prime Minister regarding the above statement given by the former D. G. A man like me would never criticise anything on communal grounds like that.

Then the membership of the Committee which was to make selection changed. Due notices was also not given for their meeting.

Similarly there is the case of Shri Baldev Singh. When the post was advertised second time, the qualification were relaxed only to facilitate his selection to the post on the ground of his practice. I have submitted all the details in this regard. She can reply to them also.

Then is it not a fact that number of Directors had submitted their resignations long ago and no action has since been taken thereon ? As regards Shri Pariappa, the investigation report has also come. That too has not been considered. Let the Government explain the reasons therefor.

Shri M. A Khan : The present administration has been trying to shield its faults and laps with the help of or through some members. The way in which the Sarkar Commission is being defamed and criticised shows that a need for appointing a further commission to look into the working of the Sarkar Commission itself is also desirable. In this way there will be no end to the appointments of Commission one after the other. It is certainly an improper thing. Even before the appointment of Sarkar Commission the Ministry of Education supplied wrong information to the House and that was later rectified by that Commission. For instance, it has been stated in the Report that according to the terms and reference of this Commission, the Commission has looked into the appointments of 245 persons so as to find out whether there involved any violation of rules and regulations which were effective at that time in the Council of Scientific and Industrial Research. As per the opinion of the Headquarter of the CSIR it may appear that there have been violations of rules and regulations but the Commission found that those appointments were regular.

The verdict of the Sarkar Committee is as follows:

> "However,the committee are not aware of any express rule or regulation or bye-law prescribing a degree/diploma in science or technology as an essential qualification for the scientific/technical posts under the CSIR. It can, therefore, be stated that no rule, regulation or bye-law of the CSIR was violated so far as the qualifications of these persons are concerned."

So this is the instance of giving misleading information by the Government to the Commission. Similar is the case regarding the appointment of Dr. Suri to the post of Director. The committee, in this behalf says:

> The committee, therefore, think that he was fully qualified to hold the post of the Director and full facts should have been brought to the notice of the House by the Minister to correct his erroneous impression.

Then it is evident that before the draft report was prepared the Director General was not given an opportunity to clarify his position before the Commission. It was not justified. But when he was called, only then this report was prepared in the light of his statement.

Now I would like to draw your attention to an other fact. At the first meeting of this committee it was decided that the Committee would review policies followed by the C. S. I. R. between 1958 to 1968. But it scrutinised the affairs of C. S. I. R. only upto 1966. If the committee had covered the period of 10 years *i. e.*, upto 1968, it would have become very clear as to what happened during the tenure of last Director General, Shri Zaheer and also as to what is happening at present. The Director General presently practising nepotism, favouratism and discrimination. He is acting against the policy of the Prime Minister and the Governing Body. The Prime Minister and the Governing Body wanted that the designing and engineering facilities should increase and more money should be spent on pilot projects but the present Director General acted against it. For example, there were 28, 36 and 35 pilot projects in 1964, 1965 and 1966 respectively in Dr. Zaheer's period while their number was reduced to 22 in 1967 and 28 in 1968 by Dr. Atma Ram, the present Director General.

I would like to quote one concrete case of favouratism and discrimination for which Dr. Atma Ram is responsible. There were two Assistant Directors, Dr. Balakrishnan and Dr. Qureshy ——who were working under him. As regards the academic qualifications and experience, Dr. Qureshy was more qualified and experienced than Dr. Balakrishnan. But at the time of promotion to next grade Dr. Balakrishnan was favoured by Dr. Atma Ram. He was shown favour in matter of confirmation too. It is a clear case of favouratism and discrimination against Dr. Atma Ram. So I want that inquiry should be instituted against him also. He has been trying to thrust his own policies on the council in place of policies of government. With these words I conclude.

श्री समर गुह (कन्टाई) : उपाध्यक्ष महोदय, 15 मई के 'स्टेट्समैन' में ऐसा समाचार छपा था कि वैज्ञानिक कर्मचारी संघ ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञा
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् जाँच समिति पर यह आरोप लगाया था कि वह हैदराबाद प्रयोगशाला की जांच ठीक प्रकार से नहीं कर पाई है। इस ज्ञापन में डा० सिद्धू के, जिन्हें इनका ऊपर उठाने का श्रेय डा० जहीर को है, विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं कि यदि उनमें थोड़ी भी सत्यता है तो डा० सिद्धू को न केवल अच्छे पद से तत्काल हटाया जाना चाहिए, बल्कि उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

जब इस सदन में मैंने उन पर कुछ आरोप लगाये थे तो उसके तुरन्त बाद वैज्ञानिक तथा अनुसंधान परिषद् की जांच समिति की बैठक बुलाई गई। उसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया कि मैंने उन पर निताना झुठे सारहीन और गैर-जिम्मेदार आरोप लगाये हैं। साथ ही प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि इस प्रस्ताव का व्यापक प्रचार किया जाये। सचमुच इस प्रस्ताव का व्यापक प्रचार किया गया और कुछ घंटों के भीतर ही इसे आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किया गया देश भर के अखवारों में इसे प्रकाशित कराया गया। मैं यह शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या यह प्रस्ताव जांच समिति ने स्वयं ही आकाशवाणी और समाचार पत्रों को भेजा था? या वह पहले वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के प्रधान, श्री जो इस समय प्रधान मंत्री हैं, या उपप्रधान, जो इस सय स्वयं शिक्षा मंत्री को भेजा गया था और उन्होंने यह प्रस्ताव प्रसारण के लिए आकाशवाणी और समाचार पत्रों को भेजा था? यदि हां, तो उन्होंने उस प्रस्ताव के बारे में इस सदन को बताये बिना ही कैसे समाचार पत्रों को भेज दिया? यह संसद सदस्यों के विशेषाधिकार भंग का मामला है; यह सभा के अपमान का मामला है।

उक्त प्रस्ताव में जांच समिति ने कहा है कि "समिति में विचारार्थ प्रस्ताव किये जाने के लिये जो प्रारूप तैयार किया गया था उसे मूल प्रतिवेदन कहना बिल्कुल गलत है। वह तो प्रारूप मात्र था जिस पर चर्चा की जानी थी और चर्चा के पश्चात् किसी अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचना था।" मैं जानना चाहता हूं कि उक्त समिति के सचिव द्वारा क्या इस आशय का कोई पत्र समिति के सदस्यों को लिखा गया था कि ये केवल प्रारूप हैं? उस समिति के एक सदस्य, डा० केलकर ने सभापति को लिखे गये एक पत्र में कहा था कि मैं उस अन्तरिम प्रतिवेदन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जिसे हाल ही में अन्तिम रूप दिया जाने वाला है। मूल प्रारूप में निष्कर्ष और सिफारिशें समिहित थी। उसमें कहीं भी अस्थायी निष्कर्षों या अस्थायी सिफारिशों जैसे शब्द नहीं थे। अतः जांच समिति द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव में तथ्य को छिपाया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपका समय समाप्त होने वाला है। अतः अब आप अपने भाषण को संक्षिप्त करें ताकि अन्य सदस्यों को भी अवसर दिया जा सके।

श्री समर गुह : आप मुझे कम से कम 15 मिनट दीजिए ताकि समिति द्वारा और मेरे ऊपर लगाये गये आरोपों का मैं खण्डन कर सकूं। उन्होने मुझे "गैर जिम्मेदार" कहा है। मुझे इस पर रोष है।

सभापति महोदय : आपको 5 मिनट और दिये जाते हैं।

श्री समर गुह : जब दिसम्बर के महीने में यह प्रतिवेदन स्वीकृत किया जाने वाला था तभी कुछ बातों का रहस्योदघाटन हो गया और परिणामस्वरूप डा० जहीर को समिति के समक्ष साक्ष्य देना पड़ा। डा० जहीर के साक्ष्य के बाद अन्तिम प्रारूप में रूपान्तर किया गया। केवल डा० जहीर से ही साक्ष्य क्यों लिया गया। श्री चावला को साक्ष्य के लिए क्यों नहीं बुलाया गया जो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में की गई नियुक्तियों और अनियमितताओं पर पहले ही आपत्ति कर चुके थे।

डा० जहीर ने चार महीनों की अवधि में ही विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में अपने आठ साथियों को नियुक्ति किया और ऐसा करने के लिए उसने योग्य वैज्ञानिक की उपेक्षा की तथा तत्सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन किया। प्रारूप प्रतिवेदन में इन नियुक्तियों और पदोन्नतियों के सम्बन्ध में तथ्यों को परिवर्तित करके प्रस्तुत किया गया और अन्तिम प्रतिवेदन में तो उन बातों को बिल्कुल ही दबा दिया गया है। प्रारूप प्रतिवेदन के अध्याय 11 के प्रत्येक अनुच्छेद में डा० जहीर पर आरोप लगाये गये थे किन्तु अन्तिम प्रतिवेदन में तथ्यों को तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत किया गया । डा. जहीर को आरोपों से मुक्त किया गया।

वर्तमान जांच समिति भंग की जानी चाहिए। समूचे मामले की जांच करने के लिए एक नई जांच समिति नियुक्त की जानी चाहिए। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष हमारे प्रधान मंत्री हैं और उसके उपाध्यक्ष है हमारे शिक्षा मंत्री। परिषद पर से यह दोहरा नियंत्रण समाप्त किया जाना चाहिए।

अन्त में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि वैज्ञानिक और औद्योगिकी विकास के लिए एक पृथक मंत्रालय बनाया जाना चाहिए। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में जो नियुक्तियां अनियमित रूप से की गई हैं, उन्हें रद्द करके उनके स्थानों पर पुनः योग्य व्यक्तियों की नियुक्तियां की जायें। इस परिषद् के पास केवल व्यावहारिक कार्य छोड़ा जाना चाहिए।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Mr. Deputy Speaker Sir, it was Shri P. N. Katju, a Member of Rajya Sabha who first of all asked for an inquiry into the working of C. S. I. R. At that time his demand was evaded but later on Government appointed an inquiry committee headed by Shri Sarkar. There were some M. Ps. and some scientists too in the committee. We hoped that the report of Sarkar committee would throw light on the irregularities committed into the C. S. I. R. and would make concrete recommendations for improving the functioning of the C. S. I. R. But it is very much distressing that the report of the Sarkar committee has become a matter of controversy.

None can deny that a draft report was prepared in the first instance. That was not a working paper. There is a lot of difference between a working paper and the draft report. The working paper does not include the conclusions. So it absolutely wrong to call the draft report a working paper. The question to be considered is as to why the draft report was so drastically changed. The Minister should clearly state the reasons far this drastic change. I would like to know whether it was changed under pressure.

Is it a fact that Dr. Zaheer was called to tender the evidence before the committee after the draft report had been prepared. I would like to know the reason why he was not called earlier and if he was called earlier why he was called twice. I want that Dr. Zaheer's evidence should be placed on the Table of the House. The final report was wholly based on the evidence tendered by Dr. Zaheer. The draft report which was uneminous became a majority report in its final shape. Thus suspicious are bound to arise that the final report was prepared under pressure from high-ups. The Prime Minister or the Education Minister should clarify this matter. Dr. Zaheer is being criticised because he is responsible for the irregularities committed in C. S. I. R. during his time and not because of the fact that he has friendly relations with Nehru family.

It has been clearly mentioned in Sarkar Committee's report that there has been violation of rules in making certain appointments and giving promotions to scientists in C. S. I. R. But has also been added therein that it was not *mala fide*. How does a committee can say that the violation of rules in particular cases is not *mala fide* ?

The rules were violated. No advertisement was published. The selection committees were also not set up in proper manner. In Hyderabad laboratory, rules and regulations were yearly violated and it because the abode of favouritism and nepotism. This is not the way to scientific improvement. The young scientists go abroad and seek fortune there. They are not provided angle facilities here. In fact the problem is not of facilities or high salary, but the real problem is of opportunity. The young scientists need opportunity as well as recognition of their service. What is happening here is that underserved persons are enshrined in the highest positions and the deserved persons are pushed back.

There is a new trend in our politics, the trend of distributing pamphlets. Shri Ahmed Khan and Shri Arjun Arora distributed some pamphlets in which there were some serious allegations against the C. S. I. R. If Dr. Atma Ram is acting against the accepted policies of the Government, the Government can seek explanation from him. But this kind of action will only to help bring down the morale of the officers. I hope that the Education Minister will give reply to any questions. The Minister must give clarifications regarding the allegations levelled against Dr. Atma Ram.

Shri Bharat Bhushan, committee says, has stated in the synopsis that his qualification is Ph. D. whereas he is only a third class B.Sc. degree holder. This is a very serious matter. This can be brought before the court of law. In this appointment there is open violation of ruels present here is of dour of nepotism in it. Hence I want the Education Minister to present all dividences before the House in this regard. All the appointments, which were made countrary to rules and regulations, a must be cancelled, and the promoted ex-officers must be reverted.

The Public Accounts Committee has shed light in so many cases regarding the CSIR and Hyderabad laboratory. The Financial Adviser never comes in the figure. He should be allowed to expressing opinions and it should be given due consideration. It is also necessary the Prime Minister should decide whether she will devote full time to the activities or not. A full time president is essential for the effective functioningof this institution. If he is a scientist., it will be much better. The committee has brought to light the hurdles in the path of technological development. The Goverment should take steps to eliminate the hurdles. Shri Madhu Limaye has refused to communalism. This is not a problem of communalism the problem is how to run the C. S. I. R. affectively. I hope that Government will compare both the draft report and the final report and take such measures so as to obliterate doubts created in the minds of the people.

Shri Shashi Bhushan (Khargone) :The officers working in the public sector must have faith in the Public sector philosophy. But in India persons like Dr. Atma have are appointed in important public institutions who have leanings towards private sector economy. The public sector institutions are running at a loss only due to this reason. In the matter of C. S. I. R., there was an attempt to entrust to private sector.

श्री के० न० तिवारी पीठासीन हुए

Shri K. N. Tewari on the Chair

The eminent scientists like Shri Suri did not get any chance in this institution. Since Dr. Atma Ram did not like Shri M. M. Suri, the eminent scientist, he was removed from C. S. I. R. Dr. Atma Ram does everything according to his own whims and fancies. When we see that Atma Ram is being supported by the vested interests, we can refer what his intention was behind all these things. Only the vested interests, who plead fervently for the privy purse, who raise objection on against the more to make inquiry into the matters concerning Birla firms, support Dr. Atma Ram and his activities. It is an open fact that Dr. Atma Ram has no faith in public sector. He has tried on many occasions to

transfer the C.S. I. R. to private sector. Therefore I request the the Government that only those people who have faith in the radical programme of the Government, and public sector should be appointed in public institutions.

I don't like to drag the Hindu-Muslim communalism into this matter. what I want to say is that a C. B. I. inquiry should be instituted into the conspiratorial activities of Dr. Atma Ram , who spared no effort to damage the C. S. I. R. and caused a loss of crores of rupees to the Goverment if we really want the C. S. I.R. to flourish, we must keep it under the planning commission. I request the Minister to give a reply as to why Dr. M. M. Suri was removed from the C. S. I. R. All alleged matters should be inquired into.

श्री समर गुह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हम प्रतिवेदन के पहले भाग पर विचार कर रहे हैं जो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद में नियुक्त किये गए विभिन्न वैज्ञानिकों के संबद्ध में जो नीति अपनाई गई है। उससे संबंध रखतीं है। इस में डा आत्माराम डा० जहीर और अन्य निर्देशक भी आते हैं। अतः मैं जानना चाहता हूं कि समिति द्वारा डा० आत्मा राम के मामले की भी जांच की गई है या नहीं। यदि हां, तो समिति ने क्या निष्कर्ष निकला है।

सभापति महोदय: व्यवस्था को कोई प्रश्न नही उठाया जा सकता ।

श्री कृ० मा० कौशिक (चांदा) :श्रीमान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संबंध में संसद में और समाचार पत्रों में बहुत कडी आलोचना सुनने को आई है। लोकलेखा समिति ने भी हाल में इसके संबंध में बहुत सी आलोचनात्मक बातें कहीं थीं यह बड़े दुख की बात है। हमने इस में 146 करोड़ रुपए लगाये हैं। मगर कुछ राष्ट्रीय उत्पादन में जो कि 5000 करोड़ रुपए का है। इस का हिस्सा दुखद रूप से कम है। इस के कारणों की अगर जांच की जाए तो पता चलेगा कि इस परिषद में जो लोग महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किये गए हैं, वे मध्यम स्तर के हैं और जिन्होंने अब तक वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में किसी प्रकार का योगदान नही दिया है।

मैं समिति के प्रतिवेदन के परिशिष्ट XI की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। ग्यारह अफसरों के वेतन में बहुत अधिक वृद्धि कीं गई। 1956 में जो आदमी 375 रुपए पाता था। नौ सालों में में वह 1600 रुपए हो गया। मैं आरोप लगाता हुं कि इन ग्यारह कर्मचारियों के मामले में बहुत अधिक पक्षपात बरता गया है। मगर सरकार समिति ने इसकी गहराई में जाने का कष्ट नहीं उठाया।

मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हं। श्री बलदेव सिंह जो पहले 375 रुपए तनख्वाह पाता था। उन्हें 1600-1900 के वेतनमान में रखा गया। जब डा० हुस्सैन ने कार्यभार संभाला लिया, तो उन्होंने औद्योगिक संपर्क अधिकारी के पद को फिर से बनाये रखने का निश्चय किया मगर उनके पहले डा० थापर ने कहा था कि यह पद अनावश्यक है, अतः इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। चूंकि श्री हुस्सैन ने श्री बलदेव सिंह की सहायता करनी चाही, अतः उन्होंने उस पद को बनाये रखा और 1-9-62 में उन्होंने श्री बलदेव सिंह को 750 रुपए वेतनमान में औद्योगिक संपर्क अधिकारी नियुक्त किया। यहां पहले से ही तीन क्षेत्रीय अधिकारी संपर्क अधिकारी का काम कर रहे थे। मगर इस नई नियुक्ति में उन का जिक्र ही नहीं किया गया। मजेदार बात यह है कि महानिदेशक ने अधिसूचना में अर्हता के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने जानबूझकर श्री बलदेव सिंह को इस पद पर नियुक्त करने के लिए ही ऐसा किया।

डा० आत्माराम, डा० लोकनाथन, और डा० केन संस्था की संविधान समिति के तीन महत्वपूर्ण सदस्य थे। इनके रहते महानिदेशक की एक भी चाल नही चलती थी। अतः उन्होंने इस समति में हेरफेर किया और 'एकनोमिक टाइम्स' से श्री दिलीप मुकर्जी को एक रेडियो विक्रेता श्री फजल भाई और सेकनदशब्द से एक प्रयाद को समिति के सदस्य बनाये। पहले के सदस्यों को हटाने का कोई कारण नहीं

बताया गया। उन्होंने इसीलिए ये सब चालें चलीं, क्योंकि बलदेवसिंह को वे चोरदरवाजे से लाना चाहते थे। ये जो नए सदस्य हैं, उन्हें विज्ञान के संबंध में तनिक भी ज्ञान नहीं है। साक्षात्कार के लिए दस उम्मीदवारों को बुलाया गया। उनमें छः लोग पी० एच० डी० उपाधिधारी थे और तीन स्नातकोत्तर उपाधिधारी थे। मगर श्री बलदेवसिंह को नियुक्त किया गया जो केवल बी० एस०सी० की उपाधि को प्राप्त थे। इस प्रकार के लोगों के रहते इन जैसी संस्थाओं से प्रगति की अपेक्षा कैसे की जा सकती है?

महानिदेशक ने उन्हें 1300-1600 वेतन स्तर से 1600--1900 वेतन स्तर वाले पद पर नियुक्त करने के लिए कोशिशें की। मगर वित्तीय सलाहकार ने इस का विरोध किया। उन्होंने अनुसन्धान समन्वयकर्ता (Research coordinator) के एक नये पद की सृष्टि करके श्री बलदेव सिंह को वहां 1600--1900 के वेतनमान में नियुक्त करना चाहा मगर वहां भी वित्तीय सलाहकार के विरोध के कारण उन्हें उक्त विचार छोड़ना पड़ा। यह बड़ी गंभीर बात है कि महानिदेशक ने कहा "औद्योगिक संपर्क अधिकारी के पद को समाप्त किया जाएगा बशर्ते कि श्री बलदेवसिंह को अनुसन्धान समन्वयकर्ता के नये पद पर नियुक्त किया जाए।"

1965 में उन्होंने 1600--1908 के वेतन मान में 'एफ' वैज्ञानिक के पद की सृष्टि करना चाहा। विज्ञापन में इस बार भी अर्हता के संबंध में कुछ नहीं कहा गया था। निर्वाचन समिति के 13 सदस्यों में केवल तीन उपस्थित हुए। वित्तीय सलाहकार ने इसका सख्त विरोध किया और नियुक्ति करने से रोका। फिर उन्होंने औद्योगिक संपर्क अधिकारी के पद का 'एफ' वैज्ञानिक से समीकरण करने की कोशिश की। यहां उपाध्यक्ष की सहायता से उन्हें सफलता प्राप्त हुई और श्री बलदेव सिंह को 1600--1900 के वेतनमान में नियुक्त किया। इन सारी बातों से स्पष्ट होती है कि वह आदमी भाई-भतीजावाद की नीति को चला रहा था।

हैदराबाद प्रयोगशाला के निदेशक के पद पर डा० दत्तार को नियुक्त किया गया हांलांकि ऐसा कोई पद नहीं था। इसके द्वारा, सभी नियमों का उल्लंघन किया गया। यहां भी भाई भतीजावाद की नीति चलाई गई है।

अत: मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि यह महानिदेशक बुरे लक्ष्यों से प्रेरित आदमी है। जब श्री छागला उपाध्यक्ष थे, वे इन पर सख्त नियंत्रण रखते थे। मगर जब स्वर्गीय श्री हुमायूंकबीर उपाध्यक्ष बने, उन्होंने सारा काम इन के नियंत्रण पर छोड़ दिया। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि अगर इस के कार्यों के लिए अधिक समय नहीं लगा सकते तो, यह कार्यभार आप मत संभालिए।

समिति का अंतिम प्रतिवेदन बहुत बिगाड़ा हुआ है। प्रारूप प्रतिवेदन और समिति के सामने पेश की गई सारी गवाही रिकार्ड में आनी चाहिए ताकि संसद सदस्यों को पता लगे कि नियमों का कहां उल्लंघन किया गया और उस के क्या कारण थे। डा० सी० वी० रमन ने कहा था कि "राष्ट्रीय प्रयोगशालायें वैज्ञानिक उपकरणों को दफनाने के लिए बनाई गई हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् पैरवी करना निरर्थक बात है।" इनमें प्रवीण लोगों को नियुक्त नहीं किया जाता। नियुक्त किया जाता है अप्रवीण एवं मध्यम स्तर के लोगों को जिसका परिणाम यह होता है कि इन संस्थाओं से जनता को कोई ठोस फायदा प्राप्त नहीं होता। वे जनता के धन का अपव्यय कर रहे हैं।

Shri Mrityaunjay Prasad (Maharaj Ganj) : I am sorry, the Prime Minister is not present here but I hope, all that I say here will be communicated her. She is the acting president of C.S.I.R. not because of her merits but because or the convention that Prime Minister will be the president of the council. Since She is the administrative head, the responsibility regarding merits and demerits of C. S. I. R. goes to her. Therefore the Committee to enquire into the activities of the council should not be appointer by her in order to have a justified and impartial report. In case the commission or the committee is aappointed by the Prime Minister, we can not expect a justified report because the member of such a commission or a committees will be true and sincere to prime Minister rather than to the subject bestowed upon them, they cannot, foreget that the Prime Minister is the President or the council and is responsible for all its merits and demerits. Her statement that the newspaper reports are not correct and she is not going to make a further enquiry to be completed is matter of grave concern.

In order to have proper functioning of the council it is necessary, that the people possessing highest qualification should be appointed. It is not proper that the selection be made according to the minimum qualification presicribed by the council. We should try to make a good selection of those who are having the highest qualification amongst the applicants. But unfortunately this formula has not been adopted by C. S. I. R. regarding the appointment made by them. There are certain cases that the selections were made even without applying by the candidates for the post an even without having no objection certificate from their present employers I am sorry the thing happened here were not expected at least from the scientists.

Director General of the council of scientifice and industrial research is of the view that the people here should follow his footsteps other wise made compell to resign. Here is an example of a man who were appointed director of National Physical Laboratory on 29-10-63 for a. period of three years. He was asked to resign in December, 1964 because he has refused to recommend the name of a particular man for a certain post. This candidature was desired to be recommended by the Director General of C. S. I. R.

Dr. C. R. Rao regarding the appointment of Shri Rahman on a highlevel post in operation research has stated that the type of work Shri Rahman was doing in different laboratories before he was brought to C. S. I. R. or from his published work, it is not evident that he has the necessary activities for required for the post. Even then he was selected in a higher scale. A proper enquiry of such cases and the assessment of the workdone by them, should be made. On last page of Appendix II in the report a mention of 12 names regarding in ordinate promotions has been made. A proper inquiry to the effect whether these people were actually extraordinarily efficient and qualified be made on the basis of the work done by them.

It has been said that the ex-Director General or council of Scientific and industrial research spent such a huge amount to decorate his office which, even a minister would not do, such expenditures should not be incurred. The amount should be spent on laboratories instead of decorating a office room. proper encouragement for the young scientists working in scientited and industrial Research Institute, is absolutely necessary . But it has been brought to one notice that the credit goes to the Director since all the name of the Director is given on all the connected papers of research work. It is improper, and rather an harrass to young scientist, Action should be taken in this regard.

Shri Sita Ram Kessri (Katihar) : As regard formation of a new inquiry committee is concerned there seems to be no justification in that. Sarkar Committee, comprised of the best qualified candidates, has already enquired into the matter and submitted a very good report. Most of the decisions in this committee have been taken on majority of votes of its members and only 10 percent cases are having difference of opinion.

There is nothing wrong in the decision taken by the committee regarding the appointment of officers in Hyderabad laboratory.

Committee has observe certain faults regarding appointments made in C.S.I.R., Therefore, it is necessary to decide that the appointment's be made of those who are best suited willing and the deserving condidates. Only the degree of the university is not enough because certain degree holders have failed in operational research works. We should look for the asility of a man because it has been seen at times that people having no degree or diploma prove more efficient and able to those who have compiled a bundle of degrees and diplomas.

I would like to concluded with these words that the Sarkar Committee was of the most powerful committee and the top class people were included in that. Therefore, we should accept its report as final one and should not ask for another report by some other Committee.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : सरकार समिति में न केवल इस सभा बल्कि राज्यसभा के कुछ सदस्यों के साथ-साथ चार विख्यात वैज्ञानिक भी हैं, जिनकी इस अन्तरिम प्रतिवेदन में विचाराधीन मामलों पर राय पर कम से कम उतना ही महत्व दिया जाना चाहिये जितना इस सभा के गैरजानकार राय को दिया जाना है। न्यायाधीश सरकार एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस देश के सर्वोच्चन्यायिक पद पर रहे हैं और फिर भी उनमें एक विशेष गुण है कि वह अहंकारी भावनाओं से परे हैं और निर्भीक हैं। इस गुण का हमें आदर करना चाहिये परन्तु सदन में न्यायाधीश सरकार तथा उनकी समिति की भर्त्सना की गयी है। संसद सदस्यों की भी अपनी प्रतिष्ठा है, अतः श्री मधु लिमये और श्री समर गुह की प्रतिष्ठा का भी बहुत महत्व है परन्तु उन व्यक्तियों की प्रतिष्ठा का भी उतना ही महत्व है जो यहां अपना बचाव करने के लिये उपस्थित नहीं हैं।

यह बात विवादग्रस्त है कि यह प्रतिवेदन अन्तिम है अथवा प्रारूप ? उन संसद सदस्यों ने जिन्होंने इस अन्तरिम प्रतिवेदन के साथ अपना विमनि टिप्पण लगाया है उन्होंने स्वयं एक व्यक्तव्य पर हस्ताक्षर किये हैं जिसे समिति की एक बैठक में सर्वसमत्ति से स्वीकार किया गया था और जिसमें उन्होंने यह कहा था कि यह **अन्तरिम** प्रतिवेदन है। मैं लोक लेखा समिति के सभापति से यह जानना चाहता हूं कि क्या लोक लेखा समिति अथवा किसी अन्य संसदीय समिति के किसी सदस्य ने अपनी समिति के किसी प्रारूप प्रतिवेदन को प्रकट किया है और फिर भी वह अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों की अपेक्षा अपने आपको लोगों के सामने सदाचारी घोषित करता रहा है? इस प्रकार का अप्रियकार्य समझ में आनें वाली बात नहीं है। सरकार समिति की स्थापना संसद द्वारा नहीं की गई थी, प्रत्युत सपरिषद के सभापति द्वारा की गई थी। इस बात की कल्पना की जा सकती है कि जस्टिस सरकार और उनके गैर संसदीय साथियों की भावनायें इस संबंध में क्या होगीं। समिति ने जो निष्कर्ष प्रस्तुत किये हैं उन पर आपति की गयी है अतः समिति को अपनी सफाई देने का हक है क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा उस पर अपने प्रतिवेदन को बदलने के लिये दबाव डाला गया था।

जब संसद में समिति के ऊपर आरोप लगाये गये तो समिति के लिये यह अनिवार्य हो गया कि वह अपनी सफाई पेश करे और ऐसा करने के लिये उन्होंने सर्व सम्मति से निर्णय किया। इसमें उन लोगों का भी समर्थन था जिन्होंने प्रतिवेदन में विमति टिप्पण प्रस्तुत किये थे। मेरे विचार से यह प्रतिवेदन शुद्ध न्यायिक दस्तावेज़ है। सारे मामलों की व्यापक जाँच नहीं की गई है। समय समय पर आवेदनकर्ताओं की सूची में से कुछ लोगों का च्यन करना ही पड़ता था क्योंकि ऐसे भी लोग थे जो किसी भी पद के लिए आवेदन-पत्र नहीं देते थे। लोकलेखा समिति ने अपना 122वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और इसमें भी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बारे में विचार व्यक्त किये हैं जिनकी ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये। प्रधानमंत्री चाहती है कि देश का वैज्ञानिक विकास हो ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा

हो सके । वे चाहती हैं कि इस दिशा में आधारभूत गवेषणा की जाय और व्यवहारिक ढंग अपना कर तकनीकी सफलतायें प्राप्त की जायें। वे चाहती थी कि इस दिशा में सारा कार्य सरकारी क्षेत्र में हो क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था के लिये यह बहुत जरूरी था। इसके विपरीत डा० आत्माराम यह नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि तकनीकी व्यक्तियों को विदेशों से बुलाया जाय परन्तु प्रोफेसर सत्येनबोस का विचार इसके विरुद्ध था। डा० आत्मा राम इस पक्ष में थे कि काफी संख्या में विदेशी तकनीशियनों को यहां बुलकार तकनीकी विकास का कार्य किया जाय।

इस सभा में बिना किसी भय के वैज्ञानिकों के बारे में अनेक बातें कहीं गयीं हैं, यह नहीं कही जानी चाहियें। सरकार समिति के बारे में भी इसी ढंग से बातें कहीं गयीं हैं यह सब बन्द होना चाहिये। देश की सरकार को इसके लिये प्रायश्चित करना चाहिये तथा प्रधानमंत्री को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का अध्यक्ष होने के नाते और शिक्षा मंत्री को इसका उपाध्यक्ष होने के नाते मुख्य निदेशक एवं वर्तमान सरकार के परस्पर विरोधी विचारों के सम्बन्ध में पूछे गये सभी प्रश्नों का उत्तर देना चाहिये। सरकारी क्षेत्र और स्वतंत्र वैज्ञानिक गतिविधियों के विरूद्ध इस कान्ड में डा० जहीर को भी घसीटा गया है। देश की नौकशाही के द्वारा वैज्ञानिकों की प्रतिष्ठा भंग की गयी है। यदि ऐसे कार्यों में संसद द्वारा सहायता की जाती है तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रोफेसर जी० बी० एस० हाल्डेन ने इस परिषद् को 'स्वतंत्र अनुसन्धान को दबाने वाली परिषद् (Council for the supression of independent Research) जैसा नाम उचित ही दिया है।

वास्तव में सरकार को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा उचित रूप में कार्य करने के लिये प्रत्येक सुविधा देनी चाहिये। सरकार समिति ने जिस रूप में कार्य किया है, सरकार द्वारा उसका समर्थन किया जाना चाहिये तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले वैज्ञानिकों की पूरी सहायता की जानी चाहिये।

श्री जी० विश्वनाथन (वन्डीवाश) : वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् पहले ही अस्तव्यस्त स्थिति में है। वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में अपना राजनैतिक प्रभाव बढ़ाकर माननीय सदस्यों को इसे और अधिक खराब नहीं करना चाहिये। यह दुर्भाग्य की बात है कि देश में ऐसी स्थिति है। लगभग 25 वर्षों के पश्चात् वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की उपलब्धियों और गरिमा के स्थान पर हम इसके आचरण और दुराचरण, नियमितताओं तथा अनियमितताओं पर विचार कर रहे हैं। आरोप लगाया गया है कि सरकार समिति के कार्य पर प्रधान मंत्री ने दबाव डाला है। जब तक सरकार समिति के सदस्य यह नहीं कहते हैं कि उन पर दबाव डाला गया है तब तक इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, चाहे यह किसी ने भी कहा हो।

अधिकांश रूप से समिति ने अच्छा कार्य किया है। मुझे समिति से केवल यही शिकायत है कि निष्कर्ष पर पहुंचने पर उन्होंने या तो मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया है या गम्भीर अनियमितताओं और नियमों, विनियमों तथा उपनियमों के मामलों को दबा दिया गया है। इसमें सन्देह नहीं है कि समिति ने अपने प्रतिवेदन में इस प्रकार की सभी बातों की ओर संकेत किया है।

समिति ने मुख्यत: कुछ मामलों की ओर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। उदाहरणार्थ उन्होंने अधिकांश समय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में डा० ज़हीर की महा-निदेशक के रूप में नियुक्ति के सम्बन्ध में खर्च किया है। यह आरोप लगाया गया है कि

नियुक्ति के समय उनकी आयु 61 वर्ष थी अतः उनकी नियुक्ति वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के नियमों, विनियमों के अनुकूल नहीं है। समिति ने इस सबन्ध में कहा है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अनुसार उपनियम 75 (ख) के अन्तर्गत इस विषय पर भारत सरकार के नियम वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अधिकारियों पर भी लागू होते हैं। इस परिषद में 1956 से आयु सीमा वृद्धि और सेवावधि वृद्धि की स्वीकृति सम्बन्धी, प्रशासी निकाय और अध्यक्ष द्वारा जितने भी विभिन्न निर्णय लिये गये हैं उनके द्वारा इस विषय पर सरकार के नियमों का उल्लंघन किया गया है।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकारी नियमों के उल्लंघन किये गये हैं इस प्रकार समिति के इस आरोप के अन्दर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर श्रीमती इन्दिरा गांधी तक सभी प्रधान मंत्री और प्रौफेसर हुमायूँकबीर से डा० वी० के० आर० वी० राव तक के सभी मंत्री आ जाते हैं।

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : समिति का प्रतिवेदन 1968 के पश्चात् के समय के सम्बन्ध में नहीं है। मुझे 1969 में शिक्षा मंत्रालय मिला।

श्री जी० विश्वनाथन : डा० राव को छोड़ा जा सकता है। आयु सीमा वृद्धि तथा सेवा निवृति के पश्चात् नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकारी नियम क्या हैं? मौलिक नियम 56(ग) में कहा गया है:

> "..........एक कार्यकारी जिसका उल्लेख खण्ड (ख) में किया गया है या या मंत्रालय के सरकारी कर्मचारी जिनका उल्लेख खण्ड (ग) में किया गया है, को विशेष परिस्थियों में, जो लिखित में उपलब्ध रहेंगी, 60 वर्ष की आयु के पश्चात् उचित प्राधिकारी स्वीकृति से, सेवावधि विस्तार प्रदान किया जा सकता है।"

जानबूझकर या अन्य प्रकार से, नियुक्ति के लिये सेवा निवृति के पश्चात् आयु सम्बन्धी सरकारी नियम का वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा उल्लंघन किया गया है; यह बात का कोई महत्व नहीं है कि यह उल्लंघन प्रशासनिकाय, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष अथवा महानिदेशक द्वारा किया गया।

समिति ने यह कहा है कि डा० ज़हीर की नियुक्ति अवैध नहीं है क्योंकि सरकारी नियमों के अन्तर्गत 60 वर्ष की आयु के पश्चात् नियुक्ति और सेवावधि विस्तार के विषय में कुछ नहीं कहा गया है, और डा० ज़हीर की नियुक्ति को सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है।

जब सरकारी नियमों के अन्तर्गत यह कहा गया है कि 60 वर्ष की आयु के पश्चात् सेवा-अवधि किसी विशेष परिस्थिति में बढ़ाई जानी चाहिये जहां कारण लिखित रूप में दिये जाने चाहियें तो यह एक साधारण बात है कि यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक आयु वाला है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जानी चाहिये। पता नहीं सरकार समिति ने इस बात की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया?

सामान्य आरोपों के सम्बन्ध में समिति ने कहा है जितने मामलों का अध्ययन किया गया उनमें बहुत से मामलों में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने अपने नियमों का पालन नहीं किया है। यह नहीं कहा गया है कि इस प्रकार के उल्लंघन किसी भ्रष्टधारणा से किये गये; हो सकता है कि सम्बन्धित नियम की ओर अधिकारियों ने ध्यान न दिया हो।

कुछ मामलों में इस विश्वास के आधार पर उल्लंघन किया गया है कि वर्तमान नियम दोषपूर्ण हैं। अब प्रश्न यह आता है कि यदि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यह समझती है कि नियम अथवा उपनियम दोषपूर्ण हैं, तो उसे इनका उल्लंघन करने के बजाय इनमें संशोधन करना चाहिये था।

इस प्रतिवेदन से यह भी ज्ञात हुआ है कि कर्मचारियों का एक प्रयोगशाला से दूसरी प्रयोगशाला में स्थानान्तरण करने के बजाय पदों का स्थानान्तरण किया गया जिससे उन्हें महत्व-पूर्ण कार्य दिया जा सके।

जहां तक विज्ञापनों का सम्बन्ध है, सभी पदों का विज्ञापन उपविधि 58 के अनुसार किया जाना चाहिये लेकिन समिति ने ऐसा नहीं किया। महानिदेशक ने अपने साक्ष्य में कहा है कि न केवल वह बल्कि उनके पूर्वाधिकारियों में भी इस उपविधि का पालन नहीं किया। इस बात से वह निर्दोष नहीं हो जाते। इसका तात्पर्य यह है कि पहले महानिदेशकों को भी जांच समिति द्वारा बुलाया जाना चाहिये।

विज्ञापनों में निर्धारित अर्हताओं के सम्बन्ध में समिति को अनेक त्रुटियों का पता लगा है। समिति ने कहा है कि बड़े पदों के लिये नीची अर्हतायें निर्धारित की गयी और छोटे पद के लिये ऊंची।

इसके पश्चात चयन समितियों के समक्ष जाने के लिये तालिका तैयार करने के सम्बन्ध में महानिदेशक प्रभाव डाल सकते हैं और कुछ नामों को हटाना तथा नये नामों को जोड़ने का कार्य महानिदेशक के विचारों के अनुसार किया जाता है। नियोक्ता की सलाह लिये बिना भी चयन समितियों के विचार के लिये नाम प्रस्तुत किये जाते हैं।

इसके अतिरिक्त एक पद के लिए गठित की गयी समिति किसी अन्य पद का च्यन करती है और वह ऐसे पद का च्यन करती है जो होता भी नहीं है । पक्षपात के सम्बन्ध में बलदेव सिंह के मामले का उदाहरण दिया जा सकता है। श्री सूरी के मामले में यह आरोप लगाया गया है कि उन्हें रेलवे बोर्ड द्वारा निजी परामर्श की स्वीकृति नही दी गयी तो भी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने यह अनुमति दे दी और श्री सूरी इसे व्यवहारिक रूप देते रहे।

वर्गीकरण के मामले में भी जहां उनका वैज्ञानिकों के कार्यों के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, वहां भी उन्हें वैज्ञानिक कहा जाता है। ऐसा कहा गया है कि "245 पदों में से जिन-का अध्ययन समिति ने किया है, समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि 116 पद अर्थात् लगभग 47 प्रतिशत पदों को वैज्ञानिक तथा तकनीकी नाम नहीं दिया जाना चाहिये। " खरीद, स्टोर, प्रचार, प्रकाशन, ग्रंथालय, सूचना, विस्तार सेवाओं इत्यादि से सम्बन्धित पदों को वैज्ञानिक पद-नाम दिये गये हैं। यदि इसे योग्यता के रूप में लें लिया जाय तो 50 करोड़ जन संख्यावाले इस देश में 25 करोड़ लोगों को वैज्ञानिक कहा जा सकता है।

समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं । इसने एक सिफारिश में यह कहा है कि चूंकि उपराष्ट्रपति चुनाव समितियों में अपना अधिक समय नहीं दे सकते हैं, तो उन्हें निदेशकों और दूसरे उम्मीदवारों के चुनावों के लिये अध्यक्षता करने हेतु एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को नियुक्ति कर देनी चाहिये। फिर ये सुझाव भी दिये गये हैं कि प्रयोगशालाओं को संबंधित मंत्रियों को सौंप दिया जाना चाहिये अथवा उन्हें भंग कर देना चाहिये।

चूंकि कई आरोप लगाये गये हैं और आंशिक रूप समिति द्वारा स्वीकृति भी हो चुके हैं, डा० ज़हीर को जो राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनके पद से हटाना पड़ा।

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इदिन्रा गांधी) : सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहती हूं कि जैसा सर्वविदित है देश का विकास एक बड़ी सीमा तक विज्ञान के विकास पर निर्भर है। अत: भारतीय विज्ञान के भविष्य से भारत के विकास को अलग नहीं रखा जा सकता।

यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें इस प्रश्न पर बिना किसी भेदभाव के चर्चा करनी चाहिये। दुर्भाग्यवश इस चर्चा में भेदभाव पक्षपात लक्षित होता है। बहुत से अनादर एवं दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगाये गये हैं। इस सम्बन्ध में सबसे पहले मैं यह कहना चाहती हूं कि मैंने इस समिति के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य पर ना ही कोई दबाव डाला, ना ही कोई संदेश भेजा और ना ही उनमें से किसी से भी भेंट ही की। हो सकता है इस अवधि में किसी सदस्य से मेरी भेंट हुई हो परन्तु इस सम्बन्ध में नहीं। उन्होंने इस समिति की बैठक के बारे में कोई चर्चा नहीं की। जहां तक मेरा प्रश्न है, जब तक मुझे अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ, मुझे यह भी पता नहीं था कि समिति क्या कर रही है। जहां तक न्यायाधीश सरकार का सम्बन्ध है, अपने कार्यक्षेत्र में उन्हें विशेष ख्याति प्राप्त है। चाहे उन्होंने उच्चतम न्यायलय में कार्य किया या कहीं और उनके कार्य से सदैव ही न्यायपालिका की गारिमा बढ़ी है। इसलिये मुझे बड़ा अफसोस है कि उन पर आरोप लगाये गये। मेरे विचार से समिति के सदस्यों को इस सम्बन्ध में कह सकने का अधिकार है।

न्यायाधीश सरकार के प्रति आदर व्यक्त करना और उनकी निष्पक्षता तथा तटस्थ दृष्टि पर पूर्ण विश्वास करना पूरी तरह हमारे अधिकारों के ही अन्तर्गत आता है। उनके प्रति सरकार के सम्मान की मैं पुष्टि करना चाहती हूं तथा इस दुष्कर कार्य को देश के हित को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने जिस प्रकार निष्पक्षता के साथ निभाया है उसका सम्मान करती हूं।

यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का कार्य ठीक से नहीं चल रहा है। इसलिए इस समिति को नियुक्त करना पड़ा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इस प्रकार की गुटबन्दी ठीक नहीं है। सभी जगह के वैज्ञानिकों में यह विद्यवान है क्योंकि वैज्ञानिक होने के साथ-साथ वे मनुष्य भी हैं और मनुष्य होने के नाते उनमें प्रतिस्पर्धा तथा अन्य मानवीय भांवनायें होती हैं।

जैसा कि आप लोगों को पता है सरकार समिति में संसद सदस्य और कुछ चुने हुए वैज्ञानिक सम्मलित थे। संसद सदस्य किसी एक राजनैतिक दल के नहीं थे। जो वैज्ञानिक चुने गये वे भी विभिन्न संस्थाओं से चुने गये तथा अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान जगत के विख्यात वैज्ञानिक हैं उनमें से दो सदस्य तो रायल सोसायटी के सदस्य हैं। सरकार ने कोई भी ऐसा व्यक्ति इसमें सम्मलित नहीं किया जो किसी तरह से भी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् से तथा उसके प्रशासी निकाय से सम्बन्धित रहा हो।

चांज समिति ने अनेक लेख साक्ष्य और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कर्मचारियों और अन्य लोगों के अभ्यावेदनों की छानबीन की है और इसने अनेक लोगों के साथ व्यक्तिगत रूप से चर्चा की है। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि समिति ने सिफारिश की है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषदृ के किसी एक स्वतंत्र

अधिकारी को, आरोपों की जांच करने और इसी तरह की शिकायतों को पूर्ण जांच करने के लिये जो प्रारंभिक जांच के परिणाम स्वरूप प्रथम दृष्टि में प्रतीत मामला है, नियुक्त किया जाना चाहिये। सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करती है और इसे शीघ्र कार्यान्वित करने का विचार है। जब यह समिति बनाई गयी थी, तब सरकार या संसद का यह इरादा नहीं था कि न्यायाधीश सरकार या समिति छोटे मोटे कोषों को पकड़ने में अपना समय वर्बाद करे। समिति के विचारार्थ विषय रचनात्मक भावना से बनाये गये हैं और शायद किसी ने कभी इसका विरोध नहीं किया कि ये विषय अपर्याप्त या सभा निसामान्य भावना से विपरीत हैं।

भारतीय विज्ञान का पुनगर्ठन एक गम्भीर मामला है। हमें इस बात की पूरी कोशिश करनी है कि एक ऐसा वातावरण, जो वैज्ञानिक खोज के अनुकूल हो, तैयार करके अपने वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाना चाहिये। हमें कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये या ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जिससे उनका हौसला कम हो। हम उनके कार्यों के बारे में चर्चा कर सकते हैं परन्तु उनकी व्यक्तिगत कहानी के बारे में नहीं। समिति की नियुक्ति करने से हमारा उद्देश्य यह था कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में सुधार किया जाय नाकि उसको समाप्त किया जाय। दूसरा उद्देश्य यह था कि एक ऐसा तरीका ढूंढा जाय, जिसमें प्रतिभा, सृजनशक्ति और पहल करने की प्रेरणा मिल सके। यह महत्वपूर्ण विचार समिति के विचारार्थ विषयों का आधार बन गयें हैं और यह माना जाता है कि ये अपने प्रतिवेदन के भाग II में दी गई सिफारिशों का आधार बनेंगे जिसकी अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है।

उसमें एक विमति टिप्पणी दी गयी है, लेकिन उसको 270 में से 8 मामलों तक सीमित रखा गया है। जिनकी समिति ने जांच की थी। दूसरे सभी मामलों में समिति की सिफारिशें सर्वसम्मति से की गयी हैं। जहां भी समिति ने विपरीत निर्णय दिया है, वहां सरकार का आवश्यक जांच कराने का विचार है।

नियमों के उल्लंघन के विषय में कहा गया है। इस संबंध में मेरा विचार यह है कि हमें नियमों का उल्लंघन तो नहीं करना चाहिये परन्तु वैज्ञानिक के लिये हमें अलग से नियम बनाने चाहियें।

आयु सीमा आदि के प्रश्न उठाये गये हैं। सामान्यतः मैं सेवा-अवधि विस्तार के पक्ष में नहीं हूं। परन्तु कुछ विशेष परिस्थितियों में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको नियुक्त करने से बहुत लाभ हो सकता है क्योंकि अपने ज्ञान के क्षेत्र में वह विशिष्ट व्यक्ति है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे नवयुवक हैं जो हमारे नियमों और शर्तों के अनुकूल उचित नहीं ठहरते परन्तु विदेशों में उन्हें श्रेष्ट कार्य प्राप्त हो जाते हैं। उन्हें पूरा विभाग सौंप दिया जाता है। इसलिए निश्चित ही हमारे देश के नियमों आदि में कोई ऐसी कमी है कि हम इन नवयुवकों को अपना नहीं पाते हैं और विदेशों में उन्हें बहुत अच्छे पद प्रदान किये जाते हैं। ऐसे अनेक मामलों से मैं परिचित हूं।

आज विज्ञान का कार्य सर्वोत्तम है परन्तु दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसा नहीं है। इसी लिये ही शायद हमारे युवा वैज्ञानिक हतोत्साहित हैं। अतः हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि इन परिस्थितियों में सुधार करने के लिए सहायता प्रदान करें।

जो कुछ भी रचनात्मक सुझाव माननीय सदस्य दे सकते हैं, उनका सदैव स्वागत है। लेकिन हमें वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान जैसी एक संस्था की लापरवाही से की जाने वाली आलोचना और बहुत अधिक निन्दा करने का विरोध करना चाहिये। क्योंकि जहां

इसमें कोई दोष है, वहां उसको उल्लेखनीय सफलतायें प्राप्त करने का श्रेय भी और विभिन्न मात्रा में, विगत दो दशकों के दौरान इसकी प्रत्येक प्रयोगशाला ने स्पष्ट रूप से हमारी प्रगति में सहयोग दिया है।

Shri Madhu Limaye : I want clarification from the Prime Minister on two points which are directly concerned with it.

I do not want to say anything about the criticism of the report or on the business of the committee or on the reply to be given by you. I want to say only this much that you are going to set up wrong precedent and wrong convention that committee should give a reply itself. This has never been done before.

Secondly will the Government be keeping in view the minute of dissent and complete evidence while taking final decision.

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हां हम असहमति के कार्यकृत पर भी विचार करते हैं और जहां तक प्रमाण का प्रश्न है प्रासंगिक प्रमाणों पर भी विचार किया जाता है।

डा० सुशीला नायर (झाँसी) : महोदय मैं पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना से यह कह सकती हूं कि हम विध्वंसात्मक आलोचना नहीं करना चाहते और किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हमारे मन में कोई दुर्भावना नहीं है न ही देश में हुए वैज्ञानिक कार्य की महत्ता को हम कम करना चाहते हैं इसके विपरीत हम चाहते हैं कि हमारे अपने वैज्ञानिकों में विश्वास और सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो मैं प्रधान मंत्री के इस विचार से सहमत हूं कि अन्य वैज्ञानिकों के चयन के नियम अन्य सामान्य नियमों से भिन्न होने चाहिएं। यह कहा गया है केवल आठ दस स्थानों के लिए 'असहमति की टिप्पणी' दी गई है। चिंतनीय प्रश्न संख्या का नहीं बल्कि असहमति की टिप्पणी का है।

श्री सूरी और श्री एस० एम० कृष्ण के एक जैसे मामलों में दो विभिन्न नीतियों को अपनाया गया है। इस दुहरेपन से वैज्ञानिक परेशान हो जाते हैं। परामर्श अधिकार यदि दिए जांए तो सब को दिए जांए।

यह कहा गया है कि समिति ने लगभग एकमत होकर प्रतिवेदन दिया है। ठीक है, किन्तु समिति ने स्वयं लिखा है कि कई बार वर्तमान अधिकारियों को उच्च वेतन देने के लिए पदों की आवश्यकता दिखाई गई। कई बार पद खाली रखे गए अथवा तब भरे गए जब आवश्यकता नहीं थी। एकमत से दी गई समिति का प्रतिवेदन यही है। इस समिति ने निम्न पद के लिए उच्च योग्यताएं और उच्च पद के लिए निम्न योग्यताएं रखने और गड़बड़ियों की ओर भी ध्यान दिलाया है। निश्चय ही ऐसी बातें देश में वैज्ञानिकों की परेशानियों का कारण हैं।

यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि डा० जहीर हुसैन और डा० आत्मा राम क्रमशः मुसलमान और हिन्दू हैं और इससे लोगों को सारे कार्य-कलाप में साम्प्रदायिकता उभारने का अवसर मिल गया है। यह इन दो विद्वानों के प्रति बहुत बड़ा अन्याय है। हिन्दू विज्ञान और मुस्लिम विज्ञान जैसी कोई वस्तु नहीं है। विज्ञान विज्ञान है और वैज्ञानिक वैज्ञानिक है। इस प्रकार उन वैज्ञानिकों पर आक्षेप लगाना उचित नहीं है और यह बहुत खेदजनक है। जो व्यक्ति यहां उपस्थित नही हैं उनके प्रति आरोप न लगाए जाएं यदि किन्हीं अनियमितताओं आदि का पता लगता है तो उन्हें अत्यन्त नम्रता व गम्भीरता से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

यह कहा गया है कि मसौदा प्रतिवेदन को कार्य-पत्र के रूप में प्रयुक्त किया गया है। आशा है शिक्षा-मंत्री इसका स्पष्टीकरण देगें क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यह दोनों दो विभिन्न वस्तुए हैं।

समिति के प्रतिवेदन में विभिन्न स्थानों पर नियुक्ति के लिए चयन पद्धति में अनियमितताओं का उलेल्ख किया गया है। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए और एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे इस देश में विज्ञान को प्रगति करने का अवसर मिले।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस विवाद में सरकारी और निजी क्षेत्रों की विचार धारा को जोड़ने का प्रयत्न किया वैज्ञानिक तथा आद्यौगिक अनुसंधान परिषद् का संगठन केवल सरकारी क्षेत्र को शिल्पविधि अनुसंधानों द्वारा सहायता देने के साथ-साथ निजी क्षेत्र की सहायता करना भी है। वस्तुत: परिषद् द्वारा स्थापित कई आरम्भिक संयत्रं तो निजी क्षेत्र ने अधिग्रहण कर लिए हैं जबकि अलाभकारी सयंत्रों को उन्होंने नहीं लिया। अत: हमें ध्यान में रखना है कि परिषद् का कार्य देश में सभी प्रकार की शिल्पविधि और विज्ञान को प्रोत्साहन देना है। वैज्ञानिकों को सरकारी अथवा निजी क्षेत्र से सम्बद्ध करना ठीक नहीं और हमें यह मान लेना चाहिए कि उनकी रुचि इस बात में है कि उनके अनुसंधानों के फलस्वरूप उत्पादनों का देश के हित में प्रयोग होता है।

परिषद् के और फिर प्रधान मंत्री तथा वर्तमान महानिदेशक के विचारों में जो परस्पर विरोध दिखाया गया है वह भी कुछ कम दुख की बात नहीं। महानिदेशक प्रधान मंत्री के अधीन हैं वे किस प्रकार उनसे अगल विचार प्रकट कर सकते हैं किन्तु जहां तक मेरा विचार है उनमें कोई विरोधी विचार नहीं है। प्रधान मंत्री कहती हैं कि वह आत्मनिर्भरता चाहती हैं हम भी यही चाहते हैं। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि हम प्रत्येक प्रक्रिया का स्वयं ही अविष्कार करें और उस पर प्रयोग करें अत: यदि महानिदेशक यह कहते हैं कि हमें कुछ शिल्पविधियों को ग्रहण कर लेना चाहिये तो इसमें कुछ बुराई नहीं है जापान ने इसी आधार पर अत्यधिक उन्नति की है।

मेरा सुझाव है कि सरकार लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर विचार करे। यह तथ्य है कि अनियमितताएं हुई हैं। आवश्यक नहीं कि वैज्ञानिक लोग अच्छे प्रशासक भी हों। अत: कुछ लोग उनके साथ ऐसे सम्बद्ध कर दिए जाएं जो नियमों और विनियमों को समझा सकें।

प्रवर समिति के समक्ष सम्पूर्ण तथ्यों को ईमानदारी से तथा ठीक-ठीक प्रस्तुत करना आवश्यक है। सभी नियमों का पालन करते हुए भी यह संभव है कि किसी को शिकायत का अवसर दिए बगैर ऐसे लोगों का चयन किया जाए जिन्हें महानिदेशक उपयुक्त समझते हैं।

अंत में यदि महानिदेशक डा० जहीर हुसैन ने कुछ गलतियां की भी हैं तो मैं नहीं समझती कि हम उन्हें ही दोषी ठहराएं। आखिर परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या सो रहे थे। उन्होंने इस की खोज बीन क्यों नहीं की? उनके पास सारे प्रतिवेदन आते हैं उन्हें उनका अध्ययन करना चाहिए था और यदि उनके पास इसके लिए समय नहीं है तो वे अपने पदों को छोड़ क्यों नहीं देते। जिससे इन पदों पर ऐसे व्यक्ति नियुक्त किए जाएं जिनकी इस ओर रुचि हो।

श्री नम्बियार (तिरूचिरापल्लि) : समिति की नियुक्ति का एक उद्देश्य जहां संसद् के ध्यान में लाए गए आरोपों की जांच करना था वहीं परिषद् के सम्पूर्ण क्रिया-कलापों के पुनरीक्षण का भी था।

दुर्भाग्यवश कई सदस्यों ने चर्चा को इतने निम्न स्तर पर ला खड़ा किया है कि वे सोचते हैं कि संसद का कार्य परिषद् में हुई प्रति व्यक्ति की नियुक्ति की जांच करना है। प्रधान मंत्री ने अभी कहा था कि परिषद में विचारों की मतैक्यता नहीं है। मैं इसका स्पष्टी-

करण चाहता हूं। दो प्रकार के सोचने का ढंग हो सकता है एक तो यह कि देश आत्म-निर्भर हो और अपने ही वैज्ञानिकों और शिल्पियों की सहायता से विकसित हो। दूसरी पद्धति का वर्णन डा० नायर ने अभी किया। आप यदि आयातित जानकारी के पीछे जाते हैं तो आप कुछ भी आयात कर सकते हैं किन्तु उससे आत्म-निर्भरता नहीं आ सकती और न ही अपने वैज्ञानिकों की प्रगति हो सकती है। यदि महानिदेशक शिल्प विधियां और तकनीकों को आयात कराना चाहते हैं तो वे सक्षम महानिदेशक नहीं हैं और वे इस पद के योग्य नहीं हैं। क्या वे संसद् में स्वीकृत नीति से सहमत हैं। महानिदेशक स्वीकृत नीति से कुछ भिन्न बात कह रहे हैं। माननीय शिक्षा-मंत्री इस बात को स्पष्ट करें कि क्या उनमें तथा प्रधान मंत्री में मतवैमित्य है। मैं इसका निर्णय करना चाहता हूं क्योंकि इससे देश का भविष्य और हित सम्बद्ध है। हम देश में वैज्ञानिक शिल्प विधि का विकास चाहते हैं हम सरकारी उपक्रमों में हुई प्रत्येक नियुक्ति पर विचार करने के लिए यहां नहीं बैठे हैं। पचास करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में वैज्ञानिक प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के विषय में सोचना है। इसके लिए यह शिकायत करना ठीक नही है कि नियमों का दृढ़ता से पालन किया गया। यह कोई तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति नहीं है। जब श्री विश्वनाथन बोल रहे थे तो मैंने बीच में वर्तमान महानिदेशक की अर्हताओं के विषय में पूछा था। उनकी नियुक्ति का निर्णय मंत्रीमण्डलीय समिति ने किया था। पहले वे अनुसंधान प्रयोगशाला में निदेशक थे। उनकी नियुक्ति में पक्षपात किया गया था क्योंकि उनकी अर्हताएं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक पद के उपयुक्त नहीं है और इस पर भी उन्होंने अपनी नियुक्ति के आरम्भ में ही गड़बड़ शुरू कर दी थी और नौ मास तक अपना वेतन नहीं लिया था क्योंकि वे अपना पद मंत्रालय में किसी सचिव के स्तर पर चाहते थे। वैज्ञानिक अनुसंधान के अध्यक्षों जैसे उच्चाधिकारियों के ऐसे रवैये से काम नहीं चलेगा। उसमें परिवर्तन लाना होगा। यदि हमारे पास अच्छे वैज्ञानिक हैं तो हमें उन्हें 2,000 रुपये देने में संकोच नहीं करना चाहिए किन्तु उन्हें भी स्वयं को अपने स्तर का सिद्ध करना चाहिए मैं जिस बात पर मुख्य रूप से बल देना चाहता हूं वह 'परिषद्' को लेकर भविष्य में अपनाई जाने वाली नीति को लेकर है। इसी पर ही मुख्य रूप से विचार करना चाहिए। यदि किसी समिति का प्रतिवेदन मेरे अनुकूल नहीं है तो क्या मैं उसके टुकड़े-टुकड़े कर दूं और उसमें से किसी नियुक्ति को लेकर आलोचना करता रहूं। संसद् का कार्य यह नहीं है। हमें देखना यह है कि वैज्ञानिक संस्थान विकसित हो और देश में विज्ञान प्रगति करता रहे और उसके लिए सक्षम व्यक्ति ही चुने जाएं और उसके लिए विज्ञापन पद्धति को छोड़ना होगा। मुख्य बात जो हमें देखनी है वह यह कि अनुसंधान कार्य प्रगति करता रहे। मैं जानता हूं कि हमारे कई युवक विदेशों में चले गए हैं और अपने देश में कार्य नहीं कर पा रहे हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें काम देना चाहिए। प्रश्न वेतन का नहीं है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : अभी हाल ही में मंत्री महोदय ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह कहा कि यह कहना सही नहीं है कि प्रतिवेदन का प्रारूप था। यह तो केवल एक कार्यकारी दस्तावेज़ (वर्किंग पेपर) था जिसे कि प्रतिवेदन का प्रारूप समझ लिया गया। इस कार्यकारी दस्तावेज़ पर समिति ने कई बार विचार किया है और चर्चाओं के अन्तिम प्रारूप का अनुमोदन हुआ है। यदि यह केवल एक कार्यकारी दस्तावेज़ है तो इसकी भाषा ठीक नहीं है क्योंकि इसमें कहा गया है "इन अधिकारियों की नियुक्ति सम्बन्धी तथ्य जो समिति

को मिसिलों से उपलब्ध हुए हैं, नीचे दिये जाते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि इसे प्रतिवेदन का प्रारूप समझा गया है क्योंकि समाचार पत्रों में यह चर्चा हुई है कि यह भेदभाव वैसा ही है जैसा कि नागनाथ और सांपनाथ में होता है ।

कुछ माह पूर्व पांच निदेशकों ने त्यागपत्र दे दिए थे। उन्हें स्वीकार नहीं किया गया । क्यों ? इस सम्बन्ध में मैंने एक प्रश्न भी पूछा जिस के उत्तर में कहा गया कि त्यागपत्र स्वीकार करने पर विचार किया जा रहा है। परन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया । स्वभाविक है कि जो लोग अभी बाहर बैठे हैं और पदोन्नति की आशा में हैं उन्हें इससे बड़ी निराशा हुई है। प्रशासन में अनिश्चितता की स्थिति आ गई है। अतः यह अच्छे प्रशासन के हित में ही है कि इस दिशा में कोई तुरन्त निर्णय लिया जाये। प्रतिवेदन के प्रारूप में जिसे तथाकथित कार्यकारी दस्तावेज़ कहा गया है, ऐसे बहुत से पैराग्राफ हैं जिनसे कई तथ्य प्रकाश में आते हैं परन्तु उन सब को अन्तिम प्रतिवेदन में कोई स्थान नहीं दिया गया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह विवाद समाचार पत्रों के हाथ जा लगा जिसके फलस्वरूप यह खबरें उड़ने लगीं कि कुछ तथ्यों को दबाया जा रहा है, उन्हें उचित ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जा रहा। विमति टिप्पणी में भी कहा गया है कि सभी तथ्यों को ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया । इसके साथ ही यह आलोचना भी की गई है कि सम्भवतः यह सब किसी दबाव के कारण किया गया है। मुझे यह बात ठीक नहीं लगती। मेरा विचार है कि प्रधान मंत्री ऐसी नहीं हैं कि वह समिति के सभापति पर किसी प्रकार का दबाव डालें और वह भी विशेषकर ऐसी हालत में जब कि सभापति महोदय उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत न्यायाधीश हों।

प्रतिवेदन के दूसरे अध्याय में बहुत सी भूलों की ओर संकेत किया गया है । इसी अध्याय के बहुत से पैराग्राफ ऐसे भी हैं जिनमें बड़े-बड़े आरोप लगाये गये हैं । मेरे विचार से मंत्री महोदय को इन सब पैराग्राफों को पढ़ना चाहिये ताकि वह यह निर्णय कर सकें कि इस शिकायत के क्या कारण हैं। अन्तिम प्रतिवेदन मूल प्रतिवेदन का उचित संक्षेप नहीं था।

आज हम उस संसार में रह रहे हैं जहां विज्ञापन का विकास बड़ी तीव्र गति से हो रहा है। अतः हमारी यह इच्छा है कि हमारी वैज्ञानिक संस्थायें अच्छे और योग्य हाथों में जायें, जहां किसी भी प्रकार का पक्षपात, भाई-भतीजावाद अथवा रियायत न हो । हमारी इस सारी चर्चा का प्रमुख उद्देश्य यही है कि हमारे वैज्ञानिक, जो एक महान् कार्य कर रहे हैं, वह निराश न हों क्योंकि आज तो चारों ओर भाई भतीजावाद का ही बोलबाला दिखाई देता है। अब तक जो कुछ हुआ है, उससे हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये और भविष्य में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि हमारी संस्थाओं में योग्य ही लगायें जायें ताकि वह अपनी योग्यता से प्रशासन कार्य ठीक ढंग से चला सकें ।

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मेरे लिए यह उचित नहीं होगा कि मैं व्यक्तिगत मामलों में कोई न्याय करूं। मैंने उन सभी मामलों को बहुत गौर से सुना है जिन्हें विभिन्न सदस्यों ने सभा में उठाया है। मैं उन के दृष्टिकोण का स्वागत करता हूं परन्तु मैं उन मामलों के बारे में कोई निर्णय नहीं लेना चाहता क्योंकि इन सब की जांच एक ऐसी समिति ने की है जिसका सभापतित्व इस देश के प्रतिष्ठित विधिवेत्ता था। इस महानुभाव ने सभापति के रूप में अपना कार्य निष्पक्षता के उद्देश्य को सामने रखकर कड़े परिश्रम के साथ किया है। उनकी सहायता ऐसे सदस्यों ने की है जिन की राय का स्वागत सारी संसद्

करती है। इसकी अतिरिक्त समिति में कुछ प्रतिष्ठित वैज्ञानिक भी शामिल थे। इस समिति ने इस सारे प्रश्न की जांच कर, सारे मामले का विस्तृत रूप से अध्ययन भी किया है। समिति ने प्रत्येक छोटे मामले की अपेक्षा सम्पूर्ण मामले पर सामूहिक रूप से विचार किया है। दूसरे शब्दों में मैं यह कह सकता हूं कि इस पर विचार करते समय केवल नौकरशाही वाला सीमित ही अपितु विस्तृत निर्माणात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है। नौकरशाही के विरुद्ध मेरा कुछ कहने का कोई उद्देश्य नहीं है। नौकरशाही तो बड़े प्रशासन के लिए अनिवार्य ही है। मेरा कहने का अभिप्राय केवल यही है कि नौकरशाही प्रत्येक स्थान पर केवल नियमों के जंजाल में ही उलझा रहता है परन्तु प्रस्तुत समिति ने इस प्रकार का सीमित दृष्टिकोण न अपना कर अपने सम्पूर्ण कार्य पर दृष्टि केन्द्रित रखी है।

हां तो वास्तविक बात मैं यह कह रहा था कि जो हो गया सो तो हो गया। अधिकांश विवाद 8 या 9 पदों की नियुक्तियों के बारे में है जिन का सम्बन्ध भूतपूर्व महानिदेशक से है। बहुमत या अल्पमत द्वारा प्रतिवेदन में इन नियुक्तियों के बारे में कई बातें कहीं गई हैं। विमति टिप्पण के अंतिम पैराग्राफ में कहा गया है कि हम यह जांच इस आशा से कर रहे हैं कि भविष्य में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के नियुक्तियां करने वाले प्राधिकारी इस बात को ध्यान में रखेंगे कि न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिये बल्कि किया हुआ न्याय स्पष्ट दिखाई देना चाहिये। यह वास्तव में एक उचित विचार है। हालांकि जब हम वैज्ञानिक अनुसंधान विस्तार कार्य कर रहे हैं तो यहां वहां इस में कुछ एक त्रुटियाँ भी हुई होंगी। परन्तु वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि डा० जहीर ने इस आदमी का पक्ष किया है या उस आदमी का। मैं डा० जहीर को उस समय से जानता हूं जबकि मैं योजना आयोग का सदस्य था। डा० जहीर देश के भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान को टेक्नोलोजी की दिशा में स्वावलम्बी बनाने की इच्छा से प्रेरित थे। जो महान् कार्य डा० जहीर ने आरम्भ किया था उस का अनुसंरण वर्तमान महानिदेशक डा० आतमाराम पूरी शक्ति से कर रहे हैं। "मैं डा० गुहा से पूर्णतया सहमत हूं कि जो कुछ भी हुआ है उसके मूल में गलत नीति ही है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान देश का बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है परन्तु उसकी व्यवस्था इतनी ठीक नहीं है। मैं एक वैज्ञानिक नहीं हूं। मैं तो सारा जीवन ही एक शिक्षाशास्त्री ही रहा हूं और मुझे इसी विषय का अधिक ज्ञान है। मैं तो अन्य इस विवाद को समाप्त करना चाहता हूं। समिति ने कहीं भी डा० जहीर पर कोई भी सीधा आरोप नहीं लगाया। मेरे विचार से तो अपने भविष्यक वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य के उचित संचालन के लिए समिति का प्रतिवेदन बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी विभिन्न शिकायतों के बारे में तो प्रधान मंत्री महोदया पहले ही घोषणा कर चुकी हैं। हम ने समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। भविष्य में हम वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में एक स्वतंत्र अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। वह व्यक्ति शिक्षा मंत्रालय का नहीं होगा। यह अधिकारी विभिन्न प्रयोगशालाओं के कर्मचारियों द्वारा लगाये गये विभिन्न आरोपों तथा अन्य दूसरी बातों पर विचार करेगा।

मनुष्य गलती कर सकते हैं। मानवीय भावनायें गलत हो सकती हैं। हम वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं ताकि हम उन से अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। इसीलिए तो प्रधान मंत्री ने कहा है कि हमें इस मामले में एक प्रकार का व्यापक और उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मैं प्रधान मंत्री के इस दृष्टिकोण से पूर्णतया सहमत हूं और मुझे आशा है कि सभा भी हम दोनों के साथ सहमत होगी कि हमें उदार दृष्टिकोण ही अपनाना चाहिये।

समिति ने काफी सिफारिशें सर्वसम्मति से की हैं। इन सिफारिशों में लगभग सभी आलोचनाओं का उत्तर मिल जायेगा। भविष्य में इस कार्य के लिए विभिन्न चुनाव समितियां होंगी। यह भी एक अच्छा सुझाव है कि एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक को चुनाव समिति की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए कहा जाये और इस कार्य के लिए उपराष्ट्रपति को कष्ट देना वांछनीय नहीं है। समिति ने अपनी सिफारिशों में यह भी कहा है कि विज्ञापन अवश्य दिये जाने चाहिये। उनमें योग्यता का उल्लेख अवश्य और स्पष्ट होना चाहिये एक प्रयोगशाला से दूसरी प्रयोगशाला को पदों का स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिये। यह भी अनिवार्य है कि पदों का उचित वर्गीकरण किया जाये। यह सभी सिफारिशें तो सर्वसम्मत है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अधिक सुचारु रूप से कार्य करने के लिए उपयुक्त स्थिति बनाने के लिए इन से बहुत सहायता मिलेगी।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् भारतीय वैज्ञानिकों की एक संस्था है। मैं उन में से अनेक को मिला हूं, मैंने विभिन्न प्रयोगशालाओं को देखा है और साथ ही उस की विभिन्न चयन समितियों में भी रहा हूं। मैं परिषद् के वैज्ञानिकों की प्रतिभा से काफी प्रभावित हुआ हूं। परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम सारी उपलब्ध वैज्ञानिक योग्यता का सदउपयोग नहीं कर पाये हैं। हम इसी समस्या के बारे में चिन्तित हैं और मैं समझता हूं कि सरकार समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर हम इस समस्या के समाधान में सफल हो जायेंगे। अत: मैं संस्थापन का अध्यक्ष होने के नाते उन सिफारिशों को स्वीकार करने की घोषणा करता हूं। अत: मैं इस विवाद के अन्त में यह भी कह दूं कि डा० आत्मराम इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार करेंगे क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति विशेष को कोई हानि नहीं पहुंचाई गई है।

जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि मैंने डा० आत्माराम तथा प्रोफेसर ब्लैकेट्ट के कुछ वक्तव्यों को पढ़ा है। मैं आर्थिक विकास सम्बन्धी विज्ञान और टैक्नोलौजी विकास के बारे में भी कुछ जानता हूं। मैं एक स्पष्ट वक्तव्य देने के लिये तैयार हूं कि मैंने एक विकासमान अर्थशास्त्री के रूप में गत 20 या 25 वर्ष तक कुछ अध्ययन किया है। यदि आप कहते हैं कि सम्पूर्ण अनुसंधान नई चीजों पर किया जाये और जो कुछ बहार के देशों में हो चुका है उसे स्वीकार न किया जाए अथवा प्रत्येक चीज की दूबारा खोज की जाये, पुनिर्माण किया जाये तो मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, कभी-कभी मतभेद सम्बन्धी धारणायें फैलाई जाती हैं। श्री नम्बियार ने पूछा कि क्या एक महा-निदेशक और शिक्षा मंत्री तथा दूसरी तरफ प्रधान मंत्री के बीच कुछ मतभेद है। मैं माननीय सदस्य की टिप्पणी प्रधान मंत्री महोदय तक पहुंचा दूंगा और यह प्रधान मंत्री महोदय पर निर्भर करता है कि जैसा वे चाहें वैसा करें, मैं नहीं जानता कि वे माननीय मित्र के तर्क से प्रभावित हैं। लेंकिन मैं कहना चाहता हूं कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् दोनों प्रकार के अनुसंधान करने का प्रयत्न करता है, ऐसी शिकायत की गई है कि विज्ञान और उद्योग के बीच पर्याप्त सम्बद्ध नहीं रहा है, मैंने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के काम को अधिक समय दिया, मैंने वैज्ञानिक विश्वास को लाने का भरसक प्रयत्न किया। हम युवकों की बात करते हैं। मैं ऐसा कहता रहा हूं कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में शिक्षा परिषद् होनी चाहिये। नये तथा पुराने वैज्ञानिकों को आपस में मिलना चाहिये और वैज्ञानिक समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए। कार्यकारी परिषद् तथा प्रयोगशालाओं में

वैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये। प्रयोगशाला के निदेशक को कार्यकारी परिषद् का उपाध्यक्ष होना चाहिए। मैं यह भी कहता रहा हूं कि विश्वविद्यालय-विभागों तथा प्रयोगशालाओं में अधिक सम्पर्क होना चाहिये और अधिकारियों की काफी आन्तरिक अदला-बदली होनी चाहिये मैं उद्योग तथा विज्ञान के बीच अत्यन्त निकट और घनिष्ठ सम्बन्ध चाहता हूं। योजना आयोग के श्री वेंकटारमन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई है जो इस सारे प्रश्न पर विचार करेगी कि हम कैसे विज्ञान और उद्योग में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं, उन्होंने तीन या चार उद्योगों को लिया है और उनके बारे में ठोस सिफारिशें तैयार कर रहे हैं।

मैं बताना चाहता हूं कि मेरे काम करने की स्वतंत्रता में दो चीजें बाधक बनीं--(एक) मैं ही सर्वोच्च प्राधिकारी नहीं हूं और (दो) सरकार समिति। सम्पूर्ण पुनर्गठन का कार्य सरकार समिति को सौंपा गया है। हम सरकार समिति के अन्तिम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करे रहे हैं, क्योंकि हम जितना शीघ्र सम्भव हो सके उतना शीघ्र वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का पुनर्गठन करना चाहते हैं। हम इसे लोकतंत्रीय बनाना चाहते हैं और मुख्य कार्यालय के निदेशकों को ही कार्य करने के लिए अधिक स्वतंत्रता तथा प्रोत्साहन नहीं देना चाहते बल्कि हम इन प्रयोगशालाओं के मुख्य वैज्ञानिकों की योग्यता और प्रतिभा को बढ़ाने तथा उनमें अपना अधिक से अधिक योगदान देने की भावना पैदा करना चाहत हैं ओर उनको कार्य करने की अधिक स्वतंत्रता देना चाहते हैं।

इस बात पर ही इतना अधिक समय लगाया गया कि प्रतिवेदन प्रारूप प्रतिवेदन है अथवा कार्यपत्र, यह कार्यपत्र है या प्रारूप प्रतिवेदन है इससे क्या अन्तर पड़ता है? हमें तो अन्तिम प्रतिवेदन से मतलब है। यह कहना कि इस समिति पर किसी तरह का दबाव डाला गया है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। न्यायाधीश सरकार ऐसे व्यक्ति नहीं हैं कि उन पर किसी तरह का दबाव डाला जा सके।

हम चाहते हैं कि सरकार समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाये, सरकार समिति के प्रतिवेदन का दूसरा भाग शीघ्र मिल सके और हमारी प्रयोगशालाओं में कार्य करने वाले युवा वैज्ञानिकों के लिए इस सभा द्वारा विश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो हम उन्हें यह सन्देश देना चाहते हैं कि वे प्रगति करें और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक हों।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 20 मार्च, 1970/30 बैसाख, 1892 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, March, 20, 1970/Vaisakha 30, 1892 (Saka).

M25 LSS/70—20-2-71—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

19 मई, 1970 / 29 वैशाख, 1892 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
vi	प्रश्न संख्या 10190 'हिन्डल' के स्थान पर 'हिन्डोन' पढ़िये ।
xiv	नीचे से पंक्ति 15 और 16 के बीच कालम 1, 2, 3, में क्रमश: डा.वी.के.आर.वी.राव Dr. V.K. R.V. Rao पढ़िये
1	पंक्ति 5, '1982' के स्थान पर '1892' पढ़िये ।
11	पंक्ति 2, 'श्री ए.पी. शिडला' के स्थान पर 'श्री रा. के. बिड़ला' पढ़िये ।
54	पंक्ति 15, 'सरदयाल देवगुण' के स्थान पर 'हरदयाल देवगुण' पढ़िये ।
159	नीचे से पंक्ति 4, 'शुक्रवार, 20 मार्च, 1970' के स्थान पर 'बुधवार, 20 मई, 1970' पढ़िये ।
	नीचे से पंक्ति 2, 'March 20' के स्थान पर 'May 20' पढ़िये ।